फ़र्ज़ ऊ़लूम पर मुश्तमिल किताब

फैज़ाने फ़र्ज़ ऊ़लूम

मुसन्निफ़

उस्तादुल फ़िक्ह वल्ह़दीस

मुफ़्ती मुहम्मद हाशिम खान अल-अत्तारी

अल-मदनी

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ

وعلی الک و اصحابک یا حبیب اللہ

नाम किताब ....फ़ैज़ाने फ़र्ज़ उलूम

मुसन्निफ़ .... मुफ़्ती मुहम्मद हाशिम खान अल-अत्तारी अल-मदनी

नाशिर .... मक्तबए इमामे अहलेसुन्नत , लाहौर

फोन नंबर 0332-9292026

सफ्हात 320

क़ीमत 320

ईशाअते अव्वल .... रबीउन्नूर 1435 हि. ब-मुताबिक़ जनवरी 2014 ई.

मिलने का पता

वद्दुहा पब्लिकेशंस , दाता दरबार मार्केट . लाहौर : 0300:7259263

मक्तबाए फैज़ाने मदीना , मदीना टाउन , फैसलाबा'द : 0312:6561574

मज़ामीन	सफहान
किताबुल अ़क़ाइ़द	16
अल्लाह तआ़ला की ज़ात व सिफात का बयान	16
अल्लाह عزوجل के बारे में हमारा क्या अ़क़ीदा होना चाहिए ?	16
अल्लाह तआ़ला की सिफ़ाते ज़ातिया	17
अल्लाह तआ़ला के लिए आ़शिक़ का लफ्ज़ बोलना कैसा ?	19
अंबिया علیہم السلام से मुतअ़ल्लिक़ अ़क़ाइ़द	21
नबी और रसूल में क्या फर्क़ है ?	21
अम्बिया علیہم السلام के बारे में हमारा क्या अ़क़ीदा होना चाहिए ?	21
क्या अम्बिया علیہم السلام ज़िंदा है ?	23
किन किन अम्बिया علیہم السلام के नाम क़ुरआन मजीद में सराहतन मौजूद है	25
सय्यिदुल अम्बिया صلی اللہ علیہ وسلم के खसाईस	28
हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के बाद कोई और नबी मानने का हुक्म	30
क्या ह़ुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की इताअ़त के बगैर अल्लाह तआ़ला की इताअ़त हो सकती है ?	32
लिवाउल ह़म्द से क्या मुराद है ?	34
मोअ़्जिज़ा व करामत	36
क्या झूठा नबी मोअ़्जिज़ा दिखा सकता है ?	36
आसमानी किताबें	37
फरिश्तो का बयान	40
फरिश्तों की ता'दाद कितनी है ?	41
जिन्नात का बयान	42
जिन्नात के वुजूद का इन्कार करने का क्या हुक्म है ?	42

आ़लमे बरज़ख का बयान	43
आवागवन किसे कहते है ?	45
जिस मुर्दे को दफ्न न किया जाये , क्या उससे भी सुवालाते कब्र होंगे ?	47
वो कौन है , जिनके बदन को मिटटी नहीं खा सकती ?	48
क़ियामत की निशानिया	49
क़ियामत की अ़लामाते सुगरा	49
क़ियामत की अ़लामाते कुबरा	51
ह़श्र का मैदान	59
क़ियामत के दिन लोग अपनी क़ब्रों से कैसे उठेंगे ?	59
हौज़े कौसर क्या है ?	65
जन्नत का बयान	68
जन्नत कितनी वसीअ़ है ?	68
खाना ह़ज़्म कैसे होगा ?	71
क्या जन्नत में जिस्म पर बाल होंगे ?	71
क्या जन्नत व दोज़ख अब भी मौजूद है ?	73
दोज़ख का बयान	74
जहन्नम की आग कैसी है ?	74
जहन्नमियों की शक्लें कैसी होंगी ?	77
तक़्दीर का बयान	79
क्या अल्लाह तआ़ला के इ़ल्म या लिख देने ने इन्सान को मजबूर कर दिया है ?	79
तक़्दीर की कितनी अक्साम है ?	79
ईमान व कुफ्र का बयान	81
ज़रूरीयाते दीन से क्या मुराद है ?	81
क्या ऐसे आ'माल भी है जिनका करना कुफ्र है ?	83

कुफ्रिया कलिमात का बयान	85
हमें कैसे मा'लूम होगा कि फलां कालिमा कुफ्र है ?	85
तज्दीदे ईमान का तरीक़ा	89
सह़ाबा ए किराम عليهم الرضوان	91
किस सहाबी के साथ (معاذ الله) बुग्ज़ रखना कैसा है ?	91
क्या कोई वली किसी सहाबी के रुत्बे को पहुँच सकता है ?	92
खु-लफा ए राशिदीन	95
खु-लफा ए अरबआ़ चार खुलफा में अफ्ज़लियत की तरतीब क्या है ?	95
खु-लफा ए अरबआ़ के बाद सहाबा में कौन अफ्ज़ल है ?	95
सबसे पहले इस्लामी बादशाह कौन है ?	96
अहले बैते अतहार رضى الله تعالى عنهم	98
जो अहले बैत से मुहब्बत न रखें , वो कैसा है ?	98
अहले बैते अतहार के फ़ज़ाइल	98
उम्महातुल मो'मिनीन की ता'दाद कितनी है और उनके अस्मा ए मुबारका क्या है ?	100
विलायत का बयान	102
क्या विलायत बे इल्म को मिल सकती है ?	102
क्या कोई वली शरीअ़त की पाबन्दी से आज़ाद हो सकता है ?	103
करामाते औलिया के मुन्किर का क्या हुक्म है ?	104
क्या औलिया ए किराम क़ब्रो में ज़िंदा होते है ?	105
पीर किसको बनाना चाहिए ?	105
किताबुत्तहारत	106
नजासतों का बयान	106
नजासत की कितनी किसमे है ?	106
नजासते गलीज़ा कौन सी चीज़े है ?	108

दूध पीते बच्चे के पेशाब का क्या हुक्म है	108
नजासते खफीफा कौन सी चीज़े है	109
नापाक चीज़ों को पाक करने के तरीके	112
नापाक बदन या कपड़े किस किस चीज़ से पाक कर सकते हैं ?	112
क्या यह ज़रूरी है कि लगातार तीन बार धोया जाए ?	114
नापाक ज़मीन कैसे पाक होगी ?	116
नापाक तेल को पाक करने का तरीक़ा क्या है ?	117
इस्तिन्जा का बयान	119
इस्तिन्जा करते वक़्त क़िब्ले की तरफ मुँह या पीठ करना कैसा है ?	119
किस-किस जगह पेशाब और पाखाना करना मकरूह है ?	120
लुन्झा आदमी हो तो उसे इस्तिन्जा कौन करवाएं ?	123
हैज़ व निफ़ास का बयान	124
हैज़ व निफास और इस्तिहाज़ा किसे कहते हैं ?	124
हैज़ व निफ़ास वाली औ़रत को कौन-कौन से उमूर मना है ?	125
वुज़ू का बयान	127
चेहरे से क्या मुराद है	127
वुज़ू की सुन्नतें	128
मिस्वाक के कुछ आदाब	128
वुज़ू के मुस्तहब्बात	129
वुज़ू में मकरूहात	130
वुज़ू तोड़ने वाली चीजें	130
मोज़ो पर मस्ह़ का बयान	132
मोज़ो पर मस्ह़ करने के लिए शराईत है	132
मस्ह़ किन चीज़ों से टूटता है	133

गुस्ल का बयान	134
गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा	134
गुस्ल वाजिब होने के अस्बाब	135
गुस्ल करना कब मुस्तह़ब है ?	136
पानी का बयान	139
पानी के इस्ते'माल के ऐ'तबार से कितनी क़िस्मे है ?	139
दह दर दह की ता'रीफ	140
माए मुस्त'मल कौन सा पानी है ?	140
झूठे पानी का बयान	143
शराबी के झूठे का क्या हुक्म है ?	144
कुत्ते ने बर्तन में मुँह डाला तो बर्तन कैसे पाक होगा ?	145
कुंवे का बयान	146
कुंवे से कुल पानी निकालने का हुक्म कब होता है ?	146
कुल पानी निकालने से क्या मुराद है ?	148
तयम्मुम का बयान	149
पानी पर कुदरत न पाने की सूरते कौन सी है ?	149
आबे ज़मज़म की मौजूदगी में तयम्मुम कर सकते हैं ?	151
तयम्मुम का तरीक़ा	152
वुज़ू और गुस्ल के तयम्मुम में क्या फर्क है	154
तयम्मुम किन चीज़ों से टूटता है	156
किताबुस्सलात	157
मामूरात व मन्हियात	157
मामूरात व मन्हियात से क्या मुराद है ?	157
अज़ान व इक़ामत का बयान	161

नमाज़े पंजगाना के लिए अज़ान देने का क्या हुक्म है ?	161
किन मवाक़ेअ पर अज़ान देना मुस्तह़ब है ?	162
किन की अज़ान मकरूह है ?	162
मुअज़्ज़िन कैसा होना चाहिए ?	163
अज़ान व इक़ामत में क्या फर्क है ?	165
अज़ान पर उजरत लेना कैसा है ?	168
नमाज़ की शरारत और फ़राइज़	169
तहारत का बयान	170
शर्ते नमाज़ किस कदर नजासत से पाक होना है ?	170
सित्रे औ़रत	172
अगर किसी के पास कपड़े नहीं तो कैसे नमाज़ पढ़े ?	174
इस्तिक़्बाले क़िब्ला	176
अगर का'बाए मुअज़्ज़मा के अंदर नमाज़ पढ़े तो किस तरफ रुख करें ?	176
जो शख्स इस्तिक़्बाले क़िब्ला से आ़जिज हो , उसके लिए क्या हुक्म है ?	177
अगर दौराने नमाज़ मुँह क़िब्ले से फेरा तो क्या हुक्म है ?	178
नमाज़ के अवक़ात का बयान	179
साया ए असली से क्या मुराद है ?	179
वित्र का वक़्त क्या है ?	180
वह कौन से अवक़ात है जिनमें कोई नमाज़ जाइज़ नहीं ?	183
वह कौन से अवक़ात है जिनमें नवाफिल पढ़ना मना है ?	184
नियत का बयान	187
नियत का अदना दर्जा क्या है	187
क्या यह नियत ज़रूरी है कि मुँह मेरा क़िब्ले की तरफ है ?	189
किस कि सूरत में इमाम को इमामत की नियत ज़रूरी है ?	190

नमाज़ का तरीक़ा	191
तक्बीरे तह़रीमा	193
गूंगा तक्बीरे तह़रीमा कैसे कहेगा ?	194
तक्बीरे ऊला की फ़ज़ीलत कब तक पा सकता है ?	194
क़ियाम का बयान	195
क़ियाम कितनी देर ज़रूरी है ?	195
क़िराअत का बयान	197
नमाज़ में कितनी क़िराअत फर्ज है	197
जहर और सिर्र की ह़द क्या है	198
कितना क़ुरआन हिफ्ज़ करना ज़रूरी है	199
मसाइले क़िराअत बेरून्ने नमाज़	203
क़ुरआने देख कर पढ़ना अफ्ज़ल है या ज़बानी पढ़ना ?	203
क़ुरआन याद करके भुला देना कैसा है?	206
क़िराअत में गलती हो जाने का बयान	207
रुकूअ़ व सुजूद	209
एक रात में कितनी बार सजदा फर्ज है	210
क़ा'दाए अखीरा और खुरूजे बिसुनइही	211
क्या रुकूअ़ , सुजूद और क़ा'दाए अखीरा तरतीब से करना ज़रूरी है ?	212
नमाज़ के वाजिबात , सुनन और मुस्तह़ब्बात	213
इमामत का बयान	218
इमाम के लिए कितनी शर्ते हैं ?	218
ह़-नफी शाफेई की इक्तिदा कब कर सकता है ?	219
इमामत का ज्यादा ह़क़दार कौन है ?	219
किन लोगों के पीछे नमाज़ नहीं होती	223

जमाअ़त का बयान	224
जमाअ़त में हाजिरी किस-किस सूरत में माफ है ?	224
क्या औरतो पर भी जमाअ़त वाजिब है ?	225
मुक़्तदी की कितनी किसमें है ?	227
नमाज़ के मुफ्सिदात	232
नमाज़ में इमाम को लुक़्मा देने का बयान	235
लुक़्मा कहा दे सकते है ?	235
क्या लुक़्मा देने के लिए बालिग होना शर्त ?	236
नमाज़ी के आगे से गुज़रना	237
नमाज़ी के आगे से गुज़रना कैसा है ?	237
नमाज़ के मकरूहात	240
नमाज़ के मकरूहाते तह़रीमा	240
नमाज़ के मकरूहाते तंज़ीहा	242
नमाज़ तोड़ देना कब जायज है	244
अह़कामे मस्जिद	246
मसाजिद को किन चीज़ों से बचाने का हुक्म है ?	246
मस्जिद में कब जाने की मुमानअ़त है ?	247
वित्र का बयान	249
जो शख्स दुआ ए कुनूत ना पढ़ सके वह क्या पढ़े	250
वित्र का बेहतर वक़्त क्या है	251
सुनन व नवाफिल	252
सुनने मुअक्कदा में कुव्वत के ऐ'तबार से क्या तरतीब है ?	252
इकट्ठे कितनी रकआत नवाफिल बिला कराहत पढ़ सकते हैं ?	254

क्या नफ्ल नमाज़ बैठ कर पढ़ सकते हैं ?	256
नवाफिल की अक्साम	257
तरावीह़ का बयान	263
तरावीह़ का वक़्त क्या है ?	263
तरावह़ में क़ुरआन खत्म करने का क्या हुक्म है ?	264
क्या तरावीह बैठ कर पढ़ सकते हैं ?	266
क़ज़ा नमाज़ो का बयान	267
नमाज़ क़ज़ा कर देने के लिए शरई आ'जार क्या है ?	267
क़ज़ा नमाज़ किस वक़्त में पढ़ी जाए ?	268
क़ज़ा नमाज़ो में तरतीब ज़रूरी है या नहीं ?	269
क्या नवाफिल व सुनन की जगह क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं ?	271
सज्दए सह्व का बयान	273
सज्दए सह्व का तरीक़ा क्या है ?	273
मरीज़ की नमाज़	277
अगर मरीज बैठ कर नमाज़ पढ़ने पर भी कादिर नहीं तो क्या करें ?	277
बीमारी की हालत में जो नमाज़ एक अदा हुई उन्हें कैसे अदा करें ?	278
सज्दए तिलावत का बयान	279
क्या सज्दए वाजिब होने के लिए पूरी आयत सुनना ज़रूरी है ?	279
सज्दए तिलावत के लिए क्या शराईत है ?	280
सज्दए तिलावत का मसनून तरीक़ा	280
तमाम आयाते सजदा एक मजलिस में पढ़ने की फज़ीलत ?	281
मुसाफिर की नमाज़	282
क्या सुन्नतों में भी क़स्र है ?	283
वतन की कितनी क़िस्मे है ?	284

नमाज़े जुमुआ का बयान	286

जुमुआ पढ़ने के लिए कितनी शराईत है ?	286
खुतबे में कितनी चीजें सुन्नत है ?	287
जुमुआ वाजिब (लाज़िम) होने की शर्तें	288
खुतबे में क्या चीजें ह़राम है ?	290
नमाज़े ई़द का बयान	291
ई़दैन की अदा की क्या शराईत है ?	291
रोज़े ई़द के मुस्तह़ब्बात क्या है ?	291
नमाज़े ई़द का तरीक़ा	292
किताबुल जनाइज़	294
मय्यित का बयान	294
जान्कनी वक़्त क्या करना चाहिए	294
गुस्लें मय्यित	298
मय्यित को नहलाने का तरीक़ा	298
कफ्ने मय्यित	301
कफन पहनाने का तरीक़ा	301
जनाज़ा लेकर जाना	303
नमाज़े जनाज़ा	305
नमाज़े जनाज़ा की शराईत क्या है ?	305
नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा क्या है ?	306
किन लोगों का नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा ?	306
दफ्नें मय्यित	309
ईसाले सवाब का बयान	313
तीजा और चालीसवे शरीफ का क्या हुक्म है ?	313

किताबुज़्ज़कात	**316**

ज़कात कब फ़र्ज़ हुई ?	316
ज़कात को ज़कात कहने की वजह क्या है ?	316
हालते अस्लिया किसे कहते है ?	317
अम्वाले ज़कात कौन से है ?	319
निसाब का मालिक है , मगर इस पर क़र्ज़ है , तो क्या हुक्म है ?	320
मसारिफे ज़कात	322
किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते ?	323
किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते है ?	324
ज़कात की अदाएगी की क्या शराईत है ?	325
जानवरों की ज़कात	327
कितनी क़िस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है ?	327
ऊश्र का बयान	330
ज़मीन की किस पैदावार पर ऊश्र वाजिब है ?	330
किन फज्लों पर उशर वाजिब नहीं ?	330
क्या क़र्ज़ दर को ऊश्र माफ़ है ?	331
ऊश्र किसे दिया जाए ?	333
सदक़ा ए फ़ित्र	334
सदक़ा ए फ़ित्र किस पर वाजिब है ?	334
अगर बाप न हो , तो क्या छोटे बच्चो का माँ पर वाजिब होगा ?	335
सदक़ा ए फ़ित्र की मिक़्दार क्या है ?	336
किताबुस्सौम	338
रोज़े की कितनी क़िस्मे है ?	338

नियत का बयान	340
रोज़े की नियत कैसे करेंगे ?	340

क्या सहरी खाना नियत शुमार होगा ?	341
चाँद का बयान	343
किन महीनो का चाँद देखना ज़रूरी है ?	343
चाँद होने या न होने में इल्मे हैयत का एतिबार है या नहीं ?	343
गवाही देने वाले से ताफ्तीशी सुवालत करना कैसा ?	345
एक जगह चाँद देखा गया वो सिर्फ वही के लिए है या हर जगह के लिए?	346
चाँद के सुबूत में कौन से तरीके ना मो'तबर है ?	346
मुफ्सिदाते रौज़ा	348
रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें	348
मुँह भर क़ै की तारीफ़ क्या है ?	350
रोज़ा न तोड़ने वाली चीज़ें	351
किन सूरतो में रोज़ा नहीं टूटता ?	351
किसी रोजेदार को भूल कर खाता पीता देखें , तो की हुक्म है ?	353
वो सूरतें जिनमे सिर्फ क़ज़ा लाज़िम होती है	354
काफ्फारे के अहकाम	356
मकरूहाते रोज़ा	359
क्या रोज़े की हालत में मिस्वाक करना मकरूह है **?**	361
रोज़ा न रखने की इजाज़त की सूरतें	362
औरत को दौराने रोज़ा हैज़ आ गया , तो क्या हुक्म है ?	364
एक रोज़े का फिदया कितना है ?	365
नफ्ली रोज़ा तोड़ने की कब इजाज़त है ?	366

किताबुन्निकाह़	367
खुंसा मुश्किल (हिजड़े) का निकाह मर्द से होगा या औ़रत	367
से निकाह करने का शरीर हुक्म क्या है	367

निकाह के मुस्तह़ब्बात	368
निकाह के अरकान	368
निकाह के लिए शराईत	368
निकाह का मुख्तसर तरीक़ा	370
किताबुत्तलाक़	372
तलाक़ देना कैसा है	372
देने के एतबार तलाक़ की कितनी किसमें है ?	372
अल्फाज़े तलाक़ की कितनी किसमें है ?	373
वह कौन सी तलाक़ है कि जिस में निकाह करना पड़ता है ?	374
क्या नशे की हालत में तलाक़ हो जाती है ?	375
अक़ीक़े का बयान	377
अक़ीका किस दिन करना चाहिए	377
अ़ब्दुल्लाह और अ़ब्दुल रहमान नाम रखना कैसा है	379
खतना का बयान	381
बच्चे का खतना किस उम्र में करवाया जाए ?	381
बच्चा अगर ऐसा पैदा हुआ, जिसे खतना की हाजत नहीं ,तो क्या किया जाए ?	381
बूढ़ा आदमी मुसलमान हुआ , खतना नहीं हुआ तो वह क्या करें ?	382
कुछ उमूरे बातिनिया	383

कुरआन के बारे में मा'लूमात	388
मआखज़ व मराजेअ	390

किताबुल अक़ाइद

अल्लाह तआ़ला की ज़ात व सिफात का बयान

सवाल : अल्लाह عزوجل के बारे में हमारा क्या अ़क़ीदा होना चाहिए ?

जवाब : अल्लाह عزوجل के बारे में हमारा अ़क़ीदा ये होना चाहिए के

(1) अल्लाह عزوجل एक है , उसका कोई शरीक नहीं , न ज़ात में , न सिफात में -

(2) वही इसका मुस्तहिक़ है के उसकी इ़बादत व परिस्तिश की जाये , उसके अ़लावा कोई इ़बादत के लाइक नहीं -

(3) वो वाजिबुल वुज़ूद है या'नी उसका वुज़ूद ज़रूरी और अ़दम (न होना) मुहाल है -

(4) वो क़दीम है या'नी हमेशा से है , अज़ली के भी यही मआना है -

(5) वो बाक़ी है या'नी हमेशा रहेगा और इसी को अबदी भी कहते है -

(6) वो बेपरवाह है बेनियाज़ है , किसी का मोहताज नहीं और तमाम जहांन उसका मोहताज है -

(7) जिस तरह उस की ज़ात क़दीम , अज़ली , अबदी है , सिफात भी क़दीम , अज़ली , अबदी है - उसकी ज़ातो सिफात के सिवा सब चीज़े ह़ादिस है , या'नी पहले न थी फिर मौजूद हुई -

(8) वो न किसी का बाप है , न बेटा और न उसके कोई बीवी , जो उसे बाप या बेटा बताये या उस के लिए बीवी साबित करे , काफ़िर है !

(9) वही हर शैय का खालिक़ है , ज़वात हो ख्वाह अफअ़ाल , सब उसी के पैदा किए हुए हैं -

(10) ह़क़ीक़तन रोज़ी पहुंचाने वाला वही है , मलाइका वग़ैरहुम सब वसीला है -

(11) अल्लाह तआ़ाला जिस्म , जिहत , मकान , शक्ल व सूरत और ह़रकत व सुकून सबसे पाक है -

(12) वो हर कमाल व खूबी का जामेअ़ है , और हर उस चीज़ से जिसमें ऐ़ब व नुक़्सान है पाक है , मसलन झूठ , दगा , खयानत , ज़ुल्म , जहल , बे-ह़याई वग़ैरहा उ़यूब उस पर क़त-अ़न मुहाल है !

सवाल : अल्लाह तआ़ाला की सिफ़ाते ज़ातिया कौन सी है ?

जवाब : सिफ़ाते ज़ातिया सात है , जो के दर्जे ज़ैल है :

(1) ह़यात (2) क़ुदरत (3) सुनना (4) देखना (5) कलाम (6) इल्म (7) इरादा -

सवाल : इन सिफ़ात की कुछ तफ्सील इरशाद फरमा दें ?

जवाब : वह ह़ई है , या'नी खुद ज़िन्दा है और सबकी ज़िन्दगी उसके हाथ में है , जिसे जब चाहे ज़िन्दा करें और जब चाहे मौत दे -

वह हर मुम्किन पर क़ादिर है , कोई मुम्किन उसकी क़ुदरत से बाहर नहीं वह

समीअ़ है या'नी हर पस्त से पस्त आवाज़ को सुनता है , मगर उसका सुनना कान से नहीं -
वह बसीर है या'नी हर बारीक से बारीक को कि खुर्दबीन से महसूस न हो देखता है मगर उसका देखना आंख से नहीं -

वह कलाम फरमाता है मगर उसका कलाम ज़बान से नहीं , और उसका कलाम आवाज़ और अल्फाज़ से पाक है -
उसका इ़ल्म हर शैय को मुह़ीत़ है , वो ग़ैब व शहादत सब को जानता है -
इरादा व मशियत की सिफत से मुत्तसिफ है , उसके इरादा व मशियत के बग़ैर कुछ भी नहीं हो सकता , तमाम चीज़ो को अपने इरादे से पैदा फरमाता है , यह नहीं के बे इरादा उसके अफआ़ल सरज़द होते हैं !

सवाल : अल्लाह तआ़ला की सिफ़ात उसका ऐ़न है या ग़ैर ?
जवाब : सिफ़ाते बारी तआ़ला न ऐ़न है न ग़ैर , या'नी सिफात उसी ज़ात ही का नाम हो ऐसा नहीं और ना उससे किसी तरह जुदा हो सके कि नफ्से ज़ात की मुक़्तज़ा है और ऐ़ने ज़ात को लाज़िम -
बिला तशबीह इसको यूँ समझें के फूल की खुशबू फूल की सिफत है जो फूल के साथ ही पाई जाती है मगर उस खुशबू को हम फूल नहीं कहते और ना ही उसे फूल से जुदा कर सकते हैं !

सवाल : अल्लाह मियां कहना कैसा है ?
जवाब : अल्लाह तआ़ला के साथ "मियां" का लफ्ज़ बोलना मनअ़ है , अल्लाह तआ़ला , अल्लाह عزوجل बोलना चाहिए , इमामे अहले सुन्नत आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा खान رحمۃ اللہ علیہ फरमाते हैं : अल्लाह तआ़ला के लिए मियां का लफ्ज़ न बोला जाए कि वह तीन मा'ना रखता है , आक़ा और शौहर और मर्द

व औ़रत में ज़िना का दलाल , इनमें दो रब्बुल इ़ज़्ज़त के लिए मुहा़ल (या'नी ना-मुम्किन) है , लिहाज़ा इतलाक़ (या'नी बोलना) ममनूअ़ है !

सवाल : क्या अल्लाह तआ़ला को सखी कह सकते हैं ?

जवाब : अल्लाह तआ़ला को ही सखी नहीं जव्वाद कहना चाहिए - आ'ला ह़ज़रत इमामे अहले सुन्नत इमाम अह़मद रज़ा رحمۃ اللہ علیہ फरमाते है : " असमाए इलाहिया तौक़ीफिया (क़ुरआन व ह़दीस की तरफ से ठहराए हुए) हैं , यहाँ तक के अल्लाह जल्ला जलालुहू का जव्वाद होना अपना ईमान (है) मगर उसे सखी नहीं कह सकते के शरअ़ में वारिद नहीं " -

ह़कीमुल उम्मत मुफ़्ती अह़मद यार खान رحمۃ اللہ علیہ फरमाते हैं : " मुह़ावरा-ए-अ़रब में उ़मूमन सखी उसे कहते हैं जो खुद भी खाए औरों को भी खिलाएं , जव्वाद वह जो खुद न खाएं औरो को खिलाए , इसीलिए अल्लाह तआ़ला को सखी नहीं जव्वाद कहा जाता है !

सवाल : अल्लाह तआ़ला के लिए आ़शिक़ का लफ्ज़ बोलना कैसा है ?

जवाब : नाजाइज़ है कि मा'नाए इश्क़ अल्लाह عزوجل के ह़क़ में मुहा़ले क़त़ई है और ऐसा लफ्ज़ बे वुरूदे शर-ई़ अल्लाह तआ़ला की शान में बोलना मम्नूए क़त़ई़ !

सवाल : क्या दुनिया में जागती आँखों के साथ अल्लाह तआ़ला का दीदार मुम्किन है , बा'ज़ लोग यह दा'वा करते हैं कि हमारे साथ आए हम आपको जागती आँखों के साथ अल्लाह तआ़ला का दीदार कराते हैं ?

जवाब : दुनिया में हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के अ़लावा किसी के लिए बेदारी में चश्मे सर से अल्लाह तआ़ला का दीदार मुम्किन नहीं , जो इसका दा'वा करे वह काफिर है , रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने इरशाद फ़रमाया **(تَعَلَّمُوا اَنَّهُ لَنْ يَرَى اَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى يَمُوْتَ)** तर्जमा : जान लो कि तुम में से कोई भी शख्स

मौत से पहले हरगिज़ अपने रब का दीदार नहीं कर सकता -

फतावा ह़दीसिया में है " لا یَجوز لاحد ان یدعی انہ رأی اللہ بعین رأسہ و من زعم ذالک فھو کافر مراق الدم " तर्जमा : किसी के लिए जाइज़ नहीं कि वह सर की आँखों से अल्लाह तआ़ला को देखने का दा'वा करें और जिसने यह गुमान किया तो वह काफिर और मुबाहुद्दम है !

सवाल : क्या हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने सर की आँखों से अल्लाह तआ़ला का दीदार किया है ?

जवाब : जी हाँ ! जम्हूर अहले सुन्नत के नज़दीक मे'राज की रात हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने सर की आँखों से अल्लाह तआ़ला का दीदार किया !

सवाल : क्या दुनिया के अंदर ख्वाब में अल्लाह तआ़ला का दीदार हो सकता है ?

जवाब : जी हाँ ! ख्वाब में हो सकता है , औलिया से साबित है , हमारे इमामे आ'ज़म رضی اللہ تعالی عنہ को ख्वाब में सो बार ज़ियारत हुई !

सवाल : क्या आखिरत में मुसलमानों को अल्लाह तआ़ला का दीदार होगा ?

जवाब : जी हाँ ! जन्नत में मोमिनीन को अल्लाह तआ़ला का दीदार होगा !

अंबिया عليهم السلام से मुतअ़ल्लिक़ अक़ाइ़द

सवाल : नबी किसे कहते हैं ?

जवाब : नबी उस बशर को कहते हैं जिसे अल्लाह तआ़ला ने हिदायत के लिए वह़ी भेजी हो !

सवाल : नबी और रसूल में क्या फर्क़ है ?

जवाब : दो तरह का फर्क़ है :

(1) नबी को अगर तबलीग़ का हुक्म भी दिया गया हो तो वह रसूल भी है -

(2) रसूल बशर ही के साथ खास नहीं बल्कि मलाइका में भी रसूल है !

सवाल : क्या जिन्न और फरिश्ते भी नबी होते हैं ?

जवाब : नहीं ! जिन्न और फरिश्ते नबी नहीं होते , नबी सिर्फ इंसानों में होते हैं और उनमें भी यह मर्तबा सिर्फ मर्द के लिए है कोई औ़रत नबी नहीं हुई !

सवाल : अंबिया ए किराम عليهم السلام के बारे में हमारा क्या अ़क़ीदा होना चाहिए ?

जवाब : अंबिया ए किराम عليهم السلام के बारे में हमारा ये अ़क़ीदा होना चाहिए कि

(1) अंबिया ए किराम عليهم السلام शिर्क और कुफ्र और हर ऐसे अम्र से जो लोगों के लिए बा-ईसे नफरत हो जैसे झूठ , खयानत और जहालत वग़ैरहा बुरी सिफात से क़ब्ले नुबूव्वत और बा'दे नुबूव्वत बिल इज्माअ़ मा'सूम है -

(2) और इसी तरह एसे अफआ़ल से जो वजाहत और मुरव्वत के खिलाफ है क़ब्ले नुबूव्वत और बा'दे नुबूव्वत बिल इज्माअ़ मा'सूम है -

(3) और कबाईर से भी मुतलक़न मा'सूम है और ह़क़ यह है कि तअ़म्मुदे सगाईर (या'नी क़स्दन सगीरा गुनाह करने) से भी क़ब्ले नुबूव्वत और बा'दे नुबूव्वत बिल इज्माअ़ मा'सूम है -

(4) चार अल्लाह तआ़ला ने अंबिया علیہم السلام पर बंदों के लिए जितने अह़काम नाज़िल फरमाए उन्होंने वह सब पहुंचा दिए , जो यह कहे कि किसी हुक्म को किसी नबी ने छुपा रखा , तक़िय्या या'नी खौफ की वजह से या और किसी वजह से ना पहुंचाया , काफिर है -

(5) अह़कामे तब्लीग़िया में अंबिया से सहव व निस्यान मुहाल है -

(6) उनके जिस्म का बर्स व जुज़ाम वग़ैरह ऐसे अमराज़ से जिन से तनफ्फुर होता है पाक होना ज़रूरी है -

(7) अल्लाह عزوجل ने अंबिया علیہم السلام को अपने ग़ुयूब पर इत्तिला दी , मगर यह इल्मे ग़ैब के उनको है अल्लाह عزوجل के दिए से है लिहाज़ा उनका इ़ल्म अ़ताई हुआ -

(8) अंबिया ए किराम , तमाम मखलूक़ यहाँ तक के रुसुले मलाइका से भी अफ्ज़ल है , वली कितना ही बड़े मर्तबे वाला हो , किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता , जो किसी ग़ैरे नबी को किसी नबी से अफ्ज़ल या बराबर बताएं , काफिर है -

(9) नबी की ता'ज़ीम फर्ज़े ऐ़न बल्कि अस्ले तमाम फराइज़ है , किसी नबी की अदना तौहीन या तक्ज़ीब कुफ्र है -

(10) तमाम अंबिया , अल्लाह عزوجل के हुज़ूर अज़ीम वजाहत व इ़ज़्ज़त वाले हैं उनको के अल्लाह ताआ'ला के नज़दीक معاذ الله चूढ़े चमार की मिस्ल कहना खुली गुस्ताखी और कुफ्र हैं -

(11) अंबिया को अ़क़्ले कामिल अ़ता की जाती है जो औरों की अ़क़्ल से बदरजहां ज़ाइद है , किसी ह़कीम और किसी फलसफी की अ़क़्ल उसके लाखवें ह़िस्से को भी नहीं पहुंच सकती -

सवाल : क्या अंबिया علیہم السلام ज़िन्दा है ?
जवाब : जी हाँ ! अंबिया علیہم السلام अपनी-अपनी कबरों में उसी तरह ब-ह़याते ह़कीकी ज़िन्दा है जैसे दुनिया में थे , खाते पीते हैं , जहां चाहे आते जाते हैं , तस्दीक़े वा'दाए इलाहिय्या के लिए एक आन को उन पर मौत तारी होती है , फिर बदस्तूर ज़िन्दा हो गए , उनकी ह़यात ह़याते शुह-दा से बहुत अ़रफा व आ'ला है , लिहाज़ा शहीद का तरका तक़्सीम होगा , उसकी बीवी बा'दे इ़द्दत निकाह़ कर सकती है , बखिलाफ अंबिया के , कि वहां यह जाइज़ नहीं !

सवाल : क्या नबी होने के लिए उस पर वह़ी होना ज़रूरी है ?
जवाब : जी हाँ ! नबी होने के लिए उस पर वही होना ज़रूरी है , ख्वाह फरिश्ते की मार्फत हो या बिला वासता -

सवाल : क्या वह़ीए नुबुव्वत ग़ैरे नबी के लिए होना ज़रूरी है ?
जवाब : वह़ीए नुबुव्वत अंबिया लिए खास है , जो उसे किसी ग़ैर ए नबी के लिए माने काफिर है , वली के दिल में बा'ज़ वक़्त सोते या जागते में कोई बात इलक़ा होती है , उसको इलहाम कहते है , और वह़ीये शैतानी के इलक़ा मिंजानिब शैतान हो , यह काहिन , साह़िर , और दीगर कुफ्फार व फुस्साक़ के लिए होती है !

सवाल : क्या नुबुव्वत कस्बी है या'नी आदमी अपनी इ़बादत और रियाज़त से ह़ासिल कर सकता है ?

जवाब : नुबुव्वत कस्बी नहीं कि आदमी अपनी इ़बादत और रियाज़त से ह़ासिल कर सके बल्कि मह़ज़ अ़ताए इलाही है कि जिसे चाहता है अपने फ़ज़्ल से देता है , हाँ ! देता उसी को है जिसे इस मंसबे अ़ज़ीम के क़ाबिल बनाता है और जो इसे कस्बी माने , कि आदमी अपने कस्ब व रियाज़त से मंसबे नुबुव्वत तक पहुंच सकता है , काफिर है !

सवाल : जो शख्स नबी से नुबूव्वत का ज़वाल जाइज़ माने उसके बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब : जो शख्स नबी से नुबूव्वत का ज़वाल जाइज़ माने काफिर है -

सवाल : क्या नबी का मा'सूम होना ज़रूरी है , नबी के अ़लावा और कौन मा'सूम होता है ?

जवाब : नबी का मा'सूम होना ज़रूरी है और यह अ़समत नबी और फरिश्ते का खास्सा है कि नबी और फरिश्ते के सिवा कोई मा'सूम नहीं , इमामो को अंबिया की तरह मा'सूम समझना गुमराही और मज़हबी है !

सवाल : अ़समत ए अंबिया के क्या मा'ना है ?

जवाब : अ़समत ए अंबिया के यह मा'ना है कि उनके लिए ह़िफ्ज़े इलाही का वा'दा हो लिया जिसके सबब उनसे सुदूर ए गुनाह मुह़ाल है बखिलाफ अइम्मा व अकाबिर औलिया के , के अल्लाह उन्हें मह़फ़ूज़ रखता है , उनसे गुनाह होता नहीं मगर हो तो शरअ़न मुह़ाल भी नहीं !

सवाल : किन अंबिया علیہم السلام के नाम क़ुरआने मजीद में सराहतन मौजूद है ?
जवाब : जिनके आसमाए तैय्यबा बित्तसरीह़ क़ुरआने मजीद में है , वह यह है :
(1) ह़ज़रत आदम علیہ السلام (2) ह़ज़रत नूह علیہ السلام (3) ह़ज़रत इब्राहीम علیہ السلام (4) ह़ज़रत इस्माईल علیہ السلام (5) ह़ज़रत इसहाक़ علیہ السلام (6) याक़ूब علیہ السلام (7) ह़ज़रत यूसुफ علیہ السلام (8) ह़ज़रत मूसा علیہ السلام (9) ह़ज़रत हारुन علیہ السلام (10) ह़ज़रत शुऐब علیہ السلام (11) ह़ज़रत लूत علیہ السلام (12) ह़ज़रत हूद علیہ السلام (13) ह़ज़रत दाऊद علیہ السلام (14) ह़ज़रत सुलेमान علیہ السلام (15) ह़ज़रत अय्यूब علیہ السلام (16) ह़ज़रत ज़करिया علیہ السلام (17) ह़ज़रत यह़या علیہ السلام (18) ह़ज़रत ईसा علیہ السلام (19) ह़ज़रत इलयास علیہ السلام (20) ह़ज़रत अलयसअ़ علیہ السلام (21) ह़ज़रत यूनुस علیہ السلام (22) ह़ज़रत इदरीस علیہ السلام (23) ह़ज़रत ज़ुलकिफ्ल علیہ السلام (24) ह़ज़रत स्वालेह़ علیہ السلام (25) ह़ज़रत उज़ैर علیہ السلام (26) हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم -

सवाल : अंबिया की कुल कितनी ता'दाद है ?
जवाब : अंबिया की कोई ता'दाद मुअ़य्यन करना जाइज़ नहीं , कि खबरें इस बाब में मुख्तलिफ है और ता'दादे मुअ़य्यन पर ईमान रखने में नबी को नुबुव्वत से खारिज मानने , या ग़ैरे नबी को नबी जानने का एह़तिमाल है और यह दोनों बातें कुफ्र है , लिहाज़ा यह चाहिए कि अल्लाह عزوجل के हर नबी पर हमारा ईमान है !

सवाल : सबसे पहले नबी कौन है ?
जवाब : दुनिया में तशरीफ लाने के एतबार से सबसे पहले नबी ह़ज़रत आदम علیہ السلام है !
नोट: "दुनिया में तशरीफ लाने की" क़ैद इसलिए लगाई के मुतलक़ नुबुव्वत मिलने की बात की जाए तो हमारे आका व मुला मुह़म्मद मुस्तफा آصلی اللہ علیہ وسلم उस

वक़्त भी मक़ामे में नुबुव्वत पर फाइज़ थे जब ह़ज़रत आदम علیہ السلام पैदा भी नहीं हुए थे चुनांचे ह़ज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत है , फरमाते हैं :

(قالو: یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوت ؟ قال : و آدم بین الروح و الجسد)

तर्जमा : सह़ाबा ए इकराम علیہم الرضوان ने हुज़ूरे अकरम صلی اللہ علیہ وسلم से पुछा : या रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم आपको नुबुव्वत कब मिली ? फरमाया जब के आदम علیہ السلام अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे -
हाँ , बिअ़सत के एतबार से हमारे आका صلی اللہ علیہ وسلم सबसे आखरी नबी है !

सवाल : सबसे पहले रसूल कौन है ?
जवाब : सब में पहले रसूल जो कुफ्फार पर भेजे गए , ह़ज़रत नूह علیہ السلام है - उन्होंने नौ सौ पचास बरस हिदायत फरमाई , उनके ज़माने के कुफ्फार बहुत सख्त थे , हर क़िस्म की तकलीफें पहुंचाते , इसतिहज़ा करते , इतने अर्से में गिनती के लोग मुसलमान हुए जब बाक़ियों को मुलाहज़ा फरमाया के हरगिज़ इस्लाह़ पज़ीर नहीं , हट धर्मी और कुफ्र से बा'ज़ ना आएंगे , मजबूर होकर अपने रब के हुज़ूर उनके ह़ालात की दुआ़ की , तूफान आया और सारी ज़मीन डूब गई , सिर्फ वो गिनती के मुसलमान और हर जानवर का एक एक जोड़ा जो कश्ती में ले लिया गया था , बच गए !

सवाल : अंबिया व मुरसलीन علیہم السلام में सबसे अफ्ज़ल कौन है ?
जवाब : सब मे अफ्ज़ल हमारे आक़ा व मौला सय्यिदुल मुरसलीन صلی اللہ علیہ وسلم है , हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के बा'द सबसे बड़ा मर्तबा ह़ज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह علیہ السلام का है फिर ह़ज़रत मूसा علیہ السلام फिर ह़ज़रत ईसा علیہ السلام और उनके बा'द ह़ज़रत नूह علیہ السلام का , इन हज़रात को मुरसलीने उलुल

अ़ज़्म कहते हैं और यह पांचो हज़रात बाक़ी तमाम अंबिया व मुरसलीने इन्स व मलक जिन्न व जमीअ मख्लूकाते इलाही से अफ्ज़ल है -

सवाल : अंबिया ए किराम علیہم السلام की लग्ज़िशो का तज़किरा करना कैसा है ?
जवाब : अंबिया ए किराम علیہم السلام से जो लग्ज़िशे वाक़ेअ़ हुई , उनका ज़िक्र तिलावते क़ुरआन व ह़दीस के सिवा ह़राम और सख्त ह़राम है औरों को उन सरकारों में लब कुशाई की क्या मजाल , मौला उनका मालिक है जिस मह़ल पर जिस तरह़ चाहे ता'बीर फरमाए , वह उसके प्यारे बंदे हैं अपने रब के लिए जिस क़दर चाहे तवाज़ोअ फरमाए , दूसरा उन कलिमात को सनद नहीं बना सकता और खुद उनका इतलाक़ करे तो मर्दूदे बारगाह हो , फिर उनके यह अफआ़ल जिनको लगज़िश से ता'बीर किया जाए ह़ज़ारहा ह़िकम व मसालेह़ पर मबनी , ह़ज़ारहा फवाइद व ब-रकात के मुस्मिर होते हैं , एक लग्ज़िशे आदम علیہ السلام को देखिए , अगर वह ना होती , जन्नत से न उतरते , दुनिया आबा'द न होती , न किताबें उतरती , न रसूल आते , न जिहाद होते , लाखों-करोड़ों मुसव्वबात के दरवाज़े बंद रहते , इन सबका फ़तह़े बाब एक लग्ज़िशे आदम علیہ السلام का नतीजा ए मुबारका व समरा ए तैय्यिबा है ! बिल जुमला अंबिया علیہم السلام की लग्ज़िश मन व तू किस शुमार में है , सिद्दीक़ीन की ह़सनात से अफ्ज़ल हें - حسنات الابرار سیآت المقربین - तर्जमा : नेक लोगों की नेकिया मुक़र्रबीन के लिए खताओ का दर्जा रखती है !

सय्यिदुल अंबिया صلی اللہ علیہ وسلم के खसाईस

सवाल : अल्लाह तआ़ाला की तमाम मख्लूकात से अफ्ज़ल कौन है ?

जवाब : हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم जमीअ मख्लूके इलाही से अफ्ज़ल है , कि औरों को फर्दन फर्दन जो कमालात अ़ता हुए हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم में वह सब जमअ़ कर दिए गए -

और इनके हुज़ूर को वो कमालात मिले जिनमें किसी का ह़िस्सा नहीं -

बल्कि औरों को जो कुछ मिला हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के तुफैल में , बल्कि हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के दस्ते अक़्दस से मिला , बल्कि कमाल इसलिए कमाल हुआ के हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की सिफत है -

हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को अल्लाह عزوجل ने मरतबए महबूबियते कुबरा से सरफ़राज़ फ़रमाया कि तमाम खल्क़ रिज़ाए मौला की मुतलाशी है और अल्लाह عزوجل तालिबे रज़ा ए मुस्तफा صلی اللہ علیہ وسلم -

खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आ़लम

खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद

तमाम मखलूक़ अव्वलीन व आखिरीन हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की नियाज़ मंद है , यहाँ तक के ह़ज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह علیہ السلام भी !

सवाल : क्या हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को इख्तियाराते तक्वीनिया (काइनात में तसर्रुफ़ के इख्तियारत) अ़ता फरमाए गये ?

जवाब : हुज़ूरे صلی اللہ علیہ وسلم अक़्दस अल्लाह عزوجل के नाइबे मुतलक़ है , तमाम जहान हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के तह़ते तसर्रुफ़ कर दिया गया , जो चाहे करें , जिसे चाहे दें , जिससे जो चाहे वापस ले , तमाम जहान में उनके हुक्म का फेरने वाला कोई नहीं , तमाम जहान उनका मह़कूम है और वह अपने रब के सिवा किसी के मह़कूम नहीं , तमाम आदमियों के मालिक हैं जो उन्हें अपना मालिक न जाने ह़लावते सुन्नत से मह़रूम रहे , तमाम ज़मीन उनकी मिल्क हैं , तमाम जन्नत उनकी जागीर है , मलकूतुस्स्मावति वलअर्द हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के ज़ेरे फरमान है , जन्नत व नार की कुंजियां दस्ते अक़्दस में दे दी गई , रिज़्क़ व खैर और हर क़िस्म की अ़ताएं हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ही के दरबार से तक़्सीम होती है , दुनिया व आखिरत हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की अ़ता का एक ह़िस्सा है !

सवाल : क्या अल्लाह तआ़ला ने अह़कामे तशरीइया हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के सुपुर्द फरमाए हैं ?

जवाब : जी हाँ ! अह़कामे तशरीइया हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के क़ब्ज़े में कर दिए गए हैं कि जिस पर जो चाहे ह़राम फरमा दे और जिसके लिए जो चाहे ह़लाल कर दें और जो चाहे माफ फरमा दे !

सवाल : रोज़े मीसाक़ तमाम अंबिया से क्या अ़हद लिया गया ?

जवाब : रोज़े मीसाक़ तमाम अंबिया علیہم السلام से हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم पर

ईमान लाने और हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की नुसरत करने का अ़हद लिया गया और इसी शर्त पर यह मंसबे आ'ज़म उनको दिया गया !

सवाल : क्या दीगर अंबिया علیہم السلام की तरह हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم भी किसी खास क़ौम की तरफ तरफ मबऊ़स हुए हैं ?
जवाब : और अंबिया علیہم السلام की बिअ़सत तो खास किसी एक क़ौम की तरफ हुई मगर हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم तमाम मख़लूक़ इन्सान व जिन्न , बल्कि मलाइका , ह़ैवानात , जमादात की तरफ मबऊ़स हुए !

सवाल : जो शख्स ये कहे के हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के ज़माने में या बा'द में कोई नया नबी आ सकता है , उसके बारे में क्या हुक्म है ?
जवाब : हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم खातमुन्नबिय्यीन है , या'नी अल्लाह ने सिलसिला ए नुबुव्वत हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم पर ख़त्म कर दिया , के हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के ज़माने में या बा'द किसिस को नुबुव्वत मिलना माने या जाईज़ जाने , काफ़िर है !

सवाल : क्या कोई हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की मिस्ल हो सकता है ?
जवाब : मुहाल (ना-मुम्किन) है कि कोई हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم का मिस्ल हो , जो किसी सिफ़-ते खास्सा में किसी को हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم का मिस्ल बताये , गुमराह है या काफ़िर !

सवाल : मे'राज क्या है ?

जवाब : हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के खसाईस से मे'राज है , कि मस्जिदे ह़राम से मस्जिदे अक्सा तक और वहां से सातवें आसमान और कुर्सी व अ़र्श तक , बल्कि बालाए अ़र्श रात के एक खफीफ ह़िस्से में मअ़ जिस्म तशरीफ़ ले गए और वह क़ुर्बे ख़ास ह़ासिल हुआ कि किसी बशर व मलक को कभी ह़ासिल हुआ न हो , और जमाले इलाही ब-चश्मे सर देखा और कलामे इलाही बिला वास्ता सुना और तमाम मलकूतुस्स्मावति वलअर्द को बित्तफ्सील ज़र्रा ज़र्रा मुलाह़जा फ़रमाया !

सवाल : हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को शफाअ़ते कुबरा का मंसब दिया गया इस से क्या मुराद है ?

जवाब : क़ियामत के दिन ह़िसाब किताब का इंतज़ार इन्तिहाई सख्त होगा , जिसके लिए लोग तमन्ना करेंगे के काश जहन्नम में फेक दिए जाते और इस इंतज़ार से नजात पाते , फिर हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की शफाअ़त से ह़िसाब किताब शुरूअ़ होगा , इस बला से छुटकारा कुफ्फार को भी हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की बदोलत मिलेगा , इसका नाम शफाअ़ते कुबरा है , फिर इस पर अव्वलीन व आखिरीन , मुवाफिक़ीन व मुखालिफीन , मोमिनीन व काफिरीन सब हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की ह़म्द करेंगे , इसी का नाम मक़ामें मह़मूद है !

सवाल : क्या हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم शफाअ़ते कुबरा के अ़लावा भी को शफाअ़त फरमाएंगे ?

जवाब : शफाअ़त की और अक़साम भी हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के लिए साबित है , मसलन बहुतो को बिला ह़िसाब जन्नत में दाखिल फरमाएंगे , जिन में चार अरब

नब्बे करोड़ की ता'दाद मा'लूम है , इस से बहुत ज़ाईद और है , जो अल्लाह और रसूल عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم के इल्म में है , बहुतेरे वो होंगे जिन का हिसाब हो चुका होगा और मुस्तहिक़्क़े जहन्नम हो चुके , उन को जहन्नम से बचायेंगे और बा'ज़ो की शफाअत फरमाकर जहन्नम से निकालेंगे और बा'ज़ों से तख्फीफे अज़ाब फरमाएंगे !

सवाल : क्या इमान के लिए हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की मुहब्बत ज़रूरी है ?
जवाब : हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की मुहब्बत मदारे ईमान , बल्कि ईमान उसी मुहब्बत का नाम है , जब तक हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की मुहब्बत माँ , बाप , औलाद और तमाम जहान सी ज़्यादा न हो , आदमी मुसलमान नहीं हो सकता !

सवाल : क्या हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की इताअत के बग़ैर अल्लाह तआ़ला की इताअ़त हो सकती है ?
जवाब : हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की इताअ़त ऐ़न इ़ताअ़ते इलाही है , इ़ताअ़ते इलाही बे इ़ताअ़ते हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ना-मुम्किन है , यहाँ तक के आदमी अगर फ़र्ज़ नमाज़ में हो और हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم उसे याद फरमाएं , फ़ौरन जवाब दें और हाज़िरे खिदमत हो , और ये शख्स कितनी ही देर तक हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم से कलाम करे , बदस्तूर नमाज़ में है , इस से नमाज़ में कोई खलल नहीं !

सवाल : क्या तमा मखलूक़ात पर हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की इताअ़त ज़रूरी है ?
जवाब : जी हाँ ! जिस तरह इंसान के ज़िम्मे हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की इताअ़त फ़र्ज़ है , यूँही हर मखलूक पर हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की फरमा बरदारी ज़रूरी है !

सवाल : क्या हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की ता'ज़ीम ईमान के लिए ज़रूरी है ?
जवाब : हुज़ूरे अक़्दस صلی اللہ علیہ وسلم की ता'ज़ीम या'नी ए'तिक़ादे अज़मत जुज़्वे ईमान है और फअ़ले ता'ज़ीम बा'दे ईमान हर फ़र्ज़ से मुक़द्दम है , इसकी अहमियत का पता उस ह़दीस से चलता है कि ग़ज़वऐ खैबर से वापसी में मंज़िले सहबा पर नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने नमाज़ पढ़कर मौला अ़ली کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم के ज़ानु पर सरे मुबारक रखकर आराम फरमाया , मौला अ़ली ने नमाज़े अ़स्र न पढ़ी थी , आंख से आंख से देख रहे थे कि वक़्त जा रहा है मगर इस खयाल से के ज़ानू सरकाऊ तो शायद ख्वाबे मुबारक में खलल आए ज़ानू न हटाया यहाँ तक कि आफ़ताब ग़ुरुब हो गया , जब चश्मे अक़्दस खुली मौला अ़ली ने अपनी नमाज़ का ह़ाल अर्ज़ किया , हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने हुक्म दिया , डूबा हुआ आफ़ताब पलट आया , मौला अ़ली ने नमाज़ अदा की फिर डूब गया इससे साबित हुआ कि अफ्ज़लुल इ़बादत नमाज़ और वो भी सलाते वुस्ता नमाज़े अ़स्र मौला अ़ली ने हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की नींद पर क़ुर्बान कर दी , के इ़बादते भी हमें हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के सदक़े में मिली ! दूसरी ह़दीस इस की ताईद में ये है के गारे सौर में पहले सिद्दीक़े अकबर गए , अपने कपढ़े फाड़ फाड़ कर उस के सुराख़ बंद कर दिए , एक सुराख़ बाक़ी रह गया , उस में पाउ का अंगूठा रख दिया फिर हुज़ूरे अक़्दस صلی اللہ علیہ وسلم को बुलाया , तशरीफ़ ले गए और उनके ज़ानू पर सरे अक़्दस रखकर आराम फ़रमाया , उस गार में एक सांप मुश्ताके ज़ियारत रहता था , उसने अपना सर सिद्दीक़े अकबर के पाउ पर मला ,

उन्होंने इस खयाल से के हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की नींद में फर्क़ ना आए पाउ न हटाया , आखिर उसने पाउ में काट लिया , जब सिद्दीक़े अकबर के आंसू चेहरा ए अनवर पर गिरे , चश्मे मुबारक खुली , अर्ज़े ह़ाल किया , हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने लुआबे दहन लगा दिया , फ़ौरन आराम हो गया , हर साल वो ज़हर ऊद करता , बारह बरस बा'द उसी से शहादत पाई !

साबित हुआ है के जुमला फ़राइज़ फुरूअ़ है

अस्लुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है

सवाल : क्या अब भी हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की ता'ज़ीम ज़रूरी है ?

जवाब : हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की ता'ज़ीम व तोक़ीर जिस तरह उस वक़्त थी के हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم इस आ़लम में ज़ाहिरी निगाहों के सामने तशरीफ़ फरमा थे , अब भी उसी तरह फर्ज़े आ'ज़म है , जब हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم का ज़िक्र आए तो बकमाले खुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ व इन्किसार बा-अदब सुनें , और नामे पाक सुनते ही दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है !

सवाल : क्या हमारे आक़ा صلی اللہ علیہ وسلم नबिय्युल अंबिया है ?

जवाब : जी हाँ ! हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم नबिय्युल अंबिया है और तमाम अंबिया हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के उम्मती , सब ने अपने अपने अ़हदे करीम में हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की नियाबत में काम किया , अल्लाह عزوجل ने हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को अपनी ज़ात का मज़हर बनाया , और हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के नूर से तमाम आ़लम को मुनव्वर फ़रमाया !

सवाल : लिवाउल ह़म्द से क्या मुराद है ?

जवाब : रोज़े क़ियामत हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم को एक झंडा मरह़मत होगा , जिस

को लिवाउल ह़म्द कहते है , तमाम मोमिनीन ह़ज़रत आदम علیہ السلام से आखिर तक सब उसी के नीचे होंगे !

सवाल : जो शख्स (معاذ اللہ) हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के किसी क़ोल या फ़ैल को ह़क़ारत की नज़र से देखे , उस के लिए क्या हुक्म है ?

जवाब : जो शख्स हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के किसी क़ौल व फ़ैल व अ़मल व ह़ालत को ब-नज़रे ह़क़ारत देखे , काफ़िर है !

मोअ्जिज़ा व करामत

सवाल : मोअ्जिज़ा किसे कहते है ?

जवाब : नबी अपने सिद्क़ का ऐ'लानिया दा'वा फरमा कर मुहालाते आ़दिया के ज़ाहिर करने का ज़िम्मा लेता है , और मुन्किरो को उसके मिस्ल की तरफ बुलाता है , अल्लाह عزوجل उसके दा'वे के मुताबिक अम्रे मुहाले आ़दी ज़ाहिर फरमा देता है , और मुन्किरीन सब आजिज़ रहते है , उसी को मोअ्जिज़ा कहते है , जैसे ह़ज़रत स्वालेह़ علیہ السلام का नाक़ा (ऊट्नी) , ह़ज़रत मूसा علیہ السلام के अ़सा का सांप हो जाना , और यदे बैज़ा (रोशन व चमकदार हाथ) और ह़ज़रत ई़सा علیہ السلام का मुर्दों को ज़िन्दा करना , मादरज़ाद अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देना और हमारे हु़ज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के मोअ्जिज़े तो बहुत है !

सवाल : क्या झूटा मोअ्जिज़े दिखा सकता है ?

जवाब : जो शख्स नबी न हो और नुबुव्वत का दा'वा करे , वो दा'वा करके मुहाले आ़दी अपने दा'वे के मुताबिक ज़ाहिर नहीं कर सकता , वरना सच्चे झूटे में फर्क़ न रहेगा !

सवाल : नबी जो खिलाफे आ़दत बात ज़ाहिर हो , उसे मोअ्जिज़ा कहते है , किसी और से ज़ाहिर हो तो उसे क्या कहते है ?

जवाब : नबी से जो बात खिलाफे आ़दत बा'दे नुबुव्वत ज़ाहिर हो , उसे मोअ्जिज़ा कहते है , और वली से जो एसी बात सादिर हो , उसे मऊनत कहते है और बेबाक फुज्जार या कुफ्फार से जो उन के मवाफिक़ ज़ाहिर हो , उस को इस्तिदराज कहते है , और उनके खिलाफ ज़ाहिर हो तो इहानत कहते है !

आसमानी किताबें

सवाल : अल्लाह तआ़ला ने कौन-कौन से अंबिया पर कौन-कौन सी किताब नाज़िल फरमाई ?

जवाब : बहुत से नबियों पर अल्लाह तआ़ला ने सही़फें और आसमानी किताब उतारी , उनमें से चार किताबे बहुत मशहूर है :

(1) तोरात , ह़ज़रत मूसा علیہ السلام पर

(2) ज़बूर , ह़ज़रत दाउद علیہ السلام पर

(3) इंजील , ह़ज़रत ई़सा علیہ السلام पर

(4) क़ुरआने अ़ज़ीम के सबसे अफ्ज़ल किताब है , सबसे अफ्ज़ल रसूल हुज़ूर पुरनूर अह़मदे मुजतबा मुह़म्मद मुस्तफा صلی اللہ علیہ وسلم पर !

सवाल : क़ुरआने अ़ज़ीम का बाक़ी कुतुब उसे अफ्ज़ल होने का क्या मतलब है ?

जवाब : कलामे इलाही में बा'ज़ का बा'ज़ से अफ्ज़ल होना इसके यह मा'ना है कि हमारे लिए उसमें सवाब ज़ाइद है , वरना अल्लाह عزوجل एक उसका कलाम एक उसमें अफ्ज़ल व मफ़ज़ूल की गुंजाइश नहीं !

सवाल : साबिका कुतुबे समावी के बारे में हमारा क्या अ़क़ीदा होना चाहिए ?

जवाब : सब आसमानी किताबें और सही़फे ह़क़ है और सब कलामुल्लाह है , उनमें जो कुछ इरशाद हुआ सब पर ईमान ज़रूरी है -

मगर अगली किताबों की ह़िफाज़त अल्लाह ने उम्मत के सुपुर्द की थी , उनसे उसका ह़िफ्ज़ न हो सका , कलामे इलाही जैसा उतरा था उनके हाथों में वैसा बाक़ी ना रहा , बल्कि उनके शरीरो ने तो यह किया कि उनमें तह़रीफें कर दी , या'नी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक घटा बढ़ा दिया -

लिहाज़ा जब कोई बात उन किताबों की हमारे सामने पेश हो तो अगर वह हमारी

किताब के मुताबिक़ है हम उसकी तस्दीक़ करेंगे और अगर मुखालिफ है तो यक़ीन जानेंगे कि यह उनकी तहरीफात से है और अगर मुवाफक़त , मुखालफत कुछ मा'लूम नहीं तो हुक्म है कि हम उस बात की न तस्दीक़ करे न तक्ज़ीब , बल्कि यूँ कहें آمنت باللہ وملٰئکتہ وکتبہ ورسلہ (तर्जमा : अल्लाह और उसके फरिश्तो और उसकी किताबों और उसके रसूलो पर हमारा ईमान है) !

सवाल : जो यह कहे कि क़ुरआन में कुछ कम या ज़्यादा कर दिया गया , उसके बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब : चूंके यह दीन हमेशा रहने वाला है लिहाज़ा क़ुरआने अज़ीम की ह़िफाज़त अल्लाह عزوجل ने अपने ज़िम्मे रखी , फरमाता है **{ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ }** तर्जमा : बेशक हमने क़ुरआन उतारा और बेशक हम उसके ज़रूर निगेहबान है -

लिहाज़ा उसमें किसी ह़र्फ या नुक़्ते की कमी बेशी मुह़ाल है , अगर्चे तमाम दुनिया उसके बदलने पर जमअ़ हो जाए , तो जो यह कहे कि उसमें के कुछ पारे या सूरते या आयते बल्कि एक ह़र्फ भी किसी ने कम कर दिया या बढ़ा दिया या बदल दिया , काफिर है के उसने उस आयत का इन्कार किया , जो हमने अभी लिखी !

सवाल : क़ुरआने मजीद के किताबुल्लाह होने पर क्या दलील है ?

जवाब : क़ुरआने मजीद किताबुल्लाह होने पर अपने आप दलील है कि खुद ऐ'लान के साथ कह रहा है -

(وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ۪ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ 0 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ)

तर्जमा : अगर तुम को इस किताब में जो हमने अपने सब से खास बन्दे

(मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم) पर उतारी , कोई शक हो तो उस की मिस्ल कोई छोटी सी सूरत कह लाओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमाइतियो को बुला लो अगर तुम सच्चे हो तो , अगर ऐसा न कर सके और हम कह देते है हरगिज़ ऐसा न कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है , जो काफिरों के लिए तैयार की गयी हैं)

लिहाज़ा काफिरों ने उसके मुक़ाबले में जी तोड़ कोशिश की , मगर उस की मिस्ल एक सतर न बना सके , न बना सकें -

अगली किताबें अंबिया ही को ज़बानी याद होतीं , क़ुरआने अज़ीम का मोअ्जिज़ा है कि मुसलमानों का बच्चा-बच्चा याद कर लेता है !

सवाल : क़ुरआने अज़ीम की कितनी क़िराअते हैं ?

जवाब : क़ुरआने अज़ीम की सात क़िराअते सबसे ज़्यादा मशहूर और मुतवातिर है , उनमें معاذ اللہ कहीं इख्तिलाफे मा’ना नहीं , वह सब हक़ है उसमें उम्मत के लिए आसानी यह है कि जिसके लिए जो क़िराअत आसान हो , पढ़े और हुक्म यह है कि जिस मुल्क में जो राइज है अ़वाम के सामने वही पढ़ी जाए जैसे हमारे मुल्क में क़िराअते आ़सिम बरिवायते ह़फ्स , के लोग नावाकिफी से इन्कार करेंगे और वह معاذ اللہ कुफ्र है !

फरिश्तो का बयान

सवाल : फ़रिश्ते क्या है ?

जवाब : फरिश्ते अज्सामे नूरी है , यह न मर्द है न औ़रत , अल्लाह तआ़ला ने उनको यह ताक़त दी है कि जो शक्ल चाहे बन जाए , कभी वह इंसान की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और कभी दूसरी शक्ल में , वही करते हैं जो हुक्मे इलाही है , खुदा के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते , न क़स्दन , न सहवन , न खत-अन , वह अल्लाह عزوجل के मा'सूम बंदे हैं , हर क़िस्म के सगाईर व कबाईर से पाक है !

सवाल : फरिश्तों के सुपुर्द क्या क्या काम है ?

जवाब : उनको मुख्तलिफ खिदमतें सुपुर्द है :

(1) बा'ज़ के ज़िम्मे हज़राते अंबिया की खिदमत में वह़ी लाना (2) किसी के मुतअ़ल्लिक़ पानी बरसाया (3) किसी के मुतअ़ल्लिक़ हवा चलाना (4) किसी के मुतअ़ल्लिक़ रोज़ी पहुँचाना (5) किसी के ज़िम्मे माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनाना (6) किसी के मुतअ़ल्लिक़ बदने इन्सान के अन्दर तसर्रुफ़ करना (7) किसी के मुतअ़ल्लिक़ इन्सान की दुश्मनों से ह़िफ़ाज़त करना (8) किसी के मुतअ़ल्लिक़ ज़ाकिरीन का मजमअ़ तलाश करके उसमे ह़ाज़िर होना (9) किसी के मुतअ़ल्लिक़ इन्सान का नामाए आ'माल लिखना (10) बहुतो का दरबारे रिसालत में ह़ाज़िर होना (11) किसी के मुतअ़ल्लिक़ सरकार में मुसलमानों की सलात व सलाम पहुँचाना (12) बा'ज़ो के मुतअ़ल्लिक़ मुर्दों से सुवाल करना (13) किसी के ज़िम्मे क़ब्ज़े रूह़ करना (14) बा'ज़ो के ज़िम्मे अ़ज़ाब करना (15) किसी के मुतअ़ल्लिक़ सूर फूंकना और इनके अ़लावा और बहुत से कम है , जो मलाईका अंजाम देते है !

सवाल : फरिश्तों की ता'दाद कितनी है ?

जवाब : उनकी ता'दाद वही जाने जिसने उनको पैदा किया और उसके बताए से उसका रसूल !

सवाल : सबसे अफ्ज़ल फरिश्ते कौन है ?

जवाब : चार फरिश्ते सब फरिश्तों से अफ्ज़ल है , उनके नाम यह है : जिब्राइल عليہ السلام , मीकाईल عليہ السلام , इसराफील عليہ السلام और इज़राईल عليہ السلام -

सवाल : फरिश्तों की गुस्ताखी करने का क्या हुक्म है ?

जवाब : किसी फरिश्ते के साथ अदना गुस्ताखी कुफ्र है !

सवाल : फरिश्तों के वुज़ूद का इन्कार करने का क्या हुक्म है ?

जवाब : फरिश्तों के वुज़ूद का इन्कार , या ये केहना कि फरिश्ता नेकी की कुव्वत को कहते हैं और उसके सिवा कुछ नहीं , यह दोनों बातें कुफ्र है !

जिन्नात का बयान

सवाल : जिन्नात क्या है ?

जवाब : यह आग से पैदा किए गए हैं -

इनमें भी बा'ज़ को यह ताक़त दी गई है कि जो शक्ल चाहे बन जाए -

इनकी उम्र बहुत तवील होती है -

इनके शरीरों को शैतान कहते हैं , यह सब इंसान की तरह ज़ी अक़्ल और अरवाह़ व अजसाम वाले हैं , इनमें तवालुद व तनासुल होता है (औलाद होने और नस्ल चलने का सिलसिला) होता है , खाते , पीते , जीते , मरते हैं !

सवाल : क्या इनमे भी मुसलमान और काफिर होते हैं ?

जवाब : इनमें मुसलमान भी है और काफिर भी , मगर इनके कुफ्फार इंसान की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है और इनमें के मुसलमान नेक भी है और फ़ासिक़ भी , सुन्नी भी है , बद-मज़हब भी और इन में फासिक़ो की ता'दाद बनिस्बत इंसान के ज़ाइद है !

सवाल : जिन्नात के वुज़ूद का इन्कार करने का क्या हुक्म है ?

जवाब : इनके वुज़ूद का इन्कार करना कुफ्र है -

लिहाज़ा यह कहना भी कुफ्र है कि बदी की क़ुव्वत का नाम जिन्न या शैतान है (या'नी इन का वुज़ूद नहीं बल्कि बदी की क़ुव्वत ही को कहते है) !

आ़लमे बरज़ख का बयान

सवाल : आ़लमे बरज़ख किसे कहते हैं ?

जवाब : दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आ़लम है , जिसको बरज़ख कहते हैं , मरने के बा'द और क़ियामत से पहले तमाम इन्स व जिंस को शब्द ह़स्बे मरातिब उसमें रहना होता है , और ये आ़लम इस दुनिया से बहुत बड़ा है , दुनिया के साथ को बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को , बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तक्लीफ !

सवाल : क्या मौत के वक़्त रुह़ मर जाती है ?

जवाब : मौत के मा'ना रुह़ का जिस्म से जुदा हो जाना है , न यह के रुह़ मर जाती हो , जो रुह़ को फना माने , बदमज़हब है !

सवाल : मौत के वक़्त मरने वाले को क्या नज़र आता है ?

जवाब : मरने वाले को दाए बाए , जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं , मुसलमान के आसपास रह़मत के फरिश्ते होते हैं और काफ़िर के दाएं बाएं अ़ज़ाब के -

उस वक़्त हर शख्स पर इस्लाम की हक़्क़ानियत आफताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है , मगर उस वक़्त का ईमान मौ'तबर नहीं , इसलिए के हुक्म ईमान बिलग़ैब का है और अब ग़ैब न रहा बल्कि यह चीज़े मुशाहद हो गई !

सवाल : क्या मरने के बा'द रूह़ का तअ़ल्लुक़ बदने इन्सानी से रहता है ?

जवाब : जी हाँ ! मरने के बा'द भी रूह़ का तअ़ल्लुक़ बदने इन्सानी से रहता है , अगर्चे रूह़ बदन से जुदा हो गई , मगर बदन पर जो गुज़रेगी रूह़ ज़रूर उससे आगाह व मुतअस्सिर होगी , जिस तरह़ ह़याते दुनिया में होती है , बल्कि उससे

ज़ाइद !

सवाल : मरने के बा'द मुसलमानों की रूहे कहाँ रहती है ?

जवाब : मरने के बा'द मुसलमानों की रूहे है ह़स्बे मर्तबा मुख्तलिफ मक़ामों में रहती है , बा'ज़ की क़ब्र , बा'ज़ की ज़मज़म शरीफ के कुवे में , बा'ज़ की आसमान व ज़मीन के दरमियान , बा'ज़ की पहले , दूसरे , सातवें आसमान तक और बा'ज़ की आसमानों से भी बुलंद , और बा'ज़ की रूहे ज़ेरे अ़र्श क़िन्दीलो में और बा'ज़ की आ'ला इ़ल्लिय्यीन (जन्नत के बुलंद व बाला मकानात) में , मगर जहां कहीं हो , अपने जिस्म से उनको तअ़ल्लुक़ बदस्तूर रहता है , जो कोई क़ब्र पर आए उसे देखते , पहचानते , उसकी बात सुनते हैं बल्कि रूह़ का देखना क़ुर्बे क़ब्र ही से मखसूस नहीं , इसकी मिसाल ह़दीस में यह फरमाई के एक ताइर पहले क़फस (पिंजरे) में बंद था , अब आज़ाद कर दिया गया !

सवाल : मरने के बा'द काफिरो की रूहे कहाँ रहती है ?

जवाब : काफिरों की खबीस रूहे बा'ज़ की उनके मरघट (हिंदुओं के मुर्दे जलाने की जगह) में , या क़ब्र पर रहती है , बा'ज़ की चाहे बरहूत में कि यमन में एक नाला है , बा'ज़ की पहली , दूसरी , सातवीं ज़मीन तक , बा'ज़ की उसके भी नीचे सिज्जीन (जहन्नम की वादी) में , और वो कहीं भी हो , जो उसकी क़ब्र या मरघट पर गुज़रे , उसे देखते , पहचानते , बात सुनते हैं , मगर कहीं जाने आने का इख़्तियार नहीं है , कि क़ैद है !

सवाल : आवागवन किसे कहते हैं ? और उसके मानने का क्या हुक्म है ?

जवाब : यह अ़क़ीदा के रूह़ किसी दूसरे बदन में चली जाती है , ख्वाह वह आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का , उसे तनासुख और आवागवन कहते हैं , यह मह़ज़ बातिल है और इसका मानना कुफ्र है !

सवाल : क्या मुर्दे को क़ब्र दबाती है ?

जवाब : जी हाँ ! जब मुर्दे को क़ब्र में दफ़न करते है , उस वक़्त मुर्दे को क़ब्र दबाती है , अगर वह मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को ज़ोर से चिपटा लेती हैं -
और अगर काफिर है तो उसको इस ज़ोर से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की इधर हो जाती है !

सवाल : जब मुर्दे को दफ्न करके लोग वापस आते हैं तो क़ब्र में मुर्दे के साथ क्या होता है ?

जवाब : जब दफ्न करने वाले , दफ्न करके वहां से चलते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है , उस वक़्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतो से ज़मीन चीरते हुए आते हैं , उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबत नाक होती है , उनके बदन का रंग सियाह , आँखे सियाह और नीली और देग के बराबर और शोअ़ला ज़न होती है , उनके मुहीब बाल सर से पांव तक और उनके दांत कई हाथ के जिन से ज़मीन चीरते हुए आते हैं , उनमें एक को मुन्कर , दूसरे को नकीर कहते हैं , मुर्दे को झंझोड़ते और झिड़क कर उठाते है और निहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज़ में सवाल करते हैं !

सवाल : आ़लमे बरज़ख किसे कहते है ?

जवाब : दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आ़लम है जिस को बरज़ख कहते है , मरने के बाद और क़ियामत से पहले तमाम इन्स व जिन्न को ह़स्बे मरातिब उस में रहना होता है , और ये आ़लम इस दुनिया से बहुत बड़ा है , दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को , बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तक्लीफ !

सवाल : मुन्कर नकीर क्या सुवालात करते हैं ? और मुसलमान मुर्दा उसके क्या जवाब देता है ?

जवाब : पहला सवाल ؟ من ربک तेरा रब कौन है ? दूसरा सवाल ؟ ما دینک तेरा दीन क्या है ? तीसरा सवाल ؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل इनके बारे में तू क्या कहता था ?

मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा ربی اللہ मेरा रब अल्लाह है और दूसरे का जवाब देगा دینی الاسلام मेरा दीन इस्लाम है और तीसरे सवाल का जवाब देगा ھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - वो तो रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم है !

सवाल : यह जवाब सुनकर फ़रिश्ते क्या कहेंगे ?

जवाब : बा'ज़ रिवायतो में आया के सुवाल का जवाब पाकर कहेंगे के हमें तो मा'लूम था के तू यही कहेगा , उस वक़्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा , इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछादो , और जन्नत का लिबास पहना हो और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो , जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहां तक निगाह फैलेगी वहां तक उसकी क़ब्र कुशादा कर दी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि तू सो जा जैसे दूल्हा सोता है , यह खवास के लिए उ़मूमन है और अ़वाम में उनके लिए जिनके लिए वह चाहे , वरना वुसअ़ते क़ब्र ह़स्बे मरातिब मुख्तलिफ है , बा'ज़ के लिए सत्तर सत्तर हाथ लंबी चौड़ी , बा'ज़ के लिए जितनी वह चाहे ज़्यादा , ह़त्ता के जहां तक निगाह पहुंचे !

सवाल : मुनाफ़िक़ या काफ़िर क़ब्र के सुवालात का क्या जवाब देगा ?

जवाब : अगर मुर्दा मुनाफ़िक़ या काफ़िर है तो सब सवालों के जवाब में यह कहेगा

هاه هاه لا ادری - अफसोस ! मुझे तो कुछ मा'लूम नहीं -

كنت اسمع الناس يقولون شيئا فاقول - मैं लोगों को कुछ कहते सुनता था , खुद भी कहता था -

उस वक़्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि यह झूठा है इसके लिए आग का बिछौना बिछाकर , आग का लिबास पहनाओ , और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो , उसकी गर्मी और लपट उसको पहुंचेगी और उस पर अ़ज़ाब देने के लिए दो फरिश्ते मुक़र्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे , उनके साथ लोहे का गुर्ज़ होगा कि पहाड़ पर मारा जाए तो खाक हो जाए , उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे , सांप और बिच्छू उसे अ़ज़ाब पहुंचाते रहेंगे , नीज़ आ'माल अपने मुनासिब शक्ल पर मुतशक्किल होकर कुत्ता या भेड़िया या और शक्ल के बनकर उसको ईज़ा पहुंचाएंगे !

सवाल : जिस मुर्दे को दफ्न ना किया जाए , क्या उससे भी सवालाते क़ब्र होंगे ?

जवाब : मुर्दा अगर क़ब्र में दफ्न न किया जाए , तो जहां पड़ा रह गया या फेक दिया गया , ग़र्ज़ कहीं हो उससे वही सुवालात होंगे और वही सवाब या अ़ज़ाब उसे पहुंचेगा , यहाँ तक कि जिसे शेर खा गया तो शेर के पेट में सुवालात होंगे और सवाब या अ़ज़ाब जो कुछ हो , पहुंचेगा !

सवाल : क्या अज़ाबे क़ब्र जिस्म व रुह़ दोनों पर होगा ?

जवाब : जी हाँ ! जिस्म व रुह़ दोनों पर होगा !

सवाल : अगर जिस्म गल जाए या जल जाए तो जिस्म पर अ़ज़ाब कैसे होगा ?

जवाब : जिस्म अगर गल जाए , जल जाए , खाक हो जाए मगर उसके अजज़ाए

अस्लिया क़ियामत तक बाक़ी रहेंगे , वह मौरिदे अज़ाब व सवाब होंगे और उन्हीं पर रोज़े क़ियामत दोबारा तरकीबें जिस्म फरमाई जाएगी , वह कुछ ऐसे बारीक अजज़ा है रीड की हड्डी में जिसको "अज्बुज़्ज़म्ब " कहते हैं , कि न किसी खुर्दबीन से नज़र आ सकते हैं , न आग उन्हें जला सकती है , न ज़मीन उन्हें गला सकती है , वहीं तुख्मे जिस्म है , लिहाज़ा रोज़े क़ियामत रूहो का इआदा उसी जिस्म में होगा , न जिस्मे दीगर में , बालाई अजज़ा का घटना , बढ़ना जिस्म को नहीं बदलता जैसा के बच्चा कितना छोटा पैदा होता है , फिर कितना बड़ा हो जाता है , क़वी हैकल जवान बीमारी में घुल कर कितना हक़ीर रह जाता है , फिर नया गोश्त पोस्त आकर मिस्ले साबिक़ हो जाता है , इन तब्दीलियो से कोई नहीं कह सकता के शख्स बदल गया , यूही रोज़े क़ियामत का औद है , वही गोश्त और हड्डियाँ कि खाक या राख हो गये हो , उनके ज़र्रे कही भी मुन्तशिर हो गए हों , रब उन्हें जमअ फरमाकर उस पहली हैयअत पर लाकर उन्हें पहले अजज़ाए असलिया पर कि महफ़ूज़ है , तरकीब देगा और हर रुह को उसी जिस्मे साबिक़ में भेजेगा , इसका नाम ह़श्र है !

सवाल : वह कौन है , जिनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती ?

जवाब : अंबिया علیہم السلام औलियाए किराम , उ़ल-माए दीन , शुह-दा , ह़ाफिज़ाने क़ुरआन , के ए क़ुरआने मजीद पर अ़मल करते हो , वह जो मंसबे मुहब्बत पर फाइज़ है , वह जिस्म जिसने कभी अल्लाह عزوجل की मा'सियत न की और वह के अपने अवक़ात दुरूद शरीफ में मुस्तगरक़ रखते हैं , उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती -

जो शख्स अंबिया ए किराम علیہم السلام की शान में यह खबीस कलिमा कहे कि मरके मिट्टी में मिल गए , गुमराह , बद-दीन , खबीस मुर्ताकिबे तौहीन है !

क़ियामत की निशानिया

सवाल : क़ियामत की अ़लामाते सुग़रा (छोटी निशानियां) क्या है ?

जवाब : अ़लामाते सुग़रा में से कुछ दर्ज़े ज़ैल है :

(1) तीन खस्फ़ होंगे या'नी आदमी ज़मीन में धंस जाएंगे , एक मशरिक़ में , दूसरा मग़रिब में , तीसरा जज़ीरा ए अ़रब में -

(2) इ़ल्म उठ जाएगा या'नी उ़ल-मा उठा लिए जाएंगे , यह मतलब नहीं के उ़ल-मा तो बाक़ी रहे और उनके दिलों से इ़ल्म महव कर दिया जाए -

(3) जहालत की कसरत होगी -

(4) ज़िना की ज़ियादती होगी और इस बे ह़याई के साथ ज़िना होगा , जैसे गधे जुफ्ती खाते हैं , बड़े छोटे किसी का लिहाज़ , पास ना होगा -

(5) मर्द कम होंगे और औ़रतें ज़्यादा , यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में पचास औ़रतें होंगी -

(6) अ़लावा उस बड़े दज्जाल के और तीस दज्जाल होंगे , कि वह सब दा'वा ए नुबुव्वत करेंगे , ह़ालांकि नुबुव्वत खत्म हो चुकी -

जिनमें बा'ज़ गुज़र चुके , जैसे मुसैलमा कज्ज़ाब , तलह़ा बिन खुवेलिद , अस्वद अ़न्सी , सज्जाह़ औ़रत कि बा'द को इस्लाम ले आई , गुलाम अह़मद कादियानी वग़ैराहुम , और जो बाक़ी है , जरूर होंगे -

(7) माल की कसरत होगी , नेहरे फुरात अपने खज़ाने खोल देगी , कि वह सोने के पहाड़ होंगे -

(8) मुल्के अ़रब में खेती और बाग और नेहरे हो जाएंगी -

(9) दीन पर क़ाइम रहना इतना दुश्वार होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना , यहाँ तक के आदमी क़ब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा , कि काश मैं इस क़ब्र में होता -

(10) वक़्त में बरकत न होगी , यहाँ तक के साल महीने के और महीना हफ्ते के और हफ्ता दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जल्दी भड़क कर खत्म हो गई , या'नी बहुत जल्द जल्द वक़्त गुज़रेगा -

(11) ज़कात देना लोगों पर गिरां होगा कि उसको ता'वान समझेंगे -

(12) इ़ल्मे दीन पढेंगे , मगर दीन के लिए नहीं -

(13) मर्द अपनी औ़रत का मुतीअ़ होगा -

(14) माँ बाप की नाफरमानी करेगा -

(15) अपने अह़बाब से मेलजोल रखेगा और बाप से जुदाई -

(16) मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे -

(17) गाने बाजे की कसरत होगी -

(18) अगलों पर लोग ला'नत करेंगे , उनको बुरा कहेंगे -

(19) दरिंदे , जानवर , आदमी से कलाम करेंगे , कोड़े की फुंची , जूते का तस्मा कलाम करेगा , उसके बाज़ार जाने के बा'द जो कुछ घर में हुआ , बताएगा बल्कि खुद इंसान की रान उसे खबर देगी -

(20) ज़लील लोग , जिनको तन का कपड़ा , पाऊँ की जूतियां नसीब न थी , बड़े-बड़े मह्लों में फ़ख़्र करेंगे -

सवाल : क़ियामत की अ़लामाते कुबरा (बड़ी निशानिया) कौन सी है ?
जवाब : क़ियामत की अ़लामाते कुबरा दर्जे ज़ैल है :

(1) दज्जाल का ज़ाहिर होना

(2) ह़ज़रत ईसा का आसमान से नुज़ूल फरमा'ना

(3) ह़ज़रत इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना

(4) याजूज-माजूज का खुरूज

(5) धुंए का ज़ाहिर होना

(6) दाब्बतुल - अर्द का निकलना

(7) आफताब का मग़रिब से तुलूअ़ होना

(8) खुशबूदार ठंडी हवा

इनकी तफ्सील दर्जे ज़ैल है :

(1) दज्जाल का ज़ाहिर होना :

दज्जाल ज़ाहिर होगा तो चालीस दिन में ह़रमैन तय्यिबैन के सिवा तमाम रूए ज़मीन का गश्त करेगा -

चालीस दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीने भर के बराबर और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर और बाक़ी दिन चौबीस - चौबीस घंटे के

होंगे और वह बहुत तेज़ी के साथ सैर करेगा , जैसे बादल , जिसको हवा उड़ाती हो -

उसका फितना बहुत शदीद होगा -

एक बाग और एक आग उसके हमराह होगी , जिनका नाम जन्नत व दोज़ख रखेगा , जहां जाएगा यह भी जाएँगी , मगर वह जो देखने में जन्नत मा'लूम होगी , वह आग होगी और जो जहन्नम दिखाई देगा , वह आराम की जगह होगी -

और वह खुदाई का दा'वा करेगा -

जो उस पर ईमान लाएगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इन्कार करेगा उसे जहन्नम में दाखिल करेगा -

मुर्दे जिलाएगा (ज़िन्दा करेगा) -

ज़मीन को हुक्म मिलेगा वह सब्ज़ह उगाएगी , आसमान से पानी बरसाएगा और लोगों के जानवर लंबे , चौड़े खूब तैयार और दूध वाले हो जाएंगे और वीराने में जाएगा तो वहां के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल , (गिरोह के गिरोह) उसके हो जाएंगे -

इसी क़िस्म की बहुत से शौ'बदे दिखाएगा और हक़ीक़त में यह सब जादू के करिश्मे होंगे और शयातीन के तमाशे , जिनको हक़ीक़त से कुछ तअल्लुक नहीं , इसीलिए उसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा , ह़रमैंन शरीफैन में जब जाना चाहेगा , मलाइका उसका मुँह फेर देंगे , अलबत्ता मदीना ए तैय्यिबा में तीन ज़लज़ले आएंगे कि वहां जो लोग ब-ज़ाहिर मुसलमान बने होंगे और वह जो इल्मे इलाही में दज्जाल पर ईमान लाकर काफ़िर होने वाले हैं , उन ज़लज़लो के खौफ से शहर से बाहर भागेंगे और उसके फितने में मुब्तला होंगे -

दज्जाल के साथ यहूद की फ़ोजें होंगी -

उसकी पेशानी पर लिखा होगा : **ک** (काफ) , **ف** (फा) , **ر** (रा) या'नी काफ़िर -

जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को नज़र ना आएगा -

जब वह सारी दुनिया में फिर - फिराकर मुल्के शाम को जाएगा उस वक़्त ह़ज़रत ईसा علیہ السلام आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे -

वह लईन ह़ज़रत ईसा علیہ السلام के सास की खुशबू से पिघलना शुरूअ़ होगा , जैसे पानी में नमक घुलता है और उनके सांस की खुशबू ह़द्दे निगाह तक पहुंचेगी , वह भागेगा , यह तआ़क़ुब फरमाएंगे और उसकी पीठ में नेज़ा मारेंगे , उससे वह जहन्नम वासिल होगा -

(2) ह़ज़रत ईसा علیہ السلام का आसमान से नुज़ूल फरमा'ना :

ह़ज़रत ईसा علیہ السلام आसमान से जामेअ़ मस्जिद दमिश्क़ के मशरिकी मिनारे पर नुज़ूल फरमाएंगे , सुबह़ का वक़्त होगा , नमाज़े फज्र के लिए इक़ामत हो चुकी होगी , ह़ज़रत इमाम मेहदी को , कि उस जमाअ़त में मौजूद होंगे , इमामत का हुक्म देंगे , ह़ज़रत इमाम मेहदी رضی اللہ تعالی عنہ नमाज़ पढ़ाएंगे , आप तशरीफ लाकर दज्जाल लई़न को क़त्ल करेंगे , आप के ज़माने में माल की कसरत होगी यहाँ तक कि अगर कोई शख्स दूसरे को माल देगा तो वह क़ुबूल न करेगा , नीज़ उस ज़माने में अ़दावत व बुग्ज़ व ह़सद आपस में बिल्कुल न होगा , ईसा علیہ السلام सलीब तोड़ेंगे और खिंज़ीर को क़त्ल करेंगे , तमाम अहले किताब जो क़त्ल से बचेंगे , सब उन पर ईमान लाएंगे , तमाम जहान में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मज़हब एक मज़हबे अहले सुन्नत -

सच्चे सांप से खेलेंगे और शेर और बकरी एक साथ चरेंगे , चालीस बरस तक इक़ामत फरमाएंगे , निकाह़ करेंगे , औलाद भी होगी , बा'दे वफात रोज़ा ए अनवर में दफ्न होंगे -

इमाम मेहंदी का ज़ाहिर होना :

इसका इजमाली वाक़िया यह है कि दुनिया में जब , सब जगह कुफ्र का तसल्लुत होगा , उस वक़्त तमाम अब्दाल बल्कि तमाम औलिया सब जगह से सिमटकर ह़रमैन तैय्यिबैन को हिजरत कर जाएंगे , सिर्फ वहीं इस्लाम होगा और सारी ज़मीन कुफ्रिस्तान हो जाएगी , रमज़ान शरीफ का महीना होगा , अब्दाल तवाफे का'बा में मसरूफ होंगे और ह़ज़रत इमाम मेहदी भी वहां होंगे , औलिया उन्हें पहचानेंगे , उनसे दरख्वास्ते बैयअ़त करेंगे वह इन्कार करेंगे , ग़ैब से आवाज़ आएगी : ھذا خلیفۃ اللہ المھدی فاسمعوا لہ و اطیعوہ - तर्जमा : यह अल्लाह का खलीफा मेहदी है , इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो -

तमाम लोग उनके दस्ते मुबारक पर बैयअ़त करेंगे , वहां से सबको अपने हमराह लेकर मुल्के शाम को तशरीफ ले जाएंगे -

याजूज व माजूज का ख़ुरूज :

बा'दे क़त्ले दज्जाल , ह़ज़रत ई़सा علیہ السلام को हुक्म ए इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाओ , इसलिए कि कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर किए जाएंगे जिन से लड़ने की किसी को ताक़त नहीं , मुसलमानों के तूर पर जाने के बा'द याजूज - माजूज ज़ाहिर होंगे , इस क़दर होंगे कि उनकी पहली जमाअ़त बूहैरा तबरिय्या पर (जिसका तूल दस मील होगा) जब गुज़रेगी उसका पानी पीकर इस तरह सुखा देगी के जब बा'द वाली दूसरी जमाअ़त आएगी तो कहेगी कि यहाँ कभी पानी था ?

फिर दुनिया में फसाद व क़त्ल व ग़ारत से जब फुर्सत पाएंगे तो कहेंगे कि ज़मीन वालों को क़त्ल कर लिया आओ अब आसमान वालों को क़त्ल करें , यह कहकर अपने तीर आसमान की तरफ फेकेंगे , खुदा की क़ुदरत कि उनके तीर ऊपर से खून आलूदा गिरेंगे -

ये अपनी ह़रकतों में मशगूल होंगे और वहां पहाड़ पर ह़ज़रत ई़सा علیہ السلام मअ़ अपने साथियों के मह़सूर होंगे , यहाँ तक के उनके नज़्दीक गाय के सर की वह वुक़अत होगी , जो आज तुम्हारे नज़्दीक सो (100) अशर्फियों की नहीं , उस वक़्त ह़ज़रत ई़सा علیہ السلام मअ़ अपने हमराहियो के दुआ़ फरमाएंगे , अल्लाह तआ़ला उनकी गर्दनो में एक क़िस्म के कीड़े पैदा कर देगा कि एक़दम में वह सबके सब मर जाएंगे , उनके मरने के बा'द ह़ज़रत ई़सा علیہ السلام पहाड़ से उतरेंगे , देखेंगे

कि तमाम ज़मीन उनकी लाशों और बदबू से भरी पड़ी है , एक बालिश्त भी ज़मीन खाली नहीं -

उस वक़्त हज़रत ईसा علیہ السلام मअ़ हमराहियो के फिर दुआ़ करेंगे , अल्लाह तआ़ला एक क़िस्म के परिंदे भेजेगा कि वह उनकी लाशों को जहां अल्लाह عزوجل चाहेगा फेंक आएंगे और उनके तीर व कमान व तरकश को मुसलमान सात बरस तक जलाएंगे , फिर उसके बा'द बारिश होगी कि ज़मीन को हमवार कर छोड़ेगी और ज़मीन को हूक्म होगा कि अपने फलों को उगा और अपनी बरकतें उगल दें और आसमान को हूक्म को होगा कि अपनी बरकत उंढेल दें , यह ह़ालत होगी कि एक अनार को एक जमाअ़त खाएगी और उसके छिलके के साए में दस आदमी बैठेंगे और दूध में यह बरकत होगी कि एक ऊंटनी का दूध , जमाअ़त को काफी होगा और एक गाय का दूध , क़बीले भर को और एक बकरी का , खानदान भर को किफायत करेगा -

(5) धुए का ज़ाहिर होना :

धुंआ ज़ाहिर होगा , जिससे ज़मीन से आसमान तक अंधेरा हो जाएगा -

(6) दाब्बतुल अर्द का निकलना :

यह एक जानवर है , इसके हाथ में मूसा علیہ السلام का अ़सा और ह़ज़रत सुलेमान علیہ السلام की अंगूठी होगी , अ़सा से हर मुसलमान की पेशानी पर एक निशाने नूरानी बनाएगा और अंगुश्तरी (अंगूठी) से हर काफिर की पेशानी पर एक सियाह धब्बा , उस वक़्त तमाम मुस्लिम व काफ़िर ऐ'लानिया ज़ाहिर होंगे -

यह अ़लामत कभी ना बदलेगी , जो काफिर है हरगिज़ ईमान न लायेगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर क़ाइम रहेगा -

(7) आफ़ताब का मग़रिब से तुलूअ़ होना :

इस निशानी के ज़ाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा , उस वक़्त का इस्लाम मौ'तबर नहीं होगा -

(8) खुशबूदार ठंडी हवा :

वफाते साय्यिदुना ईसा علیہ السلام के ज़माने के बा'द जब क़ियामत को सिर्फ चालीस बरस रह जाएंगे , एक खुशबूदार ठंडी हवा चलेगी जो लोगों की बगलो के नीचे से गुज़रेगी , जिसका असर यह होगा कि मुसलमान की रूह क़ब्ज़ हो जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे और उन्हीं पर क़ियामत क़ाइम होगी !

सवाल : क़ियामत किन लोगों पर और किस तरह क़ाइम होगी ?
जवाब : जब मुसलमानों की बगलो के नीचे से वह खुशबूदार हवा गुज़र लेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी , उसके बा'द फिर चालीस बरस का ज़माना ऐसा गुज़रेगा के उसमें किसी के औलाद न होगी , या'नी चालीस बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे , अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा -

कोई अपनी दीवार लीपता (पलस्तर करता) होगा , कोई खाना खाता होगा ग़र्ज़ लोग अपने अपने कामो में मशगूल होंगे -

के दफ़अ-तन हज़रत इसराफील علیہ السلام को सूर फूंकने का हुक्म होगा , शुरुअ-शुरुअ उसकी आवाज़ बहुत बारीक होगी और रफ्ता रफ्ता बहुत बुलंद हो जाएगी , लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे , आसमान , ज़मीन , पहाड़ यहाँ तक के सूर और इसराफील और तमाम मलाइका फना हो जाएंगे उस वक़्त सिवा उस वाहिदे हक़ीक़ी के कोई ना होगा वह फरमाएगा : **(لمن الملک الیوم)** तर्जमा : आज किसकी बादशाहत है , कहाँ है जब्बारीन...? , कहाँ है मुतकब्बिरीन...? , मगर है कौन जो जवाब दें , फिर खुद

ही फरमाएगा : **(لله الواحد القهار)** तर्जमा : सिर्फ अल्लाह वाहिदे क़हहार की सल्तनत है -

फिर जब अल्लाह तआ़ला चाहेगा , इसराफील को ज़िंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा , तो सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन व आखिरीन , मलाइका व इन्स व जिन्न व ह़ैवानात मौजूद हो जाएंगे -

सबसे पहले हुज़ूरे अनवर صلی اللہ علیہ وسلم क़ब्र मुबारक से यूँ बरामद होंगे के दहने हाथ में सिद्दीक़े अकबर رضی اللہ عنہ का हाथ , बाए हाथ में फारूक़े आज़म رضی اللہ عنہ का हाथ होगा फिर मक्का ए मुअज्ज़मा व मदीना ए तैय्यबा के मक़ाबिर में जितने मुसलमान दफ्न है , सबको अपने हमराह लेकर मैदाने ह़श्र में तशरीफ ले जाएंगे !

ह़श्र का मैदान

सवाल : जो ह़श्र (क़ियामत) का इन्कार करें , उसका क्या हुक्म क्या है ?

जवाब : क़ियामत बेशक क़ाइम होगी , इसका इन्कार करने वाला काफिर है !

सवाल : ह़श्र सिर्फ रूह़ का होगा या रूह़ और जिस्म दोनों का ?

जवाब : ह़श्र सिर्फ रूह़ो का नहीं , बल्कि दोनों का होगा , जो कहे सिर्फ रुह़े उठेंगी जिस्म ज़िंदा ना होंगे वह काफिर है !

सवाल : क़ियामत के दिन लोग अपनी क़बरों से कैसे उठेंगे ?

जवाब : क़ियामत के दिन लोग अपनी अपनी क़बरों से नंगे बदन , नंगे पांव ना-खत्ना शुदा उठेंगे , कोई पैदल , कोई सुवार और उनमें बा'ज़ तन्हा सुवार होंगे और किसी सवारी पर दो , किसी पर तीन , किसी पर चार किसी पर दस होंगे -

काफिर मुँह के बल चलता हुआ मैदाने ह़श्र को जाएगा , किसी को मलाइका घसीट कर ले जाएंगे , किसी को आग जमअ़ करेगी -

सवाल : मैदाने ह़श्र कहाँ होगा ? और उसकी ज़मीन कैसी होगी ? सूरज कितने फासले पर होगा ?

जवाब : यह मैदाने ह़श्र मुल्के शाम की ज़मीन पर क़ाइम होगा -

ज़मीन ऐसी हमवार होगी कि उसके किनारे पर राई का दाना गिर जाए तो दूसरे किनारे से दिखाई दें -

उस दिन ज़मीन तांबे की होगी -

और और आफताब एक मील के फासले पर होगा -

अब चार हज़ार बरस की राह के फासले पर है और इस तरफ आफताब की पीठ है -

फिर भी जब सर के मुक़ाबिल आ जाता है , घर से बाहर निकलना दुशवार हो जाता है , उस वक़्त , के एक मील के फासले पर होगा और उसका मुँह इस तरफ को होगा , तपिश और गर्मी का क्या पूछना...?

सवाल : मैदाने ह़श्र में लोगों की क्या ह़ालत होगी ?
जवाब : अब मिट्टी की ज़मीन है , मगर गर्मियों की धूप में ज़मीन पर पांव नहीं रखा जाता उस वक़्त जब तांबे की होगी और आफताब का इतना कुर्ब होगा , उसकी तपिश कौन बयान कर सकें....? अल्लाह عزوجل पनाह में रखें , भेजें खोलते होंगे -

और इस कसरत से पसीना निकलेगा के सत्तर गज़ ज़मीन में जज़्ब हो जाएगा -

फिर जो पसीना ज़मीन न पी सकेगी वह ऊपर चढ़ेगा किसी के टखनों तक होगा , किसी के घुटनों तक , किसी के कमर-कमर , किसी के सीने , किसी के गले तक , और काफ़िर के तो मुँह तक चढ़कर मिस्ले लगाम के जकड़ जाएगा , जिसमें वह डुबकियां खाएगा -

उस गर्मी की ह़ालत में प्यास की जो कैफियत होगी मोह़ताजे बयां नहीं , ज़बाने सूखकर कांटा हो जाएगी , बा'ज़ो की जबानें मुँह से बाहर निकल आएगी , दिल गले को आ जाएंगे , हर मुब्तला , बक़द्रे गुनाह तक्लीफ में मुब्तला किया जाएगा

, जिसने चांदी सोने की ज़कात न दी होगी उस माल को खूब गर्म करके उसकी करवट और पेशानी और पीठ पर दाग करेंगे , जिसने जानवरों की ज़कात न दी होगी उसके जानवर क़ियामत के दिन खूब तैयार होकर आएंगे और उस शख्स को वहां लिटाएंगे और वह जानवर अपनों सींगो से मारते और पांव से रोंदते , उस पर गुज़रेंगे , जब सब इसी तरह गुज़र जाएंगे फिर उधर से वापस आकर यूँ ही उस पर गुज़रेंगे , इसी तरह करते रहेंगे यहाँ तक के लोगों का हिसाब खत्म हों ,

وعلی ھٰذا القیاس

फिर बावजूद इन मुसीबतों के कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा , भाई से भाई भागेगा ، माँ-बाप औलाद से पीछा छुड़ाएंगे -

बीवी बच्चे अलग जान चुरायेंगे , हर एक अपनी अपनी मुसीबत में गिरफ्तार , कौन किसका मददगार होगा ! हज़रत आदम علیہ السلام को हुक्म होगा , ऐ आदम ! दोज़खियो की जमाअत अलग कर , अर्ज़ करेंगे : कितने में से कितने ? इरशाद होगा : हर हज़ार से नो सो निनानवे , यह वो वक़्त होगा कि बच्चे मारे ग़म के बूढ़े हो जाएंगे , हमल वाली का हमल साक़ित हो जाएगा , लोग ऐसे दिखाई देंगे कि नशे में है हालांकि नशे में न होंगे , व लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है , किस किस मुसीबत का बयान किया जाए एक हो , दो हो , सौ हो , हज़ार हो तो कोई बयान भी करें , हज़ार-हाँ मसाइब और वो भी एसे शदीद के अल-अमां अल-अमां....! और ये सब तकलीफें दो-चार घंटे , दो-चार दिन , दो-चार माह की नहीं , बल्कि पचार हज़ार बसर का एक दिन होगा !

सवाल : फिर इन मुसीबतों से नजात कैसे मिलेगी ?

जवाब : क़ियामत का दिन आधे के क़रीब गुज़र चुका होगा तो अहले मह्शर अब आपस में मशवरा करेंगे कि कोई अपना सिफारिशी ढूँढना चाहिए कि हम को इन मुसीबतों से रिहाई दिलाये , अभी तक तो यही नहीं पता चलता के आखिर किधर को जाना है , ये बात मशवरे से क़रार पायेगी के ह़ज़रत आदम علیہ السلام हम सब के बाप है , अल्लाह तआ़ला ने उन को अपने दस्ते क़ुदरत से बनाया और जन्नत दी और मर्तबा ए नुबुव्वत से सरफराज़ फ़रमाया , उनकी खिदमत में ह़ाज़िर होना चाहिए , वो हम को इस मुसीबत से नजात दिलाएंगे -

ग़र्ज़ किस किस मुश्किल से उनके पास ह़ाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे : ऐ आदम ! आप अबुल बशर है , अल्लाह عزوجل ने आपको अपने दस्ते क़ुदरत से बनाया और अपनी चुनी हुई रूह़ आप में डाली और मलाइका से आपको सज्दा कराया और जन्नत में आपको रखा , तमाम चीज़ो के नाम आपको सिखाएं , आपको सफी किया , आप देखते नहीं कि हम किस ह़ालत में है ....? ! आप हमारी शफाअ़त कीजिए के अल्लाह तआ़ला हमें इससे निजात दे -

फरमाएंगे : मेरा यह मर्तबा नहीं , मुझे आज अपनी जान की फिक्र है , आज रब عزوجل ने ऐसा ग़ज़ब फरमाया कि पहले कभी ऐसा ग़ज़ब फरमाया , न आइन्दा फरमाएं , तुम किसी और के पास जाओ -

लोग अर्ज़ करेंगे : आखिर किसके पास जाएं...? फरमाएंगे : नूह के पास जाओ , के वह पहले रसूल है के ज़मीन पर हिदायत के लिए भेजे गए , लोग उसी ह़ालत में ह़ज़रत नूह علیہ السلام की खिदमत में ह़ाज़िर होंगे और उनके फ़ज़ाइल बयान

करके अर्ज़ करेंगे के आप अपने रब के हुज़ूर हमारी शफाअ़त कीजिए के वह हमारा फैसला कर दे , यहाँ से भी वही जवाब मिलेगा कि में इस लाइक़ नहीं , मुझे अपनी पड़ी है , तुम किसी और के पास जाओ , अर्ज़ करेंगे , कि आप हमें किसके पास भेजते हैं ....? फरमाएंगे : तुम इब्राहीम खालीलुल्लाह के पास जाओ , के अल्लाह तअ़ाला ने उनको मर्तबा ए खुल्लत से सरफ़राज़ फ़रमाया है , लोग यहाँ ह़ाज़िर होंगे , वह भी यही जवाब देंगे मैं इस क़ाबिल नहीं , मुझे अपना अंदेशा है -

मुख्तसर यह है के वह ह़ज़रत मूसा علیہ السلام की खिदमत में भेजेंगे वहां भी वही जवाब मिलेगा फिर मूसा علیہ السلام ह़ज़रत ई़सा علیہ السلام के पास भेजेंगे वह भी यही फरमाएंगे कि मेरे करने का यह काम नहीं , आज मेरे रब ने वह गज़ब फरमाया है कि ऐसा न कभी फरमाया , न फरमाएं , मुझे अपनी जान का डर है , तुम किसी दूसरे के पास जाओ , लोग अ़र्ज़ करेंगे , आप हमें किसके पास भेजते हैं , फरमाएंगे : तुम उनके हुज़ूर हाज़िर हो जिनके हाथ पर फतह़ रखी गई , जो आज बे-खौफ है , और वह तमाम औलादे आदम के सरदार है , तुम मुह़म्मद صلی اللہ علیہ وسلم की खिदमत में हाज़िर हो , वह खातमुन्नबिय्यीन है , वह आज तुम्हारी शफाअ़त फरमाएंगे , उन्हीं के हुज़ूर हाज़िर हो , वह यहाँ तशरीफ फरमा हैं -

अब लोग फिरते फिराते , ठोकरें खाते , रोते चिल्लाते , दुहाई देते हज़िरे बारगाहे बेकस पनाह होकर अ़र्ज़ करेंगे : ऐ अल्लाह के नबी ! हुज़ूर के हाथ पर अल्लाह عزوجل ने फ़त्ह़े - बाब रखा है , आज हुज़ूर मुतमईन है , इनके अ़लावा और बहुत से फज़ाइल बयान करके अ़र्ज़ करेंगे : हुज़ूर मलाह़ज़ा तो फरमाएं , हम किस

मुसीबत में है ! और किस ह़ाल को पहुंचे ! जवाब में इरशाद फरमाएंगे (انا لها)
तर्जमा : में इस काम के लिए हूँ , (انا صاحبکم) तर्जमा : में ही वो हूँ जिसे तुम
तमाम जगह ढूंढ़ आए , यह फरमा कर बारगाहे इ़ज़्ज़त में ह़ाज़िर होंगे और सज्दा
करेंगे , इरशाद होगा (**یا محمد ! ارفع رأسک و قل تسمع و سل تعطک واشفع تشفع**)
तर्जमा : ए मुह़म्मद! अपना सर उठाओ और कहो , तुम्हारी बात सुनी जाएगी
और माँगो , जो कुछ माँगोगे , मिलेगा और शफाअ़त करो तुम्हारी शफाअ़त
मक़ुबूल है , फिर तो शफाअ़त का सिलसिला शुरूअ़ हो जाएगा , यहाँ तक के
जिसके दिल में राई के दाने से कम से कम भी ईमान होगा उसके लिए भी
शफाअ़त फरमा कर उसे जहन्नम से निकालेंगे , यहाँ तक कि जो सच्चे दिल से
मुसलमान हुआ , अगर्चे उसके पास कोई नेक अ़मल नहीं है उसे भी दोज़ख से
निकालेंगे , अब तमाम अंबिया अपनी उम्मत की शफाअ़त फरमाएंगे औलिया ए
किराम , शुह-दा , उ़ल-मा , हुफ्फाज़ , हुज्जाज़ , बल्कि हर वह शख्स जिसको
कोई मंसबे दीनी इनायत हुआ , अपने अपने मुत-अ़ल्लिक़ीन की शफाअ़त करेगा ,
नाबालिग़ बच्चे जो मर गए हैं , अपने माँ-बाप की शफाअ़त करेंगे , यहाँ तक कि
उ़ल-मा के पास कुछ लोग आकर अ़र्ज़ करेंगे : हमने आप के वुज़ू के लिए फलां
वक़्त में पानी भर दिया था , कोई कहेगा कि मैने आपको इस्तिंजे के लिए ढ़ेला
दिया था , उ़ल-मा उन तक कि शफाअ़त करेंगे !

सवाल : क़ियामत के दिन अअमाल लोगों को कैसे दिया जायेगा ?
जवाब : क़ियामत के दिन हर शख्स को उस का नामाए अअमाल दिया जायेगा - नेकों के दहने हाथ में और बदो के बाएं हाथ में , काफ़िर का सीना तोड़ कर उस का बायाँ हाथ उस से पसे पुश्त निकाल कर पीठ के पीछे दिया जायेगा !

सवाल : होज़े कोसर के बारे में कुछ बयान फरमा दें ?
जवाब : होज़े कोसर के , नबी صلی اللہ علیہ وسلم को मरह़मत हुआ , ह़क़ है , इस ह़ोज़ की मसाफत एक महीने की राह है , इसके किनारों पर मोती के क़ुब्बे है , चारों गोशे बराबर या’नी ज़ाविये क़ाईमा है , इसकी मिट्टी निहायत खुशबूदार , मुश्क़ की है , इसका पानी दूध से ज़्यादा सफेद शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क़ से ज़्यादा पाक़ीज़ा और उस पर बर्तन , गिनती में सितारों से भी ज़्यादा , जो उसका पानी पिऐगा कभी प्यासा न होगा , उसमें जन्नत से दो परनालें हर वक़्त गिरते हैं , एक सोने का , दूसरा चांदी का !

सवाल : मीज़ान के बारे में कुछ कुछ बयान कर दें ?
जवाब : मीज़ान ह़क़ है , इस पर लोगों के आ’माल नेक व बद तोले जाएंगे , नेकी का पल्ला भारी होने के यह मा’ना है कि ऊपर उठें , दुनिया का सा मामला नहीं , कि जो भारी होता है , नीचे झुकता है !

सवाल : पुल सिरात के बारे में कुछ बयान कर दें ?
जवाब : सिरात ह़क़ है , यह एक पुल है कि पुश्ते जहन्नम पर नसब किया जाएगा

, बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा , जन्नत में जाने का यही रास्ता है , सबसे पहले नबी صلى الله عليہ وسلم गुज़र फरमाएंगे , फिर और अंबिया व मुरसलीन , फिर और उम्मतें गुज़रेगी और ह़स्बे इख्तिलाफे आ'माल पुल सिरात पर लोग मुख्तलिफ तरह से गुज़रेंगे , बा'ज़ तो ऐसे तेज़ी के साथ गुज़रेंगे जैसे बिजली का कून्दा , कि अभी चमका और अभी गायब हो गया और बा'ज़ तेज़ हवा की तरह , कोई ऐसे जैसे परिंद उड़ता है और बा'ज़ जैसे घोड़ा दौड़ता है और बा'ज़ जैसे आदमी दौड़ता है यहाँ तक कि बा'ज़ शख्स सुरीन पर घिसटते हुए और कोई च्यूंटी की चाल जाएगा और पुल सिरात के दोनों जानिब बड़े-बड़े आंकड़े अल्लाह عزوجل ही जाने कि वह कितने बड़े होंगे , लटकते होंगे , जिस शख्स के बारे में हुक्म होगा , उसे पकड़ लेंगे मगर बा'ज़ तो ज़ख्मी होकर नजात पाएंगे और बा'ज़ को जहन्नम में गिरा देंगे और यह हलाक हुआ !

सवाल : ह़िसाब किताब और पुल सिरात से गुज़रने के वक़्त हुज़ूर صلى الله عليہ وسلم कहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे ?

जवाब : कभी मीज़ान पर तशरीफ ले जाएंगे , वहां जिसके ह़सनात में कमी देखेंगे , उसकी शफाअ़त फरमा कर नजात दिलाएंगे और फौरन ही देखो तो होज़े कोसर पर जलवा फरमा है , प्यासों को सैराब फरमा रहे हैं और वहां से पुल सिरात पर रोनक़ अफरोज़ हुए और गिरतों को बचाया , हर जगह उन्हीं की दुहाई , हर शख्स उन्हीं को पुकारता , उन्ही से फरियाद करता है और उनके सिवा किसको पुकारे...? के हर एक तो अपनी फिक्र में है , दूसरों को क्या पूछे , सिर्फ एक यही है जिन्हें अपनी कुछ फ़िक्र नहीं और तमाम आ़लम का बार इनके ज़िम्मे !

सवाल : क्या क़ियामत का दिन किसी के लिए हल्का होगा ?

जवाब : जी हाँ ! मौला عزوجل के जो खास बंदे हैं , उनके लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मा'लूम होगा , उसमें इतना वक़्त सर्फ हुआ जितना एक वक़्त की नमाज़े फर्ज़ में सर्फ होता है बल्कि उससे भी कम , यहाँ तक के बाज़ो के लिए तो पलक झपकने में सारा दिन तय हो जाएगा !

जन्नत का बयान

सवाल : जन्नत क्या है ?

जवाब : जन्नत एक मकान है कि अल्लाह तआ़ला ने ईमान वालों के लिए बनाया है , उस में वो नेअ़मतें मुहय्या है जिन को नो आँखों ने देखा , न कानो ने सुना , न किसी आदमी के दिन पर उन का खतरा गुज़रा -

जो कोई मिसाल उस की ता'रीफ में दी जाये समझाने के लिए है , वरना दुनिया की आ'ला से आ'ला शै को जन्नत की किसी चीज़ के साथ कुछ मुनासबत नहीं - अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज़ दुनिया में ज़ाहिर हो तो तमाम आसमान व ज़मीन उस के आरास्ता हो जाएँ और अगर जन्नती का कंगन ज़ाहिर हो तो आफ़ताब की रौशनी मिटा दे , जैसे आफ़ताब सितारों की रौशनी मिटा देता है !

सवाल : जन्नत की हूर कैसी होगी ?

जवाब : वहां की कोई हूर अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे और उसका दुपट्टा दुनिया व मा फीहाँ से बेहतर है -

और एक रिवायत में यूँ है कि अगर हूर अपनी हथेली ज़मीन व आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से खलाइक़ फितने में पड़ जाए और अगर अपना दुपट्टा ज़ाहिर करें तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चिराग !

सवाल : जन्नत कितनी वसीअ़ है ?

जवाब : जन्नत कितनी वसीअ़ है , इसको अल्लाह व रसूल عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم ही जाने , इजमाली बयान ये है उसमे सो दर्जे है , हर दो दर्जो में वह

मसाफत है जो आसमान व ज़मीन के दरमियान है , रहा ये कि खुद उस दर्जे की क्या मसाफत है , इसका अंदाज़ा “ जामेअ़ तिरमिज़ी ” की एक रिवायत से लगायें जिस में है कि तमाम आ़लम एक दर्जे में जमअ़ हो , तो सबके लिए वसीअ़ है -

जन्नत में एक दरख़्त है , जिसके साए में सौ बरस तक तेज़ घोड़े पर सवार चलता रहे और खत्म न हो , जन्नत के दरवाज़े इतने वसीअ़ होंगे के एक बाज़ू से दूसरे तक तेज़ घोड़े की सत्तर बरस की राह होगी फिर भी जाने वालों की वह कसरत होगी कि मोंढे से मोंढ़ा छिलता होगा , बल्कि भीड़ की वजह से दरवाज़ा चर चराने लगेगा !

सवाल : जन्नत में किस क़िस्म के मकानात है ?

जवाब : इसमें क़िस्म क़िस्म के जवाहिर के महल है , ऐसे साफ व शफ्फाफ के अन्दर का हिस्सा बाहर से और बाहर का अन्दर से दिखाई दें !

जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटो और मुश्क़ के गारे से बनी है -

एक ईंट सोने की , एक चांदी की , ज़मीन ज़ा’फ़रान की , कंकरियो की जगह मोती और याक़ूत -

और एक रिवायत में है के जन्नते अ़दन की एक ईंट सफ़ेद मोती की है , एक याक़ूते सुर्ख की , एक ज़बरजद की और मुश्क़ का गारा है और घास की जगह ज़ा’फ़रान है , मोती की कंकरियां अम्बर की मिट्टी -

जन्नत में एक एक मोती का खैमा होगा जिसकी बुलंदी साठ मील -

सवाल : जन्नत में दरिया कितने है और किस क़िस्म के है ?
जवाब : जन्नत में चार दरिया है , एक पानी का , दूसरा दूध का , तीसरा शहद का , चौथा शराब का , फिर इनसे नहरें निकल कर हर एक के मकान में जा रही है -

वहां की नहरें ज़मीन खोद कर नहीं बहती , बल्कि ज़मीन के ऊपर ऊपर रवां है , नेहरों का एक किनारा मोती का , दूसरा याक़ूत का , और नेहरों की ज़मीन खालिस मुश्क़ की -

वहां की शराब दुनिया की सी नहीं जिसमे बदबू और कड़वाहट और नशा होता है और पीने वाले बे-अक़्ल हो जाते है , आपे से बाहर होकर बेहूदा बकते है , वो पाक शराब इन सब बातों से पाक व मुनज़्ज़ा है !

सवाल : जन्नत में खाना पीना कैसा होगा ?
जवाब : जन्नतियो को जन्नत में हर क़िस्म के लज़ीज़ से लज़ीज़ खाने मिलेंगे , जो चाहेंगे फ़ौरन उनके पास सामने मौजूद होगा -

अगर किसी परिंदे को देख कर उस का गोश्त खाने को जी हो तो उसी वक़्त भुना हुआ उनके पास आ जाएगा -

अगर पानी वग़ैरा की ख्वाहिश हो तो क़ूज़े खुद हाथ में आ जायेंगे , उन में ठीक अंदाज़े के मुवाफिक़ पानी , दूध , शराब , शहद होगा के ख्वाहिश से एक क़तरा कम न ज़्यादा , बा'द पीने के खुद ब-ख़ुद जहां से आये थे , चले जायेंगे , हर शख्स को सो आदमियों के खाने , पीने , जिमाअ की ताक़त दी जाएगी !

सवाल : खाना हज़्म कैसे होगा ?

जवाब : एक खुशबूदार फरहत बख्श डकार आएगी , खुशबूदार फरहत बख्श पसीना निकलेगा जिस से खाना हज़्म हो जाएगा और डकार और पसीने से मुश्क़ की खुशबू निकलेगी !

सवाल : क्या जन्नत में जिस्म पर बाल होंगे ?

जवाब : सर के बाल और पलको और भवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल न होंगे , सब बे रीश होंगे , सुर्मगीं आँखे , तीस बरस की उम्र के मा'लूम होंगे , कभी इस से ज़्यादा मा'लूम न होंगे !

सवाल : क्या जन्नत में औलाद होगी ?

जवाब : अगर मुसलमान औलाद की ख्वाहिश करेगा तो उसका हमल और वज़अ और पूरी उम्र (या'नी तीस साल की) , ख्वाहिश करते ही एक साअत में हो जाएगी !

सवाल : क्या जन्नत में नींद होगी ?

जवाब : जन्नत मे नींद नहीं , कि नींद एक क़िस्म की मौत है और जन्नत मे मौत नहीं !

सवाल : जन्नतियों को जन्नत मे अल्लाह तआला का दीदार किस तरह होगा ?

जवाब : बा'दे दुखूले जन्नत दुनिया के एक हफ्ते की मिक़्दार के बा'द इजाज़त दी

जाएगी के अपने परवर्दगार की ज़ियारत करें और अर्श इलाही ज़ाहिर होगा और रब जन्नत के बागो में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा और उन जन्नतियो के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे , नूर के मिंबर , याक़ूत के मिंबर , ज़बरजद के मिंबर , सोने के मिंबर , चांदी के मिंबर और उनमें का अदना मुश्क़ व काफूर के टीले पर बैठेगा और उनमें अदना कोई नहीं अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर न समझेंगे और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और चौदहवी रात के चांद की तरह हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है कि एक का देखना दूसरे के लिए मानेअ़ नहीं और अल्लाह हर एक पर तजल्ली फरमाएगा उनमें से किसी को फरमाएगा ऐ फलां बिन फलां तुझे याद है जिस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था दुनिया के बा'ज़ मआ़सी याद दिलाएगा बंदा अ़र्ज़ करेगा : तो ऐ रब ! क्या तूने मुझे बख्श न दिया ? फरमाएगा : हाँ ! मेरी मग़फिरत की वुसअ़त ही की वजह से तू इस मर्तबे को पहुंचा वह सब उसी ह़ालत में होंगे कि अब्र छा जाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा कि उसकी सी खुशबू इन लोगों ने कभी न पाई थी और अल्लाह عزوجل फरमाएगा के जाओ उसकी तरफ जो मैने तुम्हारे लिए इ़ज़्ज़त तैयार कर रखी है , जो चाहो लो , फिर लोग एक बाज़ार में जाएंगे जिसे मलाइका घेरे हुए होंगे उसमें वह चीज़े होगी कि उनकी आँखों ने देखी न कानो ने सुनी , न क़ुलूब पर उनका खतरा गुज़रा , उसमें से जो चाहेंगे , उनके साथ कर दी जाएगी और खरीद व फरोख्त न होगी और जन्नती इस बाज़ार में बा-हम मिलेंगे , छोटे मर्तबे वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा , उसका लिबास पसंद करेगा , हुनूज़ गुफ्तगू खत्म भी न होगी कि खयाल करेगा , मेरा लिबास उससे अच्छा है और यह इस वजह से है कि जन्नत में किसी के लिए ग़म नहीं फिर वहां से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे उनकी बीवियां इस्तिक़बाल करेंगी और मुबारकबाद देकर कहेगी कि आप वापस हुए और आपका जमाल इससे बहुत ज़ाइद है कि हमारे पास

से आप गए थे जवाब देंगे कि परवर्दगार जब्बार के हुज़ूर बैठना हमें नसीब हुआ तो हमें ऐसा ही हो जाना सज़ावार था !

सवाल : जन्नती एक दूसरे सी मिलना चाहेंगे तो कैसे जायेंगे ?
जवाब : जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख़्त दूसरे के पास चला जायेगा , और एक रिवायत में है के उनके पास निहायत आ'ला दर्जे की सुवारियां और घोड़े लाये जायेंगे और उन पर सुवार होकर जहां चाहेंगे जायेंगे !

सवाल : जो जन्नत व दोज़ख का इन्कार करे उस के बारे में क्या हुक्म है ?
जवाब : जन्नत व दोज़ख ह़क़ है , उन का इन्कार करने वाला काफिर है !

सवाल : क्या जन्नत व दोज़ख अब भी मौजूद है ?
जवाब : जन्नत व दोज़ख को बने हुए हज़ार-हा साल हुए और वो अब मौजूद है , ये नहीं के इस वक़्त मख्लूक़ नो हुई , क़ियामत के दिन बनायीं जाएंगी !

दोज़ख का बयान

सवाल : दोज़ख क्या है

जवाब : यह एक मकान है कि उस क़हहार व जब्बार के जलाल व क़हर का मज़हर है जिस तरह उसकी रहमत व नेअमत की इन्तिहा नहीं के इन्सानी खयालात व तसव्वुरात जहां तक पहुंचे वह उसकी बेशुमार नेअमतों से एक ज़र्रा है इसी तरह उसके गज़ब व क़हर की कोई ह़द नहीं कि हर वह तक्लीफ व अज़िय्यत के तसव्वुर की जाए उसके बेइन्तिहा अज़ाब का एक अदना हिस्सा है !

सवाल : जिस जहन्नमी को सबसे कम दर्जे अज़ाब होगा उसके साथ क्या किया जाएगा ?

जवाब : जिसको सबसे कम दर्जे का अज़ाब होगा उसे आग की जूतियां पहना दी जाएगी जिससे उसका दिमाग ऐसा खौलेगा जैसे तांबे की पतेली खौलती है , वह समझेगा के सबसे ज़्यादा अज़ाब उसी पर हो रहा है हाँलांकि उस पर सबसे हल्का है -

जिस पर सबसे हल्के दर्जे का अज़ाब होगा उस से अल्लाह عزوجل पूछेगा : कि अगर सारी ज़मीन तेरी हो जाए तो क्या इस अज़ाब से बचने के लिए तू सब फिदये मे दे देगा ? अर्ज़ करेगा : हाँ ! फरमाएगा : कि जब तू पुश्ते आदम मे था तो हमने इससे बहुत आसान चीज़ का हुक्म दिया था कि कुफ्र न करना मगर तूने न माना !

सवाल : जहन्नम की आग कैसी है ?

जवाब : यह जो दुनिया की आग है उस आग के जूज़्वो में से एक जुज़्व है -

जहन्नम की आग हज़ार बरस तक धुनकाई गईं यहाँ तक के सुर्ख़ हो गई फिर हज़ार बरस और यहाँ तक के सफेद हो गई और यहाँ तक के सियाह हो गई तो अब वह निरी सियाह है जिसमें रोशनी का नाम नहीं -
जिब्राईल علیہ السلام ने क़सम खाकर नबी صلی اللہ علیہ وسلم से अ़र्ज़ की कि अगर जहन्नम से सुईं के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम ज़मीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएं और क़सम खाकर कहा कि अगर जहन्नम का कोई दारोगा अहले दुनिया पर ज़ाहिर हो तो ज़मीन के रहने वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएं और ब-क़सम बयान किया कि अगर जहन्नमियों की ज़ंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाए तो कांपने लगे और उन्हें क़रार न हो यहाँ तक के नीचे की ज़मीन तक धंस जाए यह दुनिया की आग खुदा से दुआ़ करती है कि उसे जहन्नम में न ले जाएं मगर तअ़ज्जुब है इंसान से के जहन्नम में जाने का काम करता है और उस आग से नहीं डरता जिससे आग भी डरती हो और पनाह माँगती है !

सवाल : जहन्नम की गहराई कितनी है ?
जवाब : जहन्नम की गहराई तो खुदा ही जाने की कितनी गहरी है ह़दीस में है कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से उसमें फैंकी जाए तो सत्तर बरस में भी तह तक न पहुंचेगी और अगर इंसान के सर बराबर सीसे का गोला आसमान से ज़मीन को फेंका जाए तो रात आने से पहले ज़मीन तक पहुंच जाएगा हाँलांकि यह पांच सौ बरस की राह है !

सवाल : जहन्नम में किस क़िस्म के अ़ज़ाब होंगे ?
जवाब : उसमें तरह-तरह के अ़ज़ाब होंगे , लोहे के ऐसे भारी गुर्ज़ो से फरिश्ते मारेंगे के अगर ज़मीन पर रख दिया जाए तो तमाम जिन् व इन्स जमअ़ होकर उसको उठा नहीं सकते -

बख्ती ऊंट की गर्दन बराबर बिच्छू और अल्लाह عزوجل जाने किस क़दर बड़े सांप के अगर एक मर्तबा काट ले तो उसकी सोज़िश , दर्द , बेचैनी हज़ार बरस तक रहें -

तेल की जली हुई तलछट की तरह खोलता पानी पीने को दिया जाएगा कि मुँह के क़रीब होते ही उसकी तेज़ी से चेहरे की खाल गिर जाएगी सर पर गर्म पानी बहाया जाएगा -

जहन्नमियों के बदन पर जो पीप बहेगी , वो पिलाई जाएगी , खारदर थूहड़ खाने को दिया जाएगा -

वह ऐसा होगा कि अगर उसका एक क़तरा दुनिया में आए तो उसकी सोज़िश व बदबू तमाम अहले दुनिया की मईशत बर्बाद कर दें -

और वह गले में जाकर फंदा डालेगा -

उसके उतारने के लिए पानी माँगेंगे उनको वह खोलता पानी दिया जाएगा कि मुँह के क़रीब आते ही मुँह की सारी खाल गल कर उसमें गिर पढ़ेगी और पेट में जाते ही आंतों को टुकड़े-टुकड़े कर देगा और वह शोरबे की तरह बहकर क़दमों की तरफ निकलेगी -

प्यास इस बला की होगी कि उस पानी पर ऐसे गिरेंगे जैसे तौंस के मारे हुए ऊंट फिर कुफ्फार जान से आ़जिज़ आकर बाहम मशवरा करके मालिक علیہ الصلاۃ والسلام दरोगा ए जहन्नम को पुकारेंगे ए मालिक علیہ الصلاۃ والسلام ! तेरा रब हमारा क़िस्सा तमाम कर दें , मालिक علیہ الصلاۃ والسلام हज़ार बरस तक जवाब न देंगे उसके बा'द फरमाएंगे मुझसे क्या कहते हो उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है ! , हज़ार बरस तक रब्बुल इ़ज़्ज़त को उसकी रह़मत के नामों से पुकारेंगे , वह हज़ार बरस

तक जवाब न देगा , उसके बा'द फरमाएगा तो ये फरमाएगा : दूर हो जाओ ! जहन्नम में पढ़े रहो ! मुझसे बात न करो ! उस वक़्त कुफ्फार हर क़िस्म की खैर से ना उम्मीद हो जाएंगे -

और गधे की आवाज़ की तरह चिल्लाकर रोएंगे -

इबतिदा-अन आंसू निकलेंगे , जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून रोएंगे , रोते-रोते गालों में खंदको की मिस्ल गढ़े पड़ जाएंगे , रोने का खून और पीप इस क़दर होगा कि अगर उसमें कश्तियां डाली जाए तो चलने लगे !

सवाल : जहन्नमियों की शक्लें कैसी होंगी और उनके जिस्म के आ'ज़ा कैसे होंगे ?
जवाब : जहन्नमियों की शक्लें ऐसी बुरी होगी के अगर दुनिया में कोई जहन्नमी उसी सूरत पर लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बद-सूरती और बदबू की वजह से मर जाए -

और जिस्म उनका ऐसा बड़ा कर दिया जाएगा कि अगर एक शाने से दूसरे तक तेज़ सवार के लिए तीन दिन की राह है -

एक-एक दाढ़ उहुद के पहाड़ बराबर होगी , खाल की मोटाई बियालीस ज़िराअ की होगी , ज़बान एक कोस दो कोस तक मुँह से बाहर घिसटती होगी कि लोग उसको रोंदेंगे , बैठने की जगह इतनी बड़ी होगी जैसे मक्के से मदीने तक और वह जहन्नम में मुँह सुकोढ़े होंगे कि ऊपर का होंट सिमटकर बीच सर को पहुंच जाएगा और नीचे का लटक कर नाफ को आ लगेगा -

इन मज़ामीन से यह मा'लूम होता है कि कुफ्फार की शक्ल जहन्नम में इन्सानी शक्ल न होगी कि यह शक्ल अह़सने तक़वीम है -

और यह अल्लाह عزوجل को मह़बूब है कि उसके मह़बूब की शक्ल से मुशाबेह है , बल्कि जहन्नमियों का वो हुलिया है जो ऊपर मज़कूर हुआ !

सवाल : जहन्नम के अंदर आखिर में कुफ्फार के साथ क्या होगा ?
जवाब : आखिर में कुफ्फार के लिए यह होगा कि उसके क़द बराबर आग के संदूक़ में उसे बंद करेंगे , फिर उसमें आग भड़काएंगे और आग का क़ुफ्ल (ताला) लगाया जाएगा फिर यह संदूक़ आग के दूसरे संदूक़ में रखा जाएगा और इन दोनों के दरमियान आग जलाई जाएगी और उसमें भी आग का क़ुफ्ल लगाया जाएगा , फिर इसी तरह उसको एक और संदूक़ में रख कर और आग का क़ुफ्ल लगाकर आग में डाल दिया जाएगा तो अब हर काफिर यह समझेगा कि उसके सिवा अब कोई आग मे न रहा और यह अलग है और अ़ज़ाब बालाए अ़ज़ाब है और अब हमेशा उसके लिए अ़ज़ाब है -

जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल होलेंगे जहन्नम में सिर्फ वहीं रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए उसमें रहना है , उस वक़्त जन्नत व दोज़ख के दरमियान मौत को ला कर खड़ा करेंगे , फिर मुनादी जन्नत वालों को पुकारेगा , वह डरते हुए जाएंगे कि कहीं ऐसा न हो कि यहाँ से निकलने का हुक्म हो , फिर जहन्नमियों को पुकारेगा जाएगा वह खुश होते हुए जाएंगे शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाए , फिर उन सब से पूछेगा कि इसे पहचानते हो ? सब कहेंगे : हाँ ! यह मौत है , वह ज़बह़ कर दी जाएगी और कहेगा : ऐ अहले जन्नत ! हमेशगी है , अब मरना नहीं और ऐ अहले नार ! हमेशगी है , अब मौत नहीं उस वक़्त उनके लिए खुशी पर खुशी है और इनके लिए ग़म बालाए ग़म !

तक़्दीर का बयान

सवाल : तक़्दीर क्या है ?

जवाब : जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था , अल्लाह तआ़ला ने अपने इ़ल्म से जाना और वही लिख दिया , इसे तक़्दीर कहते हैं !

सवाल : क्या अल्लाह तआ़ला के इ़ल्म या लिख देने ने इंसान को मजबूर कर दिया है ?

जवाब : ऐसा नहीं है कि जैसा उसने लिख दिया वैसा हम को करना पड़ता है , बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा उसने लिख दिया , ज़ेद के ज़िम्मे बुराई लिखी इसलिए कि वो बुराई करने वाला था , अगर भलाई करने वाला होता वह उसके लिए भलाई लिखता तो उसके या उसके इ़ल्म या लिख देने ने किसी को मजबूर नहीं कर दिया !

सवाल : तक़्दीर का इन्कार करने वालों का क्या हुक्म है ?

जवाब : तक़्दीर का इन्कार करने वालों को नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने इस उम्मत का मजूस बताया है !

सवाल : तक़्दीर की कितनी अक़साम है ?

जवाब : तक़्दीर की तीन अक़साम है :

(1) मुबरमे ह़क़ीक़ी : कि इ़ल्मे इलाही में किसी शैय पर मुअ़ल्लक़नहीं , इसकी तब्दील ना-मुम्किन है , अकाबिर महबूबाने खुदा अगर इत्तिफ़ाक़न इस बारे में कुछ अ़र्ज करते हैं तो उन्हें इस ख्याल से वापस फरमा दिया जाता है -

(2) मुअ़ल्लक़े मह़ज़ : के मलाइका के सह़ीफो में किसी शैय पर उसका मुअ़ल्लक़ होना ज़ाहिर फरमा दिया गया है , उस तक अकाबिर औलिया की रसाई होती है , उनकी दुआ़ से टल जाती है -

(3) मुअ़ल्लक़ शबीह ब मुबरम : कि सुहुफे मलाइका मे इसकी तअ़लीक़ मज़कूर नहीं और इल्मे इलाही में तअ़लीक़ है , उसे सुहुफे मलाइका के ऐ'तबार मुबरम भी कह सकते हैं , उस तक खवास अकाबिर की रसाई होती है , हुज़ूर सय्यिदुना ग़ोसे आज़म رضی اللہ عنہ इसी को फरमाते हैं कि मैं क़ज़ा ए मुबरम को रद्द कर देता हूँ !

सवाल : तक़्दीर के मामलात में ज़्यादा गौर व फिक्र करनी चाहिए या नहीं ?
जवाब : क़ज़ा व क़दर के मसाइल आम अ़क़्लो में नहीं आ सकते इनमें ज़्यादा गौर व फिक्र करना सबबे हलाकत है , सिद्दीक़ व फारुक़ इस मसले पर बह़स करने से मनअ़ फरमाए गए -

मा व शुमा (हम और तुम) किस गिनती मे ! इतना समझ लो कि अल्लाह तआ़ला ने आदमी को पत्थर और दीगर जमादात की तरह बे-ह़िस व ह़रकत नहीं पैदा किया , बल्कि उसको एक नोए़ इख्तियार (एक तरह का इख्तियार) दिया है कि एक काम चाहे करें , चाहे ना करें और उसके साथ अक़्ल भी दी है कि भले , बुरे , नफअ़ , नुक़्सान को पहचान सकें और हर क़िस्म के सामान और असबाब मुहैया कर दिए हैं , कि जब कोई काम करना चाहता है उसी क़िस्म के सामान मुहैया हो जाते हैं और इसी लिए उस पर मुआख्ज़ा है !

ईमान व कुफ्र का बयान

सवाल : ईमान व कुफ्र किसे कहते हैं ?

जवाब : ईमान इसे कहते हैं कि सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक़ करें जो ज़रूरीयाते दीन है और किसी एक ज़रूरते दीनी के इन्कार को काफिर कहते हैं अगर्चे बाक़ी तमाम ज़रूरीयाते दीन की तस्दीक़ करता हो

सवाल : ज़रूरीयाते दीन से क्या मुराद है ?

जवाब : ज़रूरीयाते दीन से वह मसाईले दीन है जिनको हर खास व आम जानते हो जैसे अल्लाह عزوجل की वहदानियत , अंबिया की नुबुव्वत , जन्नत व नार , हश्र व नश्र वग़ैरहा , मसलन यह ऐ'तिकाद के हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم खातमुन्नबिय्यीन है , हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के बा'द कोई नया नबी नहीं हो सकता अवाम से मुराद वह मुसलमान है जो तबक़ा ए उल-मा में न शुमार किए जाते हो मगर उल-मा की सोहबत से शर्फयाब हो और मसाइले इल्मिया से ज़ोक़ रखते हो न वह कि जो जंगल और पहाड़ों के रहने वाले हो , जो कलिमा भी सही नहीं पढ़ सकते , ऐसे लोगों का ज़रूरीयाते दीन से ना वाक़िफ होना ज़रूरी को ग़ैर ज़रूरी न कर देगा , अलबत्ता उनके मुसलमान होने के लिए यह बात ज़रूरी है कि ज़रूरीयाते दीन के मुन्किर न हो और यह ऐ'तिक़ाद रखते हो कि इस्लाम में जो कुछ है हक़ है , इन सब पर इजमालन ईमान लाए हो !

सवाल : क्या मोमिन होने के लिए सिर्फ दिल से तस्दीक़ काफी है या ज़बान से इक़रार भी ज़रूरी है ?

जवाब : अस्ले ईमान सिर्फ तस्दीक़ का नाम है , रहा इक़रार , इसमें यह तफ्सील है कि अगर तस्दीक़ के बा'द उसको इज़हार का मौक़ा न मिला तो इन्दल्लाह (अल्लाह तआला के नज़्दीक) मोमिन है और अगर मौक़ा मिला और उससे

मुतालबा किया गया और इक़रार ना किया तो काफिर है और अगर मुतालबा न किया गया तो अह़कामे दुनिया में काफिर समझा जाएगा , न उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ेंगे न मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ्न करेंगे , मगर इ़न्दल्लाह मोमिन है अगर कोई अम्र खिलाफे इस्लाम ज़ाहिर न किया हो !

सवाल : क्या आ'माले बदन ईमान का ह़िस्सा है ?
जवाब : आ'माले बदन तो असलन जुज़्वे ईमान नहीं !

सवाल : अगर किसी को इकराह (मजबूर) किया गया कि वह कलिमा ए कुफ्र बोले , वरना क़त्ल कर दिया जाएगा , तो क्या हुक्म है ?
जवाब : अगर कलिमा ए कुफ्र जारी करने पर कोई शख्स मजबूर किया गया या'नी उसे मार डालने या उसका उ़ज़्व काट डालने की सह़ीह़ धमकी दी गई कि यह धमकाने वाले को इस बात के करने पर क़ादिर समझे तो ऐसी ह़ालत में उसको रुखसत दी गई है कि ज़बान से कलिमा ए कुफ्र कह दे मगर शर्त यह है कि दिल में वही इत़मीनाने ईमानी हो जो पेशतर था और अफज़ल जब भी यही है कि क़त्ल हो जाए मगर कलिमा ए कुफ्र न कहें !

सवाल : क्या ईमान व कुफ्र के दरमियान कोई वास्ता है ?
जवाब : ईमान व कुफ्र मे वास्ता नहीं , या'नी आदमी या मुसलमान होगा या काफिर , तीसरी सूरत कोई नहीं कि न मुसलमान हो न काफिर !

सवाल : काफिरे असली किसे कहते हैं ?
जवाब : जो इस्लाम न लाएं उसे काफिरे असली कहते हैं !

सवाल : मुर्तद से क्या मुराद है ?
जवाब : मुर्तद वह शख्स है के इस्लाम के बा'द कुफ्र की तरफ फिर जाएं या'नी किसी ऐसे अम्र का इन्कार करें जो ज़रूरीयाते दीन से हैं , इसके इस फै'ल को

इर्तिदाद कहते हैं !

सवाल : मुनाफिक़ किसे कहते हैं ?
जवाब : जो शख्स ज़बान से दा'वाए इस्लाम करें और दिल में इस्लाम का मुन्किर हो , उसे मुनाफिक़ कहते हैं , उसके इस फे'ल को निफ़ाक़ कहते हैं !

सवाल : मुशरिक से क्या मुराद है ?
जवाब : जो शख्स ग़ैरे खुदा को वाजिबुल वुज़ूद या इ़बादत के लाइक़ जाने वह मुशरिक है , और ये कुफ्र की सबसे बदतर क़िस्म है , उस शख्स के इस फे'ल को शिर्क कहते हैं !

सवाल : क्या कबीरा गुनाह करने वाला मुसलमान है ?
जवाब : जी हाँ ! मुरतकिबे कबीरा मुसलमान है और जन्नत में भी जाएगा , ख्वाह अल्लाह عزوجل अपने मह़ज़ फज़्ल से उसकी मग़फिरत फरमादें या हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की शफाअ़त के बा'द या अपने किए की सज़ा पाकर , उसके बा'द कभी जन्नत से न निकलेगा !

सवाल : जो किसी काफिर के मरने के बा'द उसके लिए मग़फिरत की दुआ़ करें उसके लिए क्या हुक्म है ?
जवाब : जो किसी काफिर के लिए उसके मरने के बा'द मग़फिरत की दुआ़ करें या किसी मुर्दा मुर्तद को मरहूम या मग़फूर कहें या किसी मुर्दा हिंदू को बेकंठ-बासी से कहे , वह खुद काफिर है !

सवाल : क्या ऐसे आ'माल भी है जिनका करना कुफ्र है ?
जवाब : जी हाँ ! बा'ज़ आ'माल जो क़तअ़न मुनाफिये ईमान हो उनके मुरतकिब को काफिर कहा जाएगा जैसे बुत या चांद सूरज को सज्दा करना और क़त्ले नबी या नबी की तौहीन या मुसह़फ शरीफ या का'बए मुअ़ज़्ज़मा की तौहीन यह बातें

यक़ीनन कुफ्र है -

यूँ हीं बा'ज़ आ'माल कुफ्र की अ़लामत है , जैसे ज़ुन्नार बांधना , सर पर चोटिया रखना , क़शक़ा लगाना , ऐसे अफआ़ल के मुरतकिब को काफिर कहते हैं , तो जब इन आ'माल से कुफ्र लाज़िम आता है तो उनके मुरतकिब को अज़ सरे नौ इस्लाम लाने और उसके बा'द अपनी औ़रत से तज्दीदे निकाह़ का हुक्म दिया जाएगा !

कुफ्रिया कलिमात का बयान

सवाल : आजकल जहालत आ़म है , लोग जहालत की वजह से बा'ज़ अवक़ात ऐसे अल्फाज़ भी बोल देते हैं जो ह़राम बल्कि कुफ्रिया होते हैं ऐसे कलिमात से बचने के लिए उनका इ़ल्म ह़ासिल करने का क्या हुक्म है ?

जवाब : ह़राम अल्फाज़ और कुफ्रिया कलिमात के मुतअ़ल्लिक़ इ़ल्म सीखना फर्ज़ है !

सवाल : हमें कैसे मा'लूम होगा कि फलां कलिमा कुफ्रिया है ?

जवाब : इसकी पहचान के लिए दर्जे ज़ेल क़वाइद को ज़हन नशीन कर लें :

(1) अल्लाह तआ़ला को आ़जिज़ कहना कुफ्र है , लिहाज़ा ऐसे कलिमात कुफ्रिया होंगे जिनसे अल्लाह तआ़ला का आ़जिज़ होना मा'लूम हो जैसे किसी ज़बान दराज़ आदमी से यह कहना कि खुदा तुम्हारी ज़बान का मुक़ाबला कर ही नहीं सकता मैं किस तरह करूं यह कुफ्र है , यूँ ही एक ने दूसरे से कहा अपनी औ़रत को क़ाबू में नहीं रखता , उसने कहा औ़रतों पर खुदा को तो कुदरत है नहीं मुझको कहाँ से होगी -

(2) खुदा के लिए मकान साबित करना कुफ्र है कि वह मकान से पाक है यह कहना के ऊपर खुदा है नीचे तुम , यह कलिमाए कुफ्र है -

(3) अल्लाह तआ़ला के अ़ज़ाब को हल्का जानना कुफ्र है , लिहाज़ा किसी से कहा गुनाह न कर , वरना खुदा तुझे जहन्नम में डाल देगा उसने कहा मैं जहन्नम से नहीं डरता या कहा खुदा के अ़ज़ाब की कुछ परवाह नहीं , या एक ने दूसरे से कहा तू खुदा से नहीं डरता उसने गुस्से में कहा : नहीं या कहा खुदा क्या कर सकता है कि इसके सिवा क्या कर सकता है कि दोज़ख में डाल दे यह सब कुफ्र के कलिमात है !

(4) अल्लाह तआ़ाला पर ऐ'तराज़ भी कुफ्र है लिहाज़ा किसी मिस्कीन ने अपनी मोहताजी को देख कर ये कहा ऐ खुदा ! फलां भी तेरा बंदा है उसको तूने कितनी ने'मतें दे रखी है और मैं भी तेरा बंदा हूँ मुझे किस क़दर तक्लीफ देता है आखिर यह क्या इंसाफ है ऐसा कहना कुफ्र है , यूँ ही मसाईब में मुब्तला होकर कहने लगा तूने मेरा माल लिया और औलाद ले ली और यह लिया वह लिया अब क्या करेगा और क्या बाक़ी है जो तूने न किया इस तरह़ बकना कुफ्र है -

(5) अंबिया علیہم السلام की तौहीन करना , उनकी जनाब में गुस्ताखी करना या उनको फवाह़िश व बेह़याई की तरफ मंसूब करना मआ़ज़ल्लाह युसूफ़ علیہم السلام को ज़िना की तरफ निस्बत करना -

(6) जो शख्स हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم को तमाम अंबिया में आखरी नबी न जाने या हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की किसी चीज़ की तौहीन करें या ऐ़ब लगाएं या आपके मूंऐ मुबारक (बाल मुबारक) को तह़क़ीर से याद करें या आपके लिबास मुबारक को गंदा और मेला बताएं , हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के नाखुन बड़े बड़े कहें यह सब कुफ्र है -

यूँ ही किसी ने यह कहा कि हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم खाना तनावुल फरमाने के बा'द तीन बार अंगुश्त-हाए मुबारक चाट लिया करते थे इस पर किसी ने कहा यह अदब के खिलाफ है या किसी सुन्नत की तह़क़ीर करें , मसलन दाढ़ी बढ़ाना , मूंछे कम करना , इ़मामा बांधना या शिमला लटकाना , इनकी इहानत कुफ्र है जबकि सुन्नत की तौहीन मक़सूद हो -

(7) जिब्रईल या मीकाईल या किसी फरिश्ते को जो शख्स ऐ़ब लगाए या तौहीन करें काफिर है , दुश्मन व मबग़ूज़ को देखकर यह कहना कि मलकुल मौत आ गए या कहा उसे वैसा ही दुश्मन जानता हूँ जैसा मलकुल मौत को इसमें अगर मलकुल मौत को बुरा कहना है तो कुफ्र है और मौत की ना-पसंदीदगी की बिना पर है तो कुफ्र नहीं -

(8) क़ुरआन की किसी आयत को ऐ़ब लगाना या उसकी तौहीन करना या उसके साथ मसखरा पन करना कुफ्र है , मसलन दाढ़ी मुंडवाने से मनअ़ करने पर अक्सर दाढ़ी मुंडे कह देते हैं (كلا سوف تعلمون) जिसका यह मतलब बयान करते हैं कि कल्ला साफ करो यह क़ुरआने मजीद की तह़रीफ व तब्दील भी है और उसके साथ मज़ाक़ और दिल्लगी भी और यह दोनों बातें कुफ्र है , इसी तरह अक्सर बातों में क़ुरआने मजीद की आयतें बे मौक़ा पढ़ दिया करते हैं और मक़सूद हंसी करना होता है जैसे किसी को नमाज़े जमाअ़त के लिए बुलाया , वह कहने लगा मैं जमाअ़त से नहीं पड़ता बल्कि तन्हा पढ़ूंगा , क्योंकि अल्लाह तआ़ला फरमाता है : (ان الصلاة تنهى) -

(9) इस क़िस्म की बात करना जिससे नमाज़ की फर्ज़ियत का इन्कार समझा जाता हो या नमाज़ की तह़क़ीर होती हो , कुफ्र है मसलन किसी से नमाज़ पढ़ने को कहा उसने जवाब दिया नमाज़ पढ़ता तो हूँ मगर उसका कुछ नतीजा नहीं या कहा तुमने नमाज़ पढ़ी क्या फायदा हुआ या कहाँ नमाज़ पढ़ के क्या करूं किसके लिए पढ़ूं , माँ-बाप तो मर गए या कहा बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया है या कहा पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर है , यूँ ही कोई शख्स सिर्फ रमज़ान में नमाज़ पढ़ता है बा'द में नहीं पड़ता और कहता यह है कि यही बहुत है या जितनी पड़ी यही ज़्यादा है क्योंकि रमज़ान में एक नमाज़ सत्तर नमाज़ के बराबर है ऐसा कहना कुफ्र है , इसलिए के उसमे नमाज़ की फर्ज़ियत का इन्कार मा'लूम होता है-

(10) इस क़िस्म की बातें जिनसे रोज़े की हतक व तह़क़ीर हो , कहना कुफ्र है मसलन रोज़ा ए रमज़ान नहीं रखता और कहता यह है कि रोज़ा वह रखे जिसे खाना न मिले या कहता है जब खुदा ने खाने को दिया है तो भूखे क्यों मरे !

(11) इ़ल्मे दीन और उ़ल-मा की तौहीन बे-सबब या'नी मह़ज़ इस वजह से के आ़लिमे इ़ल्मे दीन है कुफ्र है , यू हीं आ़लिमे दीन की नक़्ल करना मसलन किसी को मिंबर वग़ैरह किसी ऊंची जगह पर बिठाए और उससे मसाइल बतौरे इसतिह्ज़ा

दरियाफ्त करें फिर उसे तकिया वग़ैरह से मारे और मज़ाक बनाए यह कुफ्र है -
(12) शरअ़ की तौहीन करना कुफ्र है मसलन कहें मैं शरअ़ वरअ़ नहीं जानता या आ़लिमे दीन मौह़तात का फतवा पेश किया गया उसने कहा मैं फतवा नहीं मानता या फतवे को ज़मीन पर पटक दिया , या किसी शख्स को शरीअ़त का हुक्म बताया कि इस मामले में यह हुक्म है उसने कहा हम शरीअ़त पर अ़मल नहीं करेंगे हम तो रस्म की पाबंदी करेंगे ऐसा कहना बा'ज़ मशाईख के नज़्दीक कुफ्र है-
(13) मुसलमान को कलिमाते कुफ्र की ता'लीम व तल्क़ीन करना अगर्चे खेल और मज़ाक में ऐसा करें , किसी को कुफ्र की ता'लीम की और यह कहा तू काफिर हो जा , तो वह कुफ्र करें या न करें यह कहने वाला काफिर हो गया !

सवाल : बा'ज़ लोग कहते हैं के " काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए हमें क्या पता के उसका खातिमा कुफ्र पर होगा " उनका यह कहना कैसा है ?
जवाब : ऐसा कहना बिल्कुल ग़लत है , क़ुरआने अज़ीम ने काफिर को काफिर कहा और काफिर कहने का हुक्म दिया : (قل یایها الکافرون) और अगर ऐसा है तो मुसलमान को भी मुसलमान न कहो तुम्हें क्या मा'लूम कि इस्लाम पर मरेगा खातिमे का ह़ाल तो खुदा जाने मगर शरीअ़त ने काफिर व मुस्लिम में इम्तियाज़ रखा है !

सवाल : कहना कुछ चाहता है और ज़बान से कुफ्रिया कलिमा निकल गया , क्या हुक्म है ?
जवाब : कहना कुछ चाहता था और ज़बान से कुफ्र की बात निकल गई तो काफिर न हुआ या'नी जबकि इस अम्र से इज़हारे नफरत करें कि सुनने वालों को भी मा'लूम हो जाए कि ग़लती से यह लफ्ज़ निकला है और अगर बात की पच की (या'नी अपनी बात पर अड़ गया) तो अब काफिर हो गया कि कुफ्र की ताईद करता है !

सवाल : अगर दिल में कुफ्री बात का खयाल पैदा हुआ और उसे ज़बान से कहना बुरा जानता है , क्या हुक्म है ?
जवाब : कुफ्री बात का दिल में खयाल पैदा हुआ और ज़बान से बोलना बुरा जानता है तो यह कुफ्र नहीं बल्कि खालिस ईमान की अ़लामत है कि दिल में ईमान न होता तो उसे बुरा क्यों जानता !

सवाल : अगर कुफ्र बका तो निकाह़ के बारे में क्या हुक्म है ?
जवाब : अगर कुफ्रे क़त्ई़ हो तो औ़रत निकाह़ से निकल जाएगी फिर इस्लाम लाने के बा'द अगर औ़रत राज़ी हो तो दोबारा उससे निकाह़ हो सकता है वरना जहां पसंद करे निकाह़ कर सकती है उसका कोई ह़क़ नहीं कि औ़रत को दूसरे के साथ निकाह़ करने से रोक दें और अगर इस्लाम लाने के बा'द औ़रत को ब-दस्तूर रख लिया दोबारा निकाह़ न किया तो कुर्बत ज़िना होगी और बच्चे वलदुज़्ज़िना और अगर कुफ्र क़त्ई़ न हो या'नी बा'ज़ उ़ल-मा काफिर बताते हो और बा'ज़ नहीं या'नी फुक़हा के नज़्दीक काफिर हो और मुतकल्लिमीन के नज़्दीक नहीं तो इस सूरत में भी तज्दीदे इस्लाम व तज्दीदे निकाह़ का हुक्म दिया जाएगा !

सवाल : तज्दीदे निकाह़ का तरीक़ा बता दीजिए ? **जवाब :** जिस कुफ्र से तौबा मक़सूद है वह उसी वक़्त मक़्बूल होगी जबकि वह उस कुफ्र को कुफ्र तस्लीम करता हो और दिल में उस कुफ्र से नफरत व बेज़ारी भी हो , तौबा के लिए यूँ कहें : या अल्लाह عزوجل मैने जो फुला कुफ्र बोला है उस कुफ्र से तौबा करता हूँ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक़ नहीं मुह़म्मद صلی اللہ علیہ وسلم अल्लाह عزوجل के रसूल है) , इस तरह़ मखसूस कुफ्र से तौबा भी हो गई और तज्दीदे ईमान भी - अगर معاذ اللہ عزوجل कई कुफ्र बके हो और याद न हो के क्या क्या बका है तो यूँ कहें या अल्लाह عزوجل ! मुझसे जो कुफ्रियात सादिर हुए हैं मैं उनसे तौबा करता हूँ , फिर

कलिमा पढ़ ले (अगर कलिमा शरीफ का तरजमा मा'लूम है तो ज़बान से तरजमा दोहराने की ह़ाजत नहीं) - अगर यह मा'लूम ही के कुफ्र बका या नहीं तब भी अगर एहतियातन तौबा करना चाहे तो इस तरह कहिए : या अल्लाह عزوجل ! अगर मुझ से कोई कुफ्र हो गया है तो में उस से तौबा करता हूँ , ये कहने के बा'द कलिमा पड़ लीजिए !

सवाल : तज्दीदे निकाह़ कैसे किया जाए ?

जवाब : इसके लिए लोगों को इकट्ठा करना ज़रूरी नहीं , निकाह़ नाम है ईजाब व क़ुबूल का , हाँ ब-वक़्ते निकाह़ बतौरे गवाह कम से कम दो मर्द मुसलमान या एक मर्द मुसलमान और दो मुसलमान अ़ौरतों का हाज़िर होना लाज़मी है खुतबा ए निकाह़ शर्त नहीं बल्कि मुस्तह़ब है , खुतबा याद न हो तो اعوذ باللہ और بسم اللہ शरीफ के बा'द सूरह फातिह़ा भी पढ़ सकते हैं , कम अज़ कम दस दिरहम या'नी दो तोला साढ़े सात माशा चांदी (मौजूदा वज़न के ह़िसाब से 30 ग्राम 618 मिली ग्राम चांदी) या उसकी रक़म महर वाजिब है , अब मज़कूरा गवाहों की मौजूदगी में आप ' ईजाब ' कीजिए या'नी अ़ौरत से कहिए मैने महर के बदले आप से निकाह़ किया अ़ौरत कहें मैने क़ुबूल किया , निकाह़ हो गया यह भी हो सकता है कि अ़ौरत ही ईजाब करें और मर्द कहें मैने क़ुबूल किया , निकाह़ हो गया , बा'दे निकाह़ अगर चाहे तो महर मुआ़फ भी कर सकती है मगर मर्द बिला ह़ाजते शर-ई़ अ़ौरत से महर मुआफ़ करने का सवाल न करें !

सहाबा ए किराम عليهم الرضوان

सवाल : सहाबी किसे कहते हैं ?

जवाब : नबिये करीम को जिस मुसलमान ने ईमान की हालत में देखा और ईमान ही पर उसका खातिमा हुआ , उस बुज़ुर्ग हस्ती को सहाबी कहते हैं !

सवाल : सहाबा के बारे में हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए ?

जवाब : तमाम सहाबा ए किराम अहले खैर और आदिल है उनका जब ज़िक्र किया जाए तो खैर ही के साथ होना फर्ज़ है !

सवाल : किसी सहाबी के साथ बुग्ज़ रखना कैसा है ?

जवाब : किसी सहाबी के साथ सूए अक़ीदत , बद मज़हबी व गुमराही व इसतिहक़ाक़े जहन्नम है , कि वह हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم के साथ बुग्ज़ है ऐसा शख्स राफिज़ी है अगर्चे चारों खु-लफा को माने और अपने आप को सुन्नी कहें , मसलन हज़रते अमीरे मुआविया और उनके वालिदे माजिद हज़रते अबू सुफियान और वालिदा ए माजिदा हज़रते हिंदा , इसी तरह हज़रते सय्यिदुना अम्र बिन आस व हज़रते मुग़ीरा बिन शैबा व हज़रते अबू मूसा अशअरी رضی اللہ تعالی عنهم हत्ता के हज़रते वहशी رضی اللہ عنہ जिन्होंने क़ब्ले इस्लाम हज़रते सय्यिदुना सय्यिदुश्शु-हदा हमज़ा رضی اللہ عنہ को शहीद किया और बा'दे इस्लाम अखबसुन्नास खबीस मुसेलमा कज़्ज़ाब मलऊन को वासिले जहन्नम किया , वह खुद फरमाया करते थे कि मैने खैरुन्नास व शर्रुन्नास को क़त्ल किया , इनमें से किसी की शान में गुस्ताखी गुमराही है और इसका क़ाइल राफिज़ी , अगर्चे हज़राते शैखैन رضی اللہ تعالی عنهما की तौहीन के मिस्ल नहीं हो सकती कि उनकी तौहीन , बल्कि उनकी खिलाफत से इन्कार ही फुक़हा ए किराम के नज़्दीक कुफ्र है !

सवाल : क्या कोई वली किसी सह़ाबी इस के रुत्बे को पहुंच सकता है
जवाब : कोई वली कितने ही बड़े मरतबे का हो किसी सह़ाबी के रुत्बे को नहीं पहुंचता !

सवाल : सह़ाबा ए किराम علیھم الرضوان के जो आपसी इख्तिलाफात हुए , उनमें पढ़ना और एक की तरफदारी करते हुए दूसरे को बुरा कहना कैसा है ?
जवाब : सह़ाबा ए किराम علیھم الرضوان के बाहम जो वाक़ियात हुए उनमें पढ़ना ह़राम ह़राम और सख्त ह़राम है , मुसलमानों को तो यह देखना चाहिए कि वह सब आक़ा ए दो आ़लम صلی اللہ علیہ وسلم के जानिसार और सच्चे गुलाम है !

सवाल : क्या तमाम सह़ाबी जन्नती है ?
जवाब : जी हाँ ! तमाम सह़ाबा ए किराम जन्नती है , वह जहन्नम की भिनक (हल्की आवाज़ भी) न सुनेंगे और हमेशा अपनी मनमानी मुरादों में रहेंगे , मह़शर की वह बड़ी घबराहट उन्हें ग़मग़ीन न करेगी , फरिश्ते उनका इस्तिक़बाल करेंगे कि यह है वह दिन जिसका तुमसे वा’दा था , यह सब मज़मून क़ुरआने अज़ीम का इरशाद है !

सवाल : सह़ाबा ए किराम علیھم الرضوان की लग्ज़िशो पर उनकी गिरफ्त करना कैसा है ?
जवाब : सह़ाबा ए किराम علیھم الرضوان अंबिया न थे , फरिश्ते न थे कि मा'सूम हो , उनमें बा’ज़ के लिए लग्ज़िशे हुई मगर उनकी किसी बात पर गिरफ्त अल्लाह व रसूल عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم के खिलाफ है , अल्लाह عزوجل ने ‘ सूरए ह़दीद ‘ में जहां सह़ाबा की दो क़िस्मे फरमाई है , मोमिनीन क़ब्ले फत्ह़े मक्का और बा’दे फत्ह़े मक्का और उनको इन पर तफज़ील दी और फ़रमाया (وکلا وعد اللہ الحسنی) तर्जमा : सबसे अल्लाह ने भलाई का वा'दा फरमा लिया -
साथ ही साथ फ़रमाया (واللہ بما تعملون خبیر) तर्जमा : अल्लाह खूब जानता है ,

जो कुछ तुम करोगे -
तो जब उसने उनके तमाम आ'माल जानकर हुक्म फरमा दिया कि उन सब से हम जन्नते बे अ़ज़ाब व करामत व सवाब का वा'दा फरमा चुकें तो दूसरे को क्या ह़क़ रहा कि उनकी किसी बात पर ता'न करें , क्या ता'न करने वाला अल्लाह عزوجل से जुदा अपनी मुस्तक़िल हुकूमत क़ाइम करना चाहता है !

सवाल : ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया رضی اللہ عنہ के मुतअ़ल्लिक़ अहले सुन्नत का क्या अ़क़ीदा है ?
जवाब : ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया رضی اللہ عنہ रसूलुल्लाह عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم के सह़ाबी है , सह़ीह़ बुखारी में है कि ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास رضی اللہ تعالی عنہما से किसी ने अमीरे मुआ़विया رضی اللہ عنہ का तज़्किरा किया तो आपने फरमाया : (دعہ فانہ قد صحب رسول اللہ) वह रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के सह़ाबी है -
और अहले सुन्नत का अ़क़ीदा है कि तमाम सह़ाबा अहले ह़क़ , अहले खैर और आ़दिल है !

सवाल : क्या ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया رضی اللہ عنہ मुजतहिद सह़ाबी है ?
जवाब : जी हाँ ! ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया رضی اللہ عنہ मुजतह़िद थे , उनके मुजतह़िद होने का बयान सह़ीह़ बुखारी शरीफ में मौजूद ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رضی اللہ تعالی عنہما की ह़दीसे पाक में है !

सवाल : ह़ज़रत मौला अ़ली رضی اللہ عنہ और अमीरे मुआ़विया رضی اللہ عنہ के मा-बैन जो इख्तिलाफ हुआ इस बारे में अहले सुन्नत का क्या नज़रिया है ?
जवाब : ह़ज़रत अमीरे मुआ़विय رضی اللہ عنہ मुजतह़िद थे और मुजतह़िद से सवाब व खता दोनों सदिर होते है , मगर मुजतह़िद की खता पर इ़न्दल्लाह असलन मुआखज़ा नहीं , हज़रते अमीरे मुआ़विया رضی اللہ عنہ का हज़रते सय्यिदुना मौला

अ़ली मुर्तज़ा رضی اللہ عنہ से खिलाफे खताए इजतिहादी था और फैसला वह , जो खुद रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया कि मौला अ़ली की डिग्री और अमीरे मुआ़विया की मग़फिरत رضی اللہ تعالی عنہما !

सवाल : बा'ज़ लोग कहते हैं कि हज़रते अ़ली رضی اللہ عنہ के साथ ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया رضی اللہ عنہ का नाम आए तो ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया के नाम के साथ رضی اللہ عنہ न कहा जाए ?

जवाब : यह बा'ज़ जाहिल कहा करते हैं कि जब हज़रते अ़ली رضی اللہ عنہ के साथ ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया رضی اللہ عنہ का नाम लिया जाए तो رضی اللہ عنہ न कहा जाए , महज़ बातिल व बेअस्ल है , उ़ल-मा ए किराम ने सहाबा के अस्माए तैय्यबा के साथ मुतलक़न رضی اللہ عنہ कहने का हुक्म दिया है , यह इस्तिस्ना नई शरीअ़त गढ़ना है !

खुलफा ए राशिदीन

सवाल : खुलफा ए राशिदीन से मुराद कौन है ?
जवाब : नबी के बा'द खलीफा ए बरहक़ व इमामे मुतलक़ हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ , फिर हज़रत उमर फारूक़ , फिर हज़रत उस्मान ग़नी , फिर हज़रत मौला अ़ली , फिर छे महीने के लिए हज़रत इमाम ह़सन मुजतबा علیهم الرضوان हुएं , इन हज़रात को खुलफा ए राशिदीन और इनकी खिलाफत को खिलाफते राशिदा कहते हैं कि उन्होंने हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की सच्ची नियाबत का पूरा ह़क़ अदा फरमाया !

सवाल : खुलफा ए अ़रबआ़ (चार खुलफा) में अफज़लियत की तरतीब क्या है ?
जवाब : अंबिया व मुरसलीन के बा'द सबसे अफज़ल सिद्दीक़े अकबर है , फिर उमर फारूक़े आ'ज़म , फिर उस्मान ग़नी , फिर मौला अ़ली - इनकी खिलाफत फज़ीलत की तरतीब पर है या'नी जो इन्दल्लाह अफज़ल व आ'ला व अकरम था वही पहले खिलाफत पाता गया , न के अफज़लियत बर तरतीबे खिलाफत !

सवाल : जो शख्स मौला अ़ली رضی اللہ عنہ को शैखैन करीमैन (अबूबक्र व उमर رضی اللہ تعالی عنهما) में से अफज़ल बताएं , उसके बारे में क्या हुक्म है ?
जवाब : जो शख्स मौला अ़ली رضی اللہ عنہ को सिद्दीक़ या फारूक़ رضی اللہ تعالی عنهما से अफज़ल बताएं गुमराह बदमज़हब है !

सवाल : खुलफा ए अ़रबआ़ के बा'द सहाबा में कौन अफज़ल है ?
जवाब : खुलफा ए राशिदीन के बा'द बक़िया अशराए मुबश्शरा व हज़राते ह़सनैन व असहाबे बद्र व उहुद व असहाबे बैअ़तुर्रिदवान के लिए अफज़लियत है और यह सब क़त़ई जन्नती है जन्नती है !

सवाल : खिलाफते राशिदा कितना अरसा रही ?

जवाब : मिन्हाजे नुबुव्वत पर खिलाफते ह़क़्क़ाए राशिदा तीस साल रही , कि सय्यिदुना इमाम ह़सन मुजतबा رضی اللہ عنہ के छे महीने पर खत्म हो गई , फिर अमीरुल मोमिनीन उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ رضی اللہ عنہ की खिलाफत राशिदा हुई और आखिर ज़माने में ह़ज़रत सय्यिदुना इमाम महदी رضی اللہ عنہ होंगे !

सवाल : सह़ाबा में शैखैन और खतनैन किन सह़ाबा को कहते हैं ?

जवाब : शैखैन अबू बक्र सिद्दीक़ और उ़मर फारूक़ رضی اللہ تعالی عنہما को और खतनैन उ़स्मान गनी और अ़लीय्युल मुर्तज़ा رضی اللہ تعالی عنہما को कहते हैं !

सवाल : सबसे पहले इस्लामी बादशाह कौन है ?

जवाब : ह़ज़रत अमीरे मुआ़विया अव्वल मुलूके इस्लाम है -

इसी की तरफ तौराते मुक़द्दस में इशारा है कि (مولدہ بمکۃ و مهاجرہ بطیبۃ و ملکہ بالشام)

तर्जमा : वह नबी आखिरूज़्ज़मा मक्का में पैदा होगा और मदीने को हिजरत फरमाएगा और उसकी सल्तनत शाम में होगी -

तो अमीरे मुआ़विया की बा'दशाही अगर्चे सल्तनत है मगर किसकी मुह़ह़म्मदुर्रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की सल्तनत है , सय्यिदुना इमाम ह़सन मुजतबा رضی اللہ عنہ ने एक फौजे जर्रार जानिसार के साथ ऐ़न मैदान में बिलक़स्द व बिल-इख्तियार हथियार रख दिए और खिलाफत अमीरे मुआ़विया को सुपुर्द कर दी और उनके हाथ पर बैअ़त फरमाली और इस सुलह़ को हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم ने पसंद फरमाया और इसकी बिशारत दी कि इमाम ह़सन की निसबत फरमाया : (ان بنی هذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین) तरजमा : मेरा यह बेटा सैय्यिद है , मैं उम्मीद फरमाता हूँ कि अल्लाह عزوجل के बाईस अल्लाह عزوجل इसके बा-इ़स दो बड़े गिरोहे इस्लाम में सुलह़ करा दे -

तो अमीरे मुआ़विया पर معاذ الله फिस्क़ वग़ैरा का ता'न करने वाला हक़ीक़तन ह़ज़रत इमाम ह़सन मुजतबा , बल्कि हुज़ूरे सय्यिदे आ़लम صلی اللہ علیہ وسلم बल्कि अल्लाह तआ़ला पर ता'न करता है !

अहले बैते अत़हार رضی اللہ تعالی عنہم

सवाल : अहले बैत से मुराद कौन है ?

जवाब : जम्हूर उ़ल-मा के नज़्दीक अहले बैत से मुराद उम्महातुल मोमिनीन , ह़ज़रत अ़ली , हज़रते फातिमा और ह़सनैन करीमैन बल्कि तमाम बनी हाशिम है !

सवाल : जो अहले बैत से मोह़ब्बत न रखें वह कैसा है ?

जवाब : अहले बैते किराम رضی اللہ عنہم मुक़तदयाने अहले सुन्नत है जो इन से मोह़ब्बत न रखें मरदूद व मलऊ़न खारिजी है !

सवाल : हज़रते खदीज-तुल कुबरा , हज़रते आ़यशा और हज़रते फातिमा رضی اللہ عنہن के बारे में अहले सुन्नत का क्या अ़क़ीदा है ?

जवाब : उम्मुल मोमिनीन हज़रते खदीज-तुल कुबरा व उम्मुल मोमिनीन हज़रते आ़यशा सिद्दीक़ा और हज़रते सैय्यिदा फातिमा क़त़ई رضی اللہ عنہن जन्नती है और बक़िया बनाते मुकर्रमात व अज़वाजे मुत़ह्हरात رضی اللہ عنہن को तमाम सह़ाबियात पर फज़ीलत है !

सवाल : जो शख्स हज़राते ह़सनैन رضی اللہ تعالی عنہما की शहादत का इन्कार करें , उसके बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब : हज़राते ह़सनैन यक़ीनन आ'ला दरजा शु-हदा ए किराम से है , उनमें किसी की शहादत का मुन्किर गुमराह , बद-दीन , खासिर है !

सवाल : अहले बैतै अत़हार के फज़ाइल बयान कर दें ?

जवाब : अहले बैतै अत़हार के कुछ फज़ाइल दर्जे ज़ैल है :

(1) उनके ह़क में आए थे तत़हीर नाज़िल हुई अल्लाह तआ़ला इरशाद फरमाता है : (انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اھل البیت و یطھرکم تطھیرا) तरजमा : ऐ अहले बैत

अल्लाह तआ़ला तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें खूब पाक कर दे -

(2) उनसे मोह़ब्बत करने का क़ुरआने मजीद में फरमाया गया अल्लाह तआ़ला इरशाद फरमाता है : (قل لا اسئلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی) तर्जमा : ऐ मेह़बूब फरमा दीजिए मैं तुमसे कुछ अज्र तलब नहीं करता मगर अपने क़राबत दारो की मोह़ब्बत -

(3) अहले बैतै अत़हार को ज़कात और दीगर सदक़ा देना और इन हज़रात का उसे लेना ह़राम है अगर्चे वो ग़नी न हो क्योंकि यह लोगों का मेल है , ह़दीसे पाक में है (ان ھذہ الصدقات انما ھی اوساخ الناس ، و انھا لا تحل لمحمد ، ولا لال محمد) तर्जमा : यह स-दक़ात लोगों के मेल है और यह मुह़म्मद صلی اللہ علیہ وسلم और इनकी आल के लिए ह़लाल नहीं -

(4) अहले बैत ह़सब नसब में सब इंसानों से अफज़ल है , हज़रते आयशा رضی اللہ عنھا से रिवायत है रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने इरशाद फरमाया : (قال لی جبریل : یا محمد ، قلبت الارض مشارقھا و مغاربھا ، فلم اجد ولد اب خیرا من بنی ھاشم) मुझसे जिब्रईल علیہ السلام ने कहा या रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ! मैने ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब को उलट पलट कर देखा , मैने बनी हाशिम से बढ़कर किसी बाप के बेटों को न पाया -

(5) हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم की रिश्तेदारी के और नसब के अ़लावा क़ियामत के दिन हर रिश्तेदारी और नसब मुनकतेअ़ हो जाएगा , रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने इरशाद फरमाया : (انہ یقطع یوم القیامۃ الانساب الا نسبی و سببی) तर्जमा : क़ियामत के दिन तमाम नसब मुनकतेअ़ हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब और सबब के !

सवाल : उम्महातुल मोमिनीन किनका लक़ब है ?

जवाब : हुज़ूर नबिये करीम صلی اللہ علیہ وسلم की अज़वाजे मुतह्हरात का लक़ब उम्महातुल मोमिनीन है , इनमें हर एक को जुदा-जुदा उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है या'नी ईमान वालों की माँ !

सवाल : उम्महातुल मोमिनीन की ता'दाद कितनी है और इनके असमाए मुबारका क्या है ?

जवाब : उम्महातुल मोमिनीन की ता'दाद ग्यारह तक पहुंचती है उनके नाम दर्जे ज़ैल है :

(1) ह़ज़रत खदीज-तुल कुबरा (2) ह़ज़रत सौदा बिंते ज़ुमअ़ा (3) ह़ज़रत आयशा बिंते सिद्दीक़े अकबर (4) हज़रते ह़फ्सा बिंते फारूक़े आ'ज़म (5) ह़ज़रत ज़ैनब बिंते खुज़ैमा (6) हज़रते उम्मे सलमा बिंते अबी उमय्या (7) ह़ज़रत ज़ैनब बिंते जह़श (8) हज़रते जुवेरिया बिंते अल्ह़ारिस (9) हज़रते उम्मे ह़बीबा बिंते अबू सुफियान (10) हज़रते सफिया बिंते हुय्य (11) हज़रते मैमूना बिंते अल्ह़ारिस !

सवाल : हुज़ूर के कितने साहिबज़ादे हैं ?

जवाब : हुज़ूर के तीन साहिबज़ादे हैं (1) ह़ज़रत इब्राहीम , इन की वालिदा ए माजिदा ह़ज़रते मारिया खातून है (2) ह़ज़रत क़ासिम (3) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह जिनका लक़ब तैय्यब व ताहिर है , यह दोनों साह़िबज़ादे ह़ज़रत खदीज-तुल कुबरा से है !

सवाल : हुज़ूर की साहिबज़ादिया कितनी है ?

जवाब : हुज़ूर नबिये करीम की चार साहि़बज़ादिया है , और चारों हज़रते खदीज-तुल कुबरा से है उनके असमा दर्जे ज़ैल है :

(1) ह़ज़रते ज़ैनब जो हज़रते क़ासिम से छोटी और बाक़ी सब औलाद से बड़ी है , इनका निकाह़ मक्का ही में अबुल आ़स बिन रबीअ़ से हुआ था , जिन्होंने जंगे बदर के बा'द इस्लाम क़ुबूल किया (2) ह़ज़रते रुक़ैया यह ह़ज़रत ज़ैनब से छोटी है (3) ह़ज़रत उम्मे कुल्सूम , ये ह़ज़रत रुक़ैया से छोटी है , इन दोनों का निकाह़ यके बा'द दीगरे हजरते उ़स्माने ग़नी से हुआ (4) हज़रते फातिमतुज़्ज़हरा , ये हज़रते उम्मे कुलसूम से छोटी है , इनका निकाह़ हज़रते अ़लीय्युल मुर्तज़ा से हुआ !

सवाल : यज़ीद पलीद के बारे में अहले सुन्नत का क्या अ़क़ीदा है ?

जवाब : यज़ीद पलीद फासिक़ फाजिर मुर्तकिबे कबाईर था , हाँ ! यज़ीद को काफिर कहने और उस पर ला'नत करने में उ़ल-मा ए अहले सुन्नत के तीन क़ौल है और हमारे इमामे आ'ज़म का मसलक सुकूत , या'नी हैं उसे फासिक़ फाजिर कहने के सिवा , न काफिर कहें , न मुसलमान !

सवाल : जो शख्स कहे के हमें इमामे हुसैन और यज़ीद के मामले में दखल नहीं देना चाहिए , हमारे वो भी शहज़ादे , वो भी शहज़ादे , उसके बारे में क्या हुक्म है ? **जवाब :** معاذ الله यज़ीद से और रेह़ान ए रसूलुल्लाह صلی الله علیہ وسلم सय्यिदुना इमामे हुसैन رضی الله عنہ से क्या निसबत ....? आज कल जो बा'ज़ गुमराह कहते है कि : हमें उनके मामले में क्या दखल ? हमारे वो भी शहज़ादे , वो भी शहज़ादे , ऐसा बकने वाला मर्दूद , खारिजी , नासिबी मुस्तहिक़्क़े जहन्नम है !

विलायत का बयान

सवाल : विलायत क्या है ?

जवाब : विलायत एक क़ुर्बे खास है के मौला अपने बरगुज़ीदा बन्दों को अपने फज़्ल व करम से अ़ता फरमाता है !

सवाल : क्या आदमी मशक़्क़त वाले काम से विलायत ह़ासिल कर सकता हैं ?

जवाब : विलायत वहबी शैय है (या'नी खुदा का अ़तिय्या है) न ये कि आ'माले शाक़्क़ा से आदमी खुद ह़ासिल करलें अलबत्ता ग़ालिबन आ'माले ह़सना इस अ़तिय्याए इलाही के लिए ज़रिया होते है और बा'ज़ो को इब्तिदाअ़न मिल जाती है !

सवाल : क्या विलायत बे-इ़ल्म को मिल सकती है ?

जवाब : विलायत बे-इ़ल्म को नहीं , अहले इ़ल्म को मिलती है , ख्वाह बतौरे ज़ाहिर ह़ासिल किया हो , या उस मर्तबे पर पहुंचने से पेशतर अल्लाह عزوجل ने उस पर उ़लूम मुन्कशिफ कर दिए हों !

सवाल : किस उम्मत के औलिया सब से अफज़ल है ?

जवाब : तमाम औलियाए अव्वलीन व आखिरीन से औलियाए मुह़म्मदिय्यीन या'नी इस उम्मत के औलिया अफज़ल है !

सवाल : इस उम्मत में सब से अफज़ल कौनसे औलिया है ?

जवाब : तमाम औलियाए मुह़म्मदिय्यीन में सबसे ज़्यादा मा'रिफ़त व क़ुर्बे इलाही मे खु-लफा ए अ़रबआ़ رضی اللہ عنھما है , और उनमें तरतीब वही तरतीबे अफ़ज़लियत है सबसे ज़्यादा मा'रिफ़त व क़ुर्ब सिद्दीक़े अकबर को है फ़िर फारुक़े

आ'ज़म को फिर ज़ुन्नूरैन , फिर मौला मुर्तज़ा को رضی اللہ عنہم !

सवाल : क्या शरीअ़त व तरीकत अलग अलग राहें है ?

जवाब : तरीक़त मुनाफिये शरीअ़त नहीं , वो शरीअ़त ही का बातिनी हिस्सा है ! बा'ज़ जाहिल मुत-सव्विफ (सूफी बनने वाले) , जो यह कह दिया करते हैं : कि तरीक़त और है शरीअ़त और , यह महज़ गुमराही है और इस ज़ो'मे बातिल के बा-इस अपने आप को शरीअ़त से आज़ाद समझना सरीह़ कुफ्र व इल्ह़ाद है !

सवाल : क्या कोई वली शरीअ़त की पाबंदी से आज़ाद हो सकता है ?

जवाब : अह़कामे शरीअ़त की पाबंदी से कोई वली कैसा ही अ़ज़ीम हो , सुबकदोश नहीं हो सकता , बा'ज़ जाहिल जो यह कह देते हैं कि शरीअ़त रास्ता है , रास्ते की ह़ाजत उनको है जो मक़सूद तक न पहुँचे हों , हम तो पहुँच गये , सय्यिदुत्ताइफा हज़रते जुनैद बग़दादी ने उन्हें फरमाया : صدقوا لقد وصلوا ولکن إلى أين إلى النار तर्जमा : वह सच कहते हैं बेशक पहुँचे मगर कहाँ ? जहन्नम को !

सवाल : क्या मजज़ूब के लिए भी यही हुक्म है ?

जवाब : अगर मजज़ूबियत से अ़क्ले तक्लीफी ज़ाइल हो गई हो जैसे ग़शी वाला , तो उससे क़ल-मे शरीअ़त उठ जायेगा मगर यह भी समझ लो कि जो इस क़िस्म का होगा शरीअ़त का मुक़ाबला कभी न करेगा !

सवाल : अल्लाह तआ़ला ने औलियाए किराम को क्या ताक़त दी है ?

जवाब : औलियाए किराम को अल्लाह عزوجل ने बहुत बड़ी ताक़त दी है , उनमें जो असह़ाबे खिदमत हैं उनको तसर्रुफ का इख्तियार दिया जाता है , स्याह , सफेद के मुख़्तार बना दिये जाते हैं , ये हज़रात नबी صلی اللہ علیہ وسلم के सच्चे नाइब हैं , उनको इख्तियारत और तसर्रुफात हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की नियाबत में

मिलते हैं !

सवाल : क्या औलिया पर उ़लूमे ग़ैबिया मुन्कशिफ होते है ?

जवाब : जी हाँ ! इन पर उ़लूमे ग़ैबिया मुन्कशिफ होते है , उनमें बहुत को ' ما كان وما يكون' (जो हो चुका और जो होने वाला है) और तमाम लौह़े मह़फूज़ पर इत्तिलाअ़ दी जाती है , मगर यह सब हुज़ूरे अक़दस صلى الله عليه وسلم के वास्ते और अ़ता से है , बे विसात़ते रसूल कोई ग़ैरे नबी किसी ग़ैब पर मुत्तलअ़ नहीं हो सकता !

सवाल : करामाते औलिया के मुन्किर का क्या हुक्म है ?

जवाब : करामाते औलिया ह़क़ है , इसका मुन्किर गुमराह है !

सवाल : औलिया से किस क़िस्म की करामात का सुदूर हो सकता है ?

जवाब : मुर्दा ज़िन्दा करना , मादरज़ाद अन्धे और कोढ़ी को शिफा देना , मशरिक़ से मग़रिब तक सारी ज़मीन एक क़दम में तय कर जाना , ग़र्ज तमाम खवारिक़े आ़दात औलिया से मुम्किन है , सिवा उस मो'जिज़े के जिसके बाबत दूसरो के लिए मुमान-अ़त साबित हो चुकी है जैसे कुरआने मजीद के मिस्ल कोई सूरत ले आना या दुनिया में बेदारी में अल्लाह के दीदार या कलामे इलाही से मुशर्रफ होना जो अपने या किसी वली के लिए इस का दा'वा करे , काफ़िर है !

सवाल : औलिया से इस्तिमदाद (मदद तलब करना) कैसा है ? और इनको दूर व नज़्दीक से पुकारना कैसा ?

जवाब : इन से इस्तिमदाद व इस्तिआ़नत मेह़बूब है , ये मदद माँगने वाले की मदद फरमाते है , इसी तरह़ इनको दूर व नज़्दीक से पुकारना अस्लाफ (बुज़ुर्गो) का तरीक़ा है , रहा इनको फ़ाइले मुस्तक़िल जानना , ये वहाबिया का फरैब है ,

मुसलमान कभी ऐसा खयाल नहीं करता , मुसलमान के फ़ै'ल को ख्वाह मख्वाह क़बीह़ सूरत पर ढालना वहाबियत का खास्सा है !

सवाल : औलिया के मज़ारात पर हाज़िरी देना कैसा है ?

जवाब : इनके मज़ारात पर हाज़िरी देना मुसलमान के लिए सआ़दत व बा-इ़से बरकत है !

सवाल : क्या औलिया को ईसाले सवाब करने का क्या फ़ायदा है ?

जवाब : जी हाँ ! औलिया ए किराम अपनी क़ब्रो में ह़याते अब-दी के साथ ज़िन्दा है , इन के इ़ल्म व इदराक व समअ़ व बसर पहले की ब-निस्बत बहुत ज़्यादा क़वी हो जाते है !

सवाल : औलिया को ईसाले सवाब करने का क्या फायदा है ?

जवाब : इन्हे ईसाले सवाब निहायत मूजिबे ब-रकात व अम्रे मुस्तह़ब है , इसे उ़र्फन बराए अदब नज़्र व नियाज़ कहते है , जैसे बादशाह को नज़्र देना , ये नज़्रे शर-ई़ नहीं , इनमें खुसूसन ग्यारवीं शरीफ की फातिह़ा अ़ज़ीम बरकत की चीज़ है , उर्से औलियाए किराम या'नी कुरआन ख्वानी , फातिह़ा ख्वानी व ना'त ख्वानी व वा'ज़ व ईसाले सवाब अच्छी चीज़ है , रहे गुनाहों के काम , वो तो हर ह़ालत मे मज़मूम है और मज़ाराते तैय्यिबा के पास और ज़्यादा मज़मूम !

सवाल : पीर किस को बनना चाहिए ?

जवाब : पीरी के लिए चार शर्ते है , क़ब्ल अज़ बैअ़त उनका लिहाज़ ज़रूरी है (1) सुन्नी सहीह़ुल अ़क़ीदा हो (2) इतना इ़ल्म रखता हो के अपनी ज़रूरियात के मसाइल किताबों से निकाल सकें (3) फासिक़े मो'लिन ना हो (4) उस का सिलसिला नबी صلی اللہ علیہ وسلم तक मुत्तसिल हो !

किताबुत्तहारत

नजासतों का बयान

सवाल : नजासत की कितनी क़िस्मे है ?

जवाब : नजासत की दो क़िस्में है : (1) नजासते हक़ीक़िया (2) नजासते हुकमिया हक़ीक़िया वो जो नज़र आए और हुक्मिया वो जो नज़र न आए !

सवाल : नजासते हुकमिया की कितनी क़िस्मे है ?

जवाब : नजासते हुकमिया को हदस भी कहते है , इस की दो क़िस्में है :
(1) हदसे असगर (बे वुज़ू होना) (2) हदसे अकबर (बे गुस्ल हो जाना) - इनसे पाकी हासिल करने को तहारते सुग़रा और तहारते कुब्रा कहते है !

सवाल : नजासते हक़ीक़िया की कितने क़िस्में है ?

जवाब : इसकी भी दो क़िस्में है : (1) ग़लीज़ा (2) खफीफा -
जिसका हुक्म सख्त है उस को ग़लीज़ा कहते है , जिस का हुक्म हल्का है उसको खफीफा के कहते है !

सवाल : नजासते ग़लीज़ा अगर कपढ़े या बदन पर लग जाएं तो उसका क्या हुक्म है ?

जवाब : नजासते ग़लीज़ा अगर कपढ़े या बदन पर लग जाएं तो उसके अहकाम दर्जे ज़ैल है : (1) अगर ऐक दिरहम से ज़्यादा लग जाये तो उसका पाक करना फर्ज़ है कि बे पाक किए नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं और क़सदन पढ़ी तो गुनाह भी हुआ और अगर ब-निय्यते इस्तिख्फाफ है तो कुफ्र -
(2) और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है , बे पाक किए

नमाज़ पढ़ी तो मकरूहे तहरीमी हुई या'नी ऐसी नमाज़ का इआ़दा वाजिब है और क़सदन पढ़ी तो गुनहगार भी हुआ -

(3) और अगर दिरहम से कम हो तो पाक करना सुन्नत है , कि बे पाक किए नमाज़ पड़ी तो हो गई मगर ख़िलाफे सुन्नत हुई और उस का इआ़दा बेहतर है !

सवाल : एक दिरहम से क्या मुराद है ?

जवाब : इस की दो सूरते है : (1) अगर नजासत गाढ़ी हो जैसे पाखाना , पेशाब , लीद , गोबर तो दिरहम से मुराद उस का वज़्न है और दिरहम का वज़्न शरीअ़त में इस जगह साढ़े चार माशे है (2) और अगर नजासत पतली हो जैसे आदमी का पेशाब और शराब तो दिरहम से मुराद उसकी लम्बाई चौड़ाई है और शरीअ़त ने उसकी मिक़्दार हथेली की गहराई के बराबर बताई या'नी हथेली खूब फैलाकर हमवार रखें और उस पर आहिस्ता से इतना पानी डालें के उस से ज़्यादा पानी न रुक सकें , अब पानी का जितना फैलाव है उतना बड़ा दिरहम समझ जाएगा !

सवाल : नजासते खफीफा का हुक्म क्या है ?

जवाब : नजासते खफीफा का हुक्म ये है कि कपढ़े या बदन के जिस उ़ज़्व पर लगी है , अगर उसकी चौथाई से कम है (मसलन दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम , आस्तीन में उसकी चौथाई से कम) तो मुआ़फ है कि उससे नमाज़ हो जाएगी और अगर पूरी चौथाई (या उससे ज़्यादा) में हो तो बे धोए नमाज़ न होगी !

सवाल : अगर नजासते ग़लीज़ा या खफीफा किसी पानी वग़ैरा में गिर जाए तो क्या हुक्म होगा ?

जवाब : नजासत अगर किसी पतली चीज़ जैसे पानी या सिरके में गिर जाए तो

गलीज़ा हो या खफ़ीफा , कुल नापाक हो जाएगी अगर्चे एक क़तरा गिरें जब तक वो पतली चीज़ ह़द्दे कसरत पर या'नी दह दर दह न हो जाएं !

सवाल : नजासते ग़लीज़ा कौनसी चीज़ें है ?

जवाब : नजासते ग़लीज़ा दर्जे ज़ैल है :

(1) इन्सान के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले के उससे ग़ुस्ल या वुज़ू वाजिब हो नजासते ग़लीज़ा है जैसे पाखाना , पेशाब , बेहता खून , पीप , मुँह भर के , ह़ैज़ व निफास व इस्तिह़ाज़ा का खून , मनी , मज़ी , वदी

(2) खुश्की के हर जानवर का बेहता खून

(3) मुरदार का गोश्त और चर्बी

(4) ह़राम चोपाए जैसे कुत्ता , शेर , लोमड़ी , बिल्ली , चूहा , गधा , खच्चर , हाथी , सूअर का पाखाना और पेशाब (5) घोड़े की लीद और हर ह़लाल चोपाये का पाखाना जैसे गाए भैंस का गोबर , बकरी , ऊंट की मेंगनी और जो परिंद के ऊंचा न उड़े , उसकी बीट जैसे मुर्ग़ी और बत़ (6) हर क़िस्म की शराब (7) सूअर का गोश्त और हड्डी और बाल अगर्चे ज़बह किया गया हो ये सब नजासते गलीज़ा है (8) हाथी की सूंड की रूतूबत और शेर , कुत्ते , चीते और दूसरे दरिंदे चोपायो का लुआ़ब नज़सते ग़लीज़ा है !

सवाल : दूध पीते बच्चे के पेशाब का हुक्म क्या है ?

जवाब : दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब नजासते ग़लीज़ा है , ये जो अक्सर अ़वाम में मशहूर है के दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक है , मह़ज़ ग़लत है !

सवाल : नजासते खफीफा कौन सी चीज़े है ?

जवाब : नजासते खफीफा दर्जे ज़ैल है : (1) जिन जानवरों का गोश्त ह़लाल है

(जैसे गाए , बैल , भैंस , बकरी , ऊंट वग़ैरहा) इन का पेशाब (2) घोड़े का पेशाब (3) और जिस परिंदे का गोश्त ह़राम है , ख्वाह शिकारी हो या नहीं जैसे कव्वा , चील , शिकरा , बाज , इस की बीट नजासते खफीफा है !

सवाल : ह़लाल परिंदो की बीट का क्या हुक्म है ?

जवाब : जो परिंदे ह़लाल ऊंचे उड़ते है जैसे कबूतर , मुर्ग़ाबी वग़ैरहुमा उनकी बीट पाक है !

सवाल : नजासते ग़लीज़ा और खफीफा मिल जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब : नजासते ग़लीज़ा खफीफा में मिल जाए तो कुल नापाक है !

सवाल : अगर मुख्तलिफ जगहों पर नजासते ग़लीज़ा है खफीफा लगी हो , तो क्या हुक्म है ?

जवाब : किसी कपढ़े या बदन पर चंद जगह नजासते ग़लीज़ा लगी और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं मगर मजमूआ़ दिरहम के बराबर है , तो दिरहम के बराबर समझी जाएगी और ज़ाइद है तो ज़ाइद , नजासते खफीफा में मजमूआ़ ही पर हुक्म दिया जाएगा !

सवाल : मछली और पानी के दीगर जानवरों का खून पाक है या नापाक , नीज़ खटमल और मच्छर के खून का क्या हुक्म है ?

जवाब : मछली और पानी के दीगर जानवरों का खून पाक है , इसी तरह खटमल और मच्छर का खून भी पाक है !

सवाल : पेशाब की बारीक छींटे सुई की नोक के बराबर अगर कपढ़े या बदन पर लग जाए तो क्या हुक्म है ? और अगर ये कपड़ा पानी में पड़ गया लग तो पानी का क्या हुक्म है ?

जवाब : पेशाब की निहायत बारीक छींटे सुई की नोक के बराबर किसी बदन या कपढ़े पर पड़ जाए तो कपड़ा और बदन पाक रहेगा , और जिस कपढ़े पर पेशाब की ऐसी ही बारीक छींटें पड़ गई , अगर वो कपड़ा पानी मे पड़ गया तो पानी भी नापाक न होगा !

सवाल : जेब में पेशाब या खून की शीशी है , इस ह़ाल में नमाज़ पढ़ी तो क्या हुक्म है ? और अगर जेब में अंडा है जिसकी ज़र्दी खून हो चुकी है तो क्या हुक्म है ?

जवाब : जेब में पेशाब या खून कि शीशी है , इस ह़ाल में नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ न होगी और जेब में अंडा है और उसकी ज़र्दी खून हो चुकी है तो नमाज़ हो जाएगी !

सवाल : नापाक चीज़ का धुआं कपढ़े या बदन को लगे तो क्या हुक्म है ?

जवाब : नापाक चीज़ का धुआं कपढ़े या बदन को लगे तो नापाक नहीं , यूँही नापाक चीज़ के जलाने से जो बुखारात उठें उनसे भी नजिस न होगा अगर्चे उनसे पूरा कपड़ा भीग जाएं , हाँ अगर नजासत का असर (रंग , बूं , ज़ायक़ा) उस में ज़ाहिर हो तो नाजिस हो जाएगा , उपले का धुआं रोटी में लगा तो रोटी नापाक न होगी !

सवाल : पाखाना से मक्खियां उड़कर कपढ़े पर बैठें , क्या हुक्म है ?

जवाब : पाखाना से मक्खियां उड़कर कपढ़े पर बैठें कपड़ा नजिस न होगा !

सवाल : रास्ते का कीचड़ पाक है या नापाक ?

जवाब : रास्ते का कीचड़ पाक है जब तक उसका नाजिस होना मा'लूम न हो, तो अगर पांव या कपढ़े में लगीं और बे धोएं नमाज़ पड़ ली हो गई , मगर धो लेना

बेहतर है , इसी तरह सड़क पर पानी छिड़का जा रहा था , ज़मीन से छींटे उड़कर कपढ़े पर पड़ी , कपड़ा नजिस न हुआ मगर धो लेना बेहतर है !

सवाल : आदमी की थोड़ी सी खाल या नाखून जिस्म से जुड़ा हो कर पानी में पड़ जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब : आदमी की थोड़ी सी खाल अगर्चे नाखून बराबर थोड़े पानी (या'नी दह दर दह से कम) में पड़ जाएं , वह पानी नापाक हो गया और नाखून गिर जाए तो नापाक नहीं !

सवाल : कुत्ता बदन या कपढ़े को छू जाएं तो क्या हुक्म है ?

जवाब : कुत्ता बदन या कपढ़े को छू जाएं , तो अगर्चे उस का जिस्म तर हो , बदन और कपड़ा पाक है , हाँ ! अगर उसके बदन पर नजासत लगी हो तो और बात है या उसका लुआ़ब लगे तो नापाक कर देगा !

सवाल : किसी मुसलमान के कपढ़े में नजासत लगी देखी तो क्या उसे बताना ज़रूरी है ?

जवाब : किसी दूसरे मुसलमान के कपढ़े में नजासत लगी देखी और ग़ालिब गुमान है कि उसको खबर करेगा तो पाक कर लेगा तो खबर देना वाजिब है !

सवाल : कुफ्फार और फुस्साक़ के इस्ते'माली कपड़ों के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब : फासिक़ो के इस्ते'माली कपढ़े जिन का नजिस होना मा'लूम न हो पाक समझे जाएंगे मगर बे नमाज़ी के पाजामे वग़ैरा में एहतियात यही है कि रूमाली पाक कर ली जाए के अक्सर बे नमाज़ी पेशाब करके वैसे ही पाजामा बांध लेते है और कुफ्फार के उन कपड़ों को पाक कर लेने में तो बहुत खयाल करना चाहिए !

नापाक चीज़ों को पाक करने का तरीक़ा

सवाल : नापाक बदन या कपढ़े किस किस चीज़ से पाक कर सकते है ?

जवाब : नापाक बदन या कपढ़े को पानी और हर रक़ीक़ बेहने वाली चीज़ जिस से नजासत दूर हो जाएं धो कर पाक कर सकते है , मसलन सिरका और गुलाब कि उन से नजासत दूर हो सकती है तो बदन या कपड़ा उन से धो कर पाक कर सकते है , हाँ ! बग़ैर ज़रूरत गुलाब और सिरका वग़ैरा से पाक करना नाजाइज़ है कि फ़िज़ूल खर्ची है !

सवाल : मुस्त'मल पानी या चाय से कपड़ा धोने से पाक हो जाएगा ?

जवाब : जी हाँ ! मुस्त'मल पानी और चाय से पाक हो जाएगा !

सवाल : दूध , शोरबे और तेल से कपड़ा पाक हो जाएगा ?

जवाब : दूध और शोरबा और तेल से धोने से पाक न होगा कि उनसे नजासत दूर न होगी !

सवाल : नजासत अगर दलदार हो (जैसे पाखाना , गोबर , खून वग़ैरा) तो उसको कितनी मर्तबा धोने से कपड़ा पाक होगा ?

जवाब : नजासत अगर दलदार हो (जैसे पाखाना , गोबर , खून वग़ैरा) तो धोने में गिनती कि कोई शर्त नहीं बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है , अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही मर्तबा धोने से पाक हो जाएगा और चार पांच धोने से दूर हो तो चार पांच मर्तबा धोना पढ़ेगा , हाँ ! अगर तीन मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो तीन बार पूरा कर लेना मुस्तहब हैं !

सवाल : दलदार नजासत कपढ़े पर थी , उसको धोया , नजासत दूर हो गई मगर

उस का असर (रंग या बू) बाक़ी है तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर नजासत दूर हो गई मगर उस का कुछ असर रंग या बू बाक़ी है तो उसे भी ज़ाइल करना लाज़िम है , हाँ ! अगर उसका असर दिक़्क़त (मुश्किल) से जाए तो असर दूर करने की ज़रुरत नहीं , तीन मर्तबा धो लिया पाक हो गया , साबुन या गरम पानी से धोने की ह़ाजत नहीं !

सवाल : अगर कपढ़े पर पतली नजासत लग गई हो तो कपड़ा कैसे पाक होगा ?

जवाब : अगर नजासत रक़ीक़ हो तो तीन मर्तबा धोने और तीनों मर्तबा क़ुव्वत से निचोड़ने से पाक होगा , क़ुव्वत के साथ निचोड़ने के ये मा'ना है कि वो शख्स अपनी ताक़त भर इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उससे कोई क़तरा न टपके , अगर कपढ़े का खयाल करके अच्छी तरह नहीं निचोड़ा तो पाक न होगा !

सवाल : अगर धोने वाले ने अच्छी तरह निचोड़ लिया मगर कोई दूसरा शख्स जो ताक़त में उससे ज़्यादा है निचोड़े तो दो एक बूंद टपक सकती है , तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर धोने वाले ने अच्छी तरह निचोड़ लिया मगर कोई दूसरा शख्स जो ताक़त में उससे ज़्यादा है निचोड़े तो दो एक बूंद टपक सकती है , तो उसके ह़क़ में पाक और दूसरे के ह़क़ में नापाक है , उस दूसरे की ताक़त का ऐ'तिबार नहीं , हाँ ! अगर ये धोता और उसी क़दर निचोड़ता तो पाक न होता !

सवाल : दूध पीते बच्चे और बच्ची दोनों के पेशाब कपढ़े में लग गया तो क्या उसी तरह पाक होगा ?

जवाब : दूध पीते बच्चे और बच्ची दोनों के पेशाब का भी यही हुक्म है के उन का पेशाब कपढ़े में लगा है , तो तीन बार धोना और निचोड़ना पढ़ेगा !

सवाल : जो चीज़ कपढ़े निचोड़ने के क़ाबिल नहीं , उस को कैसे पाक करेंगे ?

जवाब : जो चीज़ निचोड़ने के क़ाबिल नहीं है (जैसे चटाई , कालीन वग़ैरा) उस को धोकर छोड़ दें कि पानी टपकना मोक़ूफ हो जाए , यू हीं दो मर्तबा और धोएं , तीसरी मर्तबा जब पानी टपकना बंद हो गया वो चीज़ पाक हो गई उसे हर मर्तबा के बा'द सुखाना ज़रूरी नहीं , यू ही जो कपड़ा अपनी नाज़ुकी के सबब निचोड़ने के क़ाबिल नहीं उसे भी यू ही पाक किया जाएं !

सवाल : अगर चीज़ एसी हो के जिसमे नजासत जज़्ब न होती हो , तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर ऐसी चीज़ हो के उसमे नजासत जज़्ब न होती हो , जैसे चीनी के बर्तन या मिट्टी का पुराना इस्ते'माली बर्तन , या लोहे , तांबे , पीतल वग़ैरा धातों की चीज़े तो उसे फक़त तीन बार धो लेना काफी है , इस की भी ज़रूरत नहीं कि उसे इतनी देर छोड़ दें कि पानी टपकना मोक़ूफ़ हो जाएं !

सवाल : क्या ये ज़रूरी है कि लगातार तीन बार धोया जाएं ?

जवाब : ये ज़रूरी नहीं कि एक दम तीनों बार धोएं , बल्कि अगर मुख्तलिफ वक़्तो बल्कि मुख्तलिफ दिनों में ये ता'दाद पूरी की जब भी पाक हो जाएगा !

सवाल : कपढ़े पर नापाक तेल लग गया , तो कब पाक होगा ?

जवाब : कपढ़े या बदन पर नापाक तेल लगा था , तीन मर्तबा धो लेने से पाक हो जाएगा अगर्चे तेल की चिकनाई मौजूद हो , इस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं के साबुन या गर्म पानी से धोये !

सवाल : अगर दरी या कोई कपड़ा बेहते पानी में रात भर पड़ा रहा , तो क्या पाक हो जाएगा ?

जवाब : दरी या कोई कपड़ा रात भर बेहते पानी में रात भर पड़ा रहा पाक हो जाएगा और अस्ल ये है कि जितनी देर में ये ज़न ग़ालिब हो जाए कि पानी नजासत को बहा ले गया तो पाक हो गया के बेहते पानी से पाक करने में निचोड़ना शर्त नहीं !

सवाल : कपढ़े का कोई हिस्सा नापाक हो गया और याद नहीं के वो कौनसी जगह है तो क्या हुक्म है ?

जवाब : कपढ़े का कोई हिस्सा नापाक हो गया और याद नहीं के वो कौनसी जगह है , तो बेहतर यही है के पूरा ही धो डालें और अगर अंदाज़े से सोच कर उस का कोई हिस्सा धोले जब भी पाक हो जाएगा और जो बिला सोचे हुए कोई टुकड़ा धो लिया जब भी पाक है मगर इस सूरत में अगर चन्द नमाज़े पढ़ने के बा'द मा'लूम हो कि नजिस हिस्सा नहीं धोया गया तो फिर धोएं और नमाज़ो का इआ़दा करें और जो सोच कर धो लिया था और और बा'द को ग़लती मा'लूम हुई तो अब धोलें और नमाज़ो के इआ़दा की ह़ाजत नहीं !

सवाल : क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिन्हें धोना नहीं पड़ता , सिर्फ पूछने से पाक हो जाती हो ?

जवाब : जी हाँ ! लोहे की चीज़ें जैसे छुरी , चाकू , तलवार वग़ैरा (जिस मे न ज़ंग हो न नक़्शो निगार हो) नजिस हो जाएं , तो सिर्फ अच्छी तरह पूछ डालने से पाक हो जाएगी और इस सूरत में नजासत के दलदार या पतली होने में कुछ फर्क़ नहीं , यूँ ही चांदी , सोने , पीतल , गिलट और हर क़िस्म की धात की चीज़े पोंछने से पाक हो जाती है बशर्ते के नक़्शी न हो और अगर नक़्शी हो या

लोहे में ज़ंग हो तो धोना ज़रूरी है पूंछने से पाक न होगी , इसी तरह आईना और शीशे की तमाम चीज़े और चीनी के बर्तन या मिट्टी के रोगनी बर्तन या पोलिश की हुई लकड़ी गरज़ वो तमाम चीज़े जिन मे मसाम न हो कपढ़े या पत्ते से इस क़दर पूंछ की जाए के असर जाता रहे पाक हो जाती है !

सवाल : मनी कपढ़े या बदन पर लग गई तो क्या धोए बग़ैर भी कपड़ा पाक करने की कोई सूरत है ?

जवाब : जी हाँ ! मनी कपढ़े या बदन पे लग कर खुश्क है गई तो फक़त मल कर झाड़ने बौर साफ करने से कपड़ा और बदन पाक हो जाएगा अगर्चे मलने के बा'द उसका कुछ असर कपढ़े में बाक़ी रह जाएं , जिस कपढ़े को मल कर पाक कर लिया , अगर वो पानी से भीग जाए तो नापाक न होगा , इस मसले में मर्द व औ़रत और तंदरुस्त व मरीज़े जिर्यान सब की मनी का एक हुक्म है !

सवाल : अगर मनी तर है या उस में पेशाब मिल गया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर मनी कपढ़े में लगी है और अब तक तर है या साथ पेशाब भी लग गया , तो धोने से पाक होगा मलना काफी नहीं !

सवाल : मोज़े और जूते को धोने के अ़लावा कैसे पाक कर सकते है ?

जवाब : मोज़े या जूते में दलदार नजासत लगी , जैसे पाखाना , गोबर , मनी तो अगरचे वो नजासत तर हो खुरचने और रगड़ने से पाक हो जाएंगे और अगर मिस्ले पेशाब के कोई पतली नजासत लगी हो और उस पर मिट्टी या राख या रेता डाल कर रगड़ डालें जब भी पाक हो जाएंगे और अगर ऐसा न किया यहाँ तक के वो नजासत सूख गई तो तो अब बे धोए पाक न होंगे !

सवाल : नापाक ज़मीन कैसे पाक होगी ?

जवाब : नापाक ज़मीन अगर खुश्क हो जाए और नजासत का असर या'नी रंग व बू जाता रहे पाक हो गई , ख्वाह वो हवा से सूखी हो या धूप या आग से मगर उस से तयम्मुम करना जाइज़ नहीं , नमाज़ उस पर पढ़ सकते है !

सवाल : क्या घास , दीवार , दरख़्त वग़ैरा भी खुश्क होने से पाक हो जाएंगे ?

जवाब : दरख़्त और घास और दीवार और ईंट जो ज़मीन में जड़ी हुई हो , ये सब खुश्क हो जाने से पाक हो गए और अगर ईंट जड़ी हुई ना हो तो खुश्क होने से पाक न होगी बल्कि धोना ज़रूरी है , यूँ ही दरख़्त या घास सूखने से पेशतर काट लें तो तहारत के लिए धोना ज़रूरी है , इसी तरह अगर पत्थर ऐसा हो जो ज़मीन से जुदा न हो सके तो खुश्क होने से पाक है वरना धोने की ज़रूरत है !

सवाल : घी में चूहा मर गया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : जमे हुए घी में चूहा गिर कर मर गया तो चूहे के आस पास से निकाल डालें , बाक़ी पाक है खा सकते है और अगर पतला है तो सब नापाक हो गया उस का खाना जाइज़ नहीं , अलबत्ता उस काम में ला सकते है जिसमे इस्ते'माले नजासत ममनूअ न हो , तेल का भी यही हुक्म है !

सवाल : नापाक तेल को पाक करने का क्या तरीक़ा है ?

जवाब : इस को पाक करने के दर्जे ज़ैल तरीक़े है :

(1) नापाक तेल की जितनी मिक़्दार है उतना ही पानी उसमे डालकर खूब हिलाएं , फिर ऊपर से तेल निकाल लें , और पानी फेंक दें , यूँही तीन बार करें -

(2) या उस बर्तन में नीचे सुराख कर दें के पानी बह जाएं और तेल रेह जाएं , यूँही तीन मर्तबा में पाक हो जाएगा -

(3) या यूँ करें कि उतना ही पानी डालकर उस तेल को पकाएं यहाँ तक कि पानी

ज़ाइल जाए और तेल रह जाएं ऐसा ही तीन दफ़अ में पाक हो जाएगा -
(4) और यूँ भी के पाक तेल या पानी दूसरे बर्तन में रखकर उस नापाक और उस पाक दोनों की धार मिलाकर ऊपर से गिराए मगर उसमें ये ज़रूर खयाल रखें कि नापाक की धार उसकी धार से किसी वक़्त जुदा न हो , न उस बर्तन में कोई क़तरा नापाक का पहले से पहुंचा हो न बा'द को वरना फिर नापाक हो जाएगा -
(5) और एक तरीक़ा ये भी है कि परनाले के नीचे कोई बर्तन रखें और ऊपर से पाक तेल या पानी के साथ इस तरह मिला कर बहाएं कि परनाले से दोनों धारे एक होकर गिरे सब पाक हो जाएगा -
बहती हुई आम चीज़े घी वग़ैरा के पाक करने के भी यही तरीक़े है और अगर घी जमअ़ हुआ हो , उसे पिघलाकर इन्हीं तरीक़ो में से किसी तरीक़े पर पाक करें !

सवाल : जो चीज़े खुद नजिस है क्या पाक हो सकती है ?
जवाब : जो चीज़े ऐसी है के वो खुद नजिस है जिनको नपाकी और नजासत कहते है जैसे शराब वग़ैरा , ऐसी चीज़ें जब तक अपनी अस्ल को छोड़ कर कुछ और न हो जाएं पाक नहीं हो सकती , शराब जब तक शराब है नजिस ही रहेगी और सिरका हो जाएं तो तो अब पाक है !

सवाल : नजिस जानवर अगर नमक की कान में गिरकर नमक हो गया तो क्या हुक्म है ?
जवाब : नजिस जानवर अगर नमक की कान में गिरकर नमक हो गया तो वो नमक पाक व हलाल है !

सवाल : उपले की राख का क्या हुक्म है ?
जवाब : उपले की राख पाक है और अगर राख होने से क़ब्ल बुझ गया तो नापाक !

इस्तिन्जा का बयान

सवाल : इस्तिन्जा खाने में दाखिल होने से पहले कौनसी दुआ़ पढ़े ?

जवाब : इस्तिन्जा खाने के बाहर यह पढ ले :-

بسم الله اللهم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث

फिर बायाँ क़दम पहले दाखिल करे

सवाल : इस्तिन्जा खाने से निकलते वक़्त कौनसा क़दम पहले बाहर निकले और निकलने के बा'द कौनसी दुआ़ पढ़े ?

जवाब : निकलते वक़्त पहले दायां पाँव बाहर निकाले और निकल कर यह पढ़े غفرانک الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني و أمسک على ما ينفعنى कहें !

सवाल : इस्तिन्जा करते वक़्त या तहारत करने में क़िब्ले की तरफ मुँह या पीठ करना कैसा है ?

जवाब : पाखाना या पेशाब करते वक़्त या तहारत करने में न क़िब्ले की तरफ मुँह हो न पीठ और यह हुक्म आ़म है चाहे मकान के अन्दर हो , या मैदान में अगर भूल कर क़िब्ले की तरफ मुँह या पीठ कर के बैठ गया तो याद आते ही फौरन रुख बदल दें इस में उम्मीद है कि उस के लिये मग़फिरत फरमा दी जाये !

सवाल : क्या बच्चे को पेशाब या पाखाना करवाते वक़्त उस का मुँह भी क़िब्ले की तरफ नहीं कर सकते ?

जवाब : बच्चे को पेशाब या पाखाना करवाने वाले को मकरूह है के उस बच्चे का मुँह क़िब्ले को हो ये करवाने वाला गुनहगार होगा !

सवाल : पेशाब और पाखाना करते वक़्त चांद और सूरज कि तरफ मुँह और पीठ

करना कैसा है ?

जवाब : पाखाना , पेशाब करते वक़्त सूरज और चांद की तरफ न मुँह हो न पीठ यूँही हवा के रुख पेशाब करना ममनूअ़ है !

सवाल : किस किस जगह पेशाब और पाखाना करना मकरूह है ?

जवाब : दर्जे ज़ैल जगहों में पेशाब और पाखाना करना मकरूह है :

(1) कुंवे या ह़ोज़ या चश्मे के किनारे (2) पानी में , अगर्चे बहता हुआ हो (3) घाट पर (4) फलदार दरख़्त के नीचे (5) उस खेत में जिस में ज़राअ़त मौजूद हो (6) साए में जहां लोग उठते बैठते हो (7) मस्जिद और ईदगाह के पहलू में (8) क़ब्रिस्तान (9) रास्ते में (10) जिस जगह मवेशी बंधे हो (11) जिस जगह वूज़ू या गुस्ल किया जाता है !

सवाल : पेशाब और पाखाना करने के आदाब किया है ?

जवाब : नंगे सर पाखाना , पेशाब को जाना या अपने हमराह ऐसी चीज़ ले जाना जिस में कोई दुआ़ या अल्लाह व रसूल या किसी बुज़ुर्ग का नाम लिखा हो मकरूह है -

जब तक बैठने के क़रीब न हो , कपड़ा बदन से न हटाए और न ह़ाजत से ज़्यादा बदन खोलें , फिर दोनों पांव कुशादा करके बाएं पांव पर ज़ोर दे कर बैठें और किसी मस्लए दीनी में ग़ौर न करें कि ये बाइसे मह़रूमी है और छींक या सलाम या अज़ान का जवाब ज़बान से न दें और अगर छींके तो ज़बान से الحمدلله न कहें , दिल में कह लें और बग़ैर ज़रूरत अपनी शर्मगाह की तरफ नज़र न करें और न उस नजासत को देखे जो उसके बदन से निकली है और देर तक न बैठें कि इस से बवासीर का अंदेशा है और पेशाब में न थूके न नाक साफ़ करे न बिला ज़रूरत

खंकारे न बार बार इधर उधर देखे न बेकार बदन छुये , न आसमान की तरफ निगाह करें बल्कि शर्म के साथ सर झुकाये रहे -
जब फारिग़ हो जाये तो मर्द बायें हाथ से अपने आले को जड़ की तरफ से सर की तरफ सौंते कि जो क़तरे रुके हुए हैं निकल जायें फिर ढेलों से साफ कर के खड़ा हो जाये और सीधे खडे होने से पहले बदन छुपा ले जब क़तरों का आना मोक़ूफ हो जाये तो किसी दूसरी जगह तहारत के लिए बैठे और पहले तीन-तीन बार दोनों हाथ धोले फिर दाहिने हाथ से पानी बहाये और बायें हाथ से धोये और पानी का लोटा ऊँचा रखे कि छींटें न पड़ें और पहले पेशाब का मक़ाम धोये फिर पाखाने का मक़ाम धोये और तहारत के वक़्त पाखाने का मक़ाम साँस का ज़ोर नीचे को देकर ढीला रखे और खूब अच्छी तरह धोयें कि धोने के बा'द में हाथ में बू बाक़ी न रह जाएं , फिर किसी पाक कपढ़े से पूंछ डालें और अगर कपड़ा पास न हो तो बार बार हाथ से पोंछे के बराए नाम तरी रह जाये और अगर वसवसे का ग़ल्बा हो तो रूमाली पर पानी छिड़क लें !

सवाल : क्या ढेलो से इस्तिन्जा ज़रूरी है ?
जवाब : आगे या पीछे से जब नजासत निकले तो ढेलों से इस्तिन्जा करना सुन्नत है और अगर सिर्फ पानी ही से तहारत कर ली तो भी जाइज़ है मगह मुस्तहब यह है कि ढेले लेने के बा'द पानी से तहारत कर लें !

सवाल : क्या सिर्फ ढेलों से तहारत हासिल हो जाएगी ?
जवाब : सिर्फ ढेलों से तहारत उस वक़्त होगी के नजासत से मखरज के आस पास की जगह एक दिरहम से ज़्यादा आलूदह न हो और अगर दिरहम से ज़्यादा सन जाएं तो धोना फर्ज़ है मगर ढैले लेना अब भी सुन्नत रहेगा !

सवाल : ढेलों से तहारत हासिल करने में कितनी ता'दाद सुन्नत है ?

जवाब : ढेलों की कोई ता'दादे मुअय्यन सुन्नत नहीं बल्कि जितनी से सफाई हो जाए , तो अगर एक से सफाई हो गई सुन्नत अदा हो गई और अगर तीन ढेले लिए और सफाई नहीं हुई सुन्नत अदा न हुई , अलबत्ता मुस्तहब ये है कि ताक़ हो और कम से कम तीन हों , तो अगर एक या दो से सफाई हो गई तो तीन की गिनती पूरी करें और अगर चार से सफाई हो तो एक और लें कि ताक़ हो जाएं !

सवाल : क्या कंकर , पत्थर और कपढ़े वग़ैरा से भी इस्तिन्जा हो जाएगा ?

जवाब : कंकर , पत्थर , फटा हुआ हुआ कपड़ा ये सब ढेले के हुक्म में है , इन से भी साफ कर लेना बिला कराहत जाइज़ है , दीवार से भी इस्तिन्जा सुखा सकता है मगर दूसरे की दीवार न हो , अगर दूसरे की या नावाक़िफ की दीवार है तो मकरूह है !

सवाल : किन चीजं से इस्तिन्जा करना मकरूह है ?

जवाब : हड्डी और खाने और गोबर और पक्की ईंट और ठीकरी और शीशे और कोयले और जानवर के चारे से और ऐसी चीज़ से जिस की कुछ क़ीमत हो , अगर्चे एक आध रुपये ही सहीं , इन चीज़ों से इस्तिन्जा करना मकरूह है , इसी तरह कागज़ से इस्तिन्जा मा’ना है , अगर्चे उस पर कुछ लिखा न हो या अबू जहल जैसे काफिर का नाम लिखा हो !

सवाल : दाएं हाथ से इस्तिन्जा करना कैसा है ?

जवाब : दाएं हाथ से इस्तिन्जा करना मकरूह है , अगर किसी का बायां हाथ बेकार हो गया तो उसे दाएं हाथ से जाइज़ है !

सवाल : पेशाब करने के बा'द जैसे ये एहतिमाल हो के अभी क़तरा आएगा , उसके लिए क्या हुक्म है ?

जवाब : पेशाब के बा'द जिस को एहतेमाल है के कोई क़तरा बाक़ी रह गया या फिर आएगा , उस पर इस्तिबरा (या'नी पेशाब करने के बा'द ऐसा काम करना कि अगर क़तरा रुका हो तो गिर जाए) वाजिब है , इस्तिबरा टहलने से से होता है या ज़मीन पर ज़ोर से पांव मारने या दहने पांव को बाएं और बाएं को दहने पर रखकर ज़ोर करने या बुलंदी से नीचे उतरने या नीचे से बुलंदी पर चढ़ने या खंकारने या बाएं करवट पर लेटने से होता है और इस्तिबरा उस वक़्त तक करें के दिल को इतमीनान हो जाएं , टहलने की मिक्दार बा'ज़ उ़ल-मा ने चालीस क़दम रखी मगर सहीह़ ये है के जितने में इतमीनान हो जाए और इस्तिबरा का हुक्म मर्दों के लिए है अ़ौरत फारिग़ होने के बा'द थोड़ी देर वक़्फा करके तहारात कर लें !

सवाल : लुंझा आदमी हो तो उसे इस्तिन्जा को करवाएं ?

जवाब : मर्द लुंझा हो तो उसकी बीवी इस्तिन्जा करा दें और अ़ौरत ऐसी हो तो उसका शौहर और अगर शौहर की बीवी न हो या बीवी का शौहर न हो तो किसी और रिश्तेदार बेटा , बेटी , भाई , बहन से इस्तिन्जा नहीं करा सकते बल्कि मुआ़फ है !

सवाल : आबे ज़मज़म शरीफ से इस्तिन्जा करना कैसा है ?

जवाब : ढैले से इस्तिन्जा खुश्क करने के बा'द आबे ज़मज़म शरीफ से इस्तिन्जा पाक करना मकरूह है , और ढेला न लिया हो तो नाजाइज़ !

ह़ैज़ व निफास का बयान

सवाल : ह़ैज़ , निफास और इस्तिह़ाज़ा किसे कहते हैं ?

जवाब : बालिग़ा अ़ौरत के आगे के मक़ाम से जो खून आ़दी तौ़र पर निकलता है उसे ह़ैज़ कहते हैं और अगर आ़दत न हो बल्कि बीमारी से हो तो उसे इस्तिह़ाज़ा और बच्चा पैदा होने के बा'द हो तो निफास कहते हैं !

सवाल : ह़ैज़ की मुद्दत कितनी है ?

जवाब : ह़ैज़ की मुद्दत कम से कम तीन दिन तीन राते या'नी पूरे 72 घंटे , एक मिनट अगर कम है तो ह़ैज़ नहीं बल्कि इस्तिह़ाज़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन दस राते हैं !

सवाल : ह़ैज़ का खून अगर दस दिन से ज़्यादा आया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : दस रात दिन से कुछ भी ज़्यादा खून आया तो अगर यह ह़ैज़ पहली मर्तबा उसे आया है तो दस दिन तक ह़ैज़ है बा'द का इस्तिह़ाज़ा और अगर पहले उसे ह़ैज़ आ चुके हैं और आ़दत दस दिन से कम की थी तो आ़दत से जितना ज़्यादा हो इस्तिह़ाज़ा है , इसे यूँ समझो कि उसको पांच दिन की आ़दत थी अब आया दस दिन तो कुल ह़ैज़ है और बारह दिन आया तो पांच दिन ह़ैज़ के बाक़ी सात दिन इस्तिह़ाज़ा के और एक ह़ालत मुकर्रर न थी बल्कि कभी चार दिन कभी पांच दिन तो पिछली बार जितने दिन थे वहीं अब भी ह़ैज़ के हैं बाक़ी इस्तिह़ाज़ा !

सवाल : अ़ौरत को कितनी उ़म्र में ह़ैज़ आना शुरूअ़ होता है ?

जवाब : कम से कम नो बरस की उ़म्र से ह़ैज़ शुरूअ़ होगा और इन्तिहाई उम्र ह़ैज़ आने की पचपन साल है इस उ़म्र वाली अ़ौरत को आइसा और इस उ़म्र को सिने

इयास कहते हैं !

सवाल : दो ह़ैज़ो के दरमियान कम से कम कितना फासला ज़रूरी है ?
जवाब : दो ह़ैज़ो के दरमियान कम से कम पूरे पन्दरह दिन का फासला ज़रूरी है यूँ हीं निफास व ह़ैज़ के दरमियान भी पन्दरह दिन का फासला ज़रूरी है तो अगर निफास खत्म होने के बा'द पन्दरह दिन पूरे न हुए थे के खून आया तो यह इस्तिह़ाज़ा है !

सवाल : निफास की कितनी मुद्दत है ?
जवाब : निफास में कमी की जानिब कोई मुददत नहीं , निस्फ से ज़्यादा बच्चा निकलने के बा'द एक आन भी खून आया तो वह निफास है और ज़्यादा से ज़्यादा इस का ज़माना चालीस दिन रात है और निफास की मुद्दत का शुमार उस वक़्त से होगा कि आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आया !

सवाल : ह़ैज़ व निफास वाली औ़रत को कौन से उमूर मनअ़ है ?
जवाब : ह़ैज़ व निफास वाली औ़रत को दर्जे ज़ेल उमूर करना नाजाइज़ ह़राम है : (1) नमाज़ पढ़ना (2) रोज़ा रखना (3) क़ुरआने मजीद को देखकर पढ़ना (4) इसी तरह क़ुरआने पाक ज़बानी पढ़ना (5) क़ुरआने पाक का छूना बल्कि कागज़ के पर्चे पर कोई सूरत या आयत लिखी हो उसका भी छूना ह़राम है (6) मस्जिद में दाखिल होना (7) तवाफ करना (8) हम बिस्तरी या'नी जिमाअ़ !

सवाल : इन दिनों जो फर्ज़ नमाज़ें और रोज़ें छूटे , क्या बा'द में उनकी क़ज़ा करनी पढ़ेगी ?

जवाब : इन दिनों में नमाज़ मुआ़फ है , उनकी क़ज़ा भी नहीं और रोज़ो की क़ज़ा और दिनों में रखना फर्ज़ है !

सवाल : ह़ैज़ व निफास वाली औ़रत कौन से उमूर कर सकती है ?

जवाब : दर्जे ज़ेल उमूर कर सकती है :

(1) क़ुरआने मजीद के अ़लावा और तमाम अज़कार , कलिमा शरीफ , दुरुद शरीफ वग़ैरह पढ़ना बिला कराहत जाइज़ है बल्कि मुस्तह़ब है और इन चीज़ो को वुज़ू या कुल्ली करके पढ़ना बेहतर और वैसे ही पढ़ लिया जब भी ह़रज नहीं और उनके छूने में भी ह़रज नहीं (2) ऐसी औ़रत को अज़ान का जवाब देना जाइज़ है (3) जुज़दान या'नी गिलाफ में क़ुरआने मजीद हो तो जुज़दान के छूने में ह़रज नहीं (4) मुअ़ल्लिमा को ह़ैज़ या निफास हुआ तो एक-एक कलिमा सांस तोड़ तोड़ कर पढ़ाएं और हिज्जे कराने में कोई ह़रज नहीं !

सवाल : ह़ालते निफास में औ़रत को चालीस से कम दिनों में खून बंद हो गया तो क्या नमाज़ रोज़ा करेगी ?

जवाब : अक्सर औ़रतों में यह रिवाज है कि जब तक चिल्ला पूरा न होले अगर्चे निफास खत्म हो लिया हो न नमाज़ पढ़ती है , न अपने को नमाज़ के क़ाबिल जानती है यह मह़ज़ जहालत है जिस वक़्त निफास खत्म हुआ उसी वक़्त से नहा कर नमाज़ शुरुअ़ कर दें !

सवाल : क्या इस्तिह़ाज़ा की ह़ालत में भी नमाज़ व रोज़ा मुआ़फ है और औ़रतों से सोह़बत हरा़म है ?

जवाब : इस्तिह़ाज़ा में न नमाज़ मुआ़फ है न रोज़ा , न ऐसी औ़रतों से सोह़बत ह़राम !

वुज़ू का बयान

सवाल : वुज़ू में कितने और कौन कौनसे फर्ज़ है ?

जवाब : वुज़ू में चार फ़र्ज़ हैं : (1) मुँह धोना (2) कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना (3) सर का मसह़ करना (4) टखनों समेत दोनों पाँव का धोना !

सवाल : किसी ऊ़ज़्व को धोने के क्या मा'ना है ?

जवाब : किसी ऊ़ज़्व के धोने के यह मा'ना हैं कि उस ऊ़ज़्व के हर ह़िस्से पर कम से कम दो बूंद पानी बह जाये , भीग जाने या तेल की तरह पानी चिपड़ लेने या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे न उससे वुज़ू या ग़ुस्ल अदा हो , इस अम्र का लिहाज़ बहुत ज़रूरी है लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते और नमाज़े अकारत जाती हैं !

सवाल : चेहरे से क्या मुराद है ?

जवाब : लम्बाई में शुरूअ़ पेशानी से (जहां से आ़दतन बाल उगते है वहां) से नीचे ठोड़ी तक और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक !

सवाल : दाढ़ी के नीचे जो जिल्द है , क्या उसका धोना फर्ज़ है ?

जवाब : दाढ़ी के बाल अगर घने न हों तो चमड़े का धोना फर्ज़ है और अगर घने हो तो गले की तरफ दबाने से जिस क़द्र चेहरे के घेरे में आयें उनका धोना फर्ज़ है और जड़ों का धोना फर्ज़ नहीं और जो ह़ल्के से नीचे हो उनका धोना ज़रूरी नहीं और अगर कुछ ह़िस्से में घने हों और कुछ छिदरे हों तो जहां घने हों तो वहां बाल और जहां छिदरे है उस जगह जिल्द का धोना फर्ज़ है !

सवाल : वुज़ू की सुन्नते बयान कर दें ?

जवाब : वुज़ू में दर्जे ज़ैल सुन्नत है : (1) वुज़ू पर सवाब पाने के लिए हुक़्मे इलाही बजा लाने की नियत से वुज़ू करना (2) بسم الله से शुरूअ़ करना (3) इब्तिदा में दोनों हाथो को गट्टो तक तीन तीन बार धोना (4) मिस्वाक करना (5) तीन मर्तबा कुल्ली करना (6) तीन मर्तबा नाक मे पानी चढ़ाना और इन दोनों में मुबालग़ा करना (7) दाढ़ी का खिलाल करना (8) हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना (9) जो आ'ज़ा धोने है उनको तीन मर्तबा धोना (10) पूरे सर का एक बार मसह़ करना (11) कानो का मसह़ करना (12) तरतीब के पहले मुँह , फिर हाथ धोए , फिर सर का मसह़ करें , फिर पांव धोएं (13) पे दर पे वुज़ू करना या'नी पहले वाला उ़ज़्व सूखने न पाए के दूसरा उ़ज़्व धो लेना !

सवाल : मिस्वाक के कुछ आदाब बयान कर दें ?

जवाब : (1) कम से कम तीन मर्तबा दाहिने बाएं , ऊपर नीचे के दांतो मे मिस्वाक करें इस तरह के पहले दाहिनी जानिब के ऊपर के दांत माँझे , फिर बाएं जानिब के ऊपर के दांत , फिर दाहिनी जानिब के नीचे के , फिर बाएं जानिब जानिब के नीचे के (2) हर मर्तबा मिस्वाक को धोले , यूँही फारिग़ होने के बा'द धो डालें (3) मिस्वाक न बहुत नरम हो न सख्त हो (4) और पीलू या ज़ैतून या नीम वग़ैरा कड़वी लकड़ी की हो , मेवे या खुशबूदार फूल के दरख़्त न हो (5) छुंगलिया के बराबर मोटी हो (6) ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश्त लम्बी हो और इतनी छोटी भी न हो के मिस्वाक करना दुशवार हो , जो मिस्वाक एक बालिश्त से ज़्यादा हो उस पर शैतान बैठता है (7) मिस्वाक जब क़ाबिले इस्ते'माल न रहे तो उसे दफ़्न कर दें या किसी जगह एह़तियात से रख दे के किसी नापाक जगह

न गिरें के एक तो वो आ’लाए अदाएं सुन्नत है उसकी ता'ज़ीम चाहिए , दूसरे आबे दहने मुस्लिम नापाक जगह डालने से मह़फ़ूज़ रखना चाहिए , इसीलिए पाखाना में थूकने को उ़ल-मा ने ना मुनासिब लिखा है (8) मिस्वाक दाहिने हाथ से करें और इस तरह हाथ में लें कि छुंगलिया मिस्वाक के नीचे और बीच कि तीन उंगलियां ऊपर और अंगूठा सिरे पर नीचे हो और मुट्ठी न बांधे (9) दांतो की चौड़ाई में मिस्वाक करे लम्बाई में नहीं , चित लेट कर मिस्वाक न करें (10) मिस्वाक ज़मीन पर पड़ी न छोड़ दें बल्कि खड़ी रखें और रेशे की जानिब ऊपर हो (11) अगर मिस्वाक न हो तो उंगली या संगीन कपढ़े से दांत माँझ ले , यूँही अगर दांत न हो तो उंगली या कपड़ा मसूड़ों पर फेर लें !

सवाल : वुज़ू के मुस्तह़ब्बात बयान कर दें ?

जवाब : वुज़ू के मुस्तह़ब्बात दर्जे ज़ैल है : (1) वुज़ू करते वक़्त ऊंची जगह पर क़िब्ला रू बैठना (2) वुज़ू करने में बग़ैर ज़रूरत दूसरे से मदद न लेना (3) दौराने वुज़ू दुनियावी गुफ्तगू न करना (4) पानी बहाते वक़्त आज पर हाथ फैरना खास कर सर्दियों मे (5) दिल के साथ ज़बान से भी नियत करना (6) वुज़ू के बारे में वारिद शुदा दुआ़ए पढ़ना (7) हर उ़ज़्व धोने से पहले بسم الله पढ़ना (8) कानो का मसह़ करते वक़्त भीगी छुंग्लिया कानो के सुराखो में दाखिल करना (9) अगर पहनी हुई अंगूठी खुली हुई हो तो उसे ह़रकत देना (अगर खुली न हो , तंग हो तो ह़रकत देना ज़रूरी है) (10) कुल्ली और नाक मे दाए हाथ से पानी चढ़ाना जबकि नाक की सफाई बाए हाथ से करना (11) ग़ैरे मा'ज़ूर के लिए वक़्त दाखिल होने से पहले वुज़ू करना (12) वुज़ू के बा'द कलिमा ए शहादत पढ़ना !

सवाल : सर के मसह़ का मुस्तह़ब तरीक़ा क्या है ?

जवाब : मस्ह़े सर में मुस्तह़ब तरीक़ा ये है के अंगूठे और कलिमे की उंगली के सिवा एक हाथ की बाक़ी तीन उंगलियों का सिरा , दूसरे हाथ की तीनों उंगलियों के सिरे से मिलाएं और पेशानी के बाल या खाल पर रखकर गुद्दी तक इस तरह ले जाएं के हथेलियां सर से जुदा रहें वहां से हथेलियों से मसह़ करता वापस लाए और कलिमे की उंगली के पेट से कान के अंदरूनी ह़िस्से का मसह़ करें और अंगूठे के पेट से कान की बेरूनी सतह़ का और उंगलियों की पुश्त से गर्दन क मसह़ !

सवाल : वुज़ू के मकरूहात बयान कर दें ?

जवाब : वुज़ू के मकरूहात दर्जे ज़ैल है : (1) वुज़ू के लिए नजिस जगह बैठना (2) नजिस जगह वुज़ू का पानी गिराना (3) आ'ज़ाए वुज़ू से लोटे वग़ैरा में क़तरा टपकाना (4) क़िब्ले की तरफ थूंक या खंकार डालना या कुल्ली करना (5) बे ज़रूरत दुनिया की बाते करना (6) ज़्यादा पानी खर्च करना (7) इतना कम खर्च करना कि सुन्नत अदा न हो (8) मुँह पर पानी मारना (9) मुँह पर पानी डालते वक़्त फूंकना (10) गले का मसह़ करना (11) बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना (12) दाहिने हाथ से नाक साफ करना (13) तीन जदीद पानियों से तीन बार सर का मसह़ करना (14) धूप के गर्म पानी से वुज़ू करना , हर सुन्नत का तर्क मकरूह है यूँ ही हर मकरुह का तर्क सुन्नत !

सवाल : वुज़ू तोड़ने वाली चीज़े कौन सी है ?

जवाब : दर्जे ज़ैल चीज़ो से वुज़ू टूट जाता है :

(1) पाखाना , पेशाब , वदी , मज़ी , मनी , कीड़ा , पथरी मर्द या औ़रत के आगे या पीछे से निकले (2) मर्द या औ़रत के पीछे से हवा खारिज हो (3)

शर्मगाह के अ़लावा जिस्म के किसी ह़िस्से से बहती नजासत निकले (4) खाने , पानी या सफरा (कड़वे पानी) की मुँह भर क़ै - (क़ै के यह मा'ना है कि उसे बे तकल्लुफ न रोक सकता हो) (5) मुँह से खून निकला अगर थूंक पर ग़ालिब है वुज़ू तोड़ देगा वरना नहीं (ग़लबे की शनाख्त यह है कि थूंक का रंग अगर सुर्ख हो जाए तो खून ग़ालिब समझा जाएगा और अगर ज़र्द हो तो मग़लूब) (6) ऐसी ग़फलत वाली नींद जिसमें मक़-अ़द न जमी हो (7) बेहोशी (8) जुनून (9) नशा (10) बालिग़ का रुकूअ़ व सुजूद वाली नमाज़ में जागने की ह़ालत में क़हक़हा (11) मुबाशरते फाह़िशा या'नी उ़ज़्वे तनासुल का मर्द या औ़रत की शर्मगाह के साथ इन्तिशार की ह़ालत में बिला ह़ाइल मस करना (12) बहते खून की क़ै वुज़ू तोड़ देती है जबकि थूंक से मग़लूब न हो और जमअ़ हुआ खून है तो वुज़ू नहीं जाएगा जब तक मुँह भर न हो !

सवाल : सित्र खोलने या दूसरे का सित्र देखने से वुज़ू टूट जाता है या नहीं ?
जवाब : अ़वाम में जो मशहूर है कि घुटना या सित्र खुलने या अपना या पराया सित्र देखने से वुज़ू जाता रहता है मह़ज़ बे-अस्ल बात है , हाँ ! वुज़ू के आदाब से है कि नाफ से ज़ानू के नीचे तक सब सित्र छुपा हो बल्कि इस्तिन्जे के बा'द फौरन ही छुपा लेना चाहिए कि बग़ैर ज़रूरत सित्र खुला रखना मनअ़ है और दूसरों के सामने खोलना ह़राम है !

सवाल : बे वुज़ू क़ुरआन पढ़ना या छूना कैसा है ?
जवाब : बे वुज़ू को क़ुरआने मजीद का छूना ह़राम है और बे छूए ज़बानी या देखकर पढ़ें तो कोई ह़रज नहीं !

मोज़ो पर मसह़ का बयान

सवाल : अगर किसी ने मोज़े पहने हुए हो तो क्या वह पांव धोने के बजाय मौज़ो पर मसह़ कर सकता है ?

जवाब : जो मर्द या औ़रत मौज़ा पहने हुए हो वह अगर वुज़ू में बजाए पांव धोने के मसह़ करें जाइज़ है और बेहतर पांव धोना है बशर्ते के मसह़ जाइज़ समझे !

सवाल : मौज़ो पर मसह़ करने के लिए क्या शर्त है ? **जवाब :** इसके लिए चंद शर्ते हैं : (1) मौज़े ऐसे हो कि टखने छुप जाए इससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं और अगर दो एक उंगल कम हो जब भी मसह़ दुरूस्त है , एड़ी न खुली हो (2) पांव से चिपटा हो कि उसको पहन कर आसानी के साथ खूब चल फिर सके (3) चमड़े का हो या सिर्फ तला चमड़े का और बाक़ी किसी और दबीज़ चीज़ का (जिसमें पानी रिस कर ना ज सके) , (बल्कि अगर पूरा किसी दबीज़ चीज़ का है तो फतवा इस पर है कि उस पर भी मसह़ हो जाएगा लिहाज़ा हिन्दुस्तान में उ़मूमन सूती या ऊनी मोज़े पहने जाते हैं उन पर मसह़ जाइज़ नहीं इनको उतार कर पांव धोना फर्ज़ है (4) वुज़ू करके पहना हो ख्वाह पूरा वुज़ू करके पहना या सिर्फ पांव धोकर पहना और बा'द में वुज़ू पूरा कर लिया (5) कोई मौज़ा पांव की छोटी तीन उंगलियों के बराबर फटा न हो या'नी चलने में तीन उंगल बदन ज़ाहिर न होता हो !

सवाल : एक दफअ़ मोज़े पहनने के बा'द कब तक उन पर मसह़ कर सकते हैं ?

जवाब : इसकी मुद्दत मुक़ीम के लिए एक दिन रात है और मुसाफिर के वास्ते तीन दिन और तीन राते , मौज़ा पहनने के बा'द पहली मर्तबा जो ह़दस हुआ उस वक़्त से इसका शुमार है मसलन सुबह़ के वक़्त मोज़ा पहना और ज़ुहर के वक़्त

पहली बार ह़दस हुआ तो मुक़ीम दूसरे दिन की ज़ुहर तक मसह़ करें और मुसाफिर चौथे दिन की ज़ुहर तक !

सवाल : मौज़ो पर मसह़ का तरीक़ा क्या है ?

जवाब : मौज़ो पर मसह़ का तरीक़ा यह है कि दोनों हाथों की उंगलियों को तर करने के बा'द दहने हाथ की तीन उंगलियां दहने पांव की पुश्त के सिरे पर और बाएं हाथ की उंगलियां बाएं पांव की पुश्त के सिरे पर रखकर पिंडली की तरफ कम से कम बक़द्रे तीन उंगल के खींच ली जाए और सुन्नत यह है कि पिंडली तक पहुंचाएं !

सवाल : मौज़ो पर मसह़ के फर्ज़ कितने हैं ?

जवाब : मसह़ में फर्ज़ दो है : (1) हर मोज़े का मसह़ हाथ की छोटी तीन उंगलियों के बराबर होना (2) मोज़े की पीठ पर होना !

सवाल : मसह़ किन चीज़ो से टूटता है ?

जवाब : (1) जिन चीज़ो से वुज़ू टूटता है उनसे मसह़ भी जाता रहता है (2) मुद्दत पूरी हो जाने से मसह़ जाता रहता है और इस सूरत में सिर्फ पांव धो लेना काफी है फिर से पूरा वुज़ू करने की ह़ाजत नहीं और बेहतर यह है कि पूरा वुज़ू कर लें (3) मोज़े उतार देने से मसह़ टूट जाता है अगर्चे एक ही उतारा हो (4) मोज़े पहनकर पानी में चला , एक पांव का आधे से ज़्यादा ह़िस्सा धुल गया या और किसी तरह से मोज़े में पानी चला गया और आधे से ज़्यादा पांव धुल गया तो मसह़ जाता रहा !

सवाल : जिन पर ग़ुस्ल फर्ज़ हो क्या वह भी पांव धोने के बजाय मौज़ो पर मसह़ कर सकते हैं ?

जवाब : जिस पर ग़ुस्ल फर्ज़ है वह मौज़ो पर मसह़ नहीं कर सकता !

ग़ुस्ल का बयान

सवाल : ग़ुस्ल में कितने फ़र्ज़ है ?

जवाब : ग़ुस्ल में तीन फर्ज़ है :

(1) कुल्ली करना : या'नी मुँह के हर पुर्ज़े गोशे होंट से ह़ल्क़ की जड़ तक हर जगह पानी बह जाएं , अक्सर लोग कि थोड़ा सा पानी मुँह में लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं अगर्चे ज़बान की जड़ और ह़ल्क़ के किनारे तक न पहुंचे यूँ ग़ुस्ल न होगा , न इस तरह नहाने के बा'द नमाज़ जाइज़ बल्कि फर्ज़ है कि दाढ़ो के पीछे , गालों की तह में , दांतों की जड़ और खिड़कियों में ज़बान की हर करवट में ह़ल्क़ के किनारे तक पानी बहे -

(2) नाक में पानी डालना : या'नी दोनों नथुनो का जहां तक नरम जगह है धुलना के पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाए बाल बराबर जगह भी धुलने से रह न जाए वरना ग़ुस्ल न होगा , नाक के अंदर रीठ सूख गई है तो इसका छुड़ाना फर्ज़ है नीज़ नाक के बालों का धोना भी फर्ज़ है -

(3) तमाम ज़ाहिर बदन पर पानी बेह जाना : सर के बालों से पांव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्ज़े हर रोंगटे पर पानी बह जाना !

सवाल : ग़ुस्ल का सुन्नत तरीक़ा क्या है ?

जवाब : ग़ुस्ल का सुन्नत तरीक़ा दर्जे ज़ैल है :

ग़ुस्ल की नियत करके दोनों हाथ गट्टों तक तीन मर्तबा धोये फिर इस्तिन्जे की जगह धोए ख्वाह नजासत हो या न हो फिर बदन पर जहां कहीं नजासत हो उसको दूर करें फिर नमाज़ का सा वुज़ू करें मगर पांव न धोये , हाँ अगर चौकी या तख्ते या पत्थर पर नहाए तो पाव भी धो लें फिर बदन पर तेल की तरह पानी

चिपढ़ ले खुसूसन सर्दियों में फिर तीन मर्तबा दहने मोंढे पर पानी बहाए फिर बाए मोंढे पर तीन बार फिर सर पर और तमाम बदन पर तीन बार फिर ग़ुस्ल की जगह से अलग हो जाए अगर वुज़ू करने में पांव नहीं धोए थे तो अब धो लें और नहाने में क़िब्ला रुख न हो और तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले और ऐसी जगह नहाए कि कोई न देखें और अगर यह न हो सके तो नाक से घुटने तक के आ'ज़ा का सित्र होना ज़रूरी है और किसी क़िस्म का कलाम न करें न कोई दुआ़ पढ़े बा'द नहाने के रुमाल से बदन पूछ डालें तो ह़रज नहीं !

सवाल : बहते पानी में नहाने का क्या तरीक़ा है ?

जवाब : अगर बहते पानी मसलन दरिया या नहर में नहाया तो थोड़ी देर उसमें रुकने से तीन बार धोने और तरतीब और वुज़ू यह सब सुन्नते अदा हो गई इसकी भी ज़रूरत नहीं के आ'ज़ा को तीन बार ह़रकत दें और तालाब वग़ैरा ठहरे पानी में नहाया तो आ'ज़ा को तीन बार ह़रकत देने या जगह बदलने से तसलीस या'नी तीन बार धोने की सुन्नत अदा हो जाएगी बारिश में खड़ा हो गया तो यह बहते पानी में खड़े होने के हुक्म में है , बहते पानी में किया वुज़ू किया तो वही थोड़ी देर उसमें उ़ज़्व को रहने देना और ठहरे पानी में ह़रकत देना तीन बार धोने के क़ाइम मक़ाम है !

सवाब : क्या ग़ुस्ल और वुज़ू के लिए पानी की मिक़्दार मुअ़य्यन है ?

जवाब : सबके लिए ग़ुस्ल या वुज़ू में पानी की एक मिक़्दार मुअ़य्यन नहीं , जिस तरह अ़वाम में मशहूर है मह़ज़ बातिल है एक लंबा चौड़ा , दूसरा दुबला पतला , एक के तमाम आ'ज़ा पर बाल दूसरे का बदन साफ , एक घनी दाढ़ी वाला दूसरा बेरीश , एक के सर पर बड़े-बड़े बाल दूसरे का सर मुंडा وعلى هذا القياس सबके लिए एक मिक़्दार कैसे मुम्किन है !

सवाल : ग़ुस्ल वाजिब होने के क्या असबाब है ?

जवाब : ग़ुस्ल वाजिब होने के दर्जे ज़ैल असबाब है : (1) मनी का अपनी जगह से शेहवत के साथ जुदा होकर उ़ज़्व से निकलना (2) एह़तिलाम होना (3) ह़श्फा या'नी सरे ज़कर का औ़रत के आगे या पीछे या मर्द के पीछे दाखिल होना दोनों पर ग़ुस्ल वाजिब करता है , शेहवत के साथ हो या बग़ैर शेहवत , इन्ज़ाल हो या न हो बशर्ते के दोनों मुकल्लफ़ हो (4) ह़ैज़ से फारिग़ होना (5) निफास का खत्म होना !

सवाल : ग़ुस्ल करना कब सुन्नत है ?

जवाब : जुमुआ़ , ई़द , बक़रा ई़द , अ़रफा के दिन और एह़राम बांधते वक़्त ग़ुस्ल करना सुन्नत है !

सवाल : ग़ुस्ल करना कब मुस्तह़ब है ?

जवाब : दर्जे ज़ैल सूरतो में ग़ुस्ल मुस्तह़ब है : (1) वुक़ूफे अ़रफात के लिए (2) वुक़ूफे मुज़दलिफा के लिए (3) हाज़िरीये ह़रम के लिए (4) हाज़िरीये सरकारे आ'ज़म के लिए (5) तवाफ़ के लिए (6) दुखूले मिना के लिए (7) जमरो पर कंकरिया मारने के लिए तीनों दिन (8) शबे बराअत में (9) शबे क़द्र में (10) अ़रफे की रात में (11) मजलिसे मीलाद शरीफ और दीगर मजालिसे से खैर की हाज़िरी के लिए (12) मुर्दा नहलाने के बा'द (13) मजनून को जुनून जाने के बा'द (14) गशी से इफाके के (15) नशा जाते रहने के बा'द (16) गुनाह से तौबा करने के लिए (17) नया कपड़ा पहनने के लिए (18) सफ़र से आने वाले के लिए (19) इस्तिह़ाज़ा का खून बंद होने के बा'द (20) नमाज़े कुसूफ़ व खुसूफ व इसतिस्क़ा

के लिए (21) खौफ़ व तारीकी और सख्त आंधी के लिए (22) बदन पर नजासत लगी हो और यह मा'लूम न हो कि किस जगह है !

सवाल : जिस पर चंद गुस्ल हो क्या वह अलग अलग गुस्ल करेगा ?
जवाब : जिस पर चंद गुस्ल हो सब की नियत से एक गुस्ल कर लिया सब अदा हो गए सब का सवाब मिलेगा !

सवाल : जिस पर गुस्ल वाजिब हो उसे क्या करना चाहिए ?
जवाब : जिस पर गुस्ल वाजिब हो उसे चाहिए कि नहाने में ताखीर न करें , ह़दीस में है जिस घर में जुनुबी हो उसमें रह़मत के फरिश्ते नहीं आते -
और अगर इतनी देर कर चुका की नमाज़ का आखिर वक़्त आ गया तो अब फ़ौरन नहाना फ़र्ज़ है अब ताखीर करेगा तो गुनहगार होगा और खाना खाना या औ़रत से जिमाअ़ करना चाहता है तो वुज़ू कर ले या हाथ मुँह धोले , कुल्ली कर ले और अगर वैसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मकरुह है और मोहताजी लाता है और बे नहाए या बे वुज़ू किए जिमाअ़ कर लिया तो भी कुछ गुनाह नहीं मगर जिसको एह़तिलाम हुवा उसको औ़रत के पास जाना न चाहिए !

सवाल : जिस पर गुस्ल वाजिब हो उसे कौन से काम करना ह़राम है ?
जवाब : जिसको नहाने की ज़रूरत हो उसको मस्जिद में जाना , तवाफ करना , क़ुरआने मजीद छूना अगर्चे उसका सादा ह़ाशिया या जिल्द या चोली छुए या बेछुए देखकर ज़बानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना या आयत का ता'वीज़ लिखना या ऐसा ता'वीज़ छूना या ऐसी अंगूठी छूना या पहनना जैसे मुक़त्तआत की अंगूठी सब ह़राम है !

सवाल : क़ुरआने मजीद जुज़दान में हो तो उसको हाथ लगाना कैसा है और रुमाल से क़ुरआने मजीद पकड़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर क़ुरआने अज़ीम जुज़दान में हो तो जुज़दान पर हाथ लगाने में ह़रज नहीं यूँ ही रुमाल वग़ैरा किसी ऐसे कपढ़े से पकड़ना जो न अपना ताबेअ़ हो न क़ुरआने मजीद का तो जाइज़ है , कुर्ते की आस्तीन , दुपट्टे के आंचल से यहाँ तक के चादर का एक कोना इसके मोंढे पर है दूसरे कोने से छूना ह़राम है कि यह सब इसके ताबेअ़ है जैसे चोली क़ुरआने मजीद के ताबेअ़ है !

सवाल : जुनुबी (जिस पर गुस्ल वाजिब हो) ह़ाइज़ा और बे वुज़ू शख्स के लिए क़ुरआन के तर्जमे को छूने और पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब : क़ुरआन का तर्जमा फारसी या उर्दू या किसी और ज़बान में हो उसके भी छूने और पढ़ने में क़ुरआने मजीद ही का सा हुक्म है !

सवाल : जुनुबी , ह़ाइज़ा और बे वुज़ू शख्स के लिए फ़िक्ह , तफसीर और ह़दीस की किताबों को छूना कैसा है ?

जवाब : इन सब को फ़िक्ह , तफसीर व ह़दीस की किताबों का छूना मकरूह है और अगर इनको किसी कपढ़े से छुआ अगर्चे उसको पहने या ओढ़े हुए हो तो ह़रज नहीं मगर मवज़-ए-आयत पर इन किताबों में भी हाथ रखना ह़राम है !

सवाल : जुनुबी और ह़ाइज़ा को दुरूद शरीफ दुआ़एं पढ़ना और अज़ान का जवाब देना कैसा है ?

जवाब : दुरुद शरीफ और दुआ़ओं के पढ़ने में उन्हें ह़रज नहीं मगर बेहतर यह है कि वुज़ू या कुल्ली करके पढ़ें , उनको अज़ान का जवाब देना भी जाइज़ है !

पानी का बयान

सवाल : किस पानी से वुज़ू और गुस्ल जाइज़ है ?

जवाब : बारिश , समंदर , दरिया , कुवे , बर्फ , ओले और चश्मे के पानी से वुज़ू और गुस्ल जाइज़ है !

सवाल : इस्ते'माल के ऐ'तबार से पानी की कितनी किसमें है ?

जवाब : इस के ऐ'तबार से पानी की पांच क़िस्में है :

(1) ताहिर मुतह्हिर ग़ैरे मकरूह : यह माए मुतलक़ है , जो खुद भी पाक है और पाक करने वाला भी है या'नी इस से वुज़ू और गुस्ल हो सकते हैं , इसके इस्ते'माल में कराहियत भी नहीं -

(2) ताहिर मुतह्हिर मकरूह : जो क़लील (दह-दर-दह से कम) हो और उसमें से बिल्ली ने पी लिया हो , ये खुद भी पाक और पाक करने वाला भी है या'नी इससे वुज़ू और गुस्ल हो जाएगा मगर इसका इस्ते'माल मकरूह है -

(3) ताहिर ग़ैरे मुतह्हिर : जो खुद पाक है मगर पाक करने वाला नहीं या'नी इससे वुज़ू और गुस्ल नहीं हो सकता जैसे माए मुस्त'मल , फल , फूल और दरख़्त वग़ैरा का पानी -

(4) माए नजिस (नापाक पानी) : जिसमें नजासत गिर गई हो अगर क़लील है तो मुतलक़ तौर पर नापाक हो जाएगा और अगर माए कसीर है या जारी पानी है तो नजासत का असर (रंग या बू या ज़ाइक़ा) उसमें आ जाए तो नापाक होगा इससे वुज़ू और गुस्ल नहीं हो सकता -

(5) माए मशकूक : जिससे गधे या खच्चर ने पिया हो अगर साफ पानी मिल जाए तो इससे वुज़ू और गुस्ल जाइज़ नहीं अगर साफ पानी न मिले तो इससे वुज़ू करने के बा'द तयम्मुम करें फिर नमाज़ पढ़े !

सवाल : जारी पानी की क्या ता’रीफ है ?

जवाब : जारी पानी वह है कि उसमें तिनका का डाल दिया जाए तो बहा ले जाए , यह खुद पाक भी है और पाक करने वाला है !

सवाल : जारी पानी में नजासत गिर जाए तो कब नापाक होगा ?

जवाब : जारी पानी में नजासत पढ़ने से नापाक न होगा जब तक वह नजिस उसके रंग या बू या ज़ाइक़े को न बदल दे , अगर नजिस चीज़ से रंग या बू या मज़ा बदल गया तो नापाक हो गया !

सवाल : माए कसीर और माए क़लील की क्या ता’रीफ है ?

जवाब : जो दह-दर-दह या उससे ज़्यादा हो वह कसीर है जो इससे कम हो क़लील है !

सवाल : दह-दर-दह की क्या ता’रीफ है ?

जवाब : दस हाथ लंबा दस चौड़ा जो हौज़ उसे दह-दर-दह और बड़ा हौज़ कहते हैं यूँ ही बीस हाथ लंबा पांच हाथ चौड़ा या पच्चीस हाथ लंबा चार हाथ चौड़ा ग़र्ज़ कुल लंबाई चौड़ाई सो हाथ हो और गोल हो तो उसकी गोलाई तक़रीबन साढ़े पैंतीस हो जो इससे कम हो वह थोड़ा पानी है अगर्चे उसकी गहराई कितनी ज़्यादा क्यों न हो !

सवाल : माए कसीर कब नापाक होगा ?

जवाब : इसके अह़काम जारी पानी की तरह है या’नी नजासत पढ़ने से रंग या बू या ज़ायक़ा का बदल जाए तो नापाक हो जाएगा वरना पाक रहेगा !

सवाल : माए मुसत’मल कौन सा पानी है ?

जवाब : पानी दर्जे ज़ैल सूरतो में मुसत’मल हो जाता है या’नी वुज़ू और ग़ुस्ल के क़ाबिल नहीं रहता : (1) जो पानी वुज़ू या ग़ुस्ल करने में बदन से गिरा वह माए मुसत’मल है (2) यूँ ही बे वुज़ू शख्स का हाथ या ऊँगली या पोरा या नाखून या

बदन का कोई टुकड़ा जो वुज़ू में धोया जाता हो बक़स्द या बिला क़स्द दह-दर-दह से कम पानी में बे धोए पड़ जाए तो वह पानी मुसत'मल हो गया (3) इसी तरह जिस शख्स पर नहाना फर्ज़ है उसके जिस्म का कोई भी धुला हुआ हिस्सा पानी से छू जाए तो वह पानी मुसत'मल हो गया अगर धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पड़ जाए तो हरज नहीं (4) अगर हाथ धुला हुआ है मगर फिर धोने की नियत से डाला और यह धोना सवाब का काम हो जैसे खाने के लिए या वुज़ू के लिए तो यह पानी मुसत'मल हो गया या'नी वुज़ू और गुस्ल के काम का न रहा और उसको पीना भी मकरूह है !

सवाल : अगर बे गुस्ल या बेवुज़ू शख्स ने मजबूरन पानी में हाथ वग़ैरा डाल दिया तो ?

जवाब : अगर ज़रूरतन हाथ पानी में डाला जैसे पानी बड़े बर्तन में है कि उसे झुका नहीं सकता , न कोई छोटा बर्तन है कि उस से निकाले तो ऐसी सूरत में बक़द्रे ज़रूरत हाथ पानी में डाल कर उससे पानी निकाले या कुएं में रस्सी डोल गिर गया और बे घुसे नहीं निकल सकता और पानी भी नहीं के हाथ पांव धोकर घुसे तो इस सूरत में अगर पांव डालकर ढोल रस्सी निकालेगा मुस्त'मल न होगा !

सवाल : माए मुस्त'मल अच्छे पानी में मिल जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब : मुस्त'मल पानी अगर अच्छे पानी में मिल जाए मसलन गुस्ल करते वक़्त क़तरे लोटे या बाल्टी में टपके तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो यह वुज़ू और गुस्ल उसके काम का है वरना सब बेकार हो गया या'नी जो ज़्यादा है उसका हुक्म लगेगा !

सवाल : मुस्त'मल पानी को वुज़ू व गुस्ल के क़ाबिल कैसे बनाया जा सकता है ?

जवाब : पानी में हाथ पड़ गया या और किसी तरह मुस्त'मल हो गया और यह

चाहे कि यह काम का हो जाए तो अच्छा पानी इससे ज़्यादा इसमें मिला दें नीज़ इसका यह तरीक़ा भी है कि उसमें एक तरफ से पानी डालें कि दूसरी तरफ से बह जाए सब काम का हो जाएगा इस दूसरे तरीक़े से नापाक पानी को भी पाक कर सकते हैं !

सवाल : जो पानी धूप से गर्म हो गया हो उस से वुज़ू व ग़ुस्ल करना कैसा है ?

जवाब : जो पानी गर्म मुल्क में गर्म मौसम में सोने चांदी के सिवा किसी और धात के बर्तन में धूप में गर्म हो गया तो जब तक गर्म है उससे वुज़ू और ग़ुस्ल न चाहिए न उसको पीना चाहिए बल्कि बदन को किसी तरह पहुंचना न चाहिए यहाँ तक कि अगर उससे कपड़ा भीग जाए तो जब तक ठंडा न हो ले उसको पहनने से बचें कि उस पानी के इस्ते'माल में अंदेशा ए बर्स है फिर भी अगर वुज़ू या ग़ुस्ल कर लिया तो हो जाएगा !

सवाल : नाबालिग़ के भरे हुए पानी से वुज़ू व ग़ुस्ल करना कैसा है ?

जवाब : नाबालिग़ का भरा हुआ पानी के शरअन उसकी मिल्क हो जाए उसे पीना या किसी काम में लाना उसके माँ-बाप या जिसका वह नौकर है उसके सिवा किसी को जाइज़ नहीं अगर्चे इजाज़त भी दे दे , अगर वुज़ू कर लिया तो वुज़ू हो जाएगा और गुनहगार होगा यहाँ से मुअ़ल्लिमीन को सबक़ लेना चाहिए कि अक्सर वो नाबालिग़ बच्चों से पानी भरवा कर अपने काम में लाया करते हैं इसी तरह बालिग़ का भरा हुआ बग़ैर इजाज़त सर्फ करना भी ह़राम है !

सवाल : जिस पानी में नजासत पड़ गई उस पानी का क्या हुक्म है ?

जवाब : नजासत ने पानी का मज़ा , बू , रंग बदल दिया तो उसको अपने इस्ते'माल में लाना भी नाजाइज़ और जानवरों को पिलाना भी , गारे वग़ैरह के काम मिला सकते हैं मगर उस गारे मिट्टी को मस्जिद की दीवार वग़ैरह में सर्फ करना जाइज़ नहीं !

झूठे पानी का बयान

सवाल : किसी पानी को इंसान या किसी जानवर ने झूठा कर दिया तो उसका क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर माए क़लील में से किसी इंसान या जानवर ने पी लिया हो तो उसकी चार क़िस्में है :

(1) ताहिर मुतहिहर (पाक और पाक करने वाला) : यह वो पानी है जिसमे से इंसान या घोड़े या किसी ह़लाल जानवर ने पिया हो

(2) नजिस : इस का इस्ते'माल जाइज़ नहीं , यह वो पानी है जिससे खिंजीर , कुत्ते या किसी भी दरिंदे जैसा के शैर , चीते वग़ैरह ने पिया हो

(3) मकरूह : सही पानी के होते हुए इसका इस्ते'माल मकरुह है , यह वह पानी है जिससे बिल्ली , चूहे , छूटी फिरने वाली और ग़लीज़ में मुँह डालने वाली मुर्गी और शिकारी परिंदे जैसा कि शिकरा बा'ज़ वग़ैरा ने पिया हो , अच्छा पानी होते हुए मकरूह पानी से वुज़ू व गुस्ल मकरूह और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो कोई ह़रज नहीं

(4) मशकूक : यह वह पानी है जिससे गधे या खच्चर ने पिया हो , अच्छा पानी होते हुए मशकूक से वुज़ू व गुस्ल जाइज़ नहीं और अगर अच्छा पानी न हो तो उसी से वुज़ू व गुस्ल कर ले और बेहतर यह है कि वुज़ू पहले करले और तयम्मुम भी अगर अ़क्स किया या'नी पहले तयम्मुम किया फिर वुज़ू जब भी ह़रज नहीं और अगर वुज़ू किया और तयम्मुम न किया या तयम्मुम किया और वुज़ू न किया तो नमाज़ न होगी !

सवाल : इंसान का झूठा पाक है तो क्या जुनुबी और ह़ैज़ वाली औ़रत का झूठा भी

पाक है ?

जवाब : इंसान चाहे जुनुब हो या ह़ैज़ व निफास वाली औ़रत उसका झूठा पाक है , उससे वुज़ू और गुस्ल जाइज़ है मगर जुनुबी ने बग़ैर कुल्ली किये पानी पिया तो उस झूठे पानी से वुज़ू और गुस्ल नाजाइज़ है कि वह मुस्त'मल हो गया !

सवाल : क्या काफिर का झूठा भी पाक है ?

जवाब : काफिर का झूठा भी पाक है , मगर उस से बचना चाहिए जैसे थूक , रींठ , खंकार के पाक है मगर उनसे आदमी घिन करता है इससे बहुत बदतर काफिर के झूठे को समझना चाहिए !

सवाल : किसी आदमी के मुँह से खून निकला उसने पानी पिया तो पानी का क्या हुक्म है ?

जवाब : किसी के मुँह से इतना खून निकला कि थूक में सुर्खी आ गई और उसने फौरन पानी पिया तो यह झूठा नापाक है और सुर्खी जाती रहने के बा'द उस पर लाज़िम है कि कुल्ली करके मुँह पाक करें और अगर कुल्ली न की और चंद बार थूंक का गुज़र मवज़-ए नजासत पर हुआ ख्वाह निगलने में थूंकने में यहाँ तक कि नजासत का असर ना रहा तो तहारत हो गई उसके बा'द अगर पानी पिऐगा तो पाक रहेगा अगर्चे ऐसी सूरत मे थूक निगलना सख्त नापाक बात और गुनाह है !

सवाल : शराबी के झूठे का क्या हुक्म है ?

जवाब : معاذ الله शराब पीकर फौरन पानी पिया तो नजिस हो गया और अगर इतनी देर शराब के अज्ज़ा थूंक में मिलकर ह़ल्क़ से उतर गए तो नापाक नहीं मगर शराबी और उसके झूठे से बचना ही चाहिए , शराब खोर की मूँछे बड़ी हो कि शराब मूछों में लगी तो जब तक उनको पाक न करें जो पानी पिऐगा वह पानी और बर्तन दोनों नापाक हो जाएंगे !

सवाल : मर्द को ग़ैर अ़ौरत और अ़ौरत को ग़ैर मर्द का झूठा पीना कैसा है ?

जवाब : मर्द को ग़ैर अ़ौरत का और अ़ौरत को ग़ैर मर्द का झूठा अगर मा'लूम हो कि फलानी या फलां का झूठा है बतौ़रे लज़्ज़त खाना पीना मकरूह है मगर इस खाने , पानी में कोई कराहत नहीं आई और अगर मा'लूम न हो कि किसका है या लज़्ज़त के तौ़र पर खाया पिया न गया तो कोई ह़रज नहीं बल्कि बा'ज़ सूरतौ में बेहतर है जैसे बाशरअ़ आ़लिम या दीनदार पीर का झूठा कि उसे तबर्रुक जानकर लोग खाते पीते हैं !

सवाल : कुत्ते ने बर्तन में मुँह डाला तो बर्तन कैसे पाक होगा ?

जवाब : कुत्ते ने बर्तन में मुँह डाला तो अगर वह चीनी या धात का है या मिट्टी का रोगनी या इस्ते'माली चिकना तो तीन बार धोने से पाक हो जाएगा वरना हर बार सुखाकर , हाँ चीनी में बाल हो या और बर्तन में दरार हो तो तीन बार सुखाकर पाक होगा फक़त धोने से पाक न होगा !

सवाल : बिल्ली हाथ चाटना शुरुअ़ कर दे तो क्या करना चाहिए ?

जवाब : अगर किसी का हाथ बिल्ली ने चाटना शुरूअ़ किया तो चाहिए कि फौरन खींच ले , यूँ ही छोड़ देना कि चाटती रहे मकरुह है और चाहिए कि हाथ धो डालें , बे धोएं अगर नमाज़ पढ़ ली तो हो गई मगर खिलाफे ओला हुई !

सवाल : पानी में रहने वाले जानवरों के झूठे का क्या हुक्म है ?

जवाब : पानी के रहने वाले जानवर का झूठा पाक है ख्वाह उनकी पैदाइश पानी में हो या नहीं !

सवाल : किन जानवरों का पसीना और लुआ़ब पाक है और किन का नापाक ?

जवाब : जिनका झूठा नापाक है उनका पसीना और लुआ़ब भी नापाक है और जिनका झूठा पाक है उनका पसीना और लुआ़ब भी पाक और जिसका झूठा मकरुह उसका लुआ़ब और पसीना भी मकरूह !

कुंवे का बयान

सवाल : कुंवे से कुल पानी निकालने का हुक्म कब होता है ?

जवाब : दर्जे ज़ेल सूरतो में कुएं से कुल पानी निकाला जाएगा :

(1) नजासत गिर जाए अगर्चे क़लील मिक़्दार में हो जैसा कि पेशाब या शराब का क़तरा (2) खिंजीर गिर जाए अगर्चे ज़िंदा निकल आए , अगर्चे उसका मुँह पानी में ना पढ़ा हो (3) आदमी , बकरी या कुत्ता या कोई भी इनके बराबर या इनसे बड़ा जानवर कुएं में गिर कर मर जाए या मर कर कुएं में गिर जाए (4) दमवी (खून वाला) जानवर अगर्चे छोटा ही क्यों ना हो जैसा कि मुर्गी , बिल्ली वग़ैरा गिरकर मरने के बा'द फूल या फट जाए !

सवाल : बीस से तीस डोल कब निकाले जाएंगे ?

जवाब : चूहा , छछूंदर , चिड़िया , छिपकली , गिरगिट या इनके बराबर या इनसे छोटा कोई दमवी जानवर कुएं में गिरकर मर गया तो बीस से तीस डोल तक पानी निकाला जाएगा !

सवाल : चालीस से साठ डोल कब निकाले जाएंगे ?

जवाब : जब कबूतर , मुर्गी , बिल्ली या इस जितना कोई भी जानवर गिरकर मरे तो चालीस से साठ डोल तक पानी निकाला जाएगा !

सवाल : मेंगनिया , गोबर या लीद कुएं में गिर जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब : मेंगनिया , गोबर या लीद अगर्चे नापाक है मगर कुएं में गिर जाए तो उनका क़लील माफ रखा गया है , पानी की नापाकी का हुक्म न दिया जाएगा !

सवाल : अगर एक से ज़्यादा चूहे गिरकर मर जाए तो क्या हुक्म है ?
जवाब : दो चूहे गिरकर मर जाए तो वही बीस से तीस डोल तक निकाला जाए और तीन चार या पांच हो तो चालीस से साठ और छे हो तो कुल पानी निकाला जाएगा !

सवाल : दो बिल्लियां गिर कर मर जाए तो क्या हुक्म है ?
जवाब : दो बिल्लियां मर जाएं तो सारा पानी निकाला जाएगा !

सवाल : बे वुज़ू और जुनुबी (बे गुस्ल शख्स) कुएं में उतरे तो क्या हुक्म है ?
जवाब : बे वुज़ू और जिस शख्स पर गुस्ल फर्ज़ हो अगर बिला ज़रूरत कुएं में उतरे और उनके बदन पर नजासत न लगी हो तो बीस डोल निकाला जाएगा और अगर डोल निकालने के लिए उतरा तो कुछ नहीं !

सवाल : कोई जानवर कुएं में गिरा और ज़िंदा निकल आया तो क्या हुक्म है ?
जवाब : खिंज़ीर (सूअर) के सिवा अगर और कोई जानवर कुएं में गिरा और ज़िंदा निकल आया और उसके जिस्म में नजासत लगी होना यक़ीनी मा'लूम न हो और पानी में उसका मुँह न पढ़ा हो तो पानी पाक है उसका इस्ते'माल जाइज़ मगर एह़तियातन बीस (20) डोल निकालना बेहतर है और अगर उसके बदन पर नजासत लगी होना यक़ीनी मा'लूम हो तो कुल पानी निकाला जाए और अगर उसका मुँह पानी में पड़ा हो तो उसके लुआ़ब और झूठे का जो हुक्म है वही हुक्म उस पानी का है !

सवाल : जूता या गेंद कुएं में गिर गई तो क्या हुक्म है ?
जवाब : जूता या गेंद कुएं में गिर गई हो और नजिस होना यक़ीनी है कुल पानी निकाला जाए वरना बीस डोल , मह़ज़ नजिस होने का खयाल मौ'तबर नहीं !

सवाल : रस्सी और ढोल कैसे पाक होगा ?

जवाब : जिस कुएं का पानी नापाक हो गया उसमें से जितना पानी निकालने का हुक्म है निकाल लिया गया तो अब वो रस्सी डोल जिससे पानी निकाला है पाक हो गया धोने की ज़रूरत नहीं !

सवाल : कुल पानी निकालने से क्या मुराद है ?

जवाब : कुल पानी निकालने के यह मा'ना है कि इतना पानी निकाल लिया जाए कि अब ढोल डालें तो आधा भी न भरे , उसकी मिट्टी निकालने की भी ज़रूरत नहीं ना दीवार धोने की ह़ाजत के वह पाक हो गई !

सवाल : जितना पानी निकालने का हुक्म है वह निकालने के साथ-साथ गिरा हुआ जानवर भी निकालना पढ़ेगा ?

जवाब : यह जो हुक्म दिया गया है कि इतना इतना पानी निकाला जाए इसका यह मतलब है कि वह चीज़ जो उसमें गिरी है उसको उस में से निकाल ले फिर इतना पानी निकाले अगर वह उसी में पड़ी रही तो कितना ही पानी निकाले बेकार है !

सवाल : डोल से कितना बड़ा डोल मुराद है ?

जवाब : जिस कुएं का डोल मुअ़य्यन हो तो उसी का ऐ'तबार है उसके छोटे बड़े होने का कुछ लिहाज़ नहीं और अगर उसका कोई खास डोल ना हो तो ऐसा हो कि एक साअ़ पानी उसमें आ जाए !

सवाल : अगर कुएं से मरा हुआ जानवर निकला , उसके गिरने का वक़्त मा'लूम नहीं , तो कुआं कब से नापाक मा'ना जाएगा ?

जवाब : वक़्त मा'लूम नहीं तो जिस वक़्त देखा गया उस वक़्त से नजिस क़रार पाएगा अगर्चे फूला फटा हो इससे क़ब्ल पानी नजिस नहीं और पहले जो वुज़ू या ग़ुस्ल किया या कपढ़े धोए कुछ ह़रज नहीं तयसीरन इसी पर अ़मल है !

तयम्मुम का बयान

सवाल : तयम्मुम की इजाज़त किसे है ?

जवाब : जिसका वुज़ू न हो या नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर क़ुदरत न हो तो उसकी जगह तयम्मुम करें !

सवाल : पानी पर क़ुदरत ना पाने की सूरत में कौन सी है ?

जवाब : पानी पर क़ुदरत ना पाने की चंद सूरते है : (1) ऐसी बीमारी हो के वुज़ू या ग़ुस्ल से उसके ज़्यादा होने या देर में अच्छा होने का सह़ीह़ अंदेशा हो (2) वहां चारों तरफ एक मील तक पानी का पता ना हो (3) इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार होने का क़वी अंदेशा हो और लिहाँफ वग़ैरा कोई ऐसी चीज़ उसके पास नहीं जिसे नहाने के बा'द ओड़े और सर्दी के ज़रर से बचे , न आग है जिसे ताप सके तो तयम्मुम जाइज़ है (4) दुश्मन का खौफ के अगर उसने देख लिया तो मार डालेगा या माल छीन लेगा या इस गरीब नादार का क़र्ज़ ख्वाह है कि उसे क़ैद करा देगा या इस तरफ सांप है वह काट खाएगा या शेर है के फाड़ खायेगा या कोई बदकार शख्स है और ये औ़रत या अमरद है जिसको अपनी बे आबरूई का गुमाने सह़ीह़ है तो तयम्मुम जाइज़ है (5) जंगल में डोल रस्सी नहीं कि पानी भरे तो तयम्मुम जाइज़ है (6) प्यास का खोफ या'नी उसके पास पानी है मगर वुज़ू या ग़ुस्ल उसके सर्फ में लाए तो खुद या दूसरा मुसलमान या अपना या उसका जानवर अगर्चे वह कुत्ता जिसका पालना जाइज़ है , प्यासा रह जाएगा और अपनी या उनमें किसी की प्यास ख्वाह फिलह़ाल मौजूद हो या आइंदा उसका सह़ीह़ अंदेशा हो कि वह राह ऐसी है कि दूर तक पानी का पता नहीं , तो तयम्मुम जाइज़ है (7) पानी गिरां होना या'नी वहां के ह़िसाब से जो क़ीमत होनी चाहिए उससे दो चंद (डबल) माँगता है तो तयम्मुम जाइज़ है और अगर क़ीमत में

इतना फर्क़ नहीं तो तयम्मुम जाइज़ नहीं बशर्ते के उसके पास पानी खरीदने के लिए ह़ाजते ज़रूरीया से ज़ाइद पैसे से मौजूद हो (8) यह गुमान के पानी तलाश करने में क़ाफिला नज़रों से गायब हो जाएगा या रेल छूट जाएगी (9) यह गुमान के वुज़ू या ग़ुस्ल करने में ईद की नमाज़ जाती रहेगी ख्वाह यूँ के इमाम पढ़कर फारिग़ हो जाएगा या ज़वाल का वक़्त आ जाएगा दोनों सूरतो में तयम्मुम जाइज़ है (10) ग़ैर वाली को नमाज़े जनाज़ा फौत हो जाने का खौफ हो तो तयम्मुम जाइज़ है , वली को जाइज़ नहीं के लोग उसका इंतज़ार करेंगे और लोग उसकी इजाज़त से पढ़ भी लें तो यह दोबारा पड़ सकता है !

सवाल : यह मा'लूम कैसे होगा कि वुज़ू या ग़ुस्ल से बीमारी बढ़ जाएगी ?
जवाब : उसने खुद आज़माया हो कि जब वुज़ू या ग़ुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ती है या यूँ किसी मुसलमान ह़कीम ने जो ज़ाहिरन फासिक़ न हो कह दिया हो के पानी नुक़्सान करेगा , महज़ खयाल ही खयाल बीमारी बढ़ने का हो तो तयम्मुम जाइज़ नहीं यूँ ही काफिर या फासिक़ या मा'मूली तबीब के कहने का ऐ'तबार नहीं !

सवाल : अगर पानी न मिले तो क्या तलाश करना ज़रूरी है ? अगर तलाश किए बग़ैर तयम्मुम करके पढ़ ली तो क्या हुक्म है ?
जवाब : इसकी तीन सूरते है : (1) अगर यह गुमान हो कि एक मील के अंदर पानी होगा तो तलाश करना ज़रूरी है बिला तलाश किए तयम्मुम जाइज़ नहीं फिर बग़ैर तलाश किए तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली और तलाश करने पर पानी मिल गया तो वुज़ू करके नमाज़ का इआ़दा लाज़िम है और अगर न मिला तो हो गई (2) अगर ग़ालिब गुमान यह है कि मील के अंदर पानी नहीं है तो तलाश करना ज़रूरी नहीं फिर अगर तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली और न तलाश किया न

कोई ऐसा है जिससे पूछे और बा'द को मा'लूम हुआ कि पानी यहाँ से क़रीब है तो नमाज़ का इआदा नहीं मगर यह तयम्मुम अब जाता रहा और अगर कोई वहां था मगर उसने पूछा नहीं और बा'द को मा'लूम हुआ के पानी क़रीब है तो इआदा चाहिए (3) और अगर क़रीब में पानी होने न होने किसी का गुमान नहीं तो तलाश कर लेना मुस्तहब है और बग़ैर तलाश किए नमाज़ पढ़ ली हो गयी !

सवाल : आबे ज़मज़म की मौजूदगी में तयम्मुम कर सकते हैं ?

जवाब : साथ में ज़मज़म शरीफ है जो लोगों के लिए तबर्रुकन लिए जा रहा है या बीमार को पिलाने के लिए और इतना है कि वुज़ू हो जाएगा तो तयम्मुम जाइज़ नहीं !

सवाल : क्या जुनुबी शख्स तयम्मुम करके मस्जिद जा सकता है ?

जवाब : जिस पर नहाना फर्ज़ है उसे बग़ैर ज़रूरत मस्जिद में जाने के लिए तयम्मुम जाइज़ नहीं हाँ अगर मजबूरी हो जैसे डोल रस्सी मस्जिद में हो और कोई ऐसा नहीं जो ला दें तो तयम्मुम करके जाएं और जल्द से जल्द लेकर निकल आए !

सवाल : मस्जिद में सोया था एहतिलाम हो गया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : मस्जिद में सोया था और नहाने की ज़रूरत हो गई तो आंख खुलते ही जहां सोया था वही फौरन तयम्मुम करके निकल आए , ताखीर ह़राम है !

सवाल : अगर वक़्त तंग हो गया कि वुज़ू और गुस्ल करेंगे तो नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी तो क्या तयम्मुम कर सकते हैं ?

जवाब : वक़्त इतना तंग हो गया कि तयम्मुम करेगा तो नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी तो चाहिए कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले फिर वुज़ू या गुस्ल कर के इआदा करना लाज़िम है !

सवाल : अगर कोई ऐसी जगह है , जहां न पानी है और न पाक मिट्टी तो क्या

करें ?

जवाब : अगर कोई ऐसी जगह है कि न पानी मिलता है न पाक मिट्टी के तयम्मुम करें तो उसे चाहिए कि वक़्ते नमाज़ मे नमाज़ की सी सूरत बनाए या'नी तमाम ह़रकाते नमाज़ बिला नियते नमाज़ बजा लाए !

सवाल : अगर कोई शख्स ऐसा है के वुज़ू करता है तो पेशाब के क़तरे टपकते हैं और तयम्मुम करता है तो नहीं , तो क्या करें ?

जवाब : कोई ऐसा है कि जो वुज़ू करता है तो पेशाब के क़तरे टपकते हैं और तयम्मुम करें तो नहीं तो उसे लाज़िम है कि तयम्मुम करें !

सवाल : तयम्मुम का क्या तरीक़ा है ?

जवाब : तयम्मुम का तरीक़ा यह है कि तयम्मुम की नियत से दोनों हाथ की उंगलियां कुशादा करके किसी ऐसी चीज़ पर जो ज़मीन की क़िस्म से हो मारकर लोट लें और ज़्यादा गर्द लग जाए तो झाड़ करें और इससे सारे मुँह का मसा लें फिर दूसरी मर्तबा यूँ ही करें और दोनों हाथों का नाखून से कोहनी समेत मसह़ करें हाथों के मसह़ में बेहतर तरीक़ा यह है के बाएं हाथ के अंगूठे के अ़लावा चार उंगलियों के पेट दाहिने हाथ की पुश्त पर रखें और उंगलियों के सिरो से कोहनी तक ले जाए और फिर वहां से बाएं हाथ की हथेली से दहने के पेट को मसह़ करता हुआ गट्टे तक लाए और बाएं अंगूठे के पेट से दाहिने अंगूठे की पुश्त का मसह़ करें यूँ ही दाहिने हाथ से बाए का मसह़ करें और एक़दम से पूरी हथेली और उंगलियों से मसह़ कर लिया तयम्मुम हो गया ख्वाह कोहनी से उंगलियों की तरफ लाया या उंगलियों से कोहनी की तरफ ले गया मगर पहली सूरत में खिलाफे सुन्नत हुआ !

सवाल : तयम्मुम में कितने फर्ज़ है ?

जवाब : तयम्मुम में तीन फर्ज़ है : (1) नियत : अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर

मार कर मुँह और हाथों पर फेर लिया और नियत न की तयम्मुम न होगा (2) सारे मुँह पर हाथ फैरना इस तरह के कोई सा हिस्सा बाक़ी रह न जाए अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तयम्मुम न हुआ (3) दोनों हाथ का कोहनियों समेत मसह करना - इसमें भी यह खयाल रहे के ज़र्रह बराबर बाक़ी न रहे वरना तयम्मुम न होगा !

सवाल : अगर कोई एक ही मर्तबा मिट्टी पर हाथ मार कर पहले चेहरे का मसह करें फिर इसी से हाथों का मसह करें तो क्या तयम्मुम हो जाएगा ?

जवाब : एक ही मर्तबा हाथ मार कर मुँह और हाथों पर मसह कर लिया तयम्मुम न हुआ !

सवाल : तयम्मुम की सुन्नते बयान कर दें ?

जवाब : तयम्मुम की सुन्नते दर्जे ज़ेल है : (1) बिस्मिल्लाह केहना (2) हाथों को ज़मीन पर मारना (3) उंगलियां खुली हुई रखना (4) हाथों को झाड़ लेना या'नी एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारना न इस तरह के ताली की सी आवाज़ निकले (5) ज़मीन पर हाथ मार कर लौट देना (6) पहले मुँह फिर हाथ का मसह करना (7) दोनों का मसह पै दर पै होना (8) पहले दाहिने हाथ फिर बाएं का मसह करना (9) दाढ़ी का खिलाल करना (10) उंगलियों का खिलाल जब के गुबार पहुंच गया हो और अगर ना पहुंचा मसलन पत्थर वग़ैरह किसी ऐसी चीज़ पर हाथ मारा जिस पर गुबार नाश हो तो खिलाल फर्ज़ है !

सवाल : किस नियत से तयम्मुम करें तो उस से नमाज़ पढ़ना जाइज़ है ?

जवाब : नमाज़ उस तयम्मुम से जाइज़ होगी जो पाक होने की नियत या किसी ऐसी इबादते मक़सूदा के लिए किया गया हो जो बिला तहारत जाइज़ न हो तो अगर मस्जिद में जाने या निकलने या क़ुरआने मजीद छूने या अज़ान व इक़ामत (यह सब इबादते मक़सूदा नहीं) या सलाम करने या सलाम का जवाब देने या

ज़ियारते क़ुबूर या दफ्ने मैय्यत या बे वुज़ू ने क़ुरआने मजीद पढ़ने (इन सब के लिए तहारत शर्त नहीं) के लिए तयम्मुम किया हो तो उससे नमाज़ जाइज़ नहीं बल्कि जिसके लिए किया गया उसके सिवा कोई इबादत भी जाइज़ नहीं , जुनुबी ने क़ुरआने मजीद पढ़ने के लिए तैयार हो तो उससे नमाज़ पढ़ सकता है (क्योंकि यह इबादते मक़सूदा है और जुनुबी को बग़ैर तहारत जाइज़ भी नहीं)

सवाल : जिसके दोनों हाथ कटे हो पानी भी नहीं , कोई दूसरा भी नहीं कि तयम्मुम करा दे तो क्या करें ?

जवाब : जिसके दोनों हाथ कटे हैं और कोई ऐसा नहीं जो उसे तयम्मुम करा दें तो वह अपने हाथ और रुखसार जहां तक मुम्किन हो ज़मीन या दीवार से मसह़ करें और नमाज़ पढ़े मगर वह ऐसी ह़ालत में इमामत नहीं कर सकता हाँ उस जैसा कोई और भी है तो उसकी इमामत कर सकता है !

सवाल : वुज़ू और ग़ुस्ल के तयम्मुम में क्या फर्क़ है ?

जवाब : वुज़ू और ग़ुस्ल दोनों का एक ही तरह है जिस पर नहाना फर्ज़ है उसे यह ज़रूरी नहीं कि दोनों के लिए दो तयम्मुम करें बल्कि एक ही में दोनों की नियत कर ले , दोनों हो जाएंगे और अगर सिर्फ ग़ुस्ल की नियत कि जब भी काफी है !

सवाल : अगर तयम्मुम सिर्फ तीन उंगलियों से किया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर मसह़ करने में सिर्फ तीन उंगलियां काम में लाया जब भी हो गया और अगर एक या दो से मसह़ किया तयम्मुम न हुआ अगर्चे तमाम उ़ज़्व पर उनको फेर लिया हो !

सवाल : तयम्मुम किस चीज़ से हो सकता है ?

जवाब : तयम्मुम उसी चीज़ से हो सकता है जो जिन्से ज़मीन से हो और जो चीज़ ज़मीन की जिंस से नहीं उससे तयम्मुम जाइज़ नहीं जो चीज़ आग से

जलकर न राख होती है न पिघलती है न नर्म होती है वह ज़मीन की जिंस से है इससे तयम्मुम जाइज़ है , रेता , चूना , सुरमा , हरताल , गंधक , मर्दा संग , गेरू , पत्थर , ज़बरजद , फिरोज़ा , अक़ीक़ , ज़म्रद वग़ैरह जवाहिर से तयम्मुम जाइज़ है अगर्चे उन पर गुबार न हो !

सवाल : किन चीज़ो से तयम्मुम नहीं हो सकता ?

जवाब : जो चीज़ आग से जलकर राख हो जाती हो जैसे लकड़ी , घास वग़ैरह या पिघल जाती हो या नर्म हो जाती हो जैसे चांदी , सोना , तांबा , पीतल , लोहा वग़ैरह धाते , वह ज़मीन की जिंस से नहीं उससे तयम्मुम जाइज़ नहीं !

सवाल : नमक से तयम्मुम जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : जो नमक पानी से बनता है उससे तयम्मुम जाइज़ नहीं और जो कान से निकलता है जैसे सेंधा नमक उससे जाइज़ है !

सवाल : तयम्मुम के लिए मिट्टी का पाक होना ज़रूरी है ?

जवाब : जी हाँ ! जिस मिट्टी से तयम्मुम किया जाए उसका पाक होना ज़रूरी है या'नी न उस पर किसी नजासत का असर हो ना यह हो कि महज़ खुश्क होने से असरे नजासत जाता रहा हो जिस चीज़ पर नजासत गिरी और सूख गई उससे तयम्मुम नहीं कर सकते अगर्चे नजासत का असर बाक़ी न हो , अलबत्ता नमाज़ उस पर पढ़ सकते हैं !

सवाल : अगर ग़ल्ला , गेहूँ या लकड़ी शीशा वग़ैरह पर गुबार हो तो क्या उस से तयम्मुम हो जाएगा ?

जवाब : जी हाँ ! ग़ल्ला , गेहूँ , जौ वग़ैरह और लकड़ी या घास और शीशे पर गुबार हो तो उस गुबार से तयम्मुम जाइज़ है जब के इतना हो के हाथ में लग

जाता हो वरना नहीं , इसी तरह गद्दे और दरी वग़ैरह में ग़ुबार है तो उससे तयम्मुम कर सकता है अगर्चे वहां मिट्टी मौजूद हो जबकि ग़ुबार इतना हो कि हाथ फेरने से उंगलियों का निशान बन जाए !

सवाल : भीगी मिट्टी से तयम्मुम जाइज़ है या नहीं ?
जवाब : भीगी मिट्टी से तयम्मुम जाइज़ है जबकि मिट्टी ग़ालिब हो !

सवाल : मुसाफिर ऐसी जगह है जहां हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है तो क्या करें ?
जवाब : मुसाफिर ऐसी जगह है जहां हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और पानी नहीं पाता के वुज़ू या ग़ुस्ल करें और कपढ़े में भी ग़ुबार नहीं तो उसे चाहिए कि कपड़ा कीचड़ में सुखा लें और उससे तयम्मुम करें और अगर वक़्त जाता हो तो मजबूरी को कीचड़ ही से तयम्मुम कर लें जबकि मिट्टी ग़ालिब हो !

सवाल : जिस जगह से एक ने तयम्मुम किया , वहां से दूसरा भी कर सकता है?
जवाब : जी हाँ ! जिस जगह से एक ने तयम्मुम किया , वहां से दूसरा भी कर सकता है !

सवाल : मस्जिद की दीवार या ज़मीन से तयम्मुम कर सकते हैं ?
जवाब : जी हाँ ! कर सकते हैं यह जो मशहूर है कि मस्जिद की दीवार या ज़मीन से तयम्मुम नाजाइज़ या मकरूह है , ग़लत है !

सवाल : तयम्मुम किन चीज़ों से टूटता है ?
जवाब : जिन चीज़ों से वुज़ू या ग़ुस्ल वाजिब होता है उनसे तयम्मुम भी जाता रहेगा और अलावा उनके पानी पर क़ादिर होने से भी तयम्मुम टूट जाएगा !

किताबुस्सलात

मा'मूरात व मनहियात

सवाल : मा'मूरात व मनहियात से क्या मुराद है ? और यह कितने हैं ?

जवाब : जिनके करने का हुक्म दिया गया है और यह पाँच है और मनहियात से मुराद जिन से मनअ़ किया गया है और यह भी पाँच है और एक मुबाह़ खालिस है जिसका न हुक्म दिया गया है और न मनअ़ किया गया है , कुल ग्यारह है !

सवाल : मा'मूरात कौन कौन से है ?

जवाब : मा'मूरात दर्जे ज़ैल है : फर्ज़ , वाजिब , सुन्नते मुअक्कदा , सुन्नते ग़ैरे मुअक्कदा , मुस्तह़ब !

सवाल : मनहियात कौन-कौन से हैं ?

जवाब : ह़राम , मकरूहे तह़रीमी , इसाअ़त , मकरूहे तह़रीमी , खिलाफे औला !

सवाल : फर्ज़े ए'तिकादी किसे कहते हैं ?

जवाब : जो दलीले क़त़ई से साबित हो या'नी ऐसी दलील से जिसमें कोई शुबह ना हो , इस की दो क़िस्में है - (1) उसकी फर्ज़ीयत ज़रूरीयाते दीन में से हो या'नी उस की फर्ज़ीयत दीने इस्लाम का अ़ाम खास पर रोशन वाज़ेह मसला हो जब तो उसके मुन्किर के कुफ्र पर इजमअ़ए क़त़ई है ऐसा के जो उस मुन्किर के कुफ्र में शक करें खुद काफिर है (2) उसकी फर्ज़ीयत ज़रूरीयाते दीन में से न हो इसका इन्कार करने वाला अईम्माए ह़नफिया के नज़्दीक काफिर है बहरह़ाल जो किसी फर्ज़े ऐ'तिकादी को बिला उ़ज़रे शर-ई एक बार भी छोड़े फासिक़ व मुर्तकिबे कबीरा

व मुसतह़िक्के अज़ाबे नार है जैसे नमाज़ रुकूअ , सुजूद !

सवाल : वाजिबे ए'तिकादी किसे कहते है ?

जवाब : जिस की ज़रूरत दलीले ज़न्नी से साबित हो इस की दो क़िस्मे है (1) फर्ज़े अ़मली (2) वाजिबे अ़मली

फर्ज़े अ़मली : ये वह है जिसका सबूत तो ऐसा ना हो मगर नज़रे मुजतहिद में बहुक्मे दलाइले शर-ईया जज़्म (यक़ीन) है के बे उसके किए आदमी बरीउज़्ज़िम्मा न होगा यहाँ तक के अगर वो किसी इ़बादत के अंदर फर्ज़ है तो वो इ़बादत बे उस के बातिल व कलमा'दूम होगी , इसका बे वजह इन्कार फिस्क़ व गुमराही है , हाँ अगर कोई शख्स के दलाइले शर-ईया में नज़र का अहल है दलीले शर-ई से उसका इन्कार करें तो कर सकता है , जैसे अइम्मा ए मुजतहिदीन के इख्तिलाफात के एक इमाम किसी चीज़ को फर्ज़ कहते है और दूसरे नहीं मस्लन ह़नफिया के नज़्दीक चौथाई सर का मसह़ वुज़ू में फर्ज़ है और शाफिईया के नज़्दीक एक बाल का और मालिकिया के नज़्दीक पूरे सर का , इस फर्ज़े अ़मली में हर शख्स उसी की पैरवी करें जिसका मुक़ल्लिद है अपने इमाम के खिलाफ बिला ज़रूरतें शर-ई दूसरे की पैरवी उसे जाइज़ नहीं !

वाजिबे अ़मली : वह वाजिबे ऐ'तिक़ादी है के बे उस के किए भी बरीउज़्ज़िम्मा होने का एह़तिमाल हो मगर ग़ालिब ज़न उस की ज़रूरत पर है और अगर किसी इ़बादत में उसका बजा लाना दरकार हो तो इ़बादत बे उसके नाकिस रहें मगर अदा हो जाए , मुजतहिदीन दलीले शर-ई से वाजिब का इन्कार कर सकता है किसी वाजिब का एक बार भी क़सदन छोड़ना गुनाहे सगीरा है और चंद बार तर्क करना कबीरा !

सवाल - सुन्नते मुअक्कदा क्या है ?

जवाब : वो जिसको हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم ने हमेशा किया हो , अलबत्ता बयाने जवाज़ के वास्ते कभी तर्क भी फरमाया हो या वो के उस के करने की ताकीद फरमाई हो मगर जानिबे तर्क बिल्कुल मस्दूद न फरमा दी हो , उसका तर्क

इसाअ़त और करना सवाब और नादिरन तर्क पर इताब और उसकी आ़दत पर इस्तिह़काके अ़ज़ाब !

सवाल : सुन्नते ग़ैरे मुअक्कदा क्या है ?

जवाब : वो के नज़रे शरअ़ में ऐसी मतलूब हो के उसके तर्क को नापसंद रखे मगर न इस ह़द तक के वईदे अ़ज़ाब फरमाएं आ़म अजीं के हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم ने इस पर मुदा-वमत फरमाई या नहीं , इस का करना सवाब और न करना अगर्चे आ़दतन मोजिबे अ़ज़ाब नहीं !

सवाल : मुस्तह़ब किस कहते है ?

जवाब : वो के नज़रे शरअ़ में पसंद है मगर तर्क पर ना पसंदी न हो ख्वाह खुद हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم ने उसे किया या उस कि तरगीब दी या उ़ल-मा ए किराम ने पसंद फरमाया अगर्चे अह़ादीस में उस का ज़िक्र न आया , इसका करना सवाब और न करने में मुतलक़न कुछ नहीं !

सवाल : हरामे क़तई क्या है ?

जवाब : ये फर्ज़ का मुक़ाबिल है , इसका एक बार भी कसदन करना गुनाहे कबीरा व फिस्क़ है और बचना फर्ज़ व सवाब !

सवाल : मकरूहे तह़रीमी किसे कहते हैं ?

जवाब : यह वाजिब का मुक़ाबिल है इसके करने से इ़बादत नाकिस हो जाती है और करने वाला गुनाहगार होता है अगर्चे उसका गुनाह ह़राम से कम है और चंद बार इसका इर्तिकाब कबीरा है !

सवाल : इसाअ़त से क्या मुराद है ?

जवाब : जिसका करना बुरा हो और नादिरन करने वाला मुस्तह़िक्के इ़ताब हो और

इल्तिज़ामे फे'ल पर इस्तिह़काके अ़ज़ाब , यह सुन्नते मुअक्कदा के मुक़ाबिल है !

सवाल : मकरुहे तंज़ीही किसे कहते हैं ?

जवाब : जिसका करना शरअ़ को पसंद नहीं मगर न इस ह़द तक के उस पर वई़दे अ़ज़ाब फरमाए , यह सुन्नते ग़ैरे मुअक्कदा के मुक़ाबिल है !

सवाल : खिलाफे औला से क्या मुराद है ?

जवाब : वह जिसका न करना बेहतर था , किया तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं , यह मुस्तह़ब का मुक़ाबिल है

सवाल : मुबाहे खालिस की ता'रीफ क्या है ?

जवाब : मुबाहे खालिस वह है जिसका करना और न करना यकसा हो !

अज़ान व इक़ामत का बयान

सवाल : अज़ान क्या है ?

जवाब : अज़ान उर्फे शरअ में एक खास क़िस्म का ऐ'लान है जिसके लिए अल्फाज़ मुक़र्रर है , अल्फाज़े अज़ान यह है :

الله اكبر الله اكبر ، الله اكبر الله اكبر ، اشهد ان لا الہ الاالله ، اشهد ان لا الہ الاالله ، اشهد ان محمداً رسول الله ، اشهد ان محمداً رسول الله ، حی علی الصلاة ، حی علی الصلاة ، حی علی الفلاح ، حی علی الفلاح ، الله اكبر الله اكبر ، لا الہ الاالله

सवाल : तमाम अवक़ात की अज़ान के लिए यही कलिमात है ?

जवाब : सुबह़ की अज़ान में फलाह़ के बा'द कहना मुस्तह़ब है !

सवाल : नमाज़े पंजगाना के लिए अज़ान देने का क्या हुक्म है ?

जवाब : हर दिन की पांच नमाज़े (जुमुआ़ भी इनमें शामिल है) जब जमाअ़ते मुस्तह़ब्बा के साथ मस्जिद में वक़्त पर अदा की जाए तो इनके लिए अज़ान सुन्नते मुअक्कदा है और इसका हुक्म मिस्ले वाजिब है कि अगर अज़ान न कहीं तो वहां के सब लोग गुनाहगार होंगे यहाँ तक के इमाम मुहम्मद رحمۃ الله تعالیٰ ने फरमाया के अगर किसी शहर के सब लोग अज़ान तर्क कर दें तो मैं उनसे क़िताल करूंगा और अगर एक शख्स छोड़ दें तो उसे मारूंगा और क़ैद करूंगा !

सवाल : मस्जिद में अज़ान और इक़ामत के बग़ैर जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना कैसा है ?

जवाब : मस्जिद में अज़ान और इक़ामत के बग़ैर जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना कैसा मकरुह है !

सवाल : अगर नमाज़ का वक़्त शुरूअ़ होने से पहले अज़ान दी जाए दे दी तो हुक्म है ?

जवाब : वक़्त होने के बा'द अज़ान कहीं जाए , क़ब्ल अज़ वक़्त कही गई या वक़्त होने से पहले शुरूअ़ हुई और असनाए अज़ान में वक़्त आ गया तो इआ़दा किया जाए !

सवाल : क्या फराईज़ के अ़लावा बाक़ी नमाज़ो के लिए भी अज़ान है ?

जवाब : फराईज़ के सिवा बाक़ी नमाज़ो मसलन वित्र , जनाज़ा , ईदैन , नज़्र , सुनन , तरावीह़ , इसतिस्का़ , चाश्त , कुसूफ , खुसूफ , नवाफिल मे अज़ान नहीं !

सवाल : किन मवाक़ेअ़ पर अज़ान देना मुस्तह़ब है ?

जवाब : दर्जे ज़ैल मवाक़ेअ़ पर अज़ान देना मुस्तह़ब है : (1) वक़्ते विलादत बच्चे के कान में (2) मग़मूम के कान में (3) मिर्गी वाले के कान में (4) गज़ब नाक के कान में (5) बद मिजाज़ आदमी या जानवर के कान में (6) लड़ाई की शिद्दत के वक़्त (7) आतिश ज़दगी के वक़्त (8) मय्यित को दफ्न करने के बा'द (9) जिन्न की सर कशी के वक़्त (10) मुसाफिर के पीछे (11) जंगल में जब रास्ता भूल जाए और कोई बताने वाला न हो (12) वबा के ज़माने में !

सवाल : औ़रतों का अज़ान व इक़ामत कहना कैसा है ?

जवाब : औ़रतों का अज़ान व इक़ामत कहना मकरूह है , कहेगी गुनाहगार होंगी और इआ़दा किया जाएगा !

सवाल : किन की अज़ान मकरूह है ?

जवाब : दर्जे ज़ैल अशखास की अज़ान मकरूह है : (1) खुन्सा (2) फासिक़ अगर्चे आ़लिम ही हो (3) नशा वाला (4) पागल (5) नासमझ बच्चा (6) जुनूबी , इन सब की अज़ान का इआ़दा किया जाए

सवाल : समझदार बच्चा , गुलाम , अंधे , वलदुज़्ज़िना और बे वुज़ू की अज़ान का क्या हुक्म है ?

जवाब : समझदार बच्चा , गुलाम , अंधे , वलदुज़्ज़िना और बे वुज़ू की अज़ान सही है , मगर बे वुज़ू अज़ान कहना मकरूह व नापसंदीदा है !

सवाल : मुअज़्ज़िन कैसा होना चाहिए ?

जवाब : मुसतहब यह है के मुअज़्ज़िन मर्द , आक़िल , सालेह़ , परहेज़गार , आ़लिम बिस्सुन्नत , ज़ी वजाहत , लोगों के अहवाल का निगरां और जो जमाअ़त से पीछे रह जाने वाले हो उनको ज़ज्र करने वाला हो , अज़ान पर हमेशगी करता हो और सवाब के लिए अज़ान कहता हूँ या'नी अज़ान पर उजरत न लेता हो !

सवाल : अगर अज़ान के दौरान मुअज़्ज़िन मर गया या किसी और वजह से अज़ान मुकम्मल ना हो सकी तो क्या करें ?

जवाब : अगर अज़ान के दौरान मुअज़्ज़िन मर गया या उसकी ज़बान बंद हो गई या रुक गया और कोई बताने वाला नहीं या उसका वुज़ू टूट गया और वुज़ू करने चला गया या बेहोश हो गया तो इन सब सूरतो मे सिरे से अज़ान कहीं जाए वही कहे ख्वाह दूसरा !

सवाल : बैठकर अज़ान केहना कैसा है ?

जवाब : बैठकर अज़ान केहना मकरूह है अगर कहीं इआ़दा करें !

सवाल : अज़ान किस तरह तरफ रुख करके देनी चाहिए ?

जवाब : अज़ान क़िबला रू कहें और उसके खिलाफ करना मकरूह है , अगर कही इआ़दा करें !

सवाल : दौराने अज़ान बातचीत करने का क्या हुक्म है ?

जवाब : असनाए अज़ान में बातचीत करना मनअ़ है , अगर कलाम किया तो फिर से अज़ान कहे !

सवाल : अज़ान में लहन करना कैसा है ?

जवाब : कलिमाते अज़ान में लहन ह़राम है मतलब अल्लाह या अकबर के ह़मज़ा को मद के साथ आल्लाह या आकबर पढ़ना , यूँ ही अकबर में बा के बा'द अलिफ बढ़ाना ह़राम है , यूँ ही कलिमाते अज़ान को क़वाइदे मूसिक़ी पर गाना भी लह़न व ना जाइज़ है !

सवाल : मस्जिद में अज़ान देने का क्या हुक्म है ?

जवाब : मस्जिद में अज़ान केहना मकरूह है लिहाज़ा मस्जिद से बाहर अज़ान दी जाए !

सवाल : कलिमाते अज़ान ठहर ठहर कर पढ़े जाएं या जल्दी जल्दी ?

जवाब : अज़ान के कलिमात ठहर ठहर कर कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर दोनों मिलकर एक कलिमा है दोनों के बा'द सकता करें दरमियान में नहीं और

सकता कि मिक़्दार यह है कि जवाब देने वाला जवाब दे ले और सकता का तर्क मकरुह है और ऐसी अज़ान का इआ़द मुस्तह़ब है !

सवाल : अज़ान में حی علی الصلاۃ और حی علی الفلاح कहते वक़्त क्या करें ?

जवाब : حی علی الصلاۃ दाहिनी तरफ मुँह करके कहे और حی علی الفلاح बाएं जानिब अगर्चे अज़ान नमाज़ के लिए न हो मसलन बच्चे के कान में या और किसी लिए कहीं और यह फैरना फक़्त मुँह का है सारे बदन से न फिरे !

सवाल : अज़ान कहते हुए कानों के सुराखो में उंगलियां डालना कैसा है ?

जवाब : अज़ान कहते वक़्त कानों के सुराखो में उंगलियां डाल रहना मुस्तह़ब है और अगर दोनों हाथ कानों पर रख लिए तो भी अच्छा है -
और अव्वल अह़सन है कि इरशाद ए ह़दीस के मुताबिक है और बुलंदी आवाज़ में ज़्यादा मुईन , कान जब बंद होते हैं आदमी समझता है कि अभी आवाज़ पूरी न हुई ज़्यादा बुलंद करता है !

सवाल : अज़ान व इक़ामत में क्या फर्क़ है ?

जवाब : इक़ामत मिस्ले अज़ान है या'नी अह़कामे मज़कूरा उसके लिए भी है सिर्फ बा'ज़ बातों में फर्क़ है इसमें फलाह़ के बा'द قد قامت الصلاۃ दो बार कहे , इसमें भी आवाज़ बुलंद हो मगर इतनी की हाज़िरीन तक आवाज़ पहुंच जाए , इसके कलिमात जल्द जल्द कहें , दरमियान में सकता न करें न कानों पर हाथ रखना है न कानों में उंगलियां रखना और सुबह़ की इक़ामत में الصلاۃ خیر من النوم नहीं ، इक़ामत मस्जिद से बाहर होना सुन्नत नहीं , अगर इमाम ने इक़ामत कहीं तो قد قامت الصلاۃ के वक़्त आगे बढ़कर मुसल्ले पर चला जाए !

सवाल : इक़ामत कहना किसका ह़क़ है ?

जवाब : जिस ने अज़ान कहीं , अगर मौजूद नहीं तो जो चाहे इक़ामत कह ले और बेहतर इमाम है और मुअज़्ज़िन मौजूद है तो उसकी इजाज़त से दूसरा केह सकता है के ये उसी का ह़क़ है और अगर बे इजाज़त कहीं और मुअज़्ज़िन को नागवार है , तो मकरूह है !

सवाल : इक़ामत के वक़्त कोई शख्स आया तो इक़ामत खड़े खड़े सुने या बैठकर?

जवाब : इक़ामत के वक़्त कोई शख्स आया तो उसे खड़े होकर इन्तिज़ार करना मकरूह हैं बल्कि बैठ जाए जब मुकब्बिर حی علی الفلاح पर पहुंचे उस वक़्त खड़ा हो , यूँ ही जो लोग मस्जिद में मौजूद है वह भी बैठे रहे उस वक़्त उठे जब मुकब्बिर حی علی الفلاح पर पहुंचे , यही हुक्म इमाम के लिए हैं -

आजकल अक्सर जगह रिवाज पड़ गया है कि वक़्ते इक़ामत सब लोग खड़े रहते हैं बल्कि अक्सर जगह तो यहाँ तक है कि जब तक इमाम मुसल्ले पर खड़ा ना हो उस वक़्त तक तक्बीर नहीं कही जाती यह खिलाफे सुन्नत है !

सवाल : मुसाफिर किसी जगह नमाज़ के लिए रुका उसके लिए अज़ान व इक़ामत का क्या हुक्म है ?

जवाब : मुसाफिर ने अज़ान व इक़ामत दोनों न कहीं या इक़ामत न कहीं तो मकरूह है और अगर सिर्फ इक़ामत पर इकतिफा किया तो कराहत नहीं मगर औला यह है कि अज़ान भी कहें अगर्चे तन्हा हो या उसके सब हमराही वहीं मौजूद हों !

सवाल : जब अज़ान हो तो क्या करना चाहिए ?

जवाब : जब अज़ान हो तो इतनी देर के लिए सलाम कलाम और जवाबे सलाम

तमाम अशगाल मौक़ूफ कर दे यहाँ तक कि क़ुरआने मजीद की तिलावत में अज़ान की आवाज़ आए तो तिलावत मौक़ूफ कर दे और अज़ान को ग़ौर से सुने और जवाब दें , यूँ ही इक़ामत में , जो अज़ान के वक़्त बातों में मशग़ूल रहे , उस पर معاذ الله खातिमा बुरा होने का खौफ है , रास्ता चल रहा था कि अज़ान की आवाज़ आई तो इतनी देर खड़ा हो जाए , सुने और जवाब दें !

सवाल : अज़ान के वक़्त खामोश रहे या कुछ पढ़े ?

जवाब : जब अज़ान सुने तो जवाब देने का हुक्म में या'नी मुअज़्ज़िन जो कलिमा कहें उसके बा'द सुनने वाला भी वही कलिमा कहें मगर حی علی الصلاة और حی علی الفلاح के जवाब में لا حول قوة الا بالله कहें !

सवाल : जब मुअज़्ज़िन اشهد ان محمداً رسول الله कहे तो उस वक़्त क्या करना चाहिए ?

जवाब : जब मुअज़्ज़िन اشهد ان محمداً رسول الله कहे तो सुनने वाला दुरुद शरीफ पढ़े और मुस्तहब है के अंगूठे को बोसा देकर आँखों से लगा ले और कहे قرة عينی بک یا رسول اللہم متعنی بالسمع البصر

सवाल : الصلاة خير من النوم के जवाब में क्या कहें ?

जवाब : الصلاة خير من النوم के जवाब में صدقت و بررت و بالحق نطقت कहें !

सवाल : इक़ामत के जवाब का क्या हुक्म है ?

जवाब : इक़ामत का जवाब मुस्तहब है उसका जवाब भी इसी तरह है फर्क़ इतना है कि قد قامت الصلاة के जवाब में اَقَامَها اللهُ و ادامها ما دامَت السمٰوٰتُ والارضُ कहे !

सवाल : अगर चन्द अज़ाने सुने तो क्या करें ?

जवाब : अगर चंद अज़ाने सुने तो उस पर पहली ही का जवाब है और बेहतर यह है कि सब का जवाब दें !

सवाल : क्या नमाज़ की अज़ान के अ़लावा और जवाब भी दिया जाएगा ?

जवाब : जी हाँ ! अज़ाने नमाज़ के अ़लावा और अज़ानो का भी जवाब दिया जाएगा जैसे बच्चा पैदा होते वक़्त की अज़ान !

सवाल : खुतबे की अज़ान का जवाब मुक़तदियो को देना चाहिए ?

जवाब : खुतबे की अज़ान का जवाब ज़बान से देने की इजाज़त नहीं !

सवाल : अज़ान व इक़ामत में वक़्फा करना कैसा है ? और कितना वक़्फा करना चाहिए ?

जवाब : अज़ान व इक़ामत के दरमियान वक़्फा करना सुन्नत है , अज़ान कहते ही इक़ामत कह देना मकरूह है मगर मग़रिब में तीन छोटी आयतो या एक बड़ी के बराबर हो बाक़ी नमाज़ो में अज़ान व इक़ामत के दरमियान इतनी देर तक ठहरे के जो लोग पाबंदे जमाअ़त है आ जाए मगर इतना इंतज़ार न किया जाए कि वक़्ते कराहत आ जाए !

सवाल : अज़ान पर उजरत लेना कैसा है ?

जवाब : मुतक़द्दिमीन ने अज़ान पर उजरत लेने को ह़राम बताया मगर मुतअख्खिरीन ने जब लोगों में सुस्ती देखी तो इजाज़त दी और अब इसी पर फतवा है मगर अज़ान कहने पर अह़ादीस में जो सवाब इरशाद हुए वह उन्हीं के लिए है जो उजरत नहीं लेते खालिसन लिल्लाह عزوجل इस खिदमत को अंजाम देते हैं , हाँ अगर लोग बतौरे खुद मुअज़्ज़िन कोसाह़िबे ह़ाजत समझ कर दे दें तो यह बिल इत्तिफाक़ जाइज़ बल्कि बेहतर है और यह उजरत नहीं !

नमाज़ की शराईत और फराईज़

सवाल : शर्त किसे कहते हैं ?

जवाब : जिसके वजूद पर कोई शै मोक़ूफ हो और वह शै की माहियत (हक़ीक़त) से खारिज हो !

सवाल : फर्ज़ से क्या मुराद है ?

जवाब : फर्ज़ वह है जो किसी चीज़ की माहियत (हक़ीक़त) में शामिल हो , इसे रुक्न भी कहते हैं !

सवाल : फर्ज़ और शर्त में क्या फर्क़ है ?

जवाब : किसी शै की शर्त और फर्ज़ दोनों उसके लिए ज़रूरी होते हैं फर्क़ यह हैं कि शर्त शै से बाहर होती है और फर्ज़ अंदर !

सवाल : सिह़ह़ते नमाज़ की कितनी शराईत है और कौन-कौन सी है ?

जवाब : सिह़ह़ते नमाज़ की छे शर्ते हैं : (1) तहारत (2) सित्रे औ़रत (3) इस्तिक़्बाले क़िब्ला (4) नियत (5) वक़्त (6) तकबीरे तह़रीमा !

सवाल : नमाज़ में कितनी चीज़े फर्ज़ है ?

जवाब : सात चीज़े नमाज़ में फर्ज़ है : (1) तकबीरे तह़रीमा (2) क़ियाम (3) क़िराअत (4) रुकूअ़ (5) सज्दा (6) क़ाइदाए अखीरा (7) खुरुजे बिसुनइ़ही !

सवाल : तकबीरे तह़रीमा को शराईत व फराइज दोनों में शुमार किया है , इसकी क्या वजह है ?

जवाब : हक़ीक़तन में यह शराईतए नमाज़ में से हैं मगर चूंके अफआ़ले नमाज़ से इसको बहुत ज़्यादा इत्तिसाल है इस वजह से फराइज़े नमाज़ में भी इसका शुमार किया गया जाता है !

तहारत का बयान

सवाल : नमाज़ में तहारत शर्त होने से क्या मुराद है ?

जवाब : तहारत से मुराद नमाज़ी के बदन का नजसाते हुक्मिया और हक़ीक़तन क़द्रे मानेअ़ से पाक होना नीज़ उसके कपढ़े और उस जगह का जिस पर नमाज़ पढ़ने पढ़े नजासते हक़ीक़ीया से पाक होना है !

सवाल : शर्ते नमाज़ किस क़दर नजासत पाक होना है ?

जवाब : शर्ते नमाज़ इस क़दर नजासत पाक होना है कि बग़ैर पाक किये नमाज़ होगी ही नहीं मसलन नजासते गलीज़ा दिरहम से ज़ाइद और खफीफा कपढ़े या बदन के उस हिस्से की चौथाई से ज़्यादा जिस में लगी हो उसका नाम क़द्रे मानेअ़ और नजासते गलीज़ा एक दिरहम के बराबर है तो ज़ाइल करना वाजिब और अगर उस से कम है तो उसका जाहिल करना सुन्नत है !

सवाल : नमाज़ की जगह का पाक होना ज़रूरी है इस से कौन सी जगह मुराद है?

जवाब : नमाज़ की जगह में हाथ , पांव , पेशानी और नाक रखने की जगह का नमाज़ पढ़ने में पास होना ज़रूरी है , बाक़ी जगह अगर नजासत हो नमाज़ में ह़रज नहीं , हाँ नमाज़ में नजासत के क़ुर्ब से बचना चाहिए !

सवाल : लकड़ी के तख्ते का एक रुख नापाक है क्या दूसरे रुख पर नमाज़ पढ़ सकते हैं ?

जवाब : लकड़ी का तख्ता एक रुख से नजिस हो गया तो अगर इतना मोटा है कि मोटाई में चिर सके तो लौट कर उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं वरना नहीं !

सवाल : कपढ़े के एक तरफ नजासत लगी हो तो क्या दूसरी तरफ उलट कर उसके

ऊपर नमाज़ पढ़ सकते हैं ?

जवाब : किसी कपढ़े में नजासत लगी और वह नजासत उसी तरफ रह गई , दूसरी जानिब उसने असर नहीं किया तो उसको लोटकर दूसरी तरफ जिधर नजासत नहीं लगी है नमाज़ नहीं पढ़ सकते अगर्चे कितना ही मोटा हो मगर जब के वह नजासत मवाज़ए सुजूद से अलग हो !

सवाल : मज़कूरह सूरत में अगर कपड़ा दो तह वाला हो तो क्या हुक्म है ?
जवाब : जो कपड़ा दो तह का हो अगर उस की एक तह नजिस हो जाए तो अगर दोनों मिलाकर सी लिए गए हो तो दूसरी तह पर नमाज़ जाइज़ नहीं और अगर सिले न हो तो जाइज़ है !

सवाल : जो ज़मीन गोबर से लेसी गई हो और सूख गई हो तो उस पर नमाज़ जाइज़ है या नहीं ? क्या उस पर कपड़ा बिछाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं ?
जवाब : जो ज़मीन गोबर से लेसी गई अगर्चे सूख गई हो उस पर नमाज़ जाइज़ नहीं , हाँ अगर वह सूख गई और उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछा लिया , तो उस कपढ़े पर नमाज़ पढ़ सकते हैं !

सित्रे औ़रत

सवाल : नमाज़ में सित्रे औ़रत शर्त होने से क्या मुराद है ?

जवाब : सित्रे औ़रत से मुराद बदन का वह हि़स्सा छुपाना जिसको छुपाना फर्ज़ है!

सवाल : मर्द की औ़रत (छुपाने की जगह) क्या है ?

जवाब : मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटनों के नीचे तक औ़रत है या'नी उसका छुपाना फर्ज़ है, नाफ़ उसमे दाखिल नहीं और घुटना दाखिल है !

सवाल : आज़ाद औ़रत की औ़रत (छुपाने की जगह) कितनी हर ?

जवाब : आज़ाद औ़रत के लिए सारा बदन औ़रत है , सिवा मुँह की टिकली और हथेलियों और पांव के तलवों के !

सवाल : क्या सित्रे औ़रत सिर्फ नमाज़ में वाजिब है ?

जवाब : सित्रे औ़रत (छुपाने की जगह को छुपाना) हर ह़ाल में वाजिब है ख्वाह नमाज़ में हो या नहीं, तन्हा हो या किसी के सामने बिला किसी ग़र्ज़े सह़ीह़ के तन्हाई में भी खोलना जाइज़ नहीं और लोगों के सामने या नमाज़ में तो सित्र बिलइजमाअ़ फर्ज़ हैं यहाँ तक कि अगर अँधेरे मकान में नमाज़ पढ़ी अगर्चे वहां कोई न हो और उसके पास इतना पाक कपड़ा मौजूद है कि सित्र का काम दे और नंगे पढ़ी , बिलइजमाअ़ नमाज़ न होगी मगर औ़रत के लिए तन्हाई में जबकि नमाज़ में न हो तो सारा बदन छुपाना वाजिब नहीं बल्कि सिर्फ नाफ से घुटने तक और महारिम के सामने पेट और पीठ का छुपाना भी वाजिब है और ग़ैर मह़रम के सामने और नमाज़ के लिए अगर्चे तन्हा अंधेरी कोठरी में हो तमाम बदन सिवा

पाँच उ़ज़्व के छुपाना फर्ज़ है , बल्कि जवान अ़ौरत को ग़ैर मर्दो के सामने मुँह खोलना भी मनअ़ है !

सवाल : इतना बारीक कपड़ा पहना जिस से बदन चमकता हो , क्या सित्र के लिए काफी है ?

जवाब : इतना बारीक कपड़ा जिससे बदन चमकता हो सित्र के लिए काफी नहीं उससे नमाज़ पढ़ी तो न हुई , यूँही अगर चादर में से अ़ौरत के बालों की सियाही चमके नमाज़ न होगी , बा'ज़ लोग बारीक साड़ियां और तहबंद बांधकर नमाज़ पढ़ते हैं कि रान चमकती है , उनकी नमाज़े नहीं होती और ऐसा कपड़ा पहनना जिससे सित्रे अ़ौरत न हो सके अ़लावा नमाज़ के भी ह़राम है !

सवाल : मोटा कपड़ा हो मगर बदन से बिल्कुल चिपका हो , उसको पहन कर नमाज़ पढ़ना कैसा है ?

जवाब : दबीज़ (मोटा) कपड़ा जिससे बदन का रंग न चमकता हो मगर बदन से बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ है कि देखने से उ़ज़्व की हैयअत मा'लूम होती है , ऐसे कपढ़े से नमाज़ हो जायेगी , मगर उस उ़ज़्व की तरफ दूसरों को निगाह करना जाइज़ नहीं -

और ऐसा कपड़ा लोगों के सामने पहनना भी मनअ़ है और अ़ौरतों के लिए बदर्जा औला या'नी और ज़्यादा मुमानअ़त , बा'ज़ अ़ौरतें जो बहुत चुस्त पाजामे पहनती हैं , इस मसले से सबक लें !

सवाल : जिन आ'ज़ा का सित्र फर्ज़ है , अगर नमाज़ के दौरान उन में से कोई उ़ज़्व खुल जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब : जिन आ'ज़ा का सित्र फर्ज़ है उनमें कोई ऊ़ज़्व चौथाई से कम खुल गया , नमाज़ हो गई और अगर चौथाई ऊ़ज़्व खुल गया और फौरन छुपा लिया जब भी हो गई और अगर बक़द्रे एक रुक्न या'नी तीन मर्तबा सुबहाँनल्लाह कहने के खुला रहा या बिलक़स्द खोला अगर्चे फौरन छुपा लिया नमाज़ जाती रही !

सवाल : नमाज़ की इब्तिदा ही मे आ'ज़ाए सित्र में से कोई ऊ़ज़्व चौथाई की मिक़्दार खुला हुआ था तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर नमाज़ शुरूअ़ करते वक़्त ऊ़ज़्व की चौथाई खुली है या'नी उसी ह़ालत पर अल्लाहु अकबर कह लिया तो नमाज़ शुरूअ़ ही न हुई !

सवाल : अगर आ'ज़ाए सित्र में मुख्तलिफ आ'ज़ा खुले है , मगर सब चौथाई से कम है तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर चन्द आ'ज़ा में कुछ कुछ खुला रहा कि हर एक उस ऊ़ज़्व की चौथाई से कम है मगर मजमूआ़ उनका उन खुले हुए आ'ज़ा में जो सब से छोटा है उसकी चौथाई की बराबर है नमाज़ न हुई मसलन औ़रत के कान का नवां ह़िस्सा और पिंडली का नवां ह़िस्सा खुला रहा तो मजमूआ़ दोनों का कान की चौथाई की क़द्र ज़रूर है नमाज़ जाती रही !

सवाल : अगर किसी के पास कपढ़े नहीं तो कैसे नमाज़ पढ़ें ?

जवाब : किसी के पास बिल्कुल कपड़ा नहीं तो बैठ कर नमाज़ पढ़े , दिन हो या रात घर में हो या मैदान में , ख्वाह वैसे बैठे जैसे नमाज़ में बैठते हैं या'नी मर्द मर्दो की तरह और औ़रतें औ़रतों की तरह या पाँव फैला कर और औ़रत गलीज़ा पर हाथ रखकर और यह बेहतर है और रूकूअ़ व सुजूद की जगह इशारा करे और

यह इशारा रूकूअ़ व सुजूद से उसके लिये अफज़ल है और यह बैठकर पढ़ना खड़े होकर पढ़ने से अफज़ल , ख्वाह क़ियाम में रूकूअ़ व सुजूद के लिए इशारा करे या रूकूअ़ व सुजूद करे !

सवाल : जिसने मजबूरी में बरहना (नंगे) नमाज़ पढ़ी , क्या बा'द में इआ़दा करें ?
जवाब : जिसने मजबूरी में बरहना नमाज़ पढ़ी तो बा'दे नमाज़ कपड़ा मिलने पर इआ़दा नहीं नमाज़ हो गई !

सवाल : अगर दूसरे के पास कपड़ा है तो क्या माँगना ज़रूरी है ?
जवाब : अगर दूसरे के पास कपड़ा है और ग़ालिब गुमान है कि माँगने से दे देगा तो माँगना वाजिब है !

सवाल : अगर उसके पास कपड़ा सिर्फ नापाक कपढ़े है तो क्या हुक्म है ?
जवाब : अगर उसके पास कपड़ा ऐसा है कि पूरा नजिस है तो नमाज़ में उसे न पहने और अगर एक चौथाई है तो वाजिब है कि उसे पहनकर पढ़े बरहना जाइज़ नहीं! यह सब उस वक़्त है कि ऐसी चीज़ नहीं कि कपड़ा पाक कर सके या उसकी नजासत क़द्रे मानेअ़ से कम कर सके वरना वाजिब होगा कि पाक करे या तक़लीले नजासत करे !

सवाल : अगर कपड़ा है मगर इतना थोड़ा के पूरा सित्र ना हो सकेगा तो क्या करे ?
जवाब : अगर पूरे सित्र के लिये कपड़ा नहीं और इतना है कि बा'ज़ आ'ज़ा का सित्र हो जायेगा तो उससे सित्र वाजिब है और उस कपढ़े से औ़रत गलीज़ा या'नी कुबुल व दुबुर को छुपाये और इतना हो के एक ही छुपा सकता है तो एक ही छुपाएं !

इस्तिक़्बाले क़िब्ला

सवाल : इस्तिक़्बाले क़िब्ला से क्या मुराद है ?

जवाब : इस्तिक़्बाले क़िब्ला से मुराद नमाज़ में क़िब्ले कि तरफ मुंँह करना है !

सवाल : अगर किसी ने معاذ الله काबे को सज्दा करने की नियत की तो क्या हुक्म है ?

जवाब : नमाज़ अल्लाह ही के लिये पढ़ी जाये और उसी के लिये सज्दा हो न के का'बा को अगर किसी ने معاذ الله काबे के लिये सज्दा किया , ह़राम व गुनाहे कबीरा किया और इ़बादते का'बा की नियत की जब तो खुला काफिर है के ग़ैरे खुदा की इ़बादत कुफ्र है !

सवाल : कुतुब में लिखा होता है के जो काबे से दूर हो उसके लिए जि-हते का'बा को मुँह करना काफी है , जि-हते का'बा से क्या मुराद है ?

जवाब : जि-हते का'बा को मुँह होने के यह मा'ना हैं कि मुँह की सतह का कोई जुज़ काबे की सिम्त में वाक़ेअ़ हो , तो अगर क़िब्ला से कुछ इनह़िराफ है मगर मुँह का कोई जुज़ काबे के मुवाजहा (सीध) में है , नमाज़ हो जायेगी , इसकी मिक़्दार **45** दरजा रखी गई है तो अगर **45** दरजा से ज़ाइद मुँह फिरा हुआ है इस्तिक़बाल न पाया गया , नमाज़ न हुई !

सवाल : अगर किसी ने बुलंद पहाड़ पर नमाज़ पढ़ी , तो क़िब्ले कि सीध कैसे पाई जाएगी ?

जवाब : क़िब्ला बिनाए का'बा का नाम नहीं बल्कि वह फज़ा है , इस बुनियाद की मुहाज़ात (सीध) में सातों ज़मीन से अ़र्श तक क़िब्ला ही हैं तो अगर वह इमारत

वहां से उठा कर दूसरी जगह रख दी जाये और अब उस इमारत की तरफ मुँह कर के नमाज़ पढ़ी न होगी या का'बाए मुअज़्ज़मा किसी वली की ज़ियारत को गया और उस फ़ज़ा की तरफ नमाज़ पढ़ी हो गई यूँही अगर बुलन्द पहाड़ पर या कुँए के अन्दर नमाज़ पढ़ी और क़िब्ले की तरफ मुँह किया नमाज़ हो गई कि फ़ज़ा की तरफ तवज्जोह पाई गई , चाहे इमारत की तरफ न हो !

सवाल : को शख्स इस्तिक़्बाले क़िब्ला से आ़जिज़ हो उसके लिए क्या हुक्म है ?
जवाब : जो शख्स इस्तिकबाले किल्ला से आ़जिज़ हो मसलन मरीज़ है उसमें इतनी कुव्वत नहीं कि उधर रूख बदले और वहां कोई ऐसा नहीं जो मुतवज्जेह कर दे या उसके पास अपना या अमानत का माल है जिसके चोरी हो जाने का सह़ीह़ अन्देशा हो या कश्ती के तख्ते पर बहता जा रहा है और सही अन्देशा है कि इस्तिक़बाल करे तो डूब जायेगा या शरीर जानवर पर सवार है कि उतरने नहीं देता या उतर तो जायेगा मगर बे मददगार सवार न होने देगा या यह बूढ़ा है कि फिर खुद सवार न हो सकेगा और ऐसा कोई नहीं जो सवार करा दे तो इन सब सूरतों में जिस रूख नमाज़ पढ़ सकें , पढ़ ले और उसका इआ़दा या'नी लौटाना भी नहीं , हाँ सवारी के रोकने पर क़ादिर हो तो रोक कर पढ़ें !
सवाल : अगर कोई शख्स इसी जगह है जहां उनको किसी तरह भी क़िब्ले की शनाख्त ना हो तो क्या करें ?
जवाब : अगर किसी शख्स को किसी जगह क़िब्ले की शनाख्त न हो, न कोई ऐसा मुसलमान है जो बता दे, न वहां मस्जिदें व मेहराबें है, न चाँद सूरज सितारे निकले हों या हों मगर उसको इतना इ़ल्म नहीं कि उन से मा'लूम कर सके तो ऐसे के लिये हुक्म है तह़र्री करे (या'नी सोचे जिधर क़िब्ला होना दिल में जमे उधर ही मुँह करे) उसके ह़क़ में वही क़िब्ला है !

सवाल : तहर्री करके नमाज़ पढ़ी , बा'द में मा'लूम हुआ के क़िब्ले की तरफ नमाज़ नहीं पढ़ी तो क्या हुक्म है ?

जवाब : तहर्री करके नमाज़ पढ़ी , बा'द में मा'लूम हुआ के क़िब्ले की तरफ नमाज़ नहीं पढ़ी तो नमाज़ हो गई , इआ़दा की ह़ाजत नहीं !

सवाल : ऐसे शख्स ने बग़ैर तहर्री के नमाज़ पढ़ ली तो क्या हुक्म है ?

जवाब : ऐसा शख्स अगर ये तहर्री किसी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़े नमाज़ न हुई अगर्चे वाक़ई में क़िब्ले ही की तरफ मुँह किया हो, हाँ अगर क़िब्ले की तरफ मुँह होना नमाज़ के बा'द यक़ीन के साथ मा'लूम हुआ, हो गई !

सवाल : अगर कोई जानने वाला मौजूद है उससे दरयाफ़्त नहीं किया खुद गौर करके किसी तरफ को पढ़ ली , तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर कोई जानने वाला मौजूद है उससे दरयाफ़्त नहीं किया खुद गौर करके किसी तरफ को पढ़ ली तो अगर क़िब्ले ही की तरफ मुँह था हो गई वरना नहीं !

सवाल : नमाज़ के दौरान अगर नमाज़ी का सीना क़िब्ले से फिर जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब : नमाज़ी ने क़िब्ले से बिला उ़ज़्र क़सदन सीना फैर दिया , अगर्चे फौरन ही क़िब्ले की तरफ हो गया , नमाज़ फसिद हो गई और अगर बिला क़स्द फिर गया और बक़द्रे तीन तस्बीह़ के वक़्फा ना हुआ तो हो गई !

सवाल : अगर दौराने नमाज़ मुँह क़िब्ले से फेरा तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर सिर्फ मुँह क़िब्ले से फेरा , तो उस पर वाजिब है के फौरन क़िब्ले की तरफ मुँह कर ले और नमाज़ ना जाएगी , मगर बिला उ़ज़्र मकरूह है !

नमाज़ के अवक़ात का बयान

सवाल : फज्र का वक़्त कब से कब तक होता है ?

जवाब : फज्र का वक़्त तुलूअ़ऐ सुबहे सादिक़ से आफताब की किरन चमकने तक है , ये वक़्त इन शहरों में कम अज़ कम एक घंटा अठारह मिनट है और ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा पैंतीस मिनट है न इससे कम न इससे ज़्यादा !

सवाल : सुबहे सादिक़ से क्या मुराद है ?

जवाब : सुबहे सादिक़ उस रोशनी को कहते हैं कि मशरिक़ की जानिब जहां से आज आफताब तुलूअ़ होने वाला है उसके ऊपर आसमान के किनारे पर दिखाई देती है और बढ़ती जाती है , यहाँ तक कि पूरे आसमान पर फैल जाती है और ज़मीन पर उजाला हो जाता है !

सवाल : सुबहे काज़िब क्या है ?

जवाब : सुबहे सादिक़ से क़ब्ल बीच आसमान में एक दराज़ सफेदी ज़ाहिर होती है जिसके नीचे सारा उफुक़ स्याह होता है, सुबहे सादिक़ उसके नीचे से फूटकर जुनूबन और शिमालन दोनों पहलुओं पर फैल कर ऊपर बढ़ती है और यह दराज़ सफ़ेदी उसमें ग़ाइब हो जाती है, इसको सुबहे काज़िब कहते हैं इस से फ़ज्र का वक़्त नहीं होता !

सवाल : ज़ुहर व जुमअ़ का वक़्त कब से कब तक होता है ?

जवाब : ज़ुहर और जुमअ़ का वक़्त सूरज ढलने से उस वक़्त तक है के हर चीज़ का साया अ़लावा सायाए असली के दो मिस्ल हो जाएं !

सवाल : सायाए असली से क्या मुराद है ?

जवाब : ऐ़न निस्फुन्नहार के वक़्त जो चीज़ का साया होता है वो उसका सायाए असली है , जो मौसम और शहरों के मुख्तलिफ होने से मुख्तलिफ होता रहता है !

सवाल : अ़स्र का वक़्त कब से कब तक होता है ?

जवाब : अ़स्र का वक़्त ज़ुहर का वक़्त खत्म होने के बा'द (या'नी सिवा सायाए असली के दो मिस्ल साया होने) से सूरज डूबने तक है -
इन शहरों में वक़्ते अ़स्र कम अज़ कम एक घंटा पैंतीस मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटे छे मिनट है !

सवाल : मग़रिब का वक़्त कब से कब तक है ?

जवाब : वक़्ते मग़रिब गुरूबे आफताब से गुरुबे शफक़ तक है -
और यह वक़्त इन शहरों में कम अज़ कम एक घंटा अठारह मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा पैंतीस होता है , हर रोज़ के सुबह़ और मग़रिब दोनों के वक़्त बराबर होते है !

सवाल : शफक़ से क्या मुराद है ?

जवाब : शफक़ हमारे मज़हब में उस सफेदी का नाम है , जो जानिबे मग़रिब में सुर्खी डूबने के बा'द जुनूबन शिमालन सुबह़े सादिक़ की तरह फैली हुई रहती है !

सवाल : इ़शा का वक़्त कब से कब तक है ?

जवाब : इ़शा का वक़्त सफेद शफक़ के गुरूब से तुलूए फज्र तक है !

सवाल : वित्र का वक़्त क्या है ?

जवाब : इ़शा और वित्र दोनों का वक़्त एक है , मगर इनमें तरतीब फर्ज़ है , के इ़शा से पहले वित्र की नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं , अलबत्ता अगर भूल कर वित्र पहले पढ़ लिये या बा'द को मा'लूम हुआ के इ़शा की नमाज़ बे वुज़ू पढ़ी थी और वित्र वुज़ू के साथ तो वित्र हो गए !

सवाल : जिन शहरों में इ़शा का वक़्त ही न आए तो वो इ़शा और वित्र कब पढ़ें ?

जवाब : जिन शहरों में इ़शा का वक़्त ही न आए कि शफक डूबते ही या डूबने से पहले फ़ज्र तुलूअ़ कर आए (जैसे बुलगार व लन्दन कि इन जगहों में हर साल चालीस रातें ऐसी होती हैं कि इ़शा का वक़्त आता ही नहीं और बा'ज़ दिनों में सेकन्डों और मिनटों के लिए होता है) तो वहां वालों को चाहिए कि इन दिनों की इ़शा व वित्र की क़ज़ा पढ़ें !

सवाल : फज्र का मुस्तह़ब वक़्त क्या है ?

जवाब : फज्र में ताखीर (देरी) मुस्तह़ब है , ताखीर का मतलब ये है के इस्फार में या'नी जब खूब उजाला हो , ज़मीन रौशन हो जाए शुरूअ़ करे मगर ऐसा वक़्त होना मुस्तह़ब है कि चालीस से साठ आयत तक तरतील के साथ पढ़ सके फिर सलाम फेरने के बा'द इतना वक़्त बाक़ी रहे कि अगर नमाज़ दोहराना पढ़े तो तहारत करके तरतील के साथ चालीस से साठ आयते दोबारा पढ़ सके और इतनी देर करना मकरूह है कि तुलूए आफताब का शक हो जाए !

सवाल : ज़ुहर का मुस्तह़ब वक़्त क्या है ?

जवाब : सर्दियो की ज़ुहर जल्दी मुस्तह़ब है गर्मियों में ताखीर ख्वाह तन्हा पढ़े या

जमाअ़त के साथ, हाँ अगर गर्मियों में ज़ुहर की नमाज़ अव्वल वक़्त में होती हो तो मुस्तह़ब वक़्त के लिए जमाअ़त का तर्क करना जाइज़ नहीं , मौसमे रबीअ़ सर्दियो के हुक्म में है और खरीफ (खज़ां) गर्मियों के हुक्म में !

सवाल : जुमुआ़ का मुस्तह़ब वक़्त कौन सा है ?

जवाब : जुमुआ़ का वक़्त मुस्तह़ब वही है जो ज़ुहर के लिए हैं !

सवाल : अ़स्र का मुस्तह़ब वक़्त क्या है ?

जवाब : अ़स्र की नमाज़ में हमेशा ताखीर मुस्तह़ब है मगर इतनी ताखीर न हो कि सूरज में ज़र्दी आ जाए कि उस पर बे तकल्लुफ निगाह क़ाइम होने लगे - और सूरज पर यह ज़र्दी उस वक़्त आती है जब गुरुबे आफताब में बीस मिनट रह जाए और यह वक़्ते मकरुह है !

सवाल : मग़रिब का मुस्तह़ब वक़्त कौन सा है ?

जवाब : अगर बा'दल न हो तो मग़रिब में हमेशा जल्दी मुस्तह़ब है और दो रकअ़त से ज़ाइद की ताखीर मकरूहे तन्ज़ीही और अगर बग़ैर उ़ज़्र सफर व मर्ज़ वग़ैरह इतनी ताखीर की के सितारे गुथ गए , तो मकरूहे तह़रीमी !

सवाल : इ़शा का मुस्तह़ब वक़्त कौन सा है ?

जवाब : इ़शा मे तिहाई रात तक ताखीर मुस्तह़ब और आधी रात तक ताखीर मुबाह या'नी जबकि आधी रात होने से पहले फर्ज़ पढ़ चुके और इतनी ताखीर के रात ढल गई है , मकरूह है के बा-ईसे तक़लीले जमाअ़त है !

सवाल : वित्र का मुस्तह़ब वक़्त कौन सा है ?

जवाब : जो शख्स जागने पर ए'तिमाद रखता हो उसको आधी रात में वित्र पड़ना मुस्तह़ब है वरना सोने से पहले पढ़ ले !

सवाल : बा'दल वाले दिन अ़स्र व ईशा जल्दी मुस्तह़ब है या ताखीर ?

जवाब : बा'दल के दिन अ़स्र व ईशा में ता'जील मुस्तह़ब है और बाक़ी नमाज़ो में

ताखीर !

सवाल : क्या औ़रतों के लिए भी मुस्तह़ब अवक़ात यही है ?

जवाब : औ़रतों के लिए हमेशा फज्र की नमाज़ गल्स (या'नी अव्वल वक़्त) में मुस्तह़ब है और बाक़ी नमाज़ो में बेहतर यह है कि मर्दों की जमाअ़त का इंतज़ार करें , जमाअ़त हो चुके तो पढ़े !

सवाल : क्या सफर में दो नमाज़ो को एक वक़्त में पड़ सकते हैं ?

जवाब : सफर वग़ैरा किसी उ़ज्र की वजह से दो नमाज़ो का एक वक़्त में जमअ़ करना ह़राम है , ख्वाह यूँ हो कि दूसरी को पहले ही के वक़्त में पढ़े या यूँ कि पहली में इस क़द्र ताखीर करे कि उस का वक़्त जाता रहे और दूसरी के वक़्त में पढ़े , हाँ सफर या मर्ज़ वग़ैरा की वजह से इस तरह पढ़े कि हक़ीक़तन दोनों अपने अपने वक़्त में वाक़ेअ़ हों तो कोई ह़रज नहीं !

सवाल : अ़रफा में जो ज़ुहर व अ़स्र जमअ़ की जाती है और मुज़्दलिफा मे मग़रिब व इ़शा , इसका क्या हुक्म है ?

जवाब : अ़रफा और मुज़्दलिफा इस हुक्म से मुसतस्ना है कि अ़रफा में ज़ुहर व अ़स्र वक़्ते ज़ुहर मे पढ़ी जायें और मुज़्दलिफा में मग़रिब व इ़शा वक़्ते इ़शा में !

सवाल : वो कौनसे अवक़ात है जिन में कोई नमाज़ जाइज़ नहीं ?

जवाब : तीन अवक़ात है : (1) तुलूए आफताब से बीस मिनट तक (2) गूरूबे आफताब से पहले बीस मिनट (3) निस्फुन्नहार से सूरज के ज़वाल तक इन तीनों वक़्तों में कोई नमाज़ जाइज़ नहीं न फर्ज़ , न वाजिब , न नफ्ल , न अदा , न क़ज़ा यूँही सज्दए तिलावत व सज्दए सहव भी नाजाइज़ है अल्बत्ता उस रोज़ अगर फज्र की नमाज़ नहीं पढ़ी तो अगर आफताब डूबता हो पढ़ ले मगर इतनी ताखीर करना ह़राम है !

सवाल : इन मकरूह अवक़ात में जनाज़ा पढ़ना कैसा है ?

जवाब : जनाज़ा अगर अवक़ाते ममनूआ़ में लाया गया गया , तो उसी वक़्त पढ़े कोई कराहत नहीं , कराहत उस सूरत में है के पेशतर से तैयार मौजूद है और तखीर की , यहाँ तक के वक़्ते कराहत आ गया !

सवाल : मकरूह अवक़ात में सज्दा ए तिलावत करना कैसा है ?

जवाब : इन अवक़ात में अगर आयते सज्दा पढ़ी तो बेहतर यह है कि सज्दे में तारखीर करे यहाँ तक कि कराहत का वक़्त जाता रहे और वक़्ते मकरूह ही में कर लिया तो भी जाइज़ है और अगर आयते सज्दा उस वक़्त पढ़ी थी कि मकरूह वक़्त नहीं था और अब सज्दा करना मकरूहे त़हरीमी है !

सवाल : मकरूह अवक़ात में तिलावत करना कैसा है ?

जवाब : इन अवक़ात में कुरआन की तिलावत बेहतर नहीं , बेहतर यह है कि ज़िक्र व दुरूद शरीफ में मशगूल रहे !

सवाल : वो कौन से अवक़ात है जिनमें नवाफिल पढ़ना मनअ़ है ?

जवाब : बारह (12) अवकात है जिन में नवाफिल पढ़ना मनअ है :

(1) तुलूए फज्र से तुलूए आफताब तक , के इस दरमियान में सिवा दो रकअ़त सुन्नते फज्र के कोई नफ्ल नमाज़ जाइज़ नहीं

(2) अपने मज़हब की जमाअ़त के लिये इक़ामत हुई तो इक़ामत से खत्मे जमाअ़त तक नफ्ल व सुन्नत पढ़ना मकरूहे तह़रीमी है

(3) नमाज़े अ़स्र से आसमान ज़र्द होने तक नफ्ल मनअ़ है

(4) गुरूबे आफताब से फर्ज़े मग़रिब तक

(5) जिस वक़्त इमाम अपनी जगह से खुतबए जुमुआ़ के लिये खड़ा हो उस वक़्त से फर्ज़े जुमुआ़ खत्म होने तक नमाज़े नफ़्ल मकरूह है यहाँ तक कि जुमुआ़ की सुन्नतें भी

(6) ऐ़न खुतबे के वक़्त अगर्चे पहला हो या दूसरा और जुमे का हो या खुतबए ई़दैन, कुसूफ व इस्तिस्का व ह़ज व निकाह़ का हो हर नमाज़ ह़त्ता कि क़ज़ा भी नाजाइज़ है मगरसाहि़बे तरतीब के लिये खुतबए जुमा के वक़्त क़ज़ा की इजाज़त है

(7) नमाज़े ई़दैन से पेशतर नफ्ल मकरूह है ख़्वाह घर में पढ़े या ई़दगाह व मस्जिद में

(8) नमाज़े ई़दैन के बा'द नफ्ल मकरूह है , जबकि ई़दगाह या मस्जिद में पढ़े , घर में पढ़ना मकरूह नहीं

(9) अ़रफात में जो ज़ुहर व अ़स्र मिलाकर पढ़ते हैं उनके दरमियान में और बा'द में भी नफ्ल व सुन्नत मकरूह है

(10) मुज़दलिफा में जो मग़रिब व इ़शा जमअ़ किये जाते हैं फक़त इनके दरमियान में नफ़्ल व सुन्नत पढ़ना मकरूह है बा'द में मकरूह नहीं

(11) फर्ज़ का वक़्त तंग हो तो हर नमाज़ यहाँ तक कि सुन्नते फज्र व ज़ुहर मकरूह हैं

(12) जिस बात से दिल बटे और दफअ़ कर सकता हो उसे बे दफअ़ किये हर नमाज़ मकरूह है मसलन पाखाने या पेशाब या रीह़ का ग़लबा हो मगर जब वक़्त जाता हो तो पढ़ ले फिर फेरे , यूही खाना सामने आ गया और उसकी ख्वाहिश हो गरज़ कोई ऐसा काम हो जिससे दिल बटे खुशूअ़ में फर्क़ आए उन वक़्तो में भी नमाज़ पढ़ना मकरूह है !

सवाल : फज्र की जमाअ़त खड़ी हुई , तो क्या सुन्नते फज्र पढ़ सकते है ?
जवाब : अगर नमाज़े फज्र काधइम हो चुकी और जानता है कि सुन्नत पढ़ेगा जब भी जमाअ़त मिल जायेगी अगर्चे क़ाइदा में शिरकत होगी तो हुक्म है कि जमाअ़त से अलग और दूर सुन्नते फज्र पढ़कर जमाअ़त में शरीक हो और जो जानता है कि सुन्नत में मशगूल होगा तो जमाअ़त जाती रहेगी और सुन्नत के खयाल से जमाअ़त तर्क की यह नाजाइज़ व गुनाह है और बाक़ी नमाज़ों में अगर्चे जमाअ़त मिलना मा'लूम हो सुन्नतें पढ़ना जाइज़ नहीं !

नियत का बयान

सवाल : नियत से क्या मुराद है ?

जवाब : नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं , महज़ जानना नियत नहीं , जब तक कि इरादा न हो !

सवाल : दिल में नियत कुछ है और ज़बान से कुछ और निकल गया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : नियत में ज़बान का ऐ'तिबार नहीं , या'नी अगर दिल में मसलन ज़ुहर का इरादा किया और ज़बान से लफ़्ज़े अस्र निकला , ज़ुहर की नमाज़ हो गई !

सवाल : नियत का अदना दर्जा क्या है ?

जवाब : नियत का अदना दर्जा यह है कि अगर उस वक़्त कोई पूछे , कौन सी नमाज़ पढ़ता है तो फ़ौरन बिला तअम्मुल बता दे , अगर ह़ालत ऐसी है कि सोचकर बतायेगा तो नमाज़ न होगी !

सवाल : दिल के साथ साथ ज़बान से नियत कर लेना कैसा है ?

जवाब : दिल के साथ साथ ज़बान से कह लेना मुसतह़ब कैसा है !

सवाल : नियत और तकबीरे तह़रीमा के दरमियान फासला हो गया तो क्या पहले वाली नियत काफी है ?

जवाब : तक्बीर से पहले नियत की और शुरूअ़ नमाज़ और नियत के दरमियान कोई अम्रे अजनबी मसलन खाना , पीना , कलाम वग़ैरा वह काम जो नमाज़ से ग़ैर मुतअल्लिक़ हैं फासिल न हों , नमाज़ हो जायगी , अगर्चे तह़रीमा के वक़्त नियत हाज़िर न हो , वुज़ू से पेशतर नियत की , तो वुज़ू करना फासिले अजनबी नहीं , नमाज़ हो जायेगी यूँही वुज़ू के बा'द नियत की , उसके बा'द नमाज़ के लिये चलना पाया गया नमाज़ हो जायेगी और यह चलना फासिले अजनबी नहीं !

सवाल : पहले नियत न की और नमाज़ शुरुअ करने के बा'द नियत की , तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर शुरूअ के बा'द नियत पाई गई उसका ऐ'तिबार नहीं यहाँ तक कि अगर तकबीरे तह़रीमा में अल्लाहु कहने के बा'द अकबर से पहले नियत की , नमाज़ न होगी !

सवाल : सुन्नत और नफ़्ल में मुतलक़ नमाज़ की नियत काफी है या खास सुन्नत या नफ़्ल की नियत करना होगी ?

जवाब : असह़ह ये है के नफ़्ल व सुन्नत व तरावीह़ में मुतलक़ नमाज़ की नियत काफी है , मगर एह़तियात ये है के तरावीह़ में तरावीह़ या सुन्नते वक़्त या क़ियामुल्लेल की नियत करे और बाक़ी सुन्नतो में सुन्नत या नबी صلی اللہ علیہ وسلم की मुताबअ़त की नियत करें , इसलिए के बा'ज़ मशाईख इनमें नियत को नाकाफी क़रार देते है !

सवाल : क्या फर्ज़ नमाज़ में मुतलक़ नमाज़ की नियत काफी है ?

जवाब : फर्ज़ नमाज़ में नियते फर्ज़ भी ज़रूरी है , मुतलक़ नमाज़ या नफ्ल वग़ैरा की नियत काफी नहीं , फर्ज़ में यह भी ज़रूर है कि उस खास नमाज़ मसलन ज़ुहर या अ़स्र की नियत करे या मसलन आज के ज़ुहर या फ़र्ज़े वक़्त की नियत करें , मगर जुमुआ़ में फर्ज़े वक़्त की नियत काफी नहीं खुसूसियते जुमुआ़ की नियत ज़रूरी है !

सवाल : नमाज़े वाजिब में किस की नियत करे ?

जवाब : नमाज़े वाजिब में वाजिब की नियत करें और इसे मुअ़य्यन भी करें मसलन नमाज़े ईदुल फित्र , ईदुल अज़हा , नज़्र !

सवाल : क्या वित्र में वाजिब की नियत ज़रूरी है ?

जवाब : वित्र में फक़त वित्र की नियत काफी है अगर्चे उसके साथ नियते वुजूब न

हो , हाँ ! नियते वाजिब औला है अलबत्ता अगर नियत अ़दमे वुजूब है तो काफी नहीं !

सवाल : क्या नियत में ता'दादे रकअ़त की नियत ज़रूरी है ?

जवाब : नियत में ता'दादे रकअ़त की नियत ज़रूरी नहीं अलबत्ता अफज़ल है , तो अगर ता'दादे रकअ़त में खता वाक़ेअ़ हुई मसलन तीन रकअ़ते ज़ुहर या चार रकअ़ते मग़रिब की नियत की , तो नमाज़ हो जायेगी !

सवाल : क्या ये नियत ज़रूरी है के मुँह मेरा क़िब्ले की तरफ ?

जवाब : ये नियत के मुँह मेरा क़िब्ले की तरफ ही , शर्त नहीं , हाँ ये ज़रूर है कि क़िब्ले से ऐ'राज़ की नियत न हो !

सवाल : जो नमाज़ क़ज़ा हो गई , उसमें तअ़यीने नियत का क्या हुक्म है ?

जवाव : फर्ज़ क़ज़ा हो गये हों तो उन में तअ़यीने यौम और तअ़यीने नमाज़ ज़रूरी है , अगर उसके ज़िम्मे एक ही नमाज़ क़ज़ा हो तो दिन मुअ़य्यन करने की ह़ाजत नहीं मसलन मेरे ज़िम्मे जो फुलां नमाज़ है , काफी है !

सवाल : अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सी नमाज़े है और दिन तारीख भी याद न हो , तो क्या करें ?

जवाब : अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सी नमाज़े हैं और दिन तारीख भी याद न हो तो उसके लिए आसान तरीक़ा नियत का यह है कि सब में पहली या सब में पिछ्ली फुलां नमाज़ जो मेरे ज़िम्मे है !

सवाल : अगर अदा ब नियत क़ज़ा पढ़ी या क़ज़ा ब नियत अदा पढ़ी तो क्या हुक्म है ?

जवाब : क़ज़ा या अदा की नियत की कुछ ह़ाजत नहीं अगर क़ज़ा ब-नियते अदा पढ़ी या अदा ब-नियते क़ज़ा तो नमाज़ हो गई या'नी मसलन वक़्ते ज़ुहर बाक़ी है और उसने गुमान किया कि वक़्त जाता रहा और उस दिन की नमाज़े ज़ुहर ब-

नियते क़ज़ा पढ़ी या वक़्त जाता रहा और उसने गुमान किया कि बाक़ी है और यह ब-नियते अदा पढ़ी हो गई !

सवाल : क्या मुक़्तदी के लिए इक़्तिदा की नियत और इमाम के लिए इमामत की नियत ज़रूरी है ?

जवाब : मुक़्तदी को इक़्तिदा की नियत भी ज़रूरी है और इमाम को नियते इमामत , मुक़्तदी की नमाज़ सह़ीह़ होने के लिये ज़रूरी नहीं , यहाँ तक कि अगर इमाम ने यह इरादा कर लिया कि मे फुलां का इमाम नहीं हूँ और उसने उसकी इक़्तिदा की नमाज़ हो गई मगर इमाम ने इमामत की नियत न की तो सवाबे जमाअ़त न पाएगा और सवाबे जमाअ़त ह़ासिल होने के लिए मुक़्तदी की शिरकत से पेश्तर नियत कर लेना ज़रूरी नहीं , बल्कि वक़्ते शिर्कत भी नियत कर सकता है !

सवाल : किस सूरत में इमाम को इमामत की नियत ज़रूरी है ?

जवाब : एक सूरत में इमाम को नियते इमामत बिल इत्तिफाक़ ज़रूरी है कि मुक़्तदी औ़रत हो और वह किसी मर्द के मुहाज़ी खड़ी हो जाये और वह नमाज़े जनाज़ा न हो तो इस सूरत में अगर इमाम ने औ़रतों की इमामत की नियत न की , तो उस औ़रत की नमाज़ न हुई !

सवाल : जमाअ़त से नमाज़ पढ़ते हुए क्या ये इ़ल्म होना ज़रूरी है के इमाम कौन है ? **जवाब :** नियते इक़्तिदा में यह इ़ल्म ज़रूर नहीं कि इमाम कौन है ? ज़ैद है या अम्र और अगर यह नियत की कि इस इमाम के पीछे और इसके इ़ल्म में वह ज़ैद है बा'द को मा'लूम हुआ कि अम्र है इक़्तिदा सही है और अगर इस शख्स की नियत न की बल्कि यह कि ज़ैद की इक़्तिदा करता हूँ बा'द को मा'लूम हुआ कि अम्र है तो नियत सही नहीं लिहाज़ा जमाअ़ते कसीर हो तो मुक़्तदी को चाहिए कि नियते इक़्तिदा में इमाम की तअ़यीन न करें !

नमाज़ का तरीक़ा

नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा यह है कि बा वुज़ू क़िब्ला-रू दोनों पाँव के पंजो में चार उंगल का फासला करके खड़ा हो और दोनों हाथ कान तक ले जाये कि अँगूठे कान की लौ से छू जायें और उंगलियाँ न मिली हुई रखे न खूब खोले हुये बल्कि अपनी ह़ालत पर हों और हथेलियां क़िब्ले को हों , नियत कर के الله اکبر कहता हुआ हाथ नीचे लाये और नाफ के नीचे बाँध ले यूँ कि दाहिनी हथेली की गद्दी बाई कलाई के सिरे पर हो और बीच की तीन उंगलियाँ बाएं कलाई की पुश्त पर और अँगुठा और छुंगलिया कलाई के अगल बगल और सना पढ़े : سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك ولا إله غيرك फिर तअ़व्वुज़ या'नी اعوذ بالله من الشيطٰن الرجيم पढ़ें फिर तस्मीया या'नी بسم الله الرحمٰن الرحيم कहे फिर पढ़े और खत्म पर आमीन आहिस्ता कहे , उसके बा'द कोई सूरत या तीन आयतें पढ़े या एक आयत के तीन के बराबर हो , अब الله اکبر कहता हुआ रूकूअ़ में जाये और घुटनों को हाथ से पकड़े इस तरह कि हथेलियां घुटने पर हों और उंगलियाँ खूब फैली हो न यूँ कि सब उंगलियाँ एक तरफ हो और न यूँ कि चार उंगलिया एक तरफ , एक तरफ फक़त़ अँगूठा और पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो , ऊँचा नीचा न हो और कम से कम तीन बार سبحان ربی العظیم कहे फिर سمع الله لمن حمده कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाये और तन्हा हो तो इसके बा'द اللهم ربنا ولک الحمد कहें फिर الله اکبر कहता हुआ सज्दे में जाये यूँ कि पहले घुटने ज़मीन पर रखे फिर हाथ दोनों हाथों के बीच में सर रखे न यूँ कि सिर्फ पेशानी छू जाये और नाक की नोक लग जाये बल्कि पेशानी और नाक की हड्डी जमाये और बाज़ूओं को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे और दोनों पाँव की सब उंगलियों के पेट क़िब्ला-रू जमे हो और हथेलियों बिछी हॉ और उगलियाँ क़िब्ले को हों और

कम अज़ कम तीन बार سبحان ربی الاعلی कहे फिर सर फिर हाथ उठाये और दाहिना क़दम खड़ा कर के उसकी उंगलियां क़िब्ला रुख करे और बायाँ क़दम बिछा कर उस पर खूब सीधा बैठ जायें और हथेलियां बिछा कर रानों पर घुटनों के पास रखे कि दोनों हाथों की उंगलियों क़िब्ले को हो फिर الله اکبر कहता हुआ सज्दे को जाये और उसी तरह सज्दा करे फिर सर उठाये फिर हाथ को घुटने पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो जाये अब सिर्फ بسم الله الرحمٰن الرحيم पढ़ कर क़िराअत शुरूअ़ कर दे फिर उसी तरह रूकूअ़ और सज्दा कर के दाहिना क़दम खड़ा कर के बायाँ क़दम बिछा कर बैठ जाये और التحيات لله و الصلوت والطيبات السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصلحين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسولہ पढ़े और इस में कोई ह़र्फ कम व बेश न करे और इसको तशह्हुद कहते हैं , और जब कलिमए ‘ला’ के क़रीब पहुँचे दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का ह़लका बनाये और छंगलिया और उसके पास पाली को हथेली से मिला दे और लफ्जे 'ला' पर कलिमे की उंगली उठाये मगर उस को ह़रकत न दे और कलिमए 'इल्ला (الا) पर गिरा दे और सब उंगलियाँ फौरन सीधी करे अगर दो से ज़्यादा रकअ़त पढ़नी है तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े मगर फ़र्ज़ों की इन रकअ़तों में सूरह फातिह़ा के साथ सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं , अब पिछला क़ा’दह जिस के बा’द नमाज़ खत्म करेगा उसमें तशह्हुद के बा’द दुरूद शरीफ पढ़े اللهم صل على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد كما صليت! على سيدنا إبراهيم و علي ال سيدنا ابراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما بارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد फिर اللهم ربنا اتنا فى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار और इस को बग़ैर اللهم के न पढ़ें , फिर दायें शाने की तरफ मुँह करके السلام عليكم ورحمة الله कहे , फिर बाएं तरफ , ये तरीक़ा के मज़कूर हुआ , इमाम या तन्हा मर्द के पढने का है , मुक़्तदी के लिए इस में की बा’ज़ बाते जाईज़ नहीं मसलन इमाम की पीछे फातिह़ा या और कोई सूरत पढ़ना !

तक्बीरे तह़रीमा

सवाल : तक्बीरे तह़रीमा से क्या मुराद है ?

जवाब : तक्बीरे तह़रीमा नमाज़ शुरूअ़ करने के लिए नियत के बा'द जो तक्बीर (अल्लाहु अकबर) कही जाती है , उसे तक्बीरे तह़रीमा कहते है , उससे नमाज़ शुरूअ़ हो जाती है और जो बातें मुनाफिये नमाज़ है वो हरम हो जाती है !

सवाल : क्या तक्बीरे तह़रीमा खड़े होकर कहना ज़रूरी है ?

जवाब : जिन नमाज़ों में क़ियाम फर्ज़ है उनमें तकबीरे तह़रीमा के लिये क़ियाम फर्ज़ है अगर बैठकर अल्लाहु अकबर कहा फिर खड़ा हो गया नमाज़ शुरूअ़ ही न हुई!

सवाल : इमाम को रुकूअ़ में पाया और तक्बीरे तह़रीमा कहता हुआ रुकूअ़ में गया , क्या नमाज़ हो गयी ?

जवाब : इमाम को रूकूअ़ में पाया और तक्बीरे तह़रीमा कहता हुआ रूकूअ़ में गया या'नी तक्बीर उस वक़्त खत्म की कि हाथ बढ़ाये तो घुटने तक पहुँच जायें नमाज़ न हुई !

सवाल : मुक़्तदी ने लफ्ज़ अल्लाह इमाम के साथ कहा मगर अकबर को इमाम से पहले ख़त्म कर चुका , तो नमाज़ का क्या हुक्म है ?

जवाब : मुक़्तदी ने लफ़्जे अल्लाह इमाम के साथ कहा मगर अकबर को इमाम से पहले खत्म कर चुका नमाज़ न हुई !

सवाल : अगर मा'लूम न हो के इमाम से पहले कही है या बा'द में, तो क्या हुक्म है ? **जवाब :** अगर ग़ालिब गुमान है के इमाम से पहले कही न हुई और अगर ग़ालिब गुमान है के इमाम से पहले नहीं कही तो हो गयी और अगर किसी तरफ

ग़ालिब गुमान न हो , तो एहतियात ये है के क़तअ करे और फिर से तह़रीमा बांधें

सवाल : गूंगा तक्बीरे तह़रीमा कैसे कहेगा ?

जवाब : जो शख्स तक्बीर के तलफ्फुज़ पर क़ादिर न हो मसलन गूंगा हो या किसी और वजह से ज़बान बन्द हो उस पर तलफ्फुज़ वाजिब नहीं दिल में इरादा काफी है !

सवाल : अगर तह़रीमा में ''अल्लाहु अकबर'' की जगह और अल्फाज़ कहे तो क्या नामाज़ शुरूअ़ हो जाएगी ?

जवाब : अल्लाहु अकबर की जगह कोई और लफ्ज़ जो खालिस ता'ज़ीमे इलाही के अल्फाज़ हो मसलन 'الله اجل' या 'الله اعظم' या 'الله كبير' या 'الله الاكبر' या 'الله لا الہ غيره' या سبحان الله या لا الہ الا الله या 'الله الهنا' या 'الرحمن اكبر' या الكبير या تبارک الله वग़ैरा अल्फाज़े तअ़ज़ीमी कहें , तो इन से भी इब्तिदा हो जाएगी मगर यह तब्दीली मकरूहे तह़रीमी है और अगर दुआ़ या तलबे ह़ाजत के लफ्ज़ हो मसलन اللهم اغفرلى ، اللهم ارحمنى ، اللهم ارزقنى वग़ैरा अल्फाज़े दुआ़ कहें तो नमाज़ मुनअ़किद ही न हुई !

सवाल : लफ्ज़ अल्लाह के हम्ज़ा को खड़ा ज़बर या अकबर के हमजा पर खड़ा ज़बर या ' रा ' से पहले अलिफ़ बढ़ा दिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : लफ़्जे अल्लाह को आल्लाहु या अकबर को आकबर या अकबार कहा नमाज़ न होगी बल्कि अगर उनके ग़लत मा'ना समझ कर क़स्दन कहे तो काफ़िर है !

सवाल : तक्बीरे ऊला की फज़ीलत कब तक पा सकता है ?

जवाब : पहली रकअ़त का रुकूअ़ मिल गया , तो तक्बीरे ऊला की फ़ज़ीलत पा गया !

क़ियाम का बयान

सवाल : क़ियाम से क्या मुराद है ?

जवाब : पूरा क़ियाम यह है कि सीधा खड़ा हो और कमी की जानिब इसकी ह़द यह है कि हाथ फैलाये तो घुटनों तक न पहुंचे !

सवाल : क़ियाम कितनी देर ज़रूरी है ?

जवाब : क़ियाम उतनी देर तक है जितनी देर क़िराअत है या'नी बक़द्रे क़िराअते फ़र्ज़ , क़ियाम फ़र्ज़ , और बक़द्रे वाजिब, वाजिब और बक़द्रे सुन्नत , सुन्नत , यह हुक्म पहली रकअ़त के सिवा और रकअ़तों का है रकअ़ते ऊला में क़ियामे फर्ज़में मिक़दारे तकबीरे तह़रीमा भी शामिल होगी और क़ियामे मसनून मे मिक़्दारे सना व तअ़व्वुज़ व तसमिया भी !

सवाल : किन नमाज़ों क़ियाम फर्ज़ है ?

जवाब : फर्ज़ व वित्र व ईदैन व सुन्नते फज्र में क़ियाम फर्ज़ है कि बिला उज़्रे सह़ीह़ बैठकर यह नमाज़े पढ़ेगा न होंगी !

सवाल : क़ियाम में एक पांव पर खड़ा होना कैसा ?

जवाब : एक पाँव पर खड़ा होना या'नी दूसरे पाँव को ज़मीन से उठा लेना मकरूहे तह़रीमी है और अगर उ़ज़्र की वजह से ऐसा किया तो ह़रज नहीं !

सवाल : अगर क़ियाम पर क़ादिर है मगर सज्दे पर क़ादिर नही तो नमाज़ बैठकर पढ़े या खड़े होकर ?

जवाब : अगर क़ियाम पर क़ादिर है मगर सज्दा नहीं कर सकता तो उसे बेहतर यह है कि बैठकर इशारे से पढ़े और खड़े होकर भी पढ़ सकता है !

सवाल : अगर खड़े होने से क़तरा आता हो या ज़ख्म बहता हो और बैठकर नहीं ,

तो कैसे नमाज़ पढ़ें ?

जवाब : जिस शख्स को खड़े होने से क़तरा आता है या ज़ख्म बहता है और बैठने से नहीं तो उसे फर्ज़ है कि बैठकर पढ़े बशर्ते के और तौर पर उस की रोक न कर सके !

सवाल : अगर इतना कमज़ोर है के मस्जिद में जमाअ़त के लिए जायेगा तो क़ियाम नहीं कर सकेगा जबकि घर पढ़े तो खड़ा होकर पढ़ लेगा तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर इतना कमज़ोर है कि मस्जिद में जमाअ़त के लिये जाने के बा'द खड़े होकर न पढ़ सकेगा और घर में पढ़े तो खड़ा होकर पढ़ सकता है तो घर में पढ़े , जमाअ़त मुयस्सर हो तो जमाअ़त से वरना तन्हा !

सवाल : क़ियाम मुआ़फ होने में किस तरह की तक्लीफ मो'तबर है ?

जवाब : खड़े होने से महज़ कुछ तक्लीफ होना उ़ज़्र नहीं बल्कि क़ियाम उस वक़्त साक़ित होगा कि खड़ा न हो सके , अगर अ़सा या खादिम या दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो फर्ज़ है कि खड़ा होकर पढ़े , अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है अगर्चे इतना ही कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कह ले तो फर्ज़ है कि खड़ा होकर इतना कह लें फिर बैठ जाये !

तम्बीहे ज़रूरी : आजकल उ़मूमन यह बात देखी जाती है कि जहां ज़रा बुखार आया या खफीफ सी तक्लीफ हुई बैठकर नमाज़ शुरूअ़ कर दी ह़ालांकि वही लोग उसी ह़ालत में दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह मिनट बल्कि ज़्यादा खड़े होकर इधर उधर की बातें कर लिया करते है , उनको चाहिये कि इन मसाइल से आगाह हों और जितनी नमाज़े बावजूद कुदरते क़ियाम बैठकर पढ़ी हों उनका लौटाना फर्ज़ है , यूँही अगर वैसे खड़ा न हो सकता था मगर लाठी या दीवार या आदमी के सहारे से खड़ा होना मुम्किन था तो वह नमाज़े भी न हुई उन का फैरना फर्ज़ !

क़िराअत का बयान

सवाल : क़िराअत से क्या मुराद है ?
जवाब : क़िराअत इसका नाम है कि तमाम हुरूफ मखारिज से अदा किये जायें कि हर ह़र्फ ग़ैर से सह़ीह़ तौर पर मुमताज़ हो जाये और आहिस्ता पढ़ने में भी इतना होना ज़रूर है कि खुद सुने अगर हुरूफ की तसह़ीह़ तो की , मगर इस क़द्र आहिस्ता कि खुद न सुना और कोई मानेअ़ मसलन शोर व गुल या सिक़्ले समाअ़त भी नहीं , तो नमाज़ न हुई !

सवाल : क़िराअत के अ़लावा भी जहां पढ़ने का हुक्म होता है , उस से यही मुराद है कि कम से कम अपने कान सुन लें ?
जवाब : जी हाँ ! जिस जगह कुछ पढ़ना या कहना मुक़र्रर किया गया है उससे यही मक़सद है कि कम से कम इतना हो कि खुद सुन सके मसलन तलाक़ देने , आज़ाद करने , जानवर ज़िबह़ करने में !

सवाल : नमाज़ में कितनी क़िराअत फर्ज़ है ?
जवाब : मुतलक़न एक आयत पढ़ना फर्ज़ की दो रकअ़तों में और वित्र व नवाफिल की हर रकअ़त में इमाम व मुनफरिद पर फर्ज़ है !

सवाल : मुक़्तदी के लिए इमाम के पीछे क़िराअत करने का क्या हुक्म है ?
जवाब : मुक़्तदी को किसी नमाज़ में क़िराअत जाइज़ नहीं , न फातिह़ा , न आयत , न आहिस्ता की नमाज़ में , न जहरी में , इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिये भी काफी है !

सवाल : एक आयत जो फर्ज़ है उसकी कम अज़ कम मिक़्दार कितनी है ?
जवाब : छोटी आयत जिस में दो या दो से ज़ाइद कलिमात हों पढ़ लेने से फर्ज़

अदा हो जायेगा! और अगर एक ही ह़र्फ की आयत हो जैसे ق ، ن ، ص, कि बा’ज़ क़िराअतो में इनको आयत मा’ना है , तो इस के पढ़ने से फर्ज़ अदा न होगा , अगर्चे इस की तकरार करे !

रही एक कलिमे की आयत (مدهامتان) इस में इख्तिलाफ है और बचने में एह़तियात !

सवाल : किन नमाज़ में क़िराअत में जहर (बुलंद आवाज़ से पढ़ना) वाजिब और किन में सिर्र (आहिस्ता) वाजिब है ?

जवाब : फज्र व मग़रिब व इ़शा की पहली दो रकअ़तो में और जुमुआ़ व ई़दैन और तरावीह़ और वित्रे रमज़ान की सब रकअ़तों में इमाम पर जहर वाजिब है और मग़रिब की तीसरी और ईशा की तीसरी चौथी या ज़ुहर व अ़स्र की तमाम रकअ़तो में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है !

सवाल : जहर और सिर्र की ह़द क्या है ?

जवाब : जहर के यह मा'ना है कि दूसरे लोग या'नी वह के सफे अव्वल में है सुन सकें , यह अदना दर्जा है और आ'ला के लिए कोई ह़द मुक़र्रर नहीं और आहिस्ता यह कि खुद सुन सकें !

सवाल : तन्हा या जमाअ़त से नफ्ल पढ़े तो क़िराअत में जहर करें या सिर्र ?

जवाब : दिन के नवाफिल में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है और रात के नवाफिल में इख्तियार है , अगर तन्हा पढ़े और जमाअ़त से रात के नफ्ल पढ़े , तो जहर वाजिब है !

सवाल : जहरी नमाज़ो में मुनफरिद जहर करें या सिर्र ?

जवाब : जहरी नमाज़ो में मुनफरिद को इख्तियार है और अफज़ल जहर है जब कि अदा पढ़े और जब क़ज़ा है तो आहिस्ता पढ़ना वाजिब है !

सवाल : क़ज़ा नमाज़ जमाअत से अदा की गई तो क़िराअत जहरी करेंगे या आहिस्ता ?

जवाब : जहरी की क़ज़ा अगर्चे दिन में हो इमाम पर जहर वाजिब है और सिर्री की क़ज़ा में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है , अगर्चे रात में अदा करें !

सवाल : फातिह़ा के बा'द सूरत मिलाना भूल गया , रुकूअ़ में चला गया तो क्या करें ?

जवाब : सूरत मिलाना भूल गया रुकूअ़ में याद आया तो खड़ा हो जाए और सूरत मिलाएं फिर रुकूअ़ करें और आखिर में सज्दा ए सह्व करें अगर दोबारा रुकूअ़ न करेगा तो नमाज़ न होगी !

सवाल : कितना क़ुरआन ह़िफ्ज़ करना ज़रूरी है ?

जवाब : एक आयत का ह़िफ्ज़ करना हर मुसलमान पर फर्ज़ है और पूरे क़ुरआने मजीद का ह़िफ्ज़ करना फर्ज़े किफाया और सूरह फातिह़ा और एक दूसरी छोटी सूरत या इसके मिस्ल , मसलन तीन छोटी आयते या एक बड़ी आयत का ह़िफ्ज़ वाजिब है !

सवाल : नमाज़ में सुन्नत क़िराअत की मिक़्दार क्या है ?

जवाब : ह़ज़र (इक़ामत) में जब के वक़्त तंग न हो तो सुन्नत यह है कि फज्र व ज़ुहर में तवाले मुफस्सल पड़ें और इन सब सूरतो में इमाम व मुनफरिद दोनों का एक ही हुक्म है !

सवाल : मुफस्सल किन सूरतो को कहा जाता है ? और तवाले मुफस्सल , अवसाते मुफस्सल और क़सारे मुफस्सल कौन सी सूरतें है ?

जवाब : हुजरात से आखिर तक क़ुरआने मजीद की सूरतो को मुफस्सल कहते हैं , इसके यह तीन ह़िस्से है , सूरह हुजरात से बुरुज तक तवाले मुफस्सल व और

बुरुज से लम यकुन तक अवसाते मुफस्सल और लम यकुन से आखिर तक क़सारे मुफस्सल !

सवाल : नमाज़ो में क़िराअत की रफ्तार क्या होनी चाहिए ?

जवाब : फर्जो़ में ठहर ठहर कर क़िराअत करें और तरावीह़ में मुतवस्सित अंदाज़ पर और रात के नवाफिल में जल्द पढ़ने की इजाज़त है , मगर ऐसा पढ़े के समझ में आ सके या'नी कम से कम मद का जो दर्जा क़ारियो ने रखा है उसको अदा करें वरना ह़राम है इसलिए के तरतील से क़ुरआन पढ़ने का हुक्म है -

आजकल अक्सर हुफ्फाज़ इस तरह पढ़ते हैं कि मद का अदा होना तो बड़ी बात है يعلمون ، تعلمون के सिवा किसी लफ़्ज़ का पता भी नहीं चलता , न तसहीह़े हुरूफ होती हैं बल्कि जल्दी में लफ़्ज़ के लफ्ज़ खा जाते है और इस पर फख्र होता है कि फलां इस क़द्र जल्दी पढ़ता है ह़ालांकि इस तरह क़ुरआने मजीद पढ़ना ह़राम व सख़्त ह़राम है !

सवाल : सात क़िराअतो में से कौनसी क़िराअत करें ?

जवाब : सातों क़िराअते जाइज़ है मगर ज़्यादा अच्छा यह है कि अ़वाम जिसे न जानते हों वह न पढ़े कि उस में उनके दीन की ह़िफाज़त है जैसे हमारे यहाँ क़िराअते इमाम आ़सिम ब रिवायते ह़फ्स राइज है लिहाज़ा यही पढ़े !

सवाल : सूरतो को मुअ़य्यन कर लेना के उस नमाज़ में हमेशा वही पढ़ा करें , क्या हुक्म है ?

जवाब : सूरतों का मुअ़य्यन कर लेना कि उस नमाज़ में हमेशा वही सूरत पढ़ा करे , मकरूह है मगर जो सूरतें अह़ादीस में वारिद हैं उनको कभी कभी पढ़ लेना मुस्तह़ब है मगर मुदा-वमत न करे कि कोई वाजिब न गुमान करे !

सवाल : दो रकअ़तो में एक ही सूरत की तकरार करना कैसा है ?

जवाब : नवाफिल के अ़लावा दोनों रकअ़तों में एक ही सूरत की तकरार मकरूहे तन्ज़ीही है , जबकि कोई मजबूरी न हो और मजबूरी हो तो बिल्कुल कराहत नहीं , मसलन पहली रकअ़त में पूरी (قل اعوذ برب الناس) पढ़ी तो अब दूसरी में भी यही पढ़े या दूसरी में बिला क़स्द वही पहली सूरत शुरूअ़ कर दी या दूसरी सूरत याद नहीं आती तो वही पहली पढ़े -

नवाफिल की दोनों रकअ़तों में एक ही सूरत को मुकर्रर पढ़ना या एक रकअ़त में उसी सूरत को बार बार पढ़ना बिला कराहत जाइज़ है !

सवाल : फर्ज़ की एक रकअ़त में दो सूरतें पढ़ना कैसा है ?

जवाब : इमाम फर्ज़ की एक रकअ़त में दो सूरत न पढ़े और मुनफरिद पढ़ ले तो ह़रज नहीं , ब-शर्ते कि उन दोनों सूरतों में फासिला न हो और अगर बीच में एक या चन्द सूरतें छोड़ दी तो मकरूह है !

सवाल : पहली रकअ़त में कोई सूरत पढ़ी और दूसरी रकअ़त में एक सूरत छोड़कर अगली सूरत पढ़ी तो क्या हुक्म है ?

जवाब : पहली रकअ़त में कोई सूरत का आखिर पढ़ी और दूसरी में एक छोटी सूरत दरमियान से छोड़कर पढ़ी तो मकरुह है और अगर वो दरमियान की सूरत बढ़ी है के उसको पढ़े तो दूसरी की क़िराअत पहली से तवील हो जाए तो ह़रज नहीं जैसे (والتين) के बा'द (انا انزلنا) पढ़ने में ह़रज नहीं और (اذا جاء) के बा'द (قل هو الله) पढ़ना न चाहिए !

सवाल : क़ुरआन मजीद उल्टा पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब : क़ुरआन मजीद उलटा पढ़ना कि दूसरी रकअ़त में पहली वाली से ऊपर की सूरत पढ़े , यह मकरूहे तह़रीमी है मसलन पहली में (قل يايها الكفرون) पढ़ी और दूसरी में (الم تر كيف) -

इस के लिये सख्त वईद आई है , अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द رضی اللہ عنہ फरमाते हैं : जो क़ुरआने मजीद उलट कर पढ़ता है , क्या खौफ नहीं करता कि अल्लाह उसका दिल उलट दे -
जानबूझ कर पढ़ी तो गुनाह है मगर नमाज़ का इआ़दा वाजिब नहीं और भूल कर हो तो न गुनाह , न सज्दए सहव !

सवाल : बच्चो को तीसवा पारा खिलाफे तरतीब याद करवाते है , उस का क्या हुक्म है ?
जवाब : बच्चों की आसानी के लिए पारा अ़म्म खिलाफे तरतीबे क़ुरआने मजीद पढ़ना जाइज़ है !

सवाल : भूल कर दूसरी रकअ़त में ऊपर की सूरत शुरूअ़ कर दी या एक छोटी सूरत का फासिला हो गया , फिर याद आया तो क्या हुक्म है ?
जवाब : भूल कर दूसरी रकअ़त में ऊपर की सूरत शुरूअ़ कर दी या एक छोटी सूरत का फासिला हो गया , फिर याद आया तो जो शुरूअ़ कर चुका है उसी को पूरा करे अगर्चे अभी एक ही ह़र्फ पढ़ा हो मसलन (قل یایہا الکفرون) पढ़ी और दूसरी में या (الم تر کیف) या (تبت) शुरूअ़ कर दी , अब याद आने पर उसी को खत्म करे , छोड़ कर (اذا جاء) पढ़ने की इजाज़त नहीं !

मसाइले क़िराअत बेरूने नमाज़

सवाल : क़ुरआने मजीद देख कर पढ़ना अफ्ज़ल है या ज़बानी पढ़ना ?
जवाब : क़ुरआने मजीद देखकर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफज़ल है कि यह पढ़ना भी है और देखना भी और हाथ से उसका छूना भी और यह सब इ़बादत हैं !

सवाल : तिलावत के कुछ आदाब बयान कर दें ?
जवाब : मुस्तह़ब यह है कि बा-वुज़ू क़िब्ला-रू अच्छे कपढ़े पहनकर तिलावत करे और शुरूअ़ तिलावत में اعوذ पढ़ना मुस्तह़ब है और इब्तिदाए सूरत में بسم اللہ सुन्नत , वरना मुस्तह़ब और जो आयत पढ़ना चाहता है अगर उसकी इब्तिदा में ज़मीर मौला तआ़ला की तरफ राजेअ़ है जैसे (ھو اللہ الذی لا الہ الا ھو) तो इस सूरत में اعوذ के बा'द بسم اللہ पढ़ने का इस्तिह़बाब मुअक्कद है , दरमियान में कोई दुनियावी काम करे तो اعوذ باللہ , بسم اللہ फिर पढ़ ले और दीनी काम किया मसलन सलाम या अज़ान का जवाब दिया या سبحان اللہ और कलिमए तय्यबा वग़ैरा अज़कार पढ़े , اعوذ باللہ फिर पढ़ना उस के ज़िम्मे नहीं !

सवाल : क्या सूरए तौबा से पहले اعوذ باللہ और بسم اللہ पढ़ेगा ?
जवाब : सूरए बराअत से अगर तिलावत शुरूअ़ की तो اعوذ باللہ , بسم اللہ कह ले और जो उसके पहले से तिलावत शुरूअ़ की और सूरए बराअत आ गई तो तसमिया पढ़ने की ह़ाजत नहीं -
और उसकी इब्तिदा में नया तअ़व्वुज़ जो आजकल के हाँफिज़ो ने निकाला है , बेअस्ल है और यह जो मशहूर है कि सूरए तौबा इब्तिदाअन भी पढ़े जब भी بسم اللہ न पढ़े , यह मह़ज़ ग़लत है !

सवाल : लेट कर क़ुरआन मजीद पढ़ना कैसा है ?

जवाब : लेट कर क़ुरआन पढ़ने में ह़रज नहीं जबकि पाँव सिमटे हो और मुँह खुला हो , यूँही चलने और काम करने की ह़ालत में भी तिलावत जाइज़ है जबकि दिल न बटे वरना मकरूह है !

सवाल : किस जगह क़ुरआन पढ़ना मनअ़ है ?
जवाब : ग़ुस्लखाने और मवज़ए नजासत में क़ुरआन मजीद पढ़ना नाजाइज़ है !

सवाल : जब क़ुरआन मजीद की तिलावत हो रही हो तो ह़ाज़िरीन क्या करें ?
जवाब : जब बुलन्द आवाज़ से क़ुरआन पढ़ा जाये तो तमाम ह़ाज़िरीन पर सुनना फर्ज़ है जबकि वह मजमअ़ बग़र्ज़े सुनने के हाँज़िर हो वरना एक का सुनना काफी है अगर्चे और अपने काम में हों !

सवाल : मजमे में सब पढ़ने वाले बुलंद आवाज़ से पढ़ें , तो क्या हुक्म है ?
जवाब : मजमे में सब लोग बुलन्द आवाज़ से पढ़े यह ह़राम है अक्सर तीजों में सब बुलन्द आवाज़ से पढ़ते हैं यह ह़राम है अगर चन्द शख्स पढ़ने वाले हो तो हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें !

सवाल : बाज़ारों में और जहां लोग काम में मशग़ूल हो , बुलंद आवाज़ से क़ुरआन पढ़ना कैसा है ?
जवाब : बाज़ारों में और जहां लोग काम में मशग़ूल हो बुलन्द आवाज़ से पढ़ना नाजाइज़ है , लोग अगर न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है अगर काम में मशग़ूल होने से पहले उसने पढ़ना शुरूअ़ कर दिया हो , और अगर वह जगह काम करने के लिए मुक़र्रर न हो तो अगर पहले पढ़ना उसने शुरूअ़ किया और लोग नहीं सुनते तो लोगों पर गुनाह और अगर काम शुरूअ़ करने के बा'द उसने पढ़ना शुरूअ़ किया तो इस पर गुनाह -
जहां कोई शख्स इल्मे दीन पढ़ा रहा है या तालिबे इ़ल्मइल्मे दीन की तकरार करके

या मुतालआ देखते हो , वहां भी बुलंद आवाज़ से पढ़ना मनअ है !

सवाल : क़ुरआन मजीद सुनना अफ़ज़ल है या तिलावत करना ?
जवाब : कुरआन मजीद सुनना तिलावत करने और नफ्ल पढ़ने से अफ़ज़ल है !

सवाल : खुद से तिलावत कर रहे थे , उस दौरान कोई मुअज़्ज़मे दीनी आ जाएं तो क्या उस की ता'ज़ीम के लिए खड़े हो सकते है ?
जवाब : तिलावत करने में कोई शख्स मुअज़्ज़में दीनी , बादशाहे इस्लाम या आ़लिमे दीन या पीर या उस्ताद या बाप आ जाए तो तिलावत करने वाला उसकी ता'ज़ीम को खड़ा हो सकता है !

सवाल : क़ुरआन याद करके भुला देना कैसा है !
जवाब : क़ुरआन पढ़ कर भुला देना गुनाह है , हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم फरमाते है कि मेरी उम्मत के सवाब मुझ पर पेश किए गए यहाँ तक कि तिनका जो मस्जिद से आदमी निकाल देता है, और मेरी उम्मत के गुनाह जो मुझ पर पेश हुए तो इससे बढ़ कर कोई गुनाह नहीं देखा कि आदमी को सूरत या आयत दी गई और उसने भुला दी -
दूसरी रिवायत में है कि जो क़ुरआन पढ़कर भूल जाये क़ियामत के दिन कोढ़ी होकर आयेगा -
और क़ुरआन मजीद में है कि अन्धा होकर उठेगा !

सवाल : जो शख्स क़ुरआन मजीद ग़लत पढ़ रहा हो तो सुनने वाले पर क्या हुक्म है ?
जवाब : जो शख्स ग़लत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि उसे बता दे बशर्ते कि बताने की वजह से कीना व ह़सद पैदा न हो !

सवाल : अगर किसी से मुसह़फ (क़ुरआन मजीद) आ़रियतन लिया , उसमे किताबत की ग़लती देखी , तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर किसी का मुसह़फ शरीफ अपने पास है उस पर ग़लती देखी तो उसे ठीक कर देना वाजिब है !

सवाल : क़ुरआन मजीद निहायत बारीक क़लम से लिख कर छोटा कर देना कैसा है ?

जवाब : क़ुरआन मजीद निहायत बारीक क़लम से लिखकर छोटा कर देना जैसा आजकल ता'वीज़ी क़ुरआन छपते है , मकरूह है कि इसमें तह़क़ीर की सूरत है !

सवाल : क़ुरआन मजीद बुलंद आवाज़ से पढ़ना अफ़ज़ल है या आहिस्ता है ?

जवाब : क़ुरआन मजीद बुलन्द आवाज़ से पढ़ना अफज़ल है जब कि किसी नमाज़ी या मरीज़ या सोते को तक्लीफ न पहुँचे !

क़िराअत में ग़लती हो जाने का बयान

सवाल : दौराने नमाज़ अगर क़िराअत में ग़लती हो जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब : इस बाब में क़ाइदा ए कुल्लिया ये है कि अगर ऐसी गलती हुई जिस से मा’ना बिगड़ गए , नमाज़ फासिद हो गयी -

सवाल : ह़र्फ से ह़र्फ तब्दील कर दिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : ह़र्फ की जगह दूसरा ह़र्फ पढ़ना अगर इस वजह से हो कि उसकी ज़बान से वह ह़र्फ अदा नहीं होता तो मजबूर है , उस पर कोशिश करना ज़रूरी है और अगर लापरवाही की वजह से है जैसे आजकल के बहुत से हुफ्फाज़ व ऊ़ल-मा कि अदा करने पर क़ादिर है मगर बेख़याली में तब्दीले ह़र्फ कर देते हैं , तो अगर मा'ना फ़ासिद हो नमाज़ न हुई , इस क़िस्म की जितनी नमाज़े पढ़ी हों उनकी क़ज़ा लाज़िम है -

ط ت ، س ث ص ، ذ ز ظ ، ا ء ع ، ه ح ، ض ظ د

इन ह़र्फो में सह़ीह़ तौर पर इम्तियाज़ रखें , वरना मा'ना फासिद होने की सूरत में नमाज़ न होगी और बा’ज़ तो ز ج ، ق ک में भी फर्क़ नहीं करते !

सवाल : बे मह़ल वक़्फ कर दिया , नमाज़ का क्या हुक्म है ?

जवाब : वक़्फ का बे मोक़ा होना मुफसिद नहीं , अगर्चे वक़्फे लाज़िम हो !

सवाल : अगर क़िराअत में कोई कलिमा छोड़ दिया , क्या हुक्म है ?

जवाब : किसी कलिमे को छोड़ गया और मा’ना फासिद न हुए जैसे (وَجَزَآؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَ) में दूसरे سَيِّئَةٌ को न पढ़ा तो नमाज़ फासिद न हुई और अगर उस की वजह से मा’ना फासिद हो जैसे (فَلَا لَهُمْ لَا نُؤْمِنُوْنَ) में لا न पढ़ा तो नमाज़ फासिद हो गयी !

सवाल : एक लफ्ज़ के बदले दूसरा लफ्ज़ पड़ दिया तो क्या हुक्म है ?
जवाब : एक लफ्ज़ के बदले में दूसरा लफ़्ज़ पढ़ा मगर मा'ना फासिद न हों तो नमाज़ हो जायेगी जैसे عليم की जगह حكيم पढ़ा और अगर मा'ना फासिद हों तो नमाज़ न होगी जैसे (وَعداً عَلَيناَ ، اِنّاَ كُنّا فاَعِلِينَ) में فاَعِلِينَ की जगह غَافِلِينَ पढ़ा !

सवाल : एक आयत की जगह दूसरी आयत पढ़ी तो क्या हुक्म है ?
जवाब : एक आयत को दूसरी आयत की जगह पढ़ा , अगर पूरा वक़्फ कर चुका है तो नमाज़ फासिद न हुई और अगर वक़्फ न किया तो मा'ना बदलने की सूरत में नमाज़ फासिद हो जाएगी !

सवाल : किसी कलिमे को मुकर्रर पढ़ा तो क्या हुक्म है ?
जवाब : किसी कलिमे को मुकर्रर पढ़ा , तो मा'ना फासिद होने में नमाज़ फासिद होगी जैसे رَبِّ رَبِّ العَالَمِينَ مٰلِکِ مٰلِکِ يَومِ الدِينِ जबकि बक़स्दे इज़ाफत पढ़ा हो या'नी 'रब का रब मालिक का मालिक और अगर बक़स्दे तसहीहे मखारिज मुकर्रर किया या बग़ैर क़स्द , ज़बान से मुकर्रर हो गया या कुछ भी क़स्द न किया तो इस सब सूरतों में नमाज़ हो जायेगी !

सवाल : मद , गुन्ना , इज़्हार , इख्फा , इमाला न करना था , किया , या करना था न किया , क्या हुक्म है ?
जवाब : मद , गुन्ना , इज़्हार , इख्फा , इमाला बे मौक़ा पढ़ा या जहां पढ़ना है न पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी !

रूकूअ़ व सुजूद

सवाल : रुकूअ़ की ता'रीफ क्या है ?

जवाब : इतना झुकना कि हाथ बढ़ाये तो घुटनों को पहुँच जाये , यह रूकूअ़ का अदना दर्जा है , और पूरा यह कि पीठ सीधी बिछा दे !

सवाल : ऐसा कुबड़ा शख्स जिस का कुब ह़द्दे रुकूअ़ तक पहुंच गया हो , वो कैसे रुकूअ़ करें ?

जवाब : कुबड़ा शख्स कि उस का कुब ह़द्दे रुकूअ़ को पहुँच गया हो रुकूअ़ के लिये सर से इशारा करे !

सवाल : सज्दा किसे कहते है ?

जवाब : पेशानी का ज़मीन पर जमना सज्दे की ह़क़ीक़त है और पाँव की एक उंगली का पेट लगना शर्त तो अगर किसी ने इस तरह सज्दा किया कि दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे नमाज़ न हुई बल्कि अगर सिर्फ उँलगी की नोक ज़मीन से लगी जब भी न हुई , इस मसअले से बहुत लोग गाफिल हैं !

सवाल : किसी उ़ज़्र की वजह से पेशानी ज़मीन पर नहीं लगा सकता तो क्या करें?

जवाब : अगर किसी उ़ज़्र के सबब पेशानी ज़मीन पर नहीं लगा सकता तो सिर्फ नाक से सज्दा करें फिर भी फक़त नाक की नोक लगना काफी नहीं , बल्कि नाक की हड्डी ज़मीन पर लगना ज़रूरी है !

सवाल : अगर किसी ने सज्दे में सिर्फ रुखसार या थोड़ी ज़मीन पर लगाई तो क्या हुक्म है ?

जवाब : रुख्सार या ठोड़ी ज़मीन पर लगाने से सज्दा न होगा ख्वाह उ़ज़्र के सबब हो या बिला उ़ज़्र , अगर उ़ज़्र हो तो इशारे का हुक्म है !

सवाल : एक रकअ़त में कितनी बार सज्दा फर्ज़ है ?

जवाब : हर रकअ़त में दो बार सज्दा फर्ज़ है !

सवाल : किसी नर्म चीज़ पर सज्दे का क्या हुक्म है ?

जवाब : किसी नर्म चीज़ मसलन घास , रूई , कालीन वग़ैरा पर सज्दा किया तो अगर पेशानी जम गई या'नी इतनी दबी कि अब दबाने से न दबे तो जाइज़ है वरना नहीं -

बा'ज़ जगह सर्दियो में मस्जिद में प्याल (चावल का भुस) बिछाते हैं उन लोगों को सज्दा करने में इसका लिहाज़ बहुत ज़रूरी कि अगर पेशानी खूब न दबी , तो नमाज़ न हुई और नाक हड्डी तक न दबी तो मकरूहे तह़रीमी वाजिबुल इआ़दा हुई , कमानी दार (स्प्रिंग वाले) गद्दे पर सज्दे में पेशानी खूब नहीं दबती लिहाज़ा नमाज़ न होगी !

सवाल : ज्वार या बाजरा वग़ैरा के दानों पर सज्दा किया , तो क्या हुक्म है?

जवाब : ज्वार , बाजरा वग़ैरा छोटे दानों पर जिन पर पेशानी न जमें , सज्दा न होगा अलबत्ता अगर बोरी वग़ैरा में खूब कस कर भर दिये गये कि पेशानी जमने से मानेअ़ न हो , तो हो जायेगा !

सवाल : इमामे के पेच पर सज्दा किया , क्या हुक्म है ?

जवाब : इमामे के पेच पर सज्दा किया अगर माथा खूब जम गया सज्दा हो गया और माथा न जमअ़ बल्कि फक़त छू गया कि दबाने से दबेगा या सर का कोई ह़िस्सा लगा , तो न हुआ !

सवाल : अगर सज्दे वाली जगह क़दमों की निस्बत ऊंची है , तो क्या हुक्म है?

जवाब : ऐसी जगह सज्दा किया कि क़दम की बनिस्बत बारह उँगल से ज़्यादा ऊँचा है सज्दा न हुआ , वरना हो गया !

क़ा’दए अखीरा और खुरूजे बिसुनड़ही

सवाल : क़ा’दए अखीरा से क्या मुराद है ?

जवाब : नमाज़ की रकअ़तें पूरी करने के बा’द इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तह़िय्यात या'नी रसूलुहू तक पढ़ ली जाये फर्ज़ है , इसे क़ा’दए अखीरा कहते है !

सवाल : अगर क़ा’दए अखीरा पूरा सोते में गुज़र गया , तो क्या हुक्म है ?

जवाब : पूरा क़ा’दए अखीरा सोते में गुज़र गया तो बा’दे बेदारी के बक़द्रे तशह्हुद बैठना फर्ज़ है वरना नमाज़ न होगी , यूँही क़ियाम , क़िराअत , रुकूअ़ सुजूद में अव्वल से आखिर तक सोता ही रहा तो जागने के बा’द उनका लौटाना फर्ज़ है वरना नमाज़ न होगी और सज्दए सह्व भी करें !

सवाल : आखिरी रकअ़त के बा’द क़ाइदा न किया और खड़ा हो गया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : चार रकअ़त वाले फ़र्ज़ में चौथी रकअ़त के बा’द क़ाइदा न किया तो जब तक पाँचवी का सज्दा न किया हो बैठ जाये और पाँचवीं का सज्दा कर लिया या फर्ज़ में दूसरी पर नहीं बैठा और तीसरी का सज्दा कर लिया या मग़रिब में तीसरी पर न बैठा और चौथी का सज्दा कर लिया , तो इन सब सूरतों में फर्ज़ बातिल हो गये मग़रिब के सिवा और नमाज़ों में एक रकअ़त और मिला ले !

सवाल : क़ा’दए अखीरा में बक़द्रे तशह्हुद पढ़ने के बा’द याद आया के मुझ पर सज्दा बाक़ी है तो क्या हुक्म है ?

जवाब : बक़द्रे तशह्हुद बैठने के बा’द याद आया कि सज्दए तिलावत या नमाज़ का कोई सज्दा करना है तो सज्दा करें और कर लिया तो फर्ज़ है कि सज्दे के

बा'द फिर बक़द्रे तशह्हुद बैठें , वह पहला क़ाइदा जाता रहा , क़ाइदा न करेगा तो नमाज़ न होगी !

सवाल : खुरूजे बिसुनइ़ही से क्या मुराद है ?
जवाब : क़ा'दए अखीरा के बा'द सलाम, कलाम वग़ैरा कोई ऐसा फे'ल जो मुनाफिये नमाज़ हो , बक़स्द खुरूज करना बिसुनइ़ही है , मगर सलाम के अ़लावा कोई दूसरा मुनाफ़ी क़स्दन पाया गया तो नमाज़ वाजिबुल इआ़दा हुई और बिला क़स्द कोई मुनाफी पाया गया तो नमाज़ बातिल !

सवाल : क़ियाम व रुकूअ़ व सुजूद व क़ा'दए अखीरा तरतीब से करना ज़रूरी है ?
जवाब : क़ियाम व रुकूअ़ व सुजूद व क़ा'दए अखीरा मे तरतीब फर्ज़ है अगर क़ियाम से पहले रुकूअ़ कर लिया फिर क़ियाम किया तो वह रुकूअ़ जाता रहा , अगर क़ियाम के बा'द फिर रुकूअ़ करेगा नमाज़ हो जायेगी वरना नहीं , यूँही रुकूअ़ से पहले सज्दा करने के बा'द अगर रुकूअ़ फिर सज्दा कर लिया , हो जायेगी , वरना नहीं !

नमाज़ के वाजिबात , सुनन और मुस्तहब्बात

सवाल : नमाज़ के वाजिबात बयान कर दें ?

जवाब : नमाज़ में दर्जे ज़ैल वाजिबात है :

(1) तकबीरे तहरीमा में लफ्ज़े अल्लाहु अकबर कहना (2) फर्ज़ो की तीसरी और चौथी रकअ़त के अ़लावा बाक़ी तमाम नमाज़ो की हर रकअ़त में अल्हम्दु शरीफ पढ़ना , सूरत मिलाना या कुरआने पाक की एक बड़ी आयत जो छोटी तीन आयतो के बराबर हो या तीन छोटी आयतें पढ़ना (3) अल्हम्दु शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना (4) अल्हम्दु शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और بسم الله الرحمٰن الرحيم के अ़लावा कुछ न पढ़ना (5) क़िराअत के बा'द फौरन रुकूअ़ करना (6) एक सज्दे के बा'द बित्तरतीब दूसरा सज्दा करना (7) तअ़दीले अरकान या'नी रुकूअ़ , सुजूद , कौमा , जलसा में कम अज़ कम एक बार سبحان الله कहने की मिक़्दार ठहरना (8) कौमा या'नी रुकूअ़ से सीधा खड़ा होना (9) जलसा या'नी दो सजदों के दरमियान सीधा बैठना (10) क़ाइद ए ऊला अगर्चे नफ्ल नमाज़ हो (11) फर्ज़ , वित्र और सुन्नते मुअक्कदा में तशह्हुद (या'नी अत्तहिय्यात) के बा'द कुछ न बढ़ाना (12) दोनों क़ाअदों में तशह्हुद मुकम्मल पढ़ना अगर एक लफ्ज़ भी छूटा वाजिब तर्क हो जाएगा (13) फर्ज़ , वित्र और सुन्नते मुअक्कदा के क़ाअदा ए ऊला में तशह्हुद के बा'द अगर बे खयाली में اللهم صل على محمد या اللهم صل على سيدنا कह लिया तो सज्दा ए सहव वाजिब हो गया और अगर जान बूझ कर कहा तो नमाज़ लोटाना वाजिब है (14) दोनो तरफ सलाम फेरते वक़्त लफ़्ज़ अस्सलामु दोनो बार वाजिब है और लफ्ज़ ' अ़लैकुम ' वाजिब नहीं (15) वित्र में तकबीरे कुनूत कहना (16) वित्र में दुआ़ए कुनूत पढ़ना (17) ईदैन की छे तकबीरें (18) ईदैन में दूसरी रकअ़त के तकबीरे रुकूअ़ और इस तक्बीर के लिये लफ्जे अल्लाहु अकबर होना (19) जहरी नमाज़ मसलन मग़रिब व इशा की पहली और दूसरी

रकअ़त और फज्र , जुमुआ़ , ईदैन , तरावीह़ और रमज़ान शरीफ के वित्र की हर रकअ़त में इमाम को जहर (या'नी बुलंद आवाज़ के कम अज़ कम तीन आदमी सुन सकें) से क़िराअत करना (20) ग़ैर जहरी नमाज़ (मसलन ज़ुहर व अ़स्र) में आहिस्ता क़िराअत करना (21) हर फर्ज़ व वाजिब का उसकी जगह होना (22) रुकूअ़ हर रकअ़त में एक ही बार होना (23) सज्दा हर रकअ़त में दो ही बार होना (24) दूसरी रकअ़त से पहले क़ा'दह न करना (25) चार रकअ़त वाली में तीसरी रकअ़त पर क़ा'दह न करना (26) आयते सज्दा पढ़ी हो तो सज्दए तिलावत करना (27) सज्दा ए सह्व वाजिब हुआ हो तो सज्दा ए सह्व करना (28) दो फर्ज़ या दो वाजिब या वाजिब व फर्ज़ के दरमियान तीन तस्बीह़ की क़द्र (तीन बार سبحان الله कहने की मिक़्दार) वक़्फा न होना (29) इमाम जब क़िराअत ख्वाह बुलन्द आवाज़ से हो या आहिस्ता आवाज़ से मुक़्तदी का चुप रहना (30) क़िराअत के सिवा तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना !

सवाल : नमाज़ की सुन्नतें बयान कर दें ?

जवाब : नमाज़ की सुन्नतें दर्जे ज़ैल है :

(1) तह़रीमा के लिये हाथ उठाना (2) तह़रीमा के वक़्त हाथों की उंगलियाँ अपने ह़ाल पर छोड़ना , या'नी न बिल्कुल मिलाये न ब तकल्लुफ कुशादा रखे बल्कि अपने हाल पर छोड़ दे (3) तह़रीमा के वक़्त हथेलियों और उंगलियों के पेट का क़िब्ला-रू होना (4) बवक़्ते तक्बीर सर न झुकाना (5) तक्बीर से पहले हाथ उठाना यूँ ही तकबीरे कुनूत व तकबीराते ईदैन में कानों तक हाथ ले जाने के बा'द तक्बीर कहे और इनके अ़लावा किसी जगह नमाज़ में हाथ उठाना सुन्नत नहीं औ़रत के लिये सुन्नत यह है कि मोंढो तक हाथ उठाये (6) इमाम का बुलन्द आवाज़ से الله اكبر , سمع الله لمن حمده और सलाम कहना जिस क़द्र बुलन्द आवाज़ की ह़ाजत हो और बिला ह़ाजत बहुत ज़्यादा बुलन्द आवाज़ करना मकरूह है (7) बा'दे

तक्बीर फौरन हाथ बांध लेना यू के मर्द नाफ के नीचे दहने हाथ की हथेली बाएं कलाई के जोड़पर रखें , छुंगलियां और अंगूठा कलाई के अगल बगल रखे और बाक़ी उंगलियों को बाएं कलाई की पुश्त पर बिछाएं और औ़रत व खुंसा बाएं हथेली सीने पर छाती के नीचे रखकर उसकी पुश्त पर दहनी हथेली रखें (8) सना , तअ़व्वुज़ , तस्मिया , आमीन कहना और इन सब का आहिस्ता होना (9) पहले सना पढ़े फिर तअ़व्वुज़ फिर तस्मिया पढ़ना और हर एक के बा'द दूसरे को फौरन पढ़े वक़्फा न करे (10) तहरीमा के बा'द फौरन सना पढ़े और सना में وَجَلَّ ثناؤُکَ ग़ैरे जनाज़ा में न पढ़े और दीगर अज़कार जो अहादीस में वारिद हैं , वह सब नफ्ल के लिये हैं (11) रूकूअ़ में तीन बार कहना और घुटनों को हाथ से पकड़ना और उंगलियां खूब खुली रखना , ये हुक्म मर्दों के लिए है , और औ़रतों के लिए सुन्नत घुटनों पर हाथ रखना और उंगलियां कुशादा न करना है आजकल अक्सर मर्द रुकूअ़ में महज़ हाथ रख देते और उंगलियां मिलाकर रखते है , ये खिलाफे सुन्नत है (12) ह़ालते रुकूअ़ में टाँगें सीधी होना , अक्सर लोग कमान की तरह टेढ़ी कर लेते हैं , यह मकरूह है (13) रुकूअ़ के लिये अल्लाहु अकबर कहना (14) रुकूअ़ में पीठ खूब बिछी रखे यहाँ तक कि अगर पानी का प्याला उस की पीठ पर रख दिया जाये तो ठहर जाये , औ़रत रुकूअ़ में थोड़ा झुके या'नी सिर्फ इस क़द्र कि हाथ घुटनों तक पहुँच जायें , पीठ सीधी न करे (15) रुकूअ़ से जब उठे तो हाथ न बाँधे लटका हुआ छोड़ दे (16) रुकूअ़ से उठने में इमाम के लिए سمع الله لمن حمده कहना और मुक़्तदी के लिये اللهم ربنا ولک الحمد कहना और गुनफरिद को दोनों कहना सुन्नत है (17) सज्दे के लिये और सज्दे से उठने के लिये अल्लाहु अकबर कहना (18) सज्दे में कम अज़ कम तीन बार سبحان ربی الاعلی कहना (19) सज्दे में हाथ का ज़मीन पर रखना (20) सज्दे में जाये तो ज़मीन पर पहले घुटने रखे फिर हाथ फिर नाक फिर पेशानी और जब सज्दे से सर उठाये इस का अ़क्स करे या'नी पहले पेशानी उठाये फिर नाक फिर हाथ फिर घुटने (21) मर्द के लिये

सज्दे में सुन्नत यह है कि बाज़ू करवटों से जुदा हों और पेट रानों से और कलाईयाँ ज़मीन पर न बिछाये मगर जब सफ में हो तो बाज़ू करवटों से जुदा न होंगे (22) औ़रत सिमट कर सज्दा करे या'नी बाज़ू करवटों से मिला दे और पेट रान से और रान पिंडलियों से और पिंडलियाँ ज़मीन से (23) दोनों घुटने एक साथ ज़मीन पर रखे और अगर किसी उ़ज़्व से एक साथ न रह सकता हो तो पहले दाहिना रखे फिर बायाँ (24) सजदों में उंगलियाँ क़िब्ला रू होना (25) हाथो की उंगलियाँ मिली हुई होना (26) सज्दे में दोनों पाँव की दसों उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना सुन्नत है,और हर पाँव की तीन तीन उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना वाजिब और दसों का किबला रू होना सुन्नत (27) जब दोनों सज्दे कर ले तो दूसरी रकअ़त के लिये पंजो के बल घुटनों पर हाथ रखकर उठे , यह सुन्नत है , हाँ कमज़ोरी वग़ैरा उ़ज़्र के सबब अगर ज़मीन पर हाथ रखकर उठा जब भी ह़रज नहीं (28) दूसरी रकअ़त के सजदों से फारिग़ होने के बा'द बायाँ पाँव बिछा कर दोनों सुरीन उस पर रखकर बैठना और दाहिना क़दम खड़ा रखना और दाहिने पाँव की उंगलियाँ क़िब्ला रूख करना यह मर्दो के लिये है और औ़रत दोनों पाँव दाहिनी जानिब निकाल दे और बाएं सुरीन पर बैठे (29) दाहिना हाथ दाहिनी रान पर रखना और बायाँ बाई पर और उंगलियों को अपनी ह़ालत पर छोड़ना कि न खुली हुई हों न मिली हुई और उंगलियों के किनारे घुटनों के पास होना घुटने पकड़ना न चाहिये (30) शहादत पर इशारा करना यूँ कि छंगुलिया और उस के पास वाली को बंद कर ले अंगूठे और बीच की उंगली का ह़लका बाँधे और 'ला' पर कलिमे की उंगली उठाये और इल्ला पर रख दें और सब उंगलियाँ सीधी कर ले (31) क़ा'दह ए ऊला के बा'द तीसरी रकअ़त के लिए उठे तो ज़मीन पर हाथ रखकर न उठे , बल्कि घुटनों पर ज़ोर देकर , हाँ अगर उ़ज़्र है तो ह़रज नहीं (32) तशह्हुद के बा'द दूसरे क़ाअ़दे में दुरूद शरीफ पढ़ना और अफ़ज़ल वह दुरुद है , जो नमाज़ के तरीक़े में मज़्कूर हुआ (33) और नवाफिल के क़ाअ़दा ए ऊला में भी मसनून है (34)

मुक़्तदी के तमाम इंतिक़ालात इमाम के साथ साथ होना (35) السلام علیکم ورحمتہ اللہ दो बार कहना , पहले दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ (36) सलाम के बा'द सुन्नत यह है कि इमाम दहने बायें को इन्ह़िराफ करे और दाहिनी तरफ़ अफज़ल है और मुक़्तदियों की तरफ भी मुँह करके बैठ सकता है जबकि कोई मुक़्तदी उसके सामने नमाज़ में न हो अगर्चे किसी पिछली सफ में वह नमाज़ पढ़ता हो !

सवाल : नमाज़ के मुस्तह़ब्बात बयान कर दें ?

जवाब : नमाज़ के मुस्तह़ब्बात दर्जे ज़ैल है : (1) ह़ालते क़ियाम में सज्दे की जगह पर नज़र करना (2) रुकूअ़ में पुश्ते क़दम की तरफ (3) सज्दे में नाक की तरफ (4) क़ा'दे में गोद की तरफ (5) पहले सलाम में दाहिने शाने की तरफ (6) दूसरे में बायें की तरफ (7) जमाही आये तो मुँह बन्द किये रहना और न रुके तो होंट दाँत के नीचे दबाये और इससे भी न रुके तो क़ियाम में दाहिने हाथ की पुश्त से मुँह ढाँक लें और ग़ैर क़ियाम में बाएं हाथ की पुश्त से या दोनों में आस्तीन से और बिला ज़रूरत हाथ या कपढ़े से मुँह ढाँकना मकरूह है , जमाही रोकने का मुजर्रब तरीक़ा यह है कि दिल में खयाल करे कि अम्बियाँ علیہم السلام को जमाही नहीं आती थी (8) मर्द के लिये तकबीरे तह़रीमा के वक़्त हाथ कपढ़े से बाहर निकालना (9) औ़रत के लिए कपढ़े के अन्दर बेहतर है (10) जहां तक मुम्किन हो खाँसी रोकना (11) जब मुकब्बिर حی علی الفلاح कहे तो इमाम मुक़्तदी सब का खड़ा हो जाना (12) जब मुकब्बिर قد قامت الصلاۃ कह ले तो नमाज़ शुरूअ़ कर सकता है , मगर बेहतर है कि इक़ामत पूरी होने पर शुरूअ़ करे (13) दोनों पंजो के दरमियान क़ियाम में चार उंगल का फासला होना (14) मुक़्तदी को इमाम के साथ शुरूअ़ करना (15) सज्दा ज़मीन पर बिला ह़ाइल होना !

इमामत का बयान

सवाल : नमाज़ की इमामत का मतलब क्या है ?

जवाब : नमाज़ की इमामत का मतलब ये है कि दूसरे की नमाज़ का उसकी नमाज़ के साथ वाबस्ता होना !

सवाल : इमाम के लिए कितनी शर्ते है ?

जवाब : बालिग़ मर्द ग़ैरे मा'ज़ूर के इमाम के लिये छे शर्ते हैं : (1) इस्लाम (2) बुलूग़ (3) आक़िल होना (4) मर्द होना (5) क़िराअत (6) मा'ज़ूर न होना !

सवाल : क्या नाबालिगों के इमाम के लिए बालिग़ होना शर्त है ?

जवाब : नाबालिगों के इमाम के लिये बालिग़ होना शर्त नहीं बल्कि नाबालिग़ भी नाबालिगों की इमामत कर सकता है अगर समझदार हो !

सवाल : औ़रतों के इमाम के लिये मर्द होना शर्त नहीं ?

जवाब : औ़रतों के इमाम के लिये मर्द होना शर्त नहीं औ़रत भी इमाम हो सकती है , अगर्चे मकरूह है !

सवाल : क्या शर-ई मा'ज़ूर, शर-ई मा'ज़ूर की इमागत कर सकता है ?

जवाब : मा'ज़ूर अपने मिस्ल या अपने से ज़ाइद उ़ज़्र वाले की इमामत कर सकता है कम उ़ज़्र वाले की इमामत नहीं कर सकता और अगर इमाम व मुक़्तदी दोनों को दो क़िस्म के उ़ज़्र हों मसलन एक को रियाह़ का मर्ज़ है दूसरे को क़तरा आने का तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता !

सवाल : इक़्तिदा सही़ह़ होने की कितनी शराईत है ?

जवाब : इक़्तिदा की तेरह शर्ते है : (1) नियते इक़्तिदा होना (2) और उस इक़्तिदा की नियत का तह़रीमा के साथ होना या तह़रीमा पर मुक़द्दम होना , ब-शर्ते कि

सूरते तक़द्दुम में कोई अजनबी फे'ल नियत व तह़रीमा में फ़ासिल न हो (3) इमाम व मुक़्तदी दोनों का एक मकान में होना (4) दोनों की नमाज़ एक हो या इमाम की नमाज़ नमाज़े मुक़्तदी को मुतज़म्मिन हो (5) इमाम की नमाज़ मज़हबे मुक़्तदी पर सह़ीह़ होना (6) इमाम व मुक़्तदी दोनों का उसे सही़ समझना (7) औ़रत का मुक़ाबिल न होना उन शुरूत के साथ जो मज़कूर होंगी (8) मुक़्तदी का इमाम से आगे न होना (9) इमाम के इन्तिक़ालात का इ़ल्म होना (10) इमाम का मुक़ीम या मुसाफ़िर होना मा'लूम हो (11) अरकान की अदा में शरीक होना (12) अरकान की अदा में मुक़्तदी इमाम के मिस्ल हो या कम (13) शराइत में मुक़्तदी का इमाम से ज़ाइद न होना !

सवाल : ह़-नफी शाफेई़ की इक़्तिदा कब कर सकता है ?

जवाब : शाफेई़ या दूसरे मुक़ल्लिद की इक़्तिदा उस वक़्त कर सकते हैं जब वह मसाइले तहारत व नमाज़ में हमारे फ़राइज़े मज़हब की रिआ़यत करता हो या मा'लूम हो कि इस नमाज़ में रिआ़यत की है या'नी उस की तहारत ऐसी न हो कि ह़-नफियों के तौर पर ग़ैर ताहिर कहा जाये , न नमाज़ इस क़िस्म की हो कि हम उसे फ़ासिद कहें फिर भी ह़-नफी को ह़-नफी की इक़्तिदा अफज़ल है और अगर मा'लूम न हो कि हमारे मज़हब की रिआ़यत करता है , न यह कि इस नमाज़ में रिआ़यत की है तो जाइज़ है मगर मकरुह और अगर मा'लूम हो कि इस नमाज़ में रिआ़यत नहीं की है , तो बातिल मह़ज़ है !

सवाल : इमामत का ज़्यादा ह़क़दार कौन है ?

जवाब : (1) सब से ज़्यादा मुस्तह़िक़्क़े इमामत वह शख्स है जो नमाज़ व तहारत के अह़काम को सब से ज़्यादा जानता हो , अगर्चे बाक़ी उ़लूम में पूरी महारत न रखता हो बशर्ते कि क़ुरआन सही पढ़ता हो या'नी ह़ुरूफ मखारिज से अदा करता हो और मज़हब की कुछ खराबी न रखता हो और फवाह़िश (बे ह़याई के कामो) से

बचता हो (2) उस के बा'द वह शख्स जो तजवीद (क़िराअत) का ज़्यादा इ़ल्म रखता हो और उस के मुवाफिक़ अदा करता हो (3) अगर कोई शख्स इन बातों में बराबर हों , तो वह कि ज़्यादा वरअ़ रखता हो या'नी ह़राम तो ह़राम शुबहात से भी बचता हो (4) इसमें भी बराबर हों तो ज़्यादा उ़म्र वाला या'नी जिस को ज़्यादा ज़माना इस्लाम में गुज़रा (5) इसमें भी बराबर हों , तो जिस के अखलाक़ ज़्यादा अच्छे हों (6) इस में भी बराबर हों तो ज़्यादा वजाहत वाला या'नी तहज्जुद गुज़ार कि तहज्जुद की कसरत से आदमी का चेहरा ज़्यादा खुबसूरत हो जाता है (7) फिर ज़्यादा खूबसूरत (8) फिर ज़्यादा ह़सब वाला फिर वह कि ब-ऐ'तिबारे नसब के ज़्यादा शरीफ हो -

इमामे मुअ़य्यन ही इमामत का ह़क़दार है , अगर्चे हाज़िरीन में कोई उस से ज़्यादा इ़ल्म और ज़्यादा तजवीद वाला हो जब कि वह इमाम जामेऐ शराइत इमाम हो , वरना वह इमामत का अहल ही नहीं , बेहतर होना दरकिनार !

सवाल : किसी शख्स की इमामत से लोग नाराज़ हो तो उस का इमामत करना कैसा है ?

जवाब : किसी शख्स की इमामत से लोग किसी वजहे शर-ई़ से नाराज़ हों तो उस का इमाम बनना मकरूहे तह़रीमी है और अगर नाराज़ी किसी वजहे शर-ई़ से न हो तो कराहत नहीं बल्कि अगर वही ह़क़ हो तो उसी को इमाम होना चाहिये !

सवाल : किन लोगों की इमामत मकरुहे तह़रीमी है ?

जवाब : (1) ऐसा बदमज़हब जिसकी बदमज़हबी ह़द्दे कुफ्र को न पहुँची हो (2) फासिक़े मुअ़लिन जैसे शराबी , जुवारी , ज़िनाकार , सूदखोर , चुगलखोर वग़ैराहुम जो कबीरा गुनाह बिल ऐ'लान करते हैं उन को इमाम बनाना गुनाह और उनके पीछे नमाज़ मकरूहे तह़रीमी वाजिबुल इआ़दा है !

सवाल : किन लोगों की इमामत मकरूहे तन्ज़ीही है ?

जवाब : (1) अंधे (2) वलदुज़्ज़िना (3) खूबसूरत अमरद (4) कोढ़ी (5) फालिज की बीमारी वाले (6) बर्स वाले की जिसका बर्स ज़ाहिर हो (7) सफीह (या'नी बेवकूफ के खरीद व फ़ोख्त में धोका खाता है) की इमामत मकरूहे तन्ज़ीही है और कराहत उस वक़्त है कि ये हज़रात उस वक़्त जमाअत में सब से अफज़ल न हो और अगर यही लोग मुस्तहिक़्क़े इमामत हों तो कराहत नहीं और अन्धे की इमामत में तो बहुत ख़फ़ीफ़ कराहत है !

सवाल : क्या बालिग़ मर्द नाबालिग़ की इक़्तिदा कर सकता है ?
जवाब : नाबालिग़ लड़के की इक़्तिदा बालिग़ मर्द किसी नमाज़ में नहीं कर सकता यहाँ तक कि नमाज़े जनाज़ा व तरावीह़ व नवाफिल में भी नहीं कर सकता !

सवाल : क्या उम्मी की इक़्तिदा हो सकती है ?
जवाब : जिसको कुछ क़ुरआन याद हो अगर्चे एक ही आयत वह उम्मी की (या'नी उस की जिसको कोई आयत याद नहीं) की इक़्तिदा नहीं कर सकता और उम्मी , उम्मी के पीछे पढ़ सकता है जिसको कुछ आयतें याद है मगर हुरूफ सही अदा नहीं करता जिसकी वजह से मा'ना फासिद हो जाते हैं वह भी उम्मी के मिस्ल है !

सवाल : उम्मी ने उम्मी और क़ारी दोनों की इमामत की , तो क्या हुक्म है ?
जवाब : उम्मी ने उम्मी और क़ारी की (या'नी उसकी के ब-क़द्रे फर्ज़ क़ुरआन सही पढ़ सकता हो) की इमामत की तो किसी की नामज़ न होगी अगर्चे क़ारी दरमियाने नमाज़ में शरीक हुआ हो !

सवाल : उम्मी की अपनी नमाज़ का क्या हुक्म है ?
जवाब : उम्मी पर वाजिब है कि रात दिन कोशिश करे यहाँ तक कि ब-क़द्रे फर्ज़ क़ुरआन मजीद याद करले वरना इ़न्दल्लाह के नज़्दीक मा'ज़ूर नहीं !

और जिस से हुरूफ सही अदा न होते उस पर वाजिब है कि तसहीहे हुरूफ में रात दिन पूरी कोशिश करे और अगर सही ख्वाह की इक़्तिदा कर सकता हो तो जहां तक मुम्किन हो उसकी इक़्तिदा करे या वह आयतें पढ़े जिसके हुरूफ सही अदा कर सकता हो और यह दोनों सूरतें ना मुम्किन हो तो ज़मा'ना ए कोशिश में उनकी अपनी नमाज़ हो जायेगी और अपनी तरह दूसरे की इमामत भी कर सकता है , आज कल आम लोग इसमें मुब्तला हैं कि ग़लत पढ़ते हैं और कोशिश नहीं करते उनकी नमाज़े खुद बातिल है इमामत दरकिनार !

सवाल : ह़क़ले की इमामत का क्या हुक्म है ?
जवाब : ह़क़ला जिससे हुरूफ मुकर्रर अदा होते हैं उसका भी यही हुक्म है या'नी अगर साफ पढ़ने वाले के पीछे पड़ सकता है तो उसके पीछे पढ़ना लाज़िम है वरना उनकी अपनी हो जायेगी और अपनी तरह या अपने से कमतर की इमामत भी कर सकता है !

सवाल : इक़्तिदा की एक शर्त यह है कि शराईत में मुक़्तदी का इमाम से ज़ाइद न होना , इस की क्या मिसाल होगी ?
जवाब : जिसका सित्र खुल गया हो वह सित्र छुपाने वाले का इमाम नहीं हो सकता, सित्र खुले हुओं का इमाम हो सकता है !

सवाल : इक़्तिदा की एक शर्त यह है कि अरकान की अदा मे मुक़्तदी इमाम के मिस्ल हो या कम इस की मिसाल क्या होगी ?
जवाब : जो रुकूअ़ व सुजूद से आ़जिज़ है या'नी वह कि खड़े या बैठे रुकूअ़ व सुजूद की जगह इशारा करता हो उसके पीछे उसकी नमाज़ न होगी जो रुकूअ़ व सुजूद कर सकता है और अगर बैठकर रुकूअ़ व सुजूद पर क़ादिर हो तो उसके पीछे खड़े होकर पढ़ने वाले की हो जायेगी !

सवाल : इक़्तिदा की एक शर्त यह है कि दोनो की नमाज़ एक हो या इमाम की नमाज़ , नमाज़े मुक़्तदी को मुतज़म्मिन हो , इससे क्या मुराद है ?

जवाब : दोनो की नमाज़ एक होने की मिसाल यह है कि दोनो आज की ज़ुहर की फर्ज़ पढ़ रहे है , लिहाज़ा अगर फर्ज़ मुख्तलिफ हुए कि इमाम की ज़ुहर और मुक़्तदी की अस्र है या इमाम की आज की ज़ुहर और मुक़्तदी की गुज़िश्ता कल की ज़ुहर है तो नमाज़ न होगी , इमाम की नमाज़ मुतज़म्मिन होने की मिसाल ये है कि इमाम की नमाज़ आ'ला हो , लिहाज़ा इमाम की फर्ज़ और मुक़्तदी की नफ्ल है तो नमाज़ हो जायेगी और इमाम की नफ्ल और मुक़्तदी की फर्ज़ है तो नमाज़ न होगी !

सवाल : क्या जिन्न की इक़्तिदा सही है?

जवाब : जिन्न ने इमामत की है तो इक़्तिदा सही है अगर इन्सानी सूरत में ज़ाहिर हुआ !

सवाल : जिस ने बिला तहारत नमाज़ पढ़ा दी , बा'द में याद आया तो क्या करें ?

जवाब : इमाम ने अगर बिला तहारत नमाज़ पढ़ाई या कोई और शर्त या रुक्न न पाया गया जिससे उसकी इमामत सही न हो तो उस पर लाज़िम है कि इस बात की मुक़्तदियों को खबर कर दे जहां तक मुम्किन हो , ख्वाह खुद कहे या कहला भेजे या खत के ज़रीए से और मुक़्तदी अपनी अपनी नमाज़ का इआ़दा करें !

सवाल : किन लोगों के पीछे नमाज़ नहीं होती ?

जवाब : वो बद मज़हब जिसकी बद मज़हबी ह़द्दे कुफ्र तक पहुंच गई हो या जिस की क़िराअत इतनी ग़लत हो जिस से मा'ना फासिद हो जाएं !

जमाअ़त का बयान

सवाल : पंज वक़्ता नमाज़े बा जमाअ़त पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब : आ़क़िल, बालिग़ , क़ादिर पर जमाअ़त वाजिब है बिला ऊ़ज़्र एक बार भी छोड़ने वाला गुनहगार और सज़ा का मुस्तहि़क़ है और कई बार तर्क करे तो फासिक़ मर्दूदुश्शहादह या'नी जिसकी शरीअ़त में गवाही कुबूल नहीं और उसको सख्त सज़ा दी जायेगी अगर पढ़ोसियों ने सुकूत किया तो वो भी गुनहगार हुए !

सवाल : जुमुआ़ , ई़दैन , तरावीह़ , वित्र और सूरज गहन की जमाअ़त का क्या हुक्म है ?

जवाब : जुमुआ़ व ई़दैन में जमाअ़त शर्त है और तरावीह़ में सुन्नते किफाया कि मोहल्ले के लोगों ने तर्क की तो सब ने बुरा किया और कुछ लोगों ने क़ाइम कर ली तो बाकियों के सर से जमाअ़त साक़ित हो गई और रमज़ान के वित्र में मुस्तह़ब है , सूरज गहन में जमाअ़त सुन्नत है !

सवाल : मस्जिदे मोहल्ला में जमाअ़ते सानी का क्या हुक्म है ?

जवाब : मस्जिदे मोहल्ला में जिसके लिये इमाम मुक़र्रर हो , इमामे मोहल्ला ने अज़ान व इक़ामत के साथ बतरीक़े सुन्नत पर जमाअ़त पढ़ ली हो तो अज़ान व इक़ामत के साथ हैयते ऊला पर दोबारा जमाअ़त क़ाइम करना मकरूह है और अगर बे-अज़ान जमाअ़ते सानिया हुई , हो तो ह़रज नहीं जबकि मेह़राब से हट कर हो और शारेअ़ आम की मस्जिद जिसमें लोग जोक़ दर जोक़ जमाअ़त आते और पढ़कर चले जाते हैं या'नी उस के नमाज़ी मुक़र्रर न हों , उसमें अगर्चे अज़ान व इक़ामत के साथ जमाअ़ते सानिया क़ाइम की जाये ह़रज नहीं , बल्कि यही अफ़ज़ल है कि जो गिरोह आये नई अज़ान व इक़ामत से जमाअ़त करे , यूँही स्टेशन व सराए की मस्जिदें !

सवाल : जमाअ़त में हाज़िरी किस किस सूरत में मुआ़फ है ?

जवाब : दर्जे ज़ैल सूरतों में जमाअ़त मुआ़फ है : (1) मरीज़ जिसे मस्जिद तक जाने में मशक़्क़त हो (2) अपाहिज (3) जिसका पाँव कट गया हो (4) जिस पर फालिज गिरा हो (5) इतना बूढ़ा कि मस्जिद तक जाने से आ़जिज़ है (6) अंधा अगर्चे अंधे के लिये कोई ऐसा हो जो हाथ पकड़ कर मस्जिद तक पहुँचा दे (7) सख्त बारिश (8) और रास्ता में बहुत कीचड़ का होना (9) सख्त सर्दी (10) सख्त तारीकी (11) आँधी (12) माल या खाने के तलफ होने का अन्देशा हो (13) क़र्ज़ख्वाह का खौफ है और यह तंगदस्त है (14) ज़ालिम का खौफ (15) पाखाना (16) पेशाब (17) रियाह़ की हाजते शदीद है (18) खाना हाज़िर है और नफ्स को उसकी ख्वाहिश हो (19) क़ाफिला चले जाने का अन्देशा हो (20) मरीज़ की तीमारदारी कि जमाअ़त के लिये जाने से उसको तक्लीफ होगी और घबरायेगा , ये सब तर्के जमाअ़त के लिए उ़ज़्र है !

सवाल : क्या औ़रतों पर भी जमाअ़त वाजिब है ?

जवाब : औ़रतों को किसी नमाज़ में जमाअ़त की हाज़िरी जाइज़ नहीं , दिन की नमाज़ हो या रात की , जुमुआ़ हो या ई़दैन ख्वाह वह जवान हो या बुढ़िया !

सवाल : इमाम के पीछे एक मुक़्तदी है तो कहा खड़ा हो , दो या दो से ज़्यादा हो तो कहा खड़े हो ?

जवाब : अकेला मुक़्तदी मर्द अगर्चे लड़का हो इमाम के बराबर दाहिनी जानिब खड़ा हो , बाएं तरफ या पीछे खड़ा होना मकरूह है , दो मुक़्तदी हो तो पीछे खड़े हों , बराबर खड़ा होना मकरूहे तन्ज़ीही है , दो से ज़ाइद का इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूहे तह़रीमी !

सवाल : इमाम के बराबर खड़े होने इसे क्या मुराद है ?

जवाब : इमाम के बराबर खड़े होने के यह मा'ना हैं कि मुक़्तदी का क़दम इमाम से आगे न हो या'नी उसके पाँव का गिट्टा उसके के गिट्टे से आगे न हो , सर के आगे पीछे होने का कुछ ऐ'तिबार नहीं , तो अगर इमाम के बराबर खड़ा हुआ और चूँकि मुक़्तदी इमाम से दराज़ क़द है लिहाज़ा सज्दे में मुक़्तदी का सर इमाम से आगे होता है , मगर पाँव का गिट्टा , गिट्टे से आगे न हो तो ह़रज नहीं , यूँही अगर मुक़्तदी के पाँव बड़े हों कि उंगलियाँ इमाम से आगे हैं जब भी ह़रज नहीं जबकि गिट्टा आगे न हो !

सवाल : एक शख्स इमाम के बराबर खड़ा था , एक और आ गया तो क्या करे ?
जवाब : एक शख्स इमाम के बराबर खड़ा था फिर एक और आया तो इमाम आगे बढ़ जाये और वह आने वाला उस मुक़्तदी के बराबर खड़ा हो जाये या वह मुक़्तदी पीछे हट आए , खुद या आने वाले ने उसको खींचा ख्वाह तक्बीर के बा'द या पहले यह सब सूरतें जाइज़ हैं , जो हो सके करे और सब मुम्किन हैं तो इख़्तियार है , मगर मुक़्तदी जबकि एक हो तो उसका पीछे हटना अफज़ल है और दो हों तो इमाम को आगे बढ़ना , अगर मुक़्तदी के कहने से इमाम आगे बढ़ा या मुक़्तदी पीछे हटा इस नियत से कि यह कहता है इसकी मानो तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और हुक्मे शरीअ़त बजा लाने के लिए हो , तो कुछ ह़रज नहीं !

सवाल : सफों की तरतीब क्या होनी चाहिए ?
जवाब : मर्द , बच्चे , खुन्सा (हीजड़े) और औ़रतें जमअ़ हों तो सफों की तरतीब यह है कि पहले मर्दो की सफ हो फिर बच्चों की फिर खुन्सा की फिर औ़रतों की और बच्चा तन्हा हो तो मर्दो की सफ में दाखिल हो जाये !

सवाल : सफें बनाने में किन बातों का खयाल रखना ज़रूरी है ?
जवाब : सफें बनाने में चार चीज़ों का खयाल रखना ज़रूरी है

(1) तस्विया या'नी सफ बराबर हो , सीधी हो , मुक़्तदी आगे पीछे न हो (2) इत्माम , के जब तक एक सफ पूरी न हो , दूसरी शुरूअ़ न करें (3) तरास या'नी खूब मिलकर खड़े होना के कंधे से कंधा मस हो (4) तक़ारूब के सफें पास पास हो !

सवाल : इमाम कहाँ खड़ा हो ?

जवाब : इमाम को चाहिये कि वस्त में खड़ा हो अगर दाहिनी या बायीं जानिब खड़ा हुआ तो खिलाफे सुन्नत किया !

सवाल : जमाअ़त में सब से अफ़ज़ल जगह खड़े होने की कौन सी है ?

जवाब : मर्दों की पहली सफ कि इमाम से क़रीब है दूसरी से अफ़ज़ल है और दूसरी तीसरी से और وعلىٰ هٰذَا القِيَاسْ मुक़्तदी के लिये अफज़ल जगह यह है कि इमाम से क़रीब हो और दोनों तरफ बराबर हो तो दाहिनी तरफ अफज़ल है !

सवाल : इमाम को सुतूनों के दरमियान खड़ा होना कैसा है ?

जवाब : इमाम को सुतूनों के दरमियान खड़ा होना मकरूह है !

सवाल : पहली सफ में जगह हो और पिछली सफ भर गई हो तो , बा'द में आने वाले क्या करें ?

जवाब : पहली सफ में जगह हो और पिछली सफ भर गई हो तो उस को चीर कर जाये और उस खाली जगह में खड़ा हो उस के लिये ह़दीस में फरमाया कि जो सफ में कुशादगी देख कर उसे बन्द कर दे , उसकी मग़फिरत हो जायेगी !

सवाल : मुक़्तदी की कितनी किसमे है ?

जवाब : मुक़्तदी की चार किसमे है : (1) मुदरिक (2) लाह़िक़ (3) मस्बूक़ (4) लाह़िक़ मस्बूक़

सवाल : मुदरिक किसे कहते है ?

जवाब : मुदरिक उसे कहते है जिसने अव्वल रकअ़त से तशह्हुद तक इमाम के साथ पढ़ी अगर्चे पहली रकअ़त में इमाम के साथ रूकूअ़ ही में शरीक हुआ हो !

सवाल : लाह़िक़ किसे कहते है ?

जवाब : लाह़िक़ वह कि इमाम के साथ पहली रकअ़त में इक़्तिदा की मगर बा'दे इक़्तिदा उसकी कुल रकअ़तें या बा'ज़ फौत हो गई !

सवाल : मस्बूक़ किसे कहते है ?

जवाब : मसबूक वह है कि इमाम के बा'ज़ रकअ़ते पढ़ने के बा'द शामिल हुआ और आखिर तक शामिल रहा !

सवाल : लाह़िक़ मस्बूक़ किसे कहते है ?

जवाब : लाह़िक़ मस्बूक़ वह है जिसकी कुछ रकअ़ते शुअ़रू की न मिली फिर शामिल होने के बा'द लाह़िक़ हो गया !

सवाल : लाह़िक़ किस तरह नमाज़ पढ़ेगा ?

जवाब : लाह़िक़ मुदरिक के हुक्म में है कि जब अपनी फौत शुदा पढ़ेगा , तो उसमें न क़िराअत करेगा , न सह्व से सज्दए सह्व करेगा और अपनी फौत शुदा को पहले पढ़ेगा , यह न होगा कि इमाम के साथ पढ़े , फिर जब इमाम फारिग़ हो जाये तो अपनी पढ़े , मसलन इस को ह़दस हुआ और वुज़ू कर के आया , तो इमाम को क़ा'दए अखीरा में पाया तो यह क़ा'दह में शरीक न होगा , बल्कि जहां से बाक़ी है , वहां से पढ़ना शुरूअ़ करे , इसके बा'द अगर इमाम को पा ले तो साथ हो जाये और अगर ऐसा न किया बल्कि साथ हो लिया , फिर इमाम के सलाम फेरने के बा'द फौत शुदा , पढ़ी तो हो गई , मगर गुनाहगार हुआ - इसी तरह तीसरी रकअ़त में सो गया और चौथी में जागा तो उसे हुक्म है कि

पहले तीसरी बिला क़िराअत पढ़े फिर अगर इमाम को चौथी में पाये तो साथ हो ले , वरना उसे भी बिला क़िराअत तन्हा पढ़े और ऐसा न किया बल्कि चौथी इमाम के साथ पढ़ ली , फिर बा'द में तीसरी पढ़ी तो हो तो गई मगर , गुनाहगार हुआ !

सवाल : मस्बूक़ के अह़काम क्या है ?

जवाब : मस्बूक़ के अह़काम इन उमूर में लाह़िक़ के खिलाफ हैं कि पहले इमाम के साथ हो ले फिर इमाम के सलाम फेरने के बा'द अपनी फौतशुदा पढ़े और अपनी फौतशुदा में क़िराअत करेगा और उस में सह्व हो तो सज्दए सह्व करेगा - मस्बूक़ अपनी फौतशुदा की अदा में मुनफरिद है कि पहले सना न पढ़ी थी , इस वजह से कि इमाम बुलन्द आवाज़ से क़िराअत कर रहा था या इमाम रुकूअ़ में था और यह सना पढ़ता तो इसे रुकूअ़ न मिलता , या इमाम क़ा'दह में था गर्ज़ किसी वजह से पहले न पढ़ी थी तो अब पढ़े और क़िराअत से पहले तअ़व्वुज़ पढ़े !

सवाल : मस्बूक़ अपनी फौत शुदा रकअ़त कैसे अदा करेगा ?

जवाब : मस्बूक़ ने जब इमाम के फारिग़ होने के बा'द अपनी शुरूअ़ की तो हक़्क़े क़िराअत में यह रकअ़त अव्वल क़रार दी जायेगी और तशह्हुद में पहली नहीं बल्कि दूसरी , तीसरी , चौथी जो शुमार में आये मसलन तीन या चार रकअ़त वाली नमाज़ में एक इसे मिली तो हक़्क़े तशह्हुद में यह जो अब पढ़ता है दूसरी है , लिहाज़ा एक रकअ़त फातिह़ा व सूरत के साथ पढ़ कर क़ा'दह करे और अगर वाजिब या'नी फातिह़ा या सूरत मिलाना तर्क किया तो अगर अ़मदन है इआ़दा वाजिब है और सह्वन हो तो सज्दए सह्व , फिर उसके बा'द वाली में भी फातिह़ा के साथ सूरत मिलाये और उसमें न बैठे , फिर उसके बा'द वाली फातिह़ा पढ़कर रुकूअ़ कर दे और तशह्हुद वग़ैरा पढ़कर खत्म कर दे , दो मिली है दो जाती रही

तो इन दोनों में क़िराअत करे , एक में भी फर्ज़े क़िराअत तर्क किया , नमाज़ न हुई !

सवाल : मस्बूक़ ने भूलकर इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो क्या करें ?
जवाब : मस्बूक़ ने इमाम के साथ क़स्दन सलाम फेरा , यह खयाल करके कि मुझे भी इमाम के साथ सलाम फैरना चाहिये , नमाज़ फ़ासिद हो गई और भूल कर सलाम फेरा तो अगर इमाम के ज़रा बा'द सलाम फेरा तो सज्दए सह्व लाज़िम है और अगर बिल्कुल साथ-साथ फेरा तो नहीं !

सवाल : लाहिक़ मस्बूक़ का क्या हुक्म है ?
जवाब : लाहिक़ मस्बूक़ का हुक्म यह है कि जिन रकअ़तों में लाहिक़ है उनको इमाम की तरतीब से पढ़े और उनमें लाहिक़ के अह़काम जारी होंगे , उनके बा'द इमाम के फारिग़ होने के बा'द जिन में मस्बूक़ है , वह पढ़े और इनमें मस्बूक़ के अह़काम जारी होंगे , मसलन चार रकअ़त वाली नमाज़ की दूसरी रकअ़त में मिला फिर दो रकअ़तों में सोता रह गया , तो पहले यह रकअ़तें जिन में सोता रहा बग़ैर क़िराअत अदा करे , सिर्फ इतनी देर खामोश खड़ा रहे जितनी देर में सूरए फातिहा पढ़ी जाती है फिर इमाम के साथ जो कुछ मिल जाये , उसमें मुता-बअ़त करे फिर वह फौतशुदा मअ़ क़िराअत पढ़े !

सवाल : वो कौनसी चीज़े है के इमाम छोड़ दे तो मुक़्तदी भी न करें ?
जवाब : पाँच चीज़ें वह हैं कि इमाम छोड़ दे तो मुक़्तदी भी न करे और इमाम का साथ दे :
(1) तकबीराते ईदैन (2) का'दए ऊला (3) सज्दए तिलावत (4) सज्दए सह्व (5) क़ुनूत जबकि रुकूअ़ फौत होने का अन्देशा हो , वरना पढ़कर रुकूअ़ करे -
मगर क़ा'दए ऊला न किया और अभी सीधा खड़ा न हुआ तो मुक़्तदी अभी उसके

तर्क में मुता-बअ़त इमाम की न करे बल्कि उसे बताये ताकि वह वापस आयें अगर वापस आ गया फबिहा और अगर सीधा खड़ा हो गया तो अब न बताये कि नमाज़ जाती रहेगी बल्कि खुद भी क़ा'दह छोड़ दे और खड़ा हो जाये !

सवाल : वो कौनसी चीज़े है के इमाम छोड़ करें तो मुक़्तदी उसका साथ न दें ?
जवाब : चार चीज़े वह हैं कि इमाम करे तो मुक़्तदी उसका साथ न दें :
(1) नमाज़ में कोई ज़ाइद सज्दा किया (2) तकबीराते ईदैन में अक़वाले सहाबा पर ज़्यादती की (3) जनाज़ा में पाँच तकबीरें कहीं (4) पाँचवी रकअ़त के लिए भूल कर खड़ा हो गया , फिर इस सूरत में का'दए अखीरा कर चुका है तो मुक़्तदी इसका इन्तिज़ार करे , अगर पाँचवीं के सज्दे से पहले लौट आया तो मुक़्तदी भी उसका साथ दे , उसके साथ सलाम फैरे और उसके साथ सज्दए सह्व करे और अगर पाँचवीं का सज्दा कर लिया तो मुक़्तदी तन्हा सलाम फेर लें , और अगर क़ा'दए अखीरा नहीं किया था पाँचवी रकअ़त का सज्दा कर लिया तो सब की नमाज़ फ़ासिद हो गई , अगर्चे मुक़्तदी ने तशह्हुद पढ़कर सलाम फेर लिया हो !

सवाल : वो कौनसी चीज़े है के इमाम न करें तो मुक़्तदी फिर भी करेगा ?
जवाब : नो चीज़े है कि इमाम अगर न करे तो मुक़्तदी उसकी पैरवी न करे , बल्कि बजा लाए -
(1) तकबीरे तह़रीमा में हाथ उठाना (2) सना पढ़ना (3,4) रुकूअ़ व सुजूद की तकबीरात (5) तस्बीह़ात (6) तसमीअ़ (7) तशह्हुद पढ़ना (8) सलाम फैरना (9) तकबीराते तशरीक़ !

नमाज़ के मुफसिदात

सवाल : नमाज़ के मुफसिदात बयान करें ?

जवाब : नमाज़ के मुफसिदात दर्जे ज़ैल है :

(1) कलाम करना अ़मदन हो या खतअन या सह्वन (2) किसी शख्स को सलाम करना , अ़मदन हो या सह्वन (3) ज़बान से सलाम का जवाब देना भी नमाज़ को फासिद कर देता है और हाथ के इशारे से दिया तो मकरुह हुई (4) सलाम की नियत से मुसाफ़हा करना भी नमाज़ को फासिद कर देता है (5) किसी को छींक आई उसके जवाब में नमाज़ी ने يَرحَمُکَ الله कहा , नमाज़ फासिद हो गई (6) खुशी की खबर सुन कर जवाब में الحمدلله कहा , नमाज़ फासिद हो गई यूँही कोई चीज़ तअज्जुब खैज़ देखकर बक़स्दे जवाब سبحان الله या لا الہ الا الله या الله اکبر कहा , नमाज़ फासिद हो गई (7) बुरी ख़बर सुन कर انا لله وانا الیہ راجعون कहा (8) अल्फाज़े क़ुरआन से किसी को जवाब दिया , नमाज़ फासिद हो गई मसलन किसी ने पूछा , क्या खुदा के सिवा दूसरा खुदा है ? उसने जवाब दिया لا الہ الا الله (9) यूँही अगर किसी को अल्फाज़े क़ुरआन से मुखताब किया , मसलन उसका नाम यह़या है , उससे कहा يٰيَحيٰ خُذ الكِتَابَ بِقُوّةٍ (10) अल्लाह عزوجل का नाम सुन कर जवाबन جلا جلالہ कहना या नबी صلى الله عليه وسلم का इस्मे मुबारक सुन कर दुरूद पढ़ा , या इमाम की क़िराअत सुनकर صدق الله و صدق رسولہ कहा , तो इन सब सूरतों में नमाज़ जाती रही , जबकि बक़स्दे जवाब कहा हो और अगर जवाब में न कहा तो ह़रज नहीं (11) यूँही अगर अज़ान का जवाब दिया नमाज़ फासिद हो जाएगी (12) "आह", "ऊह", "उफ़", "तुफ़" येह अल्फ़ाज़ दर्द या मुसीबत की वजह से निकले या आवाज़ से रोया और हर्फ़ पैदा हुए , इन सब सूरतो में नमाज़ जाती रहीं और अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले आवाज़ व हुरूफ़ नहीं निकले तो ह़रज नहीं , नीज़ जन्नत व दोज़ख की याद में अगर ये अल्फाज़ कहें , तो नमाज़

फासिद न हुई , इसी तरह इमाम का पढ़ना पसंद आया , उस पर रोने लगा और "अरे", "नअ़म", "हाँ" ज़बान से निकला , कोई ह़रज नहीं कि येह ख़ुशूअ़ के बा-इ़स है और अगर ख़ुश-गुलूई के सबब कहा तो नमाज़ जाती रही (13) खंकारने में जब दो हु़र्फ़ ज़ाहिर हों जैसे "अह़" तो मुफ्सिदे नमाज़ है , जबकि न उ़ज़्र हो न कोई सह़ीह़ गर्ज़ , अगर उ़ज़्र से हो मसलन तबियत का तक़ाज़ा हो या किसी सह़ीह़ गर्ज़ के लिए , मसलन आवाज़ साफ करने के लिए या इमाम से ग़लती हो गई है उसके लिए खंकारता है कि दुरुस्त कर ले या इसलिए खंकारता है कि दूसरे शख्स को उसका नमाज़ में होना मा'लूम हो , तो इन सूरतो में नमाज़ फासिद नहीं होती (14) नमाज़ में मुस्ह़फ शरीफ़ से देखकर कुरआन पढ़ना मुतलक़न मुफ्सिदे नमाज़ है , यूँही अगर मेह़राब वग़ैरा में लिखा हो उसे देखकर पढ़ना भी मुफसिद है , हाँ अगर याद पर पढ़ता हो , मुस्हफ़ या मेह़राब पर फक़त नज़र है तो ह़रज नहीं (15) अ़मले कसीर कि न आ'माले नमाज़ से हो , न नमाज़ की इस्लाह़ के लिये किया गया हो , नमाज़ फ़ासिद कर देता है , अ़मले क़लील मुफ्सिद नहीं , जिस काम के करने वाले को दूर से देखकर उसके नमाज़ में न होने का शक न रहे बल्कि गुमान ग़ालिब हो कि नमाज़ में नहीं तो वो अमले कसीर है और अगर दूर से देखने वाले को शुबह व शक हो कि नमाज़ में है या नहीं तो अ़मले क़लील है (16) सित्र खोले हुए या बक़द्रे मानेअ़ नजासत के साथ पूरा रुक्न अदा करना या तीन तस्बीह़ का वक़्त गुज़र जाना मुफ्सिदे नमाज़ है (17) नमाज़ के अन्दर खाना पीना मुतलक़न नमाज़ को फ़ासिद कर देता है , क़स्दन हो या भूलकर थोड़ा हो या ज़्यादा , यहाँ तक कि अगर तिल , बग़ैर चबाये निगल लिया या कोई क़तरा उसके मुँह में गिरा और उसने निगल लिया नमाज़ जाती रही (18) दाँतों के अन्दर खाने की कोई चीज़ रह गई थी उस को निगल गया , अगर चने से कम है नमाज़ फासिद न हुई , मकरूह हुई और चने बराबर है तो फासिद हो गई (19) दाँतों से खून निकला , अगर थूक ग़ालिब है तो निगलने से फासिद न होगी वरना हो

जायेगी , गलबे की अ़लामत यह है कि ह़ल्क़ में खून का मज़ा मह़सूस हो , नमाज़ और रोज़ा तोड़ने में मज़े का ऐ'तिबार है और वुज़ू तोड़ने में रंग का (21) सीने को क़िब्ले से फैरना मुफ्सिदे नमाज़ है जबकि कोई उ़ज़्र न हो या'नी जबकि इतना फैरे कि सीना खास जि-हते का'बा से पैंतालीस दर्जे हट जाये (21) तीन कलिमे इस तरह लिखना कि हुरूफ ज़ाहिर हो नमाज़ को फासिद करता है और अगर हुरुफ ज़ाहिर न हो मसलन पानी पर या हवा में लिखा तो अ़बस है , नमाज़ मकरूहे तह़रीमी हुई (22) मौत व जुनून व बेहोशी से नमाज़ जाती रहती है अगर वक़्त में इफाक़ा हुआ तो अदा करें वरना क़ज़ा बशर्ते कि एक दिन रात से मुतजाविज़ न हो (23) साँप बिच्छू मारने से नमाज़ नहीं जाती जबकि न तीन क़दम चलना पढ़े न तीन ज़र्ब की ह़ाजत हो वरना जाती रहेगी मगर मारने की इजाज़त है अगर्चे नमाज़ फासिद हो जाये (24) पै-दर-पै तीन बाल उखेड़े या तीन जुएं मारी या एक ही जूं को तीन बार में मारा नमाज़ जाती रही और पै-दर-पै न हो तो नमाज़ फासिद न होगी , मगर मकरूह है (25) एक रुक्न में तीन बार खुजाने से नमाज़ जाती रहती है या'नी यूँ कि खुजा कर हाथ हटा लिया , फिर खुजाया या फिर हाथ हटा लिया وعلى هذا और अगर एक बार हाथ रखकर चन्द मर्तबा ह़रकत दी तो एक ही मर्तबा खुजाना कहा जायेगा (26) तकबीराते इन्तिक़ाल में अल्लाह या अकबर के अलिफ़ को दराज़ किया आल्लाह या आकबर कहा या "बा" के बा'द अलिफ बढ़ाया या'नी अकबार कहा नमाज़ फासिद हो जायेगी और तह़रीमा में ऐसा हुआ तो नमाज़ शुरूअ़ ही न हुई !

इमाम को लुक़मा देने का बयान

सवाल : क्या मुक़्तदी अपने इमाम को लुक़मा दे सकता है ?
जवाब : अगर इमाम को कोई चीज़ पेश आ जाए और मुक़्तदी तस्बीह के ज़रिए उसे लुक़मा दें तो इसमें कोई ह़रज नहीं !

सवाल : कोई मुक़्तदी अपने इमाम को ग़ैर मह़ल पर लुक़मा दे दें तो उसकी नमाज़ का क्या हुक्म है ? और अगर इमाम उसका लुक़मा ले लें तो क्या हुक्म है ? **जवाब :** मुक़्तदी सिर्फ मह़ल में लुक़मा दे सकता है , ग़ैर मह़ल में देगा तो उसकी नमाज़ टूट जाएगी और इस सूरत में अगर इमाम उसका लुक़मा लेगा तो उसकी और उसके पीछे तमाम मुक़्तदियो की नमाज़ भी टूट जाएगी !

सवाल : लुक़मे का मह़ल क्या है ?
जवाब : लुक़मा देने के दो मह़ल है : (1) जहां लुक़मा देना अह़ादीस से साबित हो (2) इसके अ़लावा जहां ह़ाजत हो , और ह़ाजत वहां होती है जहां फसादे नमाज़ या तर्के वाजिब हो रहा हो , लिहाज़ा जहां इससे कम मुआ़मला हो वहां लुक़मा देने से नमाज़ टूट जाएगी , इसी तरह मुक़्तदी सिर्फ अपने इमाम को लुक़मा दे सकता है कि अपनी नमाज़ बचाने के लिए उसे इसकी ह़ाजत है !

सवाल : मुक़्तदी ने अपने इमाम के सिवा किसी को लुक़मा दिया तो क्या हुक्म है ? **जवाब :** नमाज़ी ने अपने इमाम के सिवा दूसरे को लुक़मा दिया नमाज़ जाती रही , जिस को लुक़मा दिया है वो नमाज़ में हो या न हो , मुक़्तदी हो या मुन्फरिद या किसी और का इमाम !

सवाल : इमाम ने अपने मुक़्तदी के सिवा किसी और का लुक़मा ले लिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अपने मुक़्तदी के सिवा किसी और का लुक़्मा लेना भी मुफ्सिदे नमाज़ है अलबत्ता अगर उसके बताते वक़्त उसे खुद याद आ गया उसके बताने से नही , या'नी अगर वो न बताता जब भी उसे याद आ जाता , उसके बताने को कुछ दखल नहीं तो उसका पढ़ना मुफ्सिद नहीं !

सवाल : क्या लुक़्मा हर क़िस्म की नमाज़ में दे सकते है ?
जवाब : इमाम जब क़िराअत में ग़लती करे तो उसे बताना , लुक़्मा देना मुतल़कन जाइज़ है ख्वाह नमाज़ फर्ज़ हो या वाजिब या तरावीह़ या नफ्ल !

सवाल : इमाम क़िराअत में भूल गया तो क्या मुक़्तदी फौरन लुक़्मा दें ?
जवाब : फौरन ही लुक़्मा देना मकरुह है , थोड़ा सा तवक्कुफ चाहिए कि शायद इमाम खुद निकाल ले , मगर जब के उसकी आ़दत उसे मा'लूम हो कि रुकता है तो बा'ज़ ऐसे हुरूफ निकलते हैं जिनसे नमाज़ फासिद हो जाती है तो फौरन बताएं!

सवाल : इस मौके पर इमाम को क्या करना चाहिए ?
जवाब : यूँ ही इमाम को मकरूह है कि मुक़्तदियो को लुक़्मा देने पर मजबूर करें , बल्कि किसी दूसरी सूरत की तरफ मुन्तक़िल हो जाए या दूसरी आयत शुरूअ़ कर दें , बशर्ते के उसका वस्ल मुफिस्दे नमाज़ न हो और अगर बक़द्रे ह़ाजत पढ़ चुका हो तो रुकूअ़ कर दे , मजबूर करने के यह मा'ना है कि बार-बार पढ़े या साक़ित खड़ा रहे , मगर वह ग़लती अगर ऐसी है जिसमें फसादे मा'ना था तो इस्लाह़े नमाज़ के लिए उसका इआ़दा लाज़िम था और याद नहीं आता तो मुक़्तदी को आप ही मजबूर करेगा और वह भी न बता सके , तो नमाज़ गई !

सवाल : क्या लुक़्मा देने के लिए बालिग़ होना शर्त है ?
जवाब : लुक़्मा देने वाले के लिए बालिग़ होना शर्त नहीं , मुराहिक़ भी लुक़्मा दे सकता है बशर्ते के नमाज़ जानता हो और नमाज़ में हो !

नमाज़ी के आगे से गुज़रना

सवाल : क्या नमाज़ी के आगे से कोई गुज़रे तो उसकी नमाज़ फासिद हो जाती है ?

जवाब : नमाज़ी के आगे से किसी का गुज़रना नमाज़ को फासिद नहीं करता ख्वाह गुज़रने वाला मर्द हो या औ़रत कुत्ता हो या गधा !

सवाल : नमाज़ी के आगे से गुज़रना कैसा है ?

जवाब : मुसल्ली के आगे से गुज़रना बहुत सख्त गुनाह है , ह़दीस में फ़रमाया : ((इसमें जो कुछ गुनाह है , अगर गुज़रने वाला जानता तो चालीस तक खड़े रहने को गुज़रने से बेहतर जानता)) , रावी कहते हैं : मैं नहीं जानता कि चालीस दिन कहे या चालीस महीने या चालीस बरस , बज़्ज़ार की रिवायत में चालीस बरस की तसरीह़ है और इब्ने माजा की रिवायत मे अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से यह है कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया अगर कोई जानता कि अपने भाई के सामने नमाज़ में आड़े होकर गुज़रने में क्या है ? तो सौ बरस खड़ा रहना उस एक क़दम चलने से बेहतर समझता !

सवाल : नमाज़ी के आगे से कितने फासिले से गुज़र सकते है ?

जवाब : अगर सुतरा न हो तो मकान और छोटी मस्जिद मे क़दम से दीवारे क़िब्ला तक कही से गुज़रना जाइज़ नहीं , मैदान और बड़ी मस्जिद में नमाज़ी के क़दम से मवज़ए सूजूद तक गुज़रना नाजाइज़ है , मवज़ए सूजूद से मुराद ये है कि क़ियाम की ह़ालत मे सज्दे की जगह की तरफ नज़र करे तो जितनी दूर तक निगाह फैले वो मवज़ए सुजूद है उसके दरमियान से गुज़रना नाजाईज़ है !

सवाल : अगर कोई शख्स बुलंदी पर नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके आगे से गुज़रना कैसा है ?

जवाब : कोई शख्स बुलन्दी पर नमाज़ पढ़ रहा है उस के नीचे से गुज़रना भी जाइज़ नहीं , जबकि गुज़रने वाले के बदन का कोई ह़िस्सा नमाज़ी के सामने हो , छत या तख्त पर नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से गुज़रने का भी यही हुक्म है और अगर इन चीज़ो की इतनी बुलन्दी हो कि गुज़रने वाले के बदन के किसी उ़ज़्व का सामना न हो , तो ह़रज नहीं !

सवाल : नमाज़ी के आगे सुतरा हो तो अब गुज़रने का क्या हुक्म है ?

जवाब : नमाज़ी के आगे सुतरा हो या'नी कोई ऐसी चीज़ जिस से आड़ हो जाये तो सुतरे के बा'द से गुज़रने में कोई ह़रज नहीं !

सवाल : सुतरे की मिक़्दार क्या है ?

जवाब : सुतरा बक़द्रे एक हाथ के ऊँचा और उंगली बराबर मोटा हो और ज़्यादा से ज़्यादा तीन हाथ ऊँचा हो !

सवाल : दरख़्त , जानवर और आदमी भी सुतरा बन सकते है ?

जवाब : दरख्त , जानवर और आदमी वग़ैरा का भी सुतरा हो सकता है कि इनके बा'द गुज़रने में कुछ ह़रज नहीं -

मगर आदमी को उस ह़ालत में सुतरा किया जाये , जबकि उसकी पीठ मुसल्ली की तरफ हो कि नमाज़ी की तरफ मुँह करना मनअ़ है !

सवाल : नमाज़ी का अपने आगे सुतरा रखने का क्या हुक्म है ?

जवाब : इमाम व मुन्फरिद जब सह़रा में या किसी ऐसी जगह नमाज़ पढ़े , जहां से लोगों के गुज़रने का अंदेशा हो तो मुस्तह़ब है कि सुतरा गाड़ें !

सवाल : सुतरा कहा होना चाहिए ?

जवाब : सुतरा नज़्दीक होना चाहिये , सुतरा बिल्कुल नाक की सीध पर न हो बल्कि दाहिने या बायें भवों की सीध पर हो और दहने की सीध पर होना अफ़ज़ल है !

सवाल : अगर दो आदमी नमाज़ी के आगे से गुज़रना चाहते है , तो कैसे गुज़रें ?

जवाब : अगर दो शख्स गुज़रना चाहते हैं और सुतरे को कोई चीज़ नहीं तो उन में से एक नमाज़ी के सामने उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाये और दूसरा उसकी आड़ पकड़ कर गुज़र जाये , फिर वह दूसरा उस की पीठ के पीछे नमाज़ी की तरफ पुश्त कर के खड़ा हो जाये और यह गुज़र जाये , फिर वह दूसरा जिधर से उस वक़्त आया उसी तरफ हट जाये !

सवाल : गुज़रने वाले के हाथ में अ़सा है , और अ़सा को नसब नहीं कर सकता है , क्या उसे ऐसे ही नमाज़ी के आगे रखकर गुज़र सकता है ?

जवाब : अगर उसके पास अ़सा है मगर नसब नहीं कर सकता , तो उसे खड़ा कर के मुसल्ली के आगे से गुज़रना जाइज़ है , जबकि उसको अपने हाथ से छोड़कर गिरने से पहले गुज़र जाये !

सवाल : मस्जिदुल ह़राम शरीफ में नमाज़ पढ़ रहा हो तो क्या तवाफ़ करने वाले आगे से गुज़र सकते हैं ?

जवाब : मस्जिदुल ह़राम शरीफ में नमाज़ पढ़ता हो तो उस के आगे तवाफ़ करते हुये लोग गुज़र सकते हैं !

नमाज़ के मकरूहात

सवाल : नमाज़ में कौन सी चीज़ें मकरूहे तहरीमी है ?

जवाब : नमाज़ के मकरूहाते तहरीमा दर्जे ज़ैल है : (1) कपढ़े या दाढ़ी या बदन के साथ खेलना (2) कपड़ा समेटना , मसलन सज्दे में जाते वक़्त आगे या पीछे से उठा लेना , अगर्चे गर्द से बचाने के लिये किया हो और बिला वजह हो तो और ज़्यादा मकरूह (3) कपड़ा लटकाना मसलन सर या मोंढे पर इस तरह डालना कि दोनो किनारे लटकते हो , ये सब मकरूहे तहरीमी है , इसी तरह अगर एक ही मोंढे पर डाला इस तरह कि एक किनारा पीठ पर लटक रहा है दूसरा पेट पर , जैसे उमूमन इस ज़माने में मोंढों पर रुमाल रखने का तरीक़ा है , तो यह भी मकरूह है (4) कोई आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ी हो (5) दामन समेटे नमाज़ पढ़ना , ख्वाह पेशतर चढ़ी हो या नमाज़ में चढ़ाई हो (6) पाखाना पेशाब की शिद्दत या गलबए रीह के वक़्त नमाज़ पढ़ना (7) मर्द के लिए जूड़ा बाँधे हुए नमाज़ पढ़ना (8) कंकरियाँ हटाना मकरूहे तहरीमी है , मगर जिस वक़्त कि पूरे तौर पर सुन्नत के मुताबिक सज्दा अदा न होता हो तो एक बार की इजाज़त है और बचना बेहतर और अगर बग़ैर हटाये वाजिब अदा न होता हो तो हटाना वाजिब है , अगर्चे एक बार से ज़्यादा की हाजत पढ़े (9) उंगलियाँ चटकाना , उंगलियों की क़ैची बाँधना या'नी एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना (11) नमाज़ के लिए जाते वक़्त और नमाज़ के इन्तिज़ार में भी यह दोनों चीज़े मकरूह हैं और अगर न नमाज़ में हे , न तवाबेऐ नमाज़ में तो कराहत नहीं , जबकि किसी हाजत के लिए हों (12) कमर पर हाथ रखना मकरूहे तहरीमी है , नमाज़ के अलावा भी कमर पर हाथ रखना न चाहिए (13) इधर उधर मुँह फेर कर देखना मकरूहे तहरीमी है , कुल चेहरा फिर गया हो या बा'ज़ और अगर मुँह न फैरे , सिर्फ कन-खियों से इधर उधर बिला हाजत देखे , तो कराहते तन्ज़ीही है

और नादिरन किसी ग़र्ज़े सही़ह़ के लिए हो तो असलन ह़रज नहीं (14) निगाह आसमान की तरफ़ उठाना भी मकरूहे तह़रीमी है (15) मर्द का सज्दे मे कलाइयो को बिछाना (16) किसी शख्स के मुँह के सामने नमाज़ पढ़ना , मकरूहे तह़रीमी है , यूँही दूसरे शख्स को नमाज़ी की तरफ मुँह करना भी नाजाइज़ व गुनाह है , या'नी अगर मुसल्ली (नमाज़ी) की जानिब से हो तो कराहत मुसल्ली पर है , वरना उस पर (17) ऐ'तिजार या'नी पगड़ी इस तरह बाँधना कि बीच सर पर न हो (18) नाक और मुँह को छुपाना (19) बे-ज़रूरत खंकार निकालना (20) नमाज़ में बिलक़स्द जमाही लेना मकरूहे तह़रीमी है और खुद आये तो ह़रज नहीं , मगर रोकना मुस्तह़ब है (21) जिस कपढ़े पर जानदार की तस्वीर हो , उसे पहनकर नमाज़ पढ़ना , मकरूहे तह़रीमी है , नमाज़ के अ़लावा भी ऐसा कपड़ा पहनना , नाजाइज़ है (22) यूँही नमाज़ी के सर पर या'नी छत में हो या मुअ़ल्लक़ हो या मह़ल्ले सुजूद में हो , कि उस पर सज्दा वाकेअ़ हो या आगे हो तो नमाज़ मकरूहे तह़रीमी होगी , आगे होने में कराहत उस वक़्त है कि तस्वीर मुअ़ल्लक़ हो , या नसब हो या दीवार वग़ैरा में मन्कूश हो , अगर फर्श में है और उस पर सज्दा नहीं , तो कराहत नहीं ! **नोट :** अगर तस्वीर ग़ैरे जानदार की है , जैसे पहाड़ , दरिया वग़ैरा की , तो उसमे कुछ ह़रज नहीं ∗ छोटी तस्वीर हो या'नी इतनी के उसको ज़मीन पर रखकर खड़े होकर देखे तो आ'ज़ा की तफ्सील न दिखाई दें , या पांव के नीचे , या बैठने की जगह हो , तो इन सब सूरतो में नमाज़ मकरूह नहीं ∗ तस्वीर सर-बुरीदा या'नी सर कटी हुई या जिसका चेहरा मिटा दिया हो , मसलन कागज़ कपढ़े या दीवार पर हो तो उस पर रोशनाई फेर दी हो या उसके सर और चेहरे को खुरच डाला या धो डाला हो , तो कराहत नहीं ∗ आ'ला ह़ज़रत की तह़क़ीक़ के मुताबिक तस्वीर के दाए , बाएं और पीछे होने में नमाज़ मकरूहे तन्ज़ीही है (23) उल्टा क़ुरआन मजीद पढ़ना (24) किसी वाजिब को तर्क करना मकरूहे तह़रीमी है , मसलन रुकूअ़ व सुजूद में पीठ सीधी न करना , यूँही क़ोमे

और जलसे में सीधा होने से पहले सज्दे को चला जाना (25) क़ियाम के अ़लावा और किसी मौक़े पर क़ुरआन मजीद पढ़ना (26) रुकूअ़ में क़िराअत खत्म करना (27) इमाम से पहले मुक़्तदी का रुकूअ़ व सुजूद वग़ैरा में जाना या उससे पहले सर उठाना (28) सिर्फ पाजामा या तहबन्द पहनकर नमाज़ पढ़ी और कुर्ता या चादर मौजूद है , तो नमाज़ मकरूहे तह़रीमी है और जो दूसरा कपड़ा नहीं , तो माफी है (29) इमाम को किसी आने वाले की खातिर नमाज़ को तूल कर देना मकरूहे तह़रीमी है , अगर उसको पहचानता हो और उसका उसकी खातिर मद्दे नज़र हो और अगर नमाज़ पर उस की इआ़नत के लिए बक़द्रे एक दो तस्बीह़ के तूल दिया तो कराहत नहीं (30) ज़मीने मगसूब में नमाज़ पढ़ना (31) क़ब्र का सामने होना , अगर नमाज़ी व क़ब्र के दरमियान कोई चीज़ ह़ाइल न हो तो मकरूहे तह़रीमी है (32) कुफ्फार के इ़बादत खानों में नमाज़ पढ़ना !

सवाल : नमाज़ में कौनसी चीज़े मकरूहे तन्ज़ीही है ?

जवाब : नमाज़ के मकरूहाते तन्ज़ीही दर्जे ज़ैल है : (1) सज्दा या रुकूअ़ में बिला ज़रूरत तीन तस्बीह से कम कहना (2) काम काज के कपड़ों से नमाज़ पढ़ना जबकि उसके पास और कपढ़े हों वरना कराहत नहीं (3) मुँह में कोई चीज़ लिए हुए नमाज़ पढ़ना पढ़ाना मकरूह है , जबकि क़िराअत से मानेअ़ न हो और अगर मानेऐ क़िराअत हो , मसलन आवाज़ ही न निकले या इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ निकलें कि क़ुरआन के न हों , तो नमाज़ फासिद हो जायेगी (4) नमाज़ में उंगलियों पर आयतों और सूरतों और तस्बीह़ात का गिनना (5) हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना , मकरूह है (6) नमाज़ में बग़ैर उ़ज़्र चार ज़ानू बैठना मकरूह है और उ़ज़्र हो तो ह़रज नहीं (7) दामन या आस्तीन से अपने को हवा पहुँचाना मकरूह है (8) इसबाल या'नी कपड़ा हद्दे मुअ़ताद से दराज़ रखना , दामनों और पाइचों में इसबाल यह है कि टखनों से नीचे हो और आस्तीनों में उंगलियों से नीचे और इमामें में यह कि बैठने में दबे (9) अंगड़ाई लेना (10)

बिलक़स्द खांसना या खंकारना मकरूह है और अगर तबीअत मजबूर कर रही है तो ह़रज नहीं (11) फ़र्ज़ की एक रकअ़त में किसी आयत को बार बार पढ़ना ह़ालते इख्तियार में मकरूह है और अगर उ़ज़्र से हो तो ह़रज नहीं (12) यूँही किसी एक सूरत को बार बार पढ़ना (13) सज्दे को जाते वक़्त घुटने से पहले हाथ रखना और (14) और उठते वक़्त हाथ से पहले घुटने उठाना बिला उ़ज़्र मकरूह है (15) रुकूअ़ में सर को पुश्त से ऊँचा या नीचा करना मकरूह है (16) बिस्मिल्लाह व तअव्वुज़ व सना और आमीन ज़ोर से कहना (17) अज़कारे नमाज़ को उनकी जगह से हटाकर पढ़ना (18) बग़ैर उ़ज़्र दीवार या अ़सा पर टेक लगाना मकरूह है और उ़ज़्र से हो तो ह़रज नहीं (19) रुकूअ़ में घुटनों पर और सजदों में ज़मीन पर हाथ न रखना (20) इमामें को सर से उतार कर ज़मीन पर रख देना या ज़मीन से उठाकर सर पर रख लेना मुफ्सिदे नमाज़ नहीं अलबत्ता मकरूह है (21) आस्तीन को बिछा कर सज्दा करना ताकि चेहरे पर खाक न लगे मकरूह है और तकब्बुर की वजह से हो तो कराहते तह़रीमी और गर्मी से बचने के लिए कपढ़े पर सज्दा किया , तो ह़रज नहीं (22) आयते रह़मत पर सवाल करना और आयते अ़ज़ाब पर पनाह माँगना मुनफरिद व नफ्ल पढ़ने वाल के लिये जाइज़ है , इमाम व मुक़्तदी को मकरूह और अगर मुक़्तदियों पर सिक्ल का बाईस हो तो इमाम को मकरूहे तह़रीमी (23) दाहिने बायें झूमना मकरूह है और तरावुह या'नी कभी एक पाँव पर ज़ोर दिया कभी दूसरे पर यह सुन्नत है (24) नमाज़ में आँखे बन्द रखना मकरूह है , मगर जब खुली रहने में खुशूअ़ न होता हो तो बन्द करने में ह़रज नहीं बल्कि बेहतर है (25) सज्दे वग़ैरा में क़िब्ले से उंगलियों को फेर देना , मकरूह है (26) इमाम को तन्हा मेह़राब में खड़ा होना मकरूह है और अगर बाहर खड़ा हुआ सज्दा मेह़राब में किया या वह तन्हा न हो बल्कि उसके साथ कुछ मुक़्तदी भी मेह़राब के अंदर हों तो ह़रज नहीं , यूँही अगर मुक़्तदियों पर मस्जिद तंग हो तो भी मेह़राब में खड़ा होना मकरूह नहीं (27) इमाम को दरों में खड़ा होना भी मकरूह है (28)

इमाम का तन्हा बुलन्द जगह खड़ा होना मकरूह है , बुलन्दी की मिक़दार यह है कि देखने में उसकी ऊँचाई ज़ाहिर मुमताज़ हो , फिर यह बुलन्दी अगर क़लील हो तो कराहते तन्ज़ीही है वरना ज़ाहिर तहरीम (29) इमाम नीचे हो और मुक़्तदी बुलंद जगह पर , यह भी मकरूह व खिलाफे सुन्नत है (30) का'बए मुअज़्ज़मा और मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है , कि इसमें तर्के तअज़ीम है (31) मस्जिद में कोई जगह अपने लिये खास कर लेना , कि वहीं नमाज़ पढ़े यह मकरूह है (32) जलती आग नमाज़ी के आगे होना बाइसे कराहत है , शमअ या चराग में कराहत नही (33) सामने पाखाना वग़ैरा नजासत होना या ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना कि वह मुज़न्नए नजासत हो (34) मर्द का सज्दे में रान को पेट से चिपका देना (35) हाथ से बग़ैर उज़्र मक्खी , पिस्सू उड़ाना मकरूह है (36) ऐसी चीज़ के सामने जो दिल को मश्गूल रखे नमाज़ मकरूह है जैसे ज़ीनत और लहव व लइब वग़ैरा (37) नमाज़ के लिए दौड़ना (38) आम रास्ता , कूड़ा डालने की जगह , मज़बह , क़ब्रिस्तान , गुस्लखाना , हम्माम , मवेशीखाना खुसूसन ऊँट बाँधने की जगह , अस्तबल , पाखाने की छत इन मवाज़ेअ में नमाज़ मकरूह है !

सवाल : नमाज़ तोड़ देना कब जाइज़ है ?

जवाब : साँप वग़ैरा के मारने के लिए जबकि ईज़ा का अन्देशा सही हो , या कोई जानवर भाग गया उस के पकड़ने के लिए या बकरियों पर भेड़िये के हमला करने के खौफ से नमाज़ तोड़ देना जाइज़ है , यूँही अपने या पराए के एक दिरहम के नुक़्सान का खौफ हो मसलन दूध उबल जायेगा या गोश्त तरकारी रोटी वग़ैरा जल जाने का ख़ौफ़ हो या एक दिरहम की कोई चीज़ चोर उचक्का ले भागा , इन सूरतो में नमाज़ तोड देने की इजाज़त है ! **सवाल :** नमाज़ तोड़ देना कब मुस्तहब है ? **जवाब :** पाखाना या पेशाब मा'लूम हुआ या कपढ़े या बदन में इतनी नजासत लगी देखी कि मानेऐ नमाज़ न हो , या उस को किसी अजनबी औ़रत ने छू दिया तो नमाज़ तोड़ देना मुस्तहब है , बशर्ते कि वक़्त व जमाअ़त न फौत हो और

पाखाना पेशाब की ह़ालत शदीद मा'लूम होने में तो जमाअ़त के फौत हो जाने का भी खयाल न किया जायेगा (क्योंकि इस सूरत में तोड़ देना वाजिब है) , अलबत्ता फौते वक़्त का लिहाज़ होगा !

सवाल : नमाज़ तोड़ देना कब वाजिब है ?

जवाब : कोई मुसीबत ज़दा फरियाद कर रहा हो , इसी नमाज़ी को पुकार रहा हो या मुतलक़न किसी शख्स को पुकारता हो या कोई डूब रहा हो या आग से जल जायेगा या अंधा राहगीर कुंवे में गिरा चाहता हो , इन सब सूरतो में नमाज़ तोड़ देना वाजिब है , जबकि यह उसके बचाने पर क़ादिर हो !

सवाल : माँ बाप बुलाने पर भी नमाज़ तोड़ सकते है ?

जवाब : माँ-बाप , दादा दादी वग़ैरा उसूल के मह़ज़ बुलाने से नमाज़ क़तअ़ करना जाइज़ नहीं , अलबत्ता अगर उनका पुकारना भी किसी बड़ी मुसीबत के लिए हो , जैसे ऊपर ज़िक्र हुआ तो तोड़ दे , यह हुक्म फर्ज़ का है और अगर नफ़्ल नमाज़ है और उनको मा'लूम है कि नमाज़ पढ़ता है तो उनके मा'मूली पुकारने से नमाज़ न तोड़े और इसका नमाज़ पढ़ना उन्हें मा'लूम न हो और पुकारा तो तोड़ दे और जवाब दे अगर्चे मामूली तौर से बुलायें !

सवाल : नंगे सर नमाज़ पढ़ना कैसा है ?

जवाब : सुस्ती से नंगे सर नमाज़ पढ़ना या'नी टोपी पहनना बोझ मा'लूम होता हो या गर्मी मा'लूम होती हो , मकरूहे तन्ज़ीही है और अगर तह़क़ीरे नमाज़ मक़सूद है , मसलन नमाज़ कोई ऐसी मुहतम बिश्शान चीज़ नहीं जिसके लिए टोपी , इमामा पहना जाये तो यह कुफ्र है और खुशूअ़ व खुज़ूअ़ के लिए सर बरहना पढ़ी , तो मुस्तह़ब है ! **सवाल :** नमाज़ में टोपी गिर जाए तो उठा लेना कैसा है ?

जवाब : नमाज़ में टोपी गिर पड़ी तो उठा लेना अफ़ज़ल है जबकि अमले कसीर की ह़ाजत न पढ़े वरना नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और बार-बार उठानी पढ़े तो छोड़ दे और न उठाने से खुज़ूअ़ मक़सूद हो , तो न उठाना अफ़ज़ल है !

अह़कामे मस्जिद

सवाल : मस्जिद का दरवाज़ा बंद करना कैसा है ?

जवाब : मस्जिद का दरवाज़ा बन्द करना मकरूह है अलबत्ता अगर मस्जिद का सामान जाते रहने का खौफ हो , तो नमाज़ के वक्तों के अ़लावा बन्द करने की इजाज़त है !

सवाल : मस्जिद में नजासत लेकर जाना कैसा है ?

जवाब : मस्जिद में नजासत लेकर जाना अगर्चे उससे मस्जिद आलूदा न हो या जिस के बदन पर नजासत लगी हो उसको मस्जिद में जाना मनअ़ है !

सवाल : मसाजिद को किन चीज़ों से बचाने का हुक्म है ?

जवाब : हदीसे पाक में है (मसाजिद को बच्चों और पागलों और बेअ़ व शिरा और झगड़े और आवाज़ बुलंद करने और हुदूद क़ाइम करने और तलवार खींचने से बचाओ)

सवाल : ना-समझ बच्चे और पागल को मस्जिद में लेकर जाने का क्या हुक्म है ?

जवाब : बच्चे और पागल को जिनसे नजासत का गुमान हो मस्जिद में ले जाना ह़राम है वरना मकरूह , जो लोग जूतियाँ मस्जिद के अंदर ले जाते हैं उनको इसका खयाल करना चाहिए कि अगर नजासत लगी हो तो साफ कर लें और जूता पहने मस्जिद में चले जाना , बे अदबी है !

सवाल : आजकल अक्सर देखा जाता है कि वुज़ू के बा'द मुँह और हाथ से पानी पूंछ कर मस्जिद में झाड़ते है , ऐसा करना कैसा है ?

जवाब : ऐसा करना ना जाइज़ है !

सवाल : मस्जिद में सुवाल करने का क्या हुक्म है ? और गुमशुदा चीज़ तलाश

करना कैसा है ?

जवाब : मस्जिद में सवाल करना ह़राम , और उस साईल को देना भी मनअ़ है , मस्जिद में गुमशुदा चीज़ तलाश करना मनअ़ है !

सवाल : मस्जिद में खाना , पीना और सोना कैसा है ?

जवाब : मस्जिद में खाना , पीना और सोना , मो'तकिफ के सिवा किसी को जाइज़ नहीं , लिहाज़ा जब खाने पीने वग़ैरा का इरादा हो तो ऐ'तिकाफ की नियत करके मस्जिद में जाए कुछ ज़िक्र व नमाज़ के बा'द अब खा पी सकता है !

सवाल : मस्जिद में कब जाने की मुमानअ़त है ?

जवाब : मस्जिद में कच्चा लहसन , प्याज़ खाना या खाकर जाना जाइज़ नहीं , जब तक कि बू बाक़ी हो कि फरिश्तों को उससे तक्लीफ होती है , हुज़ूरे अक़्दस صلی اللہ علیہ وسلم इरशाद फरमाते हैं : ((जो इस बदबूदार दरख्त से खाये , वह हमारी मस्जिद के क़रीब न आये कि मलाइका को उस चीज़ से ईज़ा होती है जिस से आदमी को होती है)) यही हुक्म हर उस चीज़ का है जिसमें बदबू हो , जैसे गन्दना (लहसन की तरह एक तरकारी) , मूली , कच्चा गोश्त , मिट्टी का तेल , वह दियासलाई जिसके रगड़ने में बू उड़ती है , रियाह़ खारिज करना वग़ैरा-वग़ैरा , जिसको गन्दा दहनी का अ़ारिज़ा हो या कोई दवा बदबूदार लगायी हो , तो जब तक बू मुन्क़तअ़ न हो उसको मस्जिद में आने की मुमानअ़त है , यूँही क़स्साब और मछली बेचने वाले और कोढ़ी और सफेद दाग वाले और उस शख्त को जो लोगों को ज़बान से ईज़ा देता हो , मस्जिद से रोका जायेगा !

सवाल : सब मस्जिदों से अफ्ज़ल कौनसी मस्जिद है ? **जवाब :** सब मस्जिदों से अफ्ज़ल मस्जिदे ह़राम शरीफ है फिर मस्जिदे नबवी , फिर मस्जिदे कुदुस , फिर मस्जिदे कुबा फिर और जामेअ़ मस्जिदें , फिर

मस्जिदे मोह़ल्ला फिर मस्जिदे शारेअ़ !

सवाल : मस्जिदे मोह़ल्ला में नमाज़ पढे या जामेअ़ मस्जिद में ?
जवाब : मस्जिदे मोह़ल्ला में नमाज़ पढ़ना , अगर्चे जमाअ़त क़लील हो मस्जिदे जामेअ़ से अफ्ज़ल है , अगर्चे वहां बड़ी जमाअ़त हो , बल्कि अगर मस्जिदे मोह़ल्ला में जमाअ़त न हुई हो तो तन्हा जाये और अज़ान व इक़ामत कहे , नमाज़ पढ़े , वह मस्जिदे जामेअ़ की जमाअ़त से अफज़ल है !

सवाल : मस्जिद में दुनियावी जाइज़ गुफ्तगू करना कैसा ?
जवाब : मुबाह बातें भी मस्जिद में करने की इजाज़त नहीं , न आवाज़ बुलंद करना जाइज़ -
अफसोस के इस ज़माने में मस्जिदों को लोगों ने चोपाल बना रखा है , यहाँ तक के बा'ज़ो को मस्जिदों में गालियां बकते देखा जाता है ! والعياذ بالله تعالى

सवाल : मस्जिद में सोया था , एह़तिलाम हो गया , तो क्या हुक्म है ?
जवाब : मस्जिद में सोया था , और नहाने की ज़रूरत पढ़ गई तो आंख खुलते ही जहां सोया था वहीं फौरन तयम्मुम करके निकल आए ताखीर ह़राम है -
हाँ जो शख्स ऐ़न किनारा ए मस्जिद में हो कि पहले ही क़दम में खारिज हो जाएं,,,,, या जनाबत याद न रही और मस्जिद में एक ही क़दम रखा था , इन सूरतों में एक क़दम रख कर बाहर हो जाएं कि इस खुरूज (या'नी निकलने में) मुरूर फिल मस्जिद (या'नी मस्जिद में चलना) न होगा और जब तक तयम्मुम पूरा न हो बह़ाले जनाबत (या'नी जनाबत कि ह़ालत में) मस्जिद में ठहरना रहेगा , (लिहाज़ा इस सूरत में बग़ैर तयम्मुम फौरन बाहर आ जाए) !

वित्र का बयान

सवाल : वित्र का क्या हुक्म है ?

जवाब : वित्र वाजिब है अगर सह्वन या क़स्दन न पढ़ा तो क़ज़ा वाजिब है और साहि़बे तरतीब के लिए अगर यह याद है कि नमाज़े वित्र न पढ़ी है और वक़्त में गुन्जाइश भी है तो फज्र की नमाज़ फ़ासिद है , ख्वाह शुरूअ़ से पहले याद हो या दरमियान में याद आ जाये !

सवाल : वित्र पढ़ने का क्या तरीक़ा है ?

जवाब : नमाज़े वित्र तीन रकअ़त हैं और इसमें क़ा'दए ऊला वाजिब है और क़ा'दए ऊला में सिर्फ अत्तहि़य्यात पढ़कर खड़ा हो जाये , न दुरूद पढ़े न सलाम फेरे जैसे मग़रिब में करते है उसी तरह करे और अगर क़ा'दए ऊला में भूलकर खड़ा हो गया तो लौटने की इजाज़त नहीं बल्कि सज्दए सह्व करे -

वित्र की तीन रकअ़तो में मुतलक़न क़िराअत फ़र्ज़ है और हर एक में बा'दे फातिह़ा सूरत मिलाना वाजिब और बेहतर यह है कि पहली में سبح السم ربک الاعلی या انا انزلنا दूसरी में قل یا ایھا الکافرون तीसरी में قل ھو اللہ احد पढ़े और कभी-कभी और सूरतें भी पढ़ ले , तीसरी रकअ़त में क़िराअत से फारिग़ होकर रुकूअ़ से पहले कानों तक हाथ उठा कर अल्लाहु अकबर कहे जैसे तकबीरे तह़रीमा में कहते हैं फिर हाथ बाँध ले और दुआ़ए क़ुनूत पढ़े , दुआ़ए क़ुनूत का पढ़ना वाजिब है और उसमें किसी ख़ास दुआ़ का पढ़ना ज़रूरी नहीं , बेहतर वह दुआ़यें है जो नबी صلی اللہ علیہ وسلم से साबित है और उनके अ़लावा कोई और दुआ़ पढ़े जब भी ह़रज नहीं , सब में ज़्यादा मशहूर दुआ़ यह है ,

اللھم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک ولا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک ، اللھم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نحفد و نرجو رحمتک و نخشی عذابک ، ان عذابک با لکفار ملحق -

दुआ़ाए क़ुनूत के बा'द दुरूद शरीफ पढ़ना बेहतर है !

सवाल : दुआ़ाए क़ुनूत बुलंद आवाज़ से पढ़े या आहिस्ता ?
जवाब : दुआ़ाए क़ुनूत आहिस्ता पढ़े इमाम हो या मुन्फरिद या मुक़्तदी , अदा हो या क़ज़ा , रमज़ान में हो या और दिनों में !

सवाल : जो शख्स दुआ़ाए क़ुनूत न पढ़ सकें , वो क्या करें ?
जवाब : जो दुआ़ाए क़ुनूत न पढ़ सके ये पढ़े - ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار -

सवाल : अगर दुआ़ाए क़ुनूत भूल कर रुकूअ़ में चला गया तो अब क्या करें ?
जवाब : अगर दुआ़ाए क़ुनूत पढ़ना भूल गया और रुकूअ़ में चला गया तो न क़ियाम की तरफ लौटे न रुकूअ़ में पढ़े और अगर क़ियाम की तरफ लौट आया और क़ुनूत पढ़ा और रुकूअ़ न किया , तो नमाज़ फासिद न होगी , मगर गुनाहगार होगा !

सवाल : मुक़्तदी ने क़ुनूत अभी खत्म न की थी , इमाम रुकूअ़ में चला गया तो क्या हुक्म है ?.
जवाब : क़ुनूत व वित्र में मुक़्तदी इमाम की मुताबअ़त करे अगर मुक़्तदी क़ुनूत से फारिग़ न हुआ था कि इमाम रुकूअ़ में चला गया तो मुक़्तदी इमाम का साथ दे और अगर इमाम ने बे-क़ुनूत पढ़े रुकूअ़ कर दिया और मुक़्तदी ने अभी कुछ न पढ़ा , तो मुक़्तदी को अगर रुकूअ़ फौत होने का अन्देशा हो जब तो रुकूअ़ कर दें , वरना क़ुनूत पढ़ कर रुकूअ़ में जाये और उस खास दुआ़ा की ह़ाजत नहीं जो दुआ़ाए क़ुनूत के नाम से मशहूर है , बल्कि मुतलक़न कोई दुआ़ा जिसे क़ुनूत कह सके पढ़ ले !

सवाल : अगर भूल कर पहली या दूसरी रकअ़त में दुआ़ए कुनूत पढ़ ली तो क्या हुक्म है ?
जवाब : अगर भूल कर पहली या दूसरी रकअ़त में दुआ़ए कुनूत पढ़ ली तो तीसरी में फिर पढ़े यही राजेह़ है !

सवाल : मसबूक़ अगर इमाम के साथ तीसरी रकअ़त के रूकूअ़ में मिला , जब खड़े होकर अपनी दो रकअ़त पढ़ेगा तो क्या उसमें कुनूत पढ़ेगा ?
जवाब : मसबूक़ अगर इमाम के साथ तीसरी रकअ़त के रूकू में मिला है तो बा'द को जो पढेगा उसमें कुनूत न पढ़े !

सवाल : वित्र का बेहतर वक़्त क्या है ?
जवाब : जिसे आखिरी शब में जागने पर ऐ'तिमाद हो तो बेहतर यह है कि पिछली रात में वित्र पढ़े , वरना बा'दे इ़शा पढ़ ले !

सवाल : वित्र में कौनसी सूरतें पढ़े ?
जवाब : वित्र में नबी ने صلی اللہ علیہ وسلم पहली रकअ़त में (سبح اسم ربک الاعلی) दूसरी में (قل یا ایہا الکافرون) तीसरी में (قل ھو اللہ احد) पढ़ी है , लिहाज़ा कभी तबर्रुकन इन्हें पढ़ें , और कभी पहली रकअ़त में सूर ए आ'ला की जगह (انا انزلناہ) !

सुनन व नवाफिल

सवाल : कुतुबे फिक़्ह में नफ्ल और सुन्नत को इकठ्ठा क्यो ज़िक्र किया जाता है ? **जवाब :** नफ्ल आ़म है कि सुन्नत पर भी इसका इतलाक़ आया है और इसके ग़ैर को भी नफ़्ल कहते हैं , यही वजह है कि फु-कहाए किराम बाबुन्नवाफिल में सुनन का भी ज़िक्र करते हैं कि नफ्ल इसको भी शामिल है -
लिहाज़ा नफ्ल के जितने अह़काम बयान होंगे वह सुन्नतों को भी शामिल होंगे , अबलत्ता अगर सुन्नतों के लिए कोई खास बात होगी तो उस मुतलक़ हुक्म से इसको अलग किया जायेगा जहां इस्तिसना न हो , उसी मुतलक़ हुक्मे नफ्ल में शामिल समझें !

सवाल : सुन्नते मुअक्कदा कौन कौनसी है ?
जवाब : सुन्नते मुअक्कदा यह है : (1) दो रकअ़त नमाज़े फज्र से पहले (2,3) चार ज़ुहर के पहले , दो बा’द (4) दो मग़रिब के बा’द (5) दो इ़शा के बा’द (6,7) चार जुमुआ़ से पहले , चार बा’द या'नी जुमुआ़ के दिन जुमुआ़ पढ़ने वाले पर चौदह रकअ़तें हैं और अ़लावा जुमुआ़ के बाक़ी दिनों में हर रोज़ बारह रकअ़ते -
अफज़ल यह है कि जुमुआ़ के बा’द चार पढ़े फिर दो कि दोनों हदीसों पर अ़मल हो जाये !

सवाल : सु-नने मुअक्कदा में क़ुव्वत के ऐ’तिबार से क्या तरतीब है ?
जवाब : सब सुन्नतों में क़वी तर सुन्नते फज्र है यहाँ तक कि बा’ज़ इसको वाजिब कहते हैं और इसकी मशरूईयत का अगर कोई इन्कार करे तो अगर शुबहतन या बराहे जहल हो तो खौफे कुफ्र है और अगर दानिस्ता बिला शुबह हो तो उसकी तकफीर की जायेगी वलिहाज़ा यह सुन्नतें बिला उ़ज्र न बैठ कर हो सकती हैं , न सवारी पर , न चलती गाड़ी पर , इनका हुक्म इन बातों में मिस्ले वित्र है , इनके

बा'द फिर मग़रिब की सुन्नतें , फिर ज़ुहर के बा'द की फिर इ़शा के बा'द की फिर ज़ुहर से पहले की सुन्नतें और असह़ह़ यह है कि सुन्नते फज्र के बा'द ज़ुहर की पहली सुन्नतों का मर्तबा है कि ह़दीस में खास इनके बारे में फरमाया : जो इन्हें तर्क करेगा उसे मेरी शफाअ़त न पहुँचेगी !

सवाल : अगर सुननतें फौत हो जाए या'नी वक़्त निकल जाए तो क्या उनकी क़ज़ा की जायेगी ?
जवाब : फज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई और ज़वाल से पहले पढ़ ली तो सुन्नतें भी पढ़े वरना नहीं , अ़लावा फज्र के और सुन्नतें क़ज़ा हो गई तो उनकी क़ज़ा नहीं !

सवाल : ज़ुहर और जुमुआ़ की सुन्नते क़ब्लिया पहले नही पढ़ सके तो क्या करें ?
जवाब : ज़ुहर और जुमुआ़ के पहले की सुन्नत फ़ौत हो गई और फर्ज़ पढ़ लिए तो अगर वक़्त बाक़ी है फ़र्ज़ के बा'द पढ़े और अफज़ल यह कि पिछली सुन्नतें पढ़कर इनको पढ़े !

सवाल : फज्र के फर्ज़ पढ़ लिए सिर्फ सुन्नतें रह गई तो क्या करें ?
जवाब : फज्र की सुन्नत क़ज़ा हो गई और फर्ज़ पढ़ लिए तो अब सुन्नतों की क़ज़ा नहीं अलबत्ता इमाम मुह़म्मद رحمۃ اللہ علیہ फरमाते हैं कि तुलूए आफताब के बा'द पढ़ ले तो बेहतर है -
और तुलूअ़ से पेश्तर बिल इत्तिफाक़ ममनूअ़ है -
आजकल अक्सर अ़वाम फर्ज़ के फौरन बा'द पढ़ लिया करते हैं यह नाजाइज़ है , पढ़ना हो तो आफ़ताब बुलन्द होने के बा'द और ज़वाल से पहले पढ़ें !

सवाल : जमाअ़त खड़ी होने के बा'द कोई नफ्ल या सुन्नत नमाज़ पढ़ सकते है ?
जवाब : जमाअ़त काइम होने के बा'द किसी नफ्ल का शुरूअ़ करना जाइज़ नहीं सिवा सुन्नते फज्र के कि अगर यह जाने कि सुन्नत पढ़ने के बा'द जमाअ़त मिल

जायेगी अगर्चे क़ा'दह ही में शामिल होगा तो सुन्नत पढ़ ले मगर सफ के बराबर पढ़ना जाइज़ नहीं , बल्कि अपने घर पढ़े या बेरूने मस्जिद कोई जगह नमाज़ के क़ाबिल हो तो वहां पढ़े और यह मुम्किन न हो तो अगर अन्दर के हिस्से में जमाअ़त होती हो तो बाहर के हिस्से में पढ़े , बाहर के हिस्से में हो तो अन्दर और अगर उस मस्जिद में अन्दर बाहर दो दर्जे न हों तो सुतून या पेड़ की आड़ में पढ़े कि इसमें और सफ में ह़ाइल हो जाये और सफ के पीछे पढ़ना भी ममनूअ़ है अगर्चे सफ में पढ़ना ज़्यादा बुरा है -
आजकल अक्सर अ़वाम इस का बिलकुल खयाल नहीं करते और उसी सफ में घुस कर शुरूअ़ कर देते है ये नजाइज़ है !

सवाल : सुन्नत व फर्ज़ के दरमियान कलाम करने से क्या सुन्नतें बातिल हो जाती है ?
जवाब : सुन्नत व फ़र्ज के दरमियान में कलाम करने से असह़ह़ यह है कि सुन्नत बातिल नहीं होती अलबत्ता सवाब कम हो जाता है !

सवाल : सुन्नतें ग़ैर मुअक्कदा (मुस्तह़ब्बा) कौनसी है ?
जवाब : इ़शा व अ़स्र के पहले और इ़शा के बा'द चार-चार रकअ़तें एक सलाम से पढ़ना मुस्तह़ब है और यह भी इख्तियार है कि इ़शा बा'द दो ही पढ़े मुस्तह़ब अदा हो जायेगा , यूँही ज़ुहर के बा'द चार रकअ़त सुन्नत पढ़ना मुस्तह़ब है कि ह़दीस में फ़रमाया : जिसने ज़ुहर से पहले चार और बा'द में चार पर मुहाफ़ज़त की , अल्लाह तआ़ला उस पर आग ह़राम फरमा देगा !

सवाल : इकट्ठे कितनी रकआ़त नवाफ़िल बिला कराहत पढ़ सकते है ?
जवाब : दिन के नफ्ल में एक सलाम के साथ चार रकअ़त से ज़्यादा और रात में आठ रकअ़त से ज़्यादा पढ़ना मकरूह है और अफ़ज़ल यह है कि दिन हो या रात

हो चार-चार रकअ़त पर सलाम फेरे !

सवाल : सुन्नते मुअक्कदा चार रकअ़त और नफ्ल चार रकअ़त अदा करने में क्या फर्क़ है ?

जवाब : जो सुन्नते मुअक्कदा चार रकअ़ती हैं उसके क़ा'दए ऊला में सिर्फ 'अत्तहि़य्यात' पढ़े अगर भूल कर दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो सज्दए सह्व करे और इन सुन्नतों में जब तीसरी रकअ़त के लिए खड़ा हो तो 'سبحانک और اعوذ ' भी न पढ़े और इनके अ़लावा और चार रकअ़त वाले नवाफिल (और सुन्नते ग़ैरे मुअक्कदआ) के क़ा'दए ऊला में भी दुरूद शरीफ पढ़े और तीसरी रकअ़त में 'سبحانک और اعوذ ' भी पढ़े बशर्ते कि दो रकअ़त के बा'द क़ा'दह किया हो वरना पहला 'سبحانک और اعوذ ' काफी है , मन्नत की नमाज़ के भी क़ा'दए ऊला में भी दुरूद पढ़े और तीसरी में स़ना व तअ़व्वुज़ पढ़े !

सवाल : नफ्ल घर में पढ़ना अफ़ज़ल है या मस्जिद में ?

जवाब : नफ्ल नमाज़ घर में पढ़ना अफ़ज़ल है और अगर ये खयाल हो कि घर जाकर कामों की मशगूली के सबब नवाफिल फौत हो जायेंगे या घर में जी न लगेगा और खुशूअ़ कम हो जायेगा तो मस्जिद ही मे पढ़ें !

सवाल : नफ्ल नमाज़ अगर शुरूअ़ करके तोड़ दे तो की हुक्म है ?

जवाब : नफ्ल नमाज़ क़स्दन शुरूअ़ करने से वाजिब हो जाती है कि अगर तोड़ देगा तो क़ज़ा पढ़ना होगी !

सवाल : चार रकअ़त की नियत करके नफ्ल नमाज़ शुरूअ़ की , तो क्या चार पूरी करना ज़रूरी है ?

जवाब : नफ़्ल नमाज़ शुरूअ़ की अगर्चे चार की नियत बाँधी जब भी दो ही रकअ़त शुरूअ़ करने वाला क़रार दिया जायेगा कि नफ्ल का हर शु-फअ़ा (या'नी दो

रकअ़त) अलैह़दा अलैह़दा नमाज़ है , लिहाज़ा चार रकअ़त नफ़्ल की नियत बाँधी और शुफअ़ए अव्वल या सानी में तोड़ दी तो दो रकअ़त क़ज़ा वाजिब होगी मगर शु-फअ़ए सानी तोड़ने से रकअ़त क़ज़ा वाजिब होने की यह शर्त है कि दूसरी रकअ़त पर क़ा'अदा कर चुका हो वरना चार क़ज़ा करनी होगी !

सवाल : क्या नफ्ल नमाज़ बैठ कर पड़ सकते है ?

जवाब : खड़े होकर पढ़ने की कुदरत हो जब भी बैठ कर नफ़्ल पढ़ सकते हैं मगर खड़े हो कर पढ़ना अफज़ल है कि ह़दीस में फरमाया : बैठ कर पढ़ने वाले की नमाज़ खड़े होकर पढ़ने वाले की निस्फ है , और उ़ज्र की वजह से बैठ कर पढ़े तो सवाब में कमी न होगी , यह जो आजकल आम रिवाज पड़ गया है कि नफ़्ल बैठ कर पढ़ा करते हैं बज़ाहिर यह मा'लूम होता है कि शायद बैठ कर पढ़ने को अफज़ल समझते हैं ऐसा है तो उनका ख्याल ग़लत है , वित्र के बा'द जो दो रकअ़त नफ्ल पढ़ते हैं उनका भी यही हुक्म है कि खड़े हो कर पढ़ना अफज़ल है और उस में इस ह़दीस से दलील लाना कि हुज़ूरे अकदस صلی اللہ علیہ وسلم ने वित्र के बा'द बैठ कर नफ्ल पढे , सही नहीं कि यह हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के मखसूसात में से है !

सवाल : चलती ट्रेन पर नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब : चलती रेल गाड़ी पर फर्ज़ व वाजिब व सुन्नते फज्र नहीं हो सकती लिहाज़ा जब स्टेशन पर गाड़ी ठहरे उस वक़्त ये नमाज़े पढ़े और अगर देखें कि वक़्त जाता है तो जिस तरह भी मुम्किन हो पढ़ लें फिर जब मौक़ा मिले इआ़दा करे कि जहा मिन जि-हतिल इ़बाद (बंदों की तरफ से) कोई शर्त या रुक्न मफ्क़ूद हो उस का यही हुक्म है -

सुन्नतें फज्र के अ़लावा बाक़ी सुन्नतें और नवाफिल चलती ट्रेन पर अदा कर सकते है !

नवाफिल की अक्साम

सवाल : नवाफिल की कितनी क़िस्मे है ?

जवाब : नवाफिल तो बहुत कसीर हैं! अवक़ाते ममनूआ़ के सिवा आदमी जितने चाहे पढ़े मगर इनमें से बा'ज़ जो हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन صلی اللہ علیہ وسلم व अइम्माए दीन رضی اللہ عنہم से मरवी हैं , दर्जे ज़ैल है :

(1) तहि़य्यतुल मस्जिद : जो शख्स मस्जिद में आये उसे दो रकअ़त नमाज़ पढ़ना सुन्नत है बल्कि बेहतर यह है कि चार पढ़े , इसे तहि़य्यतुल मस्जिद कहते है - अबू क़तादा رضی اللہ عنہ से मरवी है के हुज़ूरे अक्दस صلی اللہ علیہ وسلم फरमाते है : जो शख्स मस्जिद में दाखिल हो , बैठने से पहले दो रकअ़त पढ़ ले -

(2) तहि़य्यतुल वुज़ू : वुज़ू के बा'द आ'ज़ा खुश्क होने से पहले दो रकअ़त नमाज़ पढ़ना मुस्तह़ब है , इसे तहिय्यतुल वुज़ू कहते है -

एक बार हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم ने ह़ज़रते बिलाल رضی اللہ عنہ से इरशाद फ़रमाया : ऐ बिलाल ! क्या सबब है कि में जन्नत मे तशरीफ ले गया तो तुम को आगे आगे जाते देखा , अ़र्ज़ की : या रसूलुल्लाह عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم में जब वुज़ू करता हूँ दो रकअ़त नफ्ल पढ़ लेता हूँ , फरमाया : ये ही सबब है !

(3) नमाज़े इशराक़ : तिर्मिज़ी में ह़ज़रत अनस رضی اللہ عنہ से रिवायत कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم फरमाते हैं : जो फज्र की नमाज़ जमाअ़त से पढ़कर

ज़िक्रे खुदा करता रहा , यहाँ तक कि आफताब बुलन्द हो गया फिर दो रकअ़तें पढ़े तो उसे पूरे ह़ज और उ़मरे का सवाब मिलेगा , इसे नमाज़े इशराक़ कहते है !

(4) नमाज़े चाश्त : आफ़ताब बुलंद होने से ज़वाल या'नी निस्फुन्नहारे शर-ई के वक़्त में जो कम अज़ कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा बारह रकअ़ते पढ़ी जाये -

इसे नमाज़े चाश्त कहते है , और ये मुस्तह़ब है , बेहतर ये है के चौथाई दिन चढ़े पढ़े -

ह़दीस में है , जिस ने चाश्त की बारह रकअ़ते पढ़ी , अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा -

रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم फरमाते है : जो चाश्त की दो रकअ़तो पर मुहाफ़ज़त करे , उसके गुनाह बख्श दिये जायेंगे अगर्चे समुन्दर के झाग के बराबर हों !

(5) नमाज़े सफर : नमाज़े सफ़र ये है के सफर में जाते वक़्त दो रकअ़त अपने घर पर पढ़ी जाये -

ह़दीस में है : किसी ने अपने अहल के पास उन दो रकअ़तों से बेहतर न छोड़ा , जो सफ़र के बवक्ते इरादा ए सफ़र उन के पास पढ़ीं !

(6) नमाज़े वापसी ए सफर : सफर से वापस होकर दो रकअ़तें मस्जिद में अदा करे -

सह़ीह़ मुस्लिम में का'ब बिन मालिक رضی اللہ عنہ से मरवी , रसूलुल्लाह صلی اللہ

علیہ وسلم सफर से दिन में चाश्त के वक़्त तशरीफ लाते और पहले मस्जिद में जाते और दो रकअ़ते उसमें नमाज़ पढ़ते फिर वहीं मस्जिद में तशरीफ रखते !

(7) सलातुल लैल : रात में बा'दे नमाज़े इ़शा जो नवाफिल पढ़े जायें उनको सलातुल लैल कहते हैं और रात के नवाफिल दिन के नवाफिल से अफ्ज़ल हैं -

तिरमिज़ी अबू उमामा رضی اللہ عنہ से रावी , के फरमाते है : क़ियामुल्लैल को अपने ऊपर लाज़िम कर लो के ये अगले नेक लोगों का तरीक़ा है और तुम्हारे रब की तरफ क़ुर्बत का ज़रिया और सय्यि-आत का मिटाने वाला और गुनाह से रोकने वाला !

(8) नमाज़े तहज्जुद : इसी सलातुल लैल की एक क़िस्म तहज्जुद है कि इ़शा के बा'द रात में सो कर उठे और नवाफिल पढ़े , सोने से क़ब्ल जो कुछ पढ़ी वह तहज्जुद नहीं -

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा से رضی اللہ عنہ से रिवायत है के नबिय्ये मुकर्रम , नूरे मुजस्सम , रसूले अकरम शहंशाहे बनी आदम صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया : जब तुम में से कोई शख्स सो जाता है तो शैतान उसके सर के पिछले ह़िस्से पर तीन गिरेह लगा देता है , वह हर गिरेह पर कहता है कि " लंबी तान के सो जा अभी तो बहुत रात बाक़ी है " , " जब वह शख्स बेदार होकर अल्लाह عزوجل का ज़िक्र करता है तो एक गिरेह खुल जाती है फिर अगर वह वुज़ू करें तो दूसरी गिरेह खुल जाती है और अगर नमाज़ अदा करें तो तीसरी भी खुल जाती है और वह शख्स ताज़ा दम होकर सुबह़ करता है " बसू-रते दीगर थका मांदा सुस्त होकर

सुबह़ करता है , "एक रिवायत में यह इज़ाफा है "तो वह ताज़ा दम होकर सुबह़ करता है और खैर को पा लेता है बसू-रते दीगर थका मांदा सुस्त होकर सुबह़ करता है और खैर को नहीं पाता - " जब के एक रिवायत में है " लिहाज़ा शैतान की गांठो को खोल लिया करो और अगर्चे दो रकअ़तो के ज़रिए ही से हो !

(9) नमाज़े इस्तिखारा : इस्तिखारा करने के लिए जो नमाज़ पढ़ी जाए उसे नमाज़े इस्तिखारा कहते हैं , ह़ज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह رضی اللہ عنہا से रिवायत है , फरमाते हैं : रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم को हमको तमाम अम्र में इस्तिखारा की ता'लीम फरमाते जैसे क़ुरआन की सूरत ता'लीम फरमाते थे , फरमाते हैं : जब कोई किसी अम्र का क़स्द करें तो दो रकअ़त नफ्ल पढ़े फिर कहे :

اللھم انی استجیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسئلک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللھم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبة امری او قال وہ عاجل امری و اٰجلہ فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری او قال عاجل امری و آجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی بہ -

(10) सलातुत्तस्बीह़ : यह एक मखसूस क़िस्म की नमाज़ है , जिसमें बेइन्तिहा सवाब है और इस की तरकीब हमारे (अह़नाफ के) तौर पर वह है जो तिर्मिज़ी की रिवायत में है : अल्लाहु अकबर कह कर -

سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک

पढ़े फिर यह पढ़े سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الااللہ واللہ اکبر पन्दरह बार फिर اعوذ और بسم اللہ और الحمد और सूरत पढ़े फिर रुकूअ़ करे और रुकूअ़ में दस बार पढ़े फिर रुकूअ़ से सर उठाए और बा'दे तसमीअ़ व तह़मीद दस बार कहे फिर सज्दे को जाए और उसमें दस बार कहे फिर सज्दे से सर उठाकर दस बार कहे फिर सज्दे को जाए और उसमें दस मर्तबा पढ़े , यूँ ही चार रकअ़त पढ़े हर रकअ़त में 75 बार तसबीह़ और चारों में तीन सौ हुई और रुकूअ़ व सुजूद में - سبحان ربی العظیم ، سبحان ربی الاعلی कहने के बा'द तस्बीह़ात पढ़े !

(11) नमाज़े ह़ाजत : जो नमाज़ क़ज़ा ए ह़ाजत के लिए पढ़ी जाए उसे नमाज़े ह़ाजत कहते हैं इसके लिए दो या चार रकअ़त पढ़े , ह़ज़रत ए हुज़ैफा رضی اللہ عنہ से रिवायत है , फरमाते हैं : जब हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم को कोई अहम अम्र पेश आता तो नमाज़ पढ़ते !

(12) सलातुल असरार : क़ज़ाए ह़ाजत के लिए एक मुजर्रब नमाज़ सलातुल असरार है , जो ग़ोसे पाक से रिवायत की गई है इस की तरकीब यह है कि बा'दे नमाज़े मग़रिब सुन्नते पढ़कर दो रकअ़त नमाज़ नफ्ल पढ़े और बेहतर यह है कि अलह़म्द के बा'द हर रकअ़त में ग्यारह ग्यारह बार قل ھو اللہ पढ़े सलाम के बा'द अल्लाह عزوجل की ह़म्द व सना करें फिर नबी صلی اللہ علیہ وسلم पर ग्यारह बार दुरुदो सलाम अ़र्ज़ करें और ग्यारह बार यह कहे :
یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات फिर ईराक़ की जानिब ग्यारह क़दम चले , हर क़दम पर यह कहे :

يا غوث الثقلين و يا كريم الطرفين اغثنى وامددنى فى قضاء حاجتى يا قاضى الحاجات फिर हुज़ूर صلى الله عليہ وسلم के तवस्सूल से अल्लाह عزوجل से दुआ़ करें !

(13) नमाज़े तौबा : गुनाहों की माफी के लिए जो नमाज़ पढ़ी जाए उसे नमाज़े तौबा कहते हैं , हुज़ूर صلى الله عليہ وسلم फरमाते हैं : जब कोई बंदा गुनाह करें फिर वुज़ू करके नमाज़ पढ़े फिर इस्तिग़फार करे अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह बख्श देगा !

(14) सलातुर्रगाईब : रजब की पहली शबे जुमुआ़ और शा'बान की पन्दरहवी शब और शबे क़द्र में जमाअ़त के साथ जो नफ्ल नमाज़ अदा की जाती है उसे सलातुर्रगाईब कहते हैं !

तरावीह़ का बयान

सवाल : क्या तरावीह़ पढ़ना मर्द व औ़रत दोनो के लिए ज़रूरी है ?

जवाब : तरावीह़ मर्द व औ़रत सब के लिए बिल-इज्माअ़ सुन्नते मुअक्कदा है इसका तर्क जाइज़ नहीं - =

इस पर खु-लफाए राशिदीन رضی اللہ عنہم ने मुदा-वमत फरमाई या'नी हमेशा पढ़ी और नबी صلی اللہ علیہ وسلم का इरशाद है कि मेरी सुन्नत और सुन्नत खु-लफाए राशिदीन को अपने ऊपर लाज़िम समझो -

और खुद हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم ने भी तरावीह़ पढ़ी और उसे बहुत पसंद फ़रमाया !

सवाल : तरावीह़ की कितनी रकअ़ते है ?

जवाब : जम्हूर का मज़हब यह है कि तरवीह़ की बीस रकअ़ते हैं और यही अह़ादीस और आसारे सह़ाबा से साबित है !

सवाल : तरावीह़ का वक़्त क्या है ?

जवाब : इसका वक़्त फर्ज़े इ़शा के बा'द से तूलुए फज्र तक है , वित्र से पहले भी हो सकती है और बा'द में भी तो अगर कुछ रकअ़त इसकी बाक़ी रह गई कि इमाम वित्र को खड़ा हो गया तो इमाम के साथ वित्र पढ़ ले फिर बाक़ी अदा कर ले जबकि फ़र्ज़ जमाअ़त से पढ़े हों और यह अफ्ज़ल है और अगर तरावीह़ पूरी कर के वित्र तन्हा पढ़े तो भी जाइज़ है !

सवाल : अगर तरावीह़ फौत हो जाए , तो क्या बा'द में उनकी क़जा करनी होगी ?

जवाब : अगर फौत हो जाये तो इनकी क़ज़ा नहीं और अगर क़ज़ा तन्हा पढ़ ली तो तरावीह़ नहीं बल्कि नफ्ल हैं !

सवाल : तरावीह़ की बीस रकअ़तें कितने सलामो के साथ पढ़नी है ?

जवाब : तरावीह़ की बीस रकअ़तें दस सलाम से पढ़े या'नी हर दो रकअ़त पर सलाम फेरे और अगर किसी ने बीसों रकअ़तें पढ़ कर आखिर में सलाम फेरा तो अगर हर दो रकअ़त पर क़ा'दह करता रहा तो हो जायेगी मगर कराहत के साथ और अगर क़ा'दह न किया था तो दो रकअ़त के क़ाइम मक़ाम हुई !

सवाल : तरावीह़ में क़ुरआन खत्म करने का क्या हुक्म है ?

जवाब : तरावीह़ में एक बार क़ुरआन मजीद खत्म करना सुन्नते मुअक्कदा है और दो मर्तबा फज़ीलत और तीन मर्तबा अफ्ज़ल , लोगों की सुस्ती की वजह खत्म को तर्क न करे !

सवाल : तरवीह़ा किसे कहते है ?

जवाब : हर चार रकअ़त पर इतनी देर तक बेठना मुस्तह़ब है जितनी देर में चार रकअ़ते पढ़ी , इसे तरवीह़ा कहते है !

सवाल : तरवीह़ा में क्या करना चाहिए ?

जवाब : इस बैठने में उसे इख़्तियार है कि चुप बैठा रहे या कलिमा पढ़े या तिलावत करे या दुरूद शरीफ पढ़े या चार रकअ़तें तन्हा नफ्ल पढ़े जमाअ़त से मकरूह है या यह तस्बीह पढ़े :

سُبحَانَ ذِی المُلْکِ وَالمَلَکُوتِ سُبحَانَ ذِی العِزَّةِ وَالعَظَمَةِ وَالکِبرِیَاءِ وَالجَبَرُوْتِ ، سُبحَانَ المُلْکِ الْحَیِّ الّذِی لَا یَنَامُ وَلَا یَمُوتُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ المَلَائِکَةِ والرُّوحِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ نَستَغفِرُ اللهَ نَسئَلُکَ الجَنَّةَ وَ نَعُوذُ بِکَ مِنَ النَّارِ -

सवाल : तरावीह़ में जमाअ़त का क्या हुक्म है ?

जवाब : तरावीह़ में जमाअ़त सुन्नते किफ़ाया है कि अगर मस्जिद के सब लोग छोड़ देंगे तो सब गुनाहगार होंगे और अगर किसी एक ने घर में तन्हा पढ़ ली तो

गुनाहगार नहीं मगर जो शख्स मुक़तदा हो कि उसके होने से जमाअ़त बड़ी होती है और छोड़ देगा तो लोग कम हो जायेंगे उसे बिला उन जमाअ़त छोड़ने की इजाज़त नहीं !

सवाल : खुश ख्वान को इमाम बनाना चाहिए या दुरुस्त ख्वान को ?
जवाब : ग़लत पढने वाले खुशख्वान को इमाम बनाना न चाहिये बल्कि दुरुस्त ख्वान को बनायें -
अफ़सोस सद अफसोस कि इस ज़माने में हुफ्फाज़ की ह़ालत निहायत ना गुफ्ता बिही है , अक्सर लोग तो ऐसा पढ़ते हैं कि يعلمون ، تعلمون सिवा कुछ नहीं पता चलता , अल्फाज़ व हुरूफ खा जाया करते हैं जो अच्छा पढ़ने वाले कहे जाते हैं उन्हें देखिये तो हुरूफ सह़ीह़ अदा नहीं करते ع ، ا ، ہمزہ और ذ ، ظ ، ز और ث ، س ص ، ت ، ط वग़ैरा हुरूफ में फर्क़ नहीं करते जिस से क़त-अ़न नमाज़ नहीं होती !

सवाल : ह़ाफिज़ को उजरत देकर तरावीह़ पढ़वाना कैसा है ?
जवाब : आजकल अक्सर रिवाज हो गया है कि ह़ाफिज़ को उजरत देकर तरावीह़ पढ़वाते हैं यह नाजाइज़ है , देने वाला और लेने वाला दोनों गुनाहगार हैं , उजरत सिर्फ यही नहीं कि पहले से मुक़र्रर कर लें कि यह लेंगे यह देंगे , बल्कि अगर मा'लूम है कि यहाँ कुछ मिलता है , अगर्चे उससे तय न हुआ हो यह भी नाजाइज़ है कि المعروف كالمشروط , हाँ अगर कह दे कि कुछ नहीं दूंगा या नहीं लूंगा फिर पढ़े और ह़ाफिज़ की खिदमत करें तो इस में ह़रज नहीं क्यूँकि الصريح يفوق الدلالۃ सरीह़ दलालत पर फौक़ियत रखता है !

सवाल : अगर इ़शा या तरावीह़ बग़ैर जमाअ़त से पढ़े तो क्या वितर की जमाअ़त में शरीक हो सकता है ?

जवाब : अगर इ़शा जमाअ़त से पढ़ी और तरावीह़ तन्हा तो वित्र की जमाअ़त में शरीक हो सकता है और अगर इ़शा तन्हा पढ़ ली अगर्चे तरावीह़ बा जमाअ़त पढ़ी तो वित्र तन्हा पढ़े !

सवाल : क्या तरावीह़ बैठ कर पढ़ सकते है ?
जवाब : तरावीह़ बैठ कर पढ़ना मकरूह है बल्कि बा'ज़ों के नज़्दीक तो होगी ही नहीं !

सवाल : अगर किसी वजह से तरावीह़ में खत्मे क़ुरआन न हो सके तो क्या करें ?
जवाब : अगर किसी वजह से खत्म न हो तो सूरतों की तरावीह़ पढ़ें और इसके लिए बाज़ों ने यह तरीक़ा रखा है कि 'الم تر' से आखिर तक दो बार पढ़ने में बीस रकअ़तें हो जायेंगी !

सवाल : दौराने तरावीह़ पूरे खत्म में कितनी बार बिस्मिल्लाह जहर से पढ़े ?
जवाब : एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ जहर या'नी आवाज़ से पढ़ना सुन्नत है और हर सूरत की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तह़ब और यह जो आजकल बा'ज़ जाहिलों ने निकाला है कि एक सौ चौदह बार जहर से पढ़ी जाये वरना खत्म न होगा , मज़हबे ह़-नफी में बेअस्ल है !

सवाल : खत्म में जो तीन बार सूरए इखलास पढ़ते है , ये कैसा है ?
जवाब : मुत-अख्खिरीन ने खत्मे तरावीह़ में तीन बार قل هو الله पढ़ना मुस्तह़ब कहा और बेहतर यह है कि ख़त्म के दिन पिछली रकअ़त में الم से مفلحون से तक पढ़े !

क़ज़ा नमाज़ो का बयान

सवाल : अदा , क़ज़ा और इआ़दा किसे कहते है ?

जवाब : जिस चीज़ का बंदों पर हुक्म है , उसे वक़्त में बजा लाने को अदा कहते है और वक़्त के बा'द में बा'द में अ़मल में लाना क़ज़ा है और अगर उस हुक्म के बजा लाने में कोई खराबी हो जाए तो वो खराबी दफअ़ करने के लिए दोबारा अ़मल बजा लाना इआ़दा है !

सवाल : बिला उ़ज़्रे शर-ई नमाज़ क़ज़ा कर देना कैसा है ?

जवाब : बिला उ़ज़्रे शर-ई नमाज़ क़ज़ा कर देना बहुत सख्त गुनाह है , उस पर फ़र्ज़ है कि उसकी क़ज़ा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा करे , तौबा जब ही सह़ीह़ है कि क़ज़ा पढ़ ले , उसको तो अदा न करे , तौबा किये जाये , ये तौबा नहीं कि वह नमाज़ जो उसके ज़िम्मे थी उसका न पढ़ना तो अब भी बाक़ी है और जब गुनाह से बा'ज़ न आया , तौबा कहाँ हुई , ह़दीस में फरमाया : गुनाह पर क़ाइम रह़क़र इस्तिग़फार करने वाला उसके मिस्ल है जो अपने रब से ठट्ठा करता है !

सवाल : नमाज़ क़ज़ा कर देने के लिए शर-ई आ'ज़ार क्या है ?

जवाब : दुश्मन का खौफ नमाज़ क़ज़ा कर देने के लिए उ़ज़्र है , मसलन मुसाफिर को चोर और डाकूओं का सही अंदेशा है तो इसकी वजह से वक़्ती नमाज़ क़ज़ा कर सकता है बशर्ते कि किसी तरह नमाज़ पढ़ने पर क़ादिर न हो इसी तरह जनाई (दाई) नमाज़ पढ़ेगी तो बच्चे के मर जाने का अंदेशा है नमाज़ क़ज़ा करने के लिए यह उ़ज़्र है !

सवाल : वक़्त के अंदर तकबीरे तह़रीमा कहकर नमाज़ शुरूअ़ कर दी , फिर वक़्त निकाल गया , ये नमाज़ अदा होगी या क़ज़ा ?

जवाब : वक़्त में अगर तह़रीमा बाँध लिया नमाज़ क़ज़ा न हुई बल्कि अदा है - मगर नमाज़े फज्र व जुमुआ़ व ईदैन कि इनमें सलाम से पहले भी अगर वक़्त निकल गया नमाज़ जाती रही !

सवाल : अगर सोते में या भूल से नमाज़ का वक़्त गुज़र गया तो क्या हुक्म है ?
जवाब : सोते में या भूल से नमाज़ क़ज़ा हो गई तो उसकी क़ज़ा पढ़नी फर्ज़ है , अलबत्ता क़ज़ा का गुनाह उस पर नहीं मगर बेदार होने और याद आने पर अगर वक्ते मकरूह न हो तो उसी वक़्त पढ़ ले ताखीर मकरूह है , कि ह़दीस में इरशाद फरमाया : जो नमाज़ से भूल जाये या सो जाये तो याद आने पर पढ़ ले कि वही उसका वक़्त है , मगर दुखूले वक़्त के बा'द सो गया फिर वक़्त निकल गया तो क़त-अ़न गुनहगार हुआ जबकि जागने पर सह़ीह़ ऐ'तिमाद न हो या जगाने वाला मौजूद न हो बल्कि फज्र में दुखूले वक़्त से पहले भी सोने की इजाज़त नहीं हो सकती जबकि अक्सर ह़िस्सा रात का जागने में गुज़रा और ज़न है कि अब सो गया तो वक़्त में आँख न खुलेगी -
जब यह अंदेशा हो कि सुबह़ की नमाज़ जाती रहेगी तो बिला ज़रूरते शरइय्या उसे रात देर तक जागना ममनूअ़ है !

सवाल : क़ज़ा नमाज़ किस वक़्त पढ़ी जाएं ?
जवाब : क़ज़ा के लिए कोई वक़्त मुअ़य्यन नहीं उम्र में जब भी पढ़ेगा बरीऊज्ज़िमा हो जायेगा तुलूअ़ व गुरूब और ज़वाल के वक़्त कि इन तीन वक़्तों में नमाज़ जाइज़ नहीं !

सवाल : ह़ालते जुनून में जो नमाज़े छूट जाए , क्या उनकी क़ज़ा की जाएगी ?
जवाब : मजनून की ह़ालते जुनून में जो नमाज़े फौत हुई अच्छे होने के बा'द उनकी क़ज़ा वाजिब नहीं जबकि जुनून नमाज़ के छे वक़्ते कामिल तक बराबर

रहा हो !

सवाल : जो शख्स معاذ الله मुरतद हो गया , फिर इस्लाम लाया तो उसकी ज़मानए इर्तिदाद की नमाज़ो और इर्तिदाद से पहले की नमाज़ों का क्या हुक्म है ?
जवाब : जो शख्स معاذ الله मुरतद हो गया फिर इस्लाम लाया तो ज़मानए इर्तिदाद की नमाजों की क़ज़ा नहीं और मुर्तद होने से पहले ज़मानए इस्लाम में जो नमाज़े जाती रही थीं उनकी क़ज़ा वाजिब है !

सवाल : जो नमाज़ ह़ालते सफर में क़ज़ा हुई , उसे कैसे अदा करेंगे ? इसी तरह जो नमाज़ ह़ालते इक़ामत में फौत हुई , उसे कैसे अदा करेंगे ?
जवाब : जो नमाज़ जैसी फौत हुई उसकी क़ज़ा वैसी ही पढ़ी जायेगी , मसलन सफर में नमाज़ क़ज़ा हुई तो चार रकअ़त वाली दो ही पढ़ी जायेंगी अगर्चे इक़ामत की ह़ालत में पढ़े और ह़ालते इक़ामत में फौत हुई तो चार रकअ़त वाली की क़ज़ा चार रकअ़त हैं अगर्चे सफर में पढ़े !

सवाल : क़ज़ा नमाजों में तरतीब ज़रूरी है या नहीं ?
जवाब : पाँचों फर्ज़ो में बाहम और फ़र्ज़ व वित्र में तरतीब ज़रूरी है कि पहले फ़र्ज़ फिर ज़ुहर फिर अ़स्र फिर मग़रिब फिर इ़शा फिर वित्र पढ़े ख्वाह यह सब क़ज़ा हों या बा'ज़ अदा बा'ज़ क़ज़ा , मसलन ज़ुहर की क़ज़ा हो गई तो फ़र्ज़ है कि इसे पढ़कर अ़स्र पढ़े या वित्र क़ज़ा हो गया तो उसे पढ़कर फज्र पढ़े अगर याद होते हुए अ़स्र या फज्र की पढ़ ली तो न होगी !

सवाल : तरतीब कब साक़ित हो जाती है ?
जवाब : तीन सूरतों तरतीब साक़ित हो जाती है :
(1) वक़्त में तंगी , अगर वक़्त में अगर वक़्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि वक़्ती और क़ज़ायें सब पढ़ ले तो वक़्ती और क़ज़ा नमाज़ों में जिस की गुंजाइश हो पढ़े

बाक़ी में तरतीब साक़ित है , मसलन नमाज़े इशा व वित्र क़ज़ा हो गये और फज्र के वक़्त में पाँच रकअ़त की गुंजाइश है तो वित्र व फज्र पढ़े और छे रकअ़त की वुसअ़त है तो इशा व फज्र पढ़े !

(2) भूल जाना : क़ज़ा नमाज़ याद न रहीं और वक़्तिया पढ़ ली पढ़ने के बा'द याद आई तो वक़्तिया हो गई और पढ़ने में याद आई तो गई !

(3) छे या उससे ज़्यादा नमाज़ों का क़ज़ा हो जाना , छे नमाज़े जिस की क़ज़ा हो गई के छटी का वक़्त खत्म हो गया उस पर तरतीब फ़र्ज़ नहीं , अब अगर्चे बावजूद वक़्त की गुंजाइश और याद के वक़्ती पढ़ेगा हो जायेगी ख्वाह वो सब एक साथ क़ज़ा हुई मसलन एक दम से छे वक़्तो की न पढ़ी या मुतफर्रिक तौर पर क़ज़ा हुई !

सवाल : छे नमाज़े क़ज़ा होने के सबब तरतीब साक़ित हो गई , क्या फिर तरतीब लौटेगी ?

जवाब : जब छे नमाज़े क़ज़ा होने के सब तरतीब साक़ित हो गई तो उनमें से अगर बा'ज़ पढ़ली कि छे से कम रह गई तो वह तरतीब औ़द न करेगी या'नी अगर उन में से दो बाक़ी हों तो बावजूद याद के वक़्ती नमाज़ हो जायेगी अलबत्ता अगर सब क़ज़ाएं पढ़ली तो अब फिर साहिबे तरतीब हो गया कि अब अगर कोई नमाज़ क़ज़ा हो तो गुज़री हुई ब-शराईते साबिक़ उसे पढ़कर वक़्ती पढ़े वरना न होगी !

सवाल : खिलाफे तरतीब पढ़ने से नमाज़ नहीं होती , इससे मुराद क्या है ?

जवाब : बावजूद याद और गुन्जाइशे वक़्त के वक़्ती नमाज़ की निस्बत जो कहा गया कि न होगी उससे मुराद यह है कि वह नमाज़ मौकूफ़ है अगर वक़्ती पढ़ता गया और क़ज़ा रहने दी तो जब दोनों मिलकर छे हो जायेंगी या'नी छठी का वक़्त

खत्म हो जायेगा तो सब सही हो गई और इस दरमियान में क़ज़ा पढ़ ली तो सब गई या'नी नफ़्ल हो गई सब को फिर से पढ़े !

सवाल : जिस के ज़िम्मे ज़्यादा नमाज़े क़ज़ा हों , क्या उसे ताखीर की इजाज़त है ?

जवाब : जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़े हो अगर्चे उनका पढ़ना जल्द से जल्द वाजिब है मगर बाल बच्चों की परवरिश वग़ैरा और अपनी ज़रूरियात की फराहमी के सबब ताखीर जाइज़ है तो कारोबार भी करे और जो वक़्त फुर्सत का मिले उसमें क़ज़ा पढ़ता रहे यहाँ तक कि पूरी हो जायें !

सवाल : क्या नवाफिल व सुनन की जगह क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते है ?

जवाब : क़ज़ा नमाज़े नवाफिल से अहम हैं या'नी जिस वक़्त नफ्ल पढ़ता है उन्हें छोड़ कर उनके बदले क़ज़ायें पढ़े कि बरीउज़्ज़िम्मा हो जाये अलबत्ता तरावीह़ और बारह रकअ़तें सुन्नते मुअक्कदा की न छोड़े !

सवाल : जिस की नमाज़ क़ज़ा हो गई और फौत हो गया , तो उसके वु-रसा क्या करें ?

जवाब : जिसकी नमाज़े क़ज़ा हो गई और इन्तिक़ाल हो गया तो अगर वसीयत कर गया और माल भी छोड़ा तो उसकी तिहाई से हर फ़र्ज़ व वित्र के बदले निस्फ़ साअ़ गेहूँ या एक साअ़ जौ तसद्दुक़ करें और माल न छोड़ा और वु-रसा फिदया देना चाहें तो कुछ माल अपने पास से या क़र्ज़ लेकर मिस्कीन पर तसद्दुक़ करके उसके क़ब्जे में दें और मिस्कीन अपनी तरफ से उसे हिबा कर दे और यह क़ब्ज़ा भी कर ले फिर यह मिस्कीन को दे , यूँही लौट फेर करते रहें यहाँ तक कि सबका फिदया अदा हो जाये , और अगर माल छोड़ा मगर वह नाकाफी है जब भी यही करें और अगर वसीयत न की और वली अपनी तरफ से बतौरे एह़सान फिदया देना

चाहे तो दे और अगर माल की तिहाई बक़द्रे काफी है और वसीयत यह की कि इसमें से थोड़ा लेकर लौट फेर करके फिदया पूरा करलें और बाक़ी को वु-रसा या और कोई ले लें , तो गुनाहगार हुआ -

बा'ज़ नावाक़िफ यूँ फिदया देते हैं कि नमाज़ो के फिदये की क़ीमत लगाकर सबके बदले में क़ुरआन मजीद दे देते हैं , इस तरह कुल फिदया अदा नहीं होता यह सिर्फ बे-अस्ल बात है बल्कि सिर्फ उतना ही अदा होगा जिस क़ीमत का मुसहफ़ शरीफ है !

सवाल : शबे क़द्र या रमज़ान के आखिरी जुमुआ़ में जो क़ज़ाए उमरी पढ़ी जाती है , उसकी क्या हक़ीक़त है ?

जवाब : क़ज़ाए उमरी कि शबे क़द्र या रमज़ान के आखिरी जुमुआ़ में जमाअ़त से पढ़ते हैं और यह समझते हैं कि उम्र भर की क़ज़ाएं इसी एक नमाज़ से अदा हो गई , बातिल महज़ है !

सज्दए सह्व का बयान

सवाल : सज्दए सह्व क्या है ?

जवाब : वाजिबाते नमाज़ में जब कोई वाजिब भूले से रह जाये तो उसकी तलाफी के लिए सज्दए सह्व वाजिब है !

सवाल : अगर क़सदन वाजिब तर्क किया तो सज्दए सह्व से तलाफी हो जाएगी ?

जवाब : क़स्दन वाजिब तर्क किया तो सज्दए सह्व से वह नुक़्सान दफ़अ न होगा बल्कि इआ़दा वाजिब है , यूँही अगर सह्वन वाजिब तर्क हुआ और सज्दए सह्व न किया जब भी लौटाना वाजिब है !

सवाल : सज्दए सह्व का तरीक़ा क्या है ?

जवाब : उसका तरीक़ा यह है कि अत्तहि़य्यात के बा'द दहनी तरफ सलाम फेर कर दो सज्दे करे फिर तशह्हुद वग़ैरा पढ़कर सलाम फेरे - सज्दए सह्व के बा'द भी अत्तहि़य्यात पढ़ना वाजिब है , अत्तहि़य्यात पढ़कर सलाम फेरे और बेहतर यह है कि दोनो क़ा'दो में दुरुद शरीफ पढ़ें - और ये भी इख़्तियार है के पहले क़ा'दे में अत्तहि़य्यात व दुरूद और दूसरे मे सिर्फ अत्तहि़य्यात !

सवाल : अगर बग़ैर सलाम फेरे सज्दे किए तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर बग़ैर सलाम फेरे सज्दे कर लिये काफी है मगर ऐसा करना मकरूहे तन्ज़ीही है !

सवाल : फर्ज़ या सुनन व मुस्तह़ब्बात तर्क हो जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब : फर्ज़ तर्क हो जाने से नमाज़ जाती रहती है सज्दए सह्व से उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती , लिहाज़ा फिर पढ़े और सुनन व मुस्तह़ब्बात मसलन तअ़व्वुज़ ,

तस्मीया , सना , आमीन , तकबीराते इन्तिक़ालात , तस्बीह़ात के तर्क से भी सज्दए सह्व नहीं बल्कि नमाज़ हो गई -
मगर इआ़दा मुस्तह़ब है सह्वन तर्क किया हो या क़स्दन !

सवाल : एक नमाज़ में चन्द वाजिब तर्क हुए , कितने सज्दे करने होंगे ?
जवाब : एक नमाज़ में चन्द वाजिब तर्क हुए तो वही दो सज्दे सब के लिए काफी है !

सवाल : फर्ज़ में क़ा'दए ऊला भूल कर तीसरी रकअ़त के लिए खड़े हो गए , क्या हुक्म है ?
जवाब : फर्ज़ में क़ा'दए ऊला भूल गया तो जब तक सीधा खड़ा न हुआ , लौट आये और सज्दए सह्व नहीं और अगर सीधा खड़ा हो गया तो न लौटे और आखिर में सज्दए सह्व करे और अगर सीधा खड़ा होकर लौटा तो सज्दए सह्व करे और सह़ीह़ मज़हब में नमाज़ हो जायेगी मगर गुनाहगार हुआ लिहाज़ा हुक्म है कि अगर लौटे तो फौरन खड़ा हो जाये !

सवाल : क़ा'दए अखीरा भूल गया तो क्या करे ?
जवाब : क़ा'दए अखीरा भूल गया तो जब तक उस रकअ़त का सज्दा न किया हो लौट आये और सज्दए सह्व करे और अगर उस रकअ़त का सज्दा कर लिया तो सज्दे से सर उठाते ही वह फर्ज़ नफ्ल हो गया लिहाज़ा अगर चाहे तो अ़लावा मग़रिब के और नमाज़ में एक रकअ़त और मिला लें कि शु-फअ़ पूरा हो जाए और ताक़ रकअ़त न रहे अगर्चे वो नमाज़े फज्र या अ़स्र हो , मग़रिब में और न मिलाए कि चार पूरी हो गई !

सवाल : अगर बक़द्रे तशह्हुद क़ा'दए अखीरा कर चुका है और खड़ा हो गया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर बक़द्रे तशह्हुद क़'दए अखीरा कर चुका है और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रकअ़त का सज्दा न किया हो लौट आये और सज्दए सह्व करके सलाम फेर दे और इस सूरत में अगर इमाम खड़ा हो गया तो मुक़्तदी उसका साथ न दें बल्कि बैठे हुए इन्तिज़ार करें अगर लौट आया साथ हो लें और न लौटा और सज्दा कर लिया तो मुक़्तदी सलाम फेर दें और इमाम एक रकअ़त और मिलाये कि यह दो नफ्ल हो जायें और सज्दए सह्व कर के सलाम फेरे !

सवाल : अगर क़ा'दए ऊला में तशह्हुद के बा'द भूल कर दुरूदे पाक पढ़ लिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : क़ा'दए ऊला में तशह्हुद के बा'द इतना पढ़ा اللهم صل على محمد तो सज्दए सह्व वाजिब है , इस वजह से नहीं कि दुरूद शरीफ पढ़ा बल्कि इस वजह से कि तीसरी के क़ियाम में ताखीर हुई तो अगर इतनी देर तक सुकूत किया जब भी सज्दए सह्व वाजिब है जैसे क़ा'दह व रूकूअ़ व सूजूद में कुरआन पढ़ने से सज्दए सह्व वाजिब है ह़ालांकि वह कलामे इलाही है !

सवाल : फर्ज़ के क़ियाम में भूल कर तशह्हुद पड़ दिया क्या हुक्म है ?

जवाब : फर्ज़ की पहली दो रकअ़तों के क़ियाम में अलह़म्द के बा'द तशह्हुद पढ़ा सज्दए सह्व वाजिब है और अलह़म्द से पहले पढ़ा तो नहीं , पिछली रकअ़तों के क़ियाम में तशह्हुद पढ़ा तो सज्दए सह्व वाजिब न हुआ !

सवाल : इमाम ने जहरी नमाज़ में आहिस्ता क़िराअत की या सिर्री में बुलंद आवाज़ से क़िराअत की तो क्या हुक्म है ?

जवाब : इमाम ने जहरी नमाज़ में बक़द्रे जवाज़े नमाज़ या'नी एक आयत आहिस्ता पढ़ी या सिर्री में जहर से तो सज्दए सह्व वाजिब है और एक कलिमा आहिस्ता या जहर से पढ़ा तो माफ है !

सवाल : क़िराअत वग़ैरा में सोचने की वजह से वक़्फा हो गया तो क्या हुक्म है ?
जवाब : क़िराअत वग़ैरा किसी मौक़े पर सोचने लगा कि बक़द्रे एक रुक्न या'नी तीन बार سبحان الله कहने के वक़्फा हुआ सज्दए सह्व वाजिब है !

सवाल : इमाम के पीछे मुक़्तदी से सह्वन कोई वाजिब छूट गया तो क्या हुक्म है ?
जवाब : अगर मुक़्तदी से ब-हालते इक़्तिदा सह्व वाक़ेअ़ हुआ तो सज्दए सह्व वाजिब नहीं !

सवाल : मस्बूक़ इमाम के साथ सज्दए सह्व करे , तो सलाम फेर कर करेगा ?
जवाब : जी नहीं ! मस्बूक़ इमाम के साथ सलाम फैरे बग़ैर सज्दए सह्व करेगा , अगर क़स्दन फेरेगा नमाज़ जाती रहेगी !

मरीज़ की नमाज़

सवाल : कौन शख्स फर्ज़ या वाजिब नमाज़ ज़मीन पर बैठ कर पड़ सकता है ?
जवाब : जो शख्स बीमारी की वजह से खड़े होकर नमाज़ पढ़ने पर क़ादिर नहीं कि खड़े होकर पढ़ने से ज़रर लाहिक़ होगा या मरज़ बढ़ जायेगा या देर में अच्छा होगा या चक्कर आता है या खड़े होकर पढ़ने से क़तरा आयेगा या बहुत शदीद दर्द नाक़ाबिले बर्दाश्त पैदा हो जायेगा तो इन सब सूरतों में बैठ कर रुकूअ़ व सुजूद के साथ नमाज़ पढ़े !
सवाल : अगर ज़मीन पर बैठ कर भी न पढ़ सके तो क्या हुक्म है ?
जवाब : अगर अपने आप बैठ भी नहीं सकता मगर लड़का या गुलाम या ख़ादिम या कोई अजनबी शख्स वहां है कि बिठा देगा तो बैठकर पढ़ना ज़रूरी है और अगर बैठा नहीं रह सकता तो तकिया या दीवार या किसी शख्स पर टेक लगा कर पढ़े ये भी न हो सके तो लेट कर पढ़े और बैठ कर पढ़ना मुम्किन हो तो लेट कर नमाज़ न होगी !
सवाल : जो शख्स खड़ा हो कर नमाज़ पढ़ सकता है , मगर रूकूअ़ व सुजूद पर क़ादिर नहीं , तो कैसे नमाज़ पढे ? **जवाब :** खड़ा हो सकता है मगर रुकूअ़ व सुजूद नहीं कर सकता या सिर्फ सज्दा नहीं कर सकता मसलन ह़ल्क़ वग़ैरा में फोड़ा है कि सज्दा करने से बहेगा तो बैठ कर इशारे से पढ़ सकता है बल्कि यही बेहतर है , इशारे की सूरत में सज्दे का इशारा रुकूअ़ से पस्त होना ज़रूरी है मगर यह ज़रूरी नहीं कि सर को बिल्कुल ज़मीन से क़रीब कर दे सज्दे के लिए तकिया वग़ैरा कोई चीज़ पेशानी के क़रीब उठा कर उस पर सज्दा करना मकरुहे तह़रीमी है , ख्वाह खुद उसी ने वो चीज़ उठाई हो या दूसरे ने !
सवाल : कुर्सी पर कौन सा शख्स नमाज़ पढ़ सकता है ?
जवाब : कुर्सी पर बैठ कर सिर्फ वही शख्स नमाज़ पढ़ सकता है जो सज्दा करने

पर क़ादिर न हो , क्योंकि सज्दा माफ़ हो गया तो क़ियाम माफ़ हो गया , अब इशारो से नमाज़ पढनी है , चाहे ज़मीन पर बैठ कर पढ़े या कुर्सी पर , जो शख्स सज्दा तो कर सकता है , सिर्फ क़ियाम पर क़ादिर नहीं तो उसकी नमाज़ कुर्सी पर न होगी , क्योंकि उसके लिए हुक्म ये है कि रुकूअ़ व सुजूद के साथ नमाज़ पढ़े जबकि कुर्सी पर बैठने वाला रुकूअ़ व सुजूद इशारों से करता है , और ये बात भी याद रखने की है कि इजाज़त की सूरत में भी कुर्सी के सामने रखे हुए तख्ते पर सज्दा करना एक फिज़ूल अ़मल है कि उसे इशारों से पढ़ने का हुक्म है !

सवाल : अगर मरीज़ बैठ कर नमाज़ पढने पर क़ादिर नहीं तो क्या करें ?

जवाब : अगर मरीज़ बैठने पर क़ादिर नहीं तो लेटकर इशारे से पढ़े , ख्वाह दाहिनी या बाएं करवट पर लेटकर क़िब्ले को मुँह करे ख्वाह चित लेटकर क़िब्ले को पांव करें मगर पांव न फैलाये , कि क़िब्ले को पांव फैलाना मकरूह है बल्कि घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया वग़ैरा रखकर ऊंचा कर ले कि मुँह क़िब्ले को हो जाये और ये सूरत या'नी चित लेटकर पढ़ना अफ्ज़ल है , अगर सर से इशारा भी न कर सके तो नमाज़ साक़ित है , इसकी ज़रूरत नहीं कि आँख या भवों या दिल के इशारें से पढ़े फिर अगर छे वक़्त इसी ह़ालत में गुज़र गए तो उनकी क़ज़ा भी साक़ित , फिदये की भी ह़ाजत नहीं वरना बा'दे सिह़्ह़त उन नमाज़ों की क़ज़ा लाज़िम है अगर्चे इतनी ही सिह़्ह़त हो कि सर के इशारे से पढ़ सकें !

सवाल : बीमारी की ह़ालत में जो नमाज़े क़ज़ा हुई उन्हें कैसे अदा करेगा ?

जवाब : बीमार की नमाज़े क़ज़ा हो गई अब अच्छा होकर उन्हें पढ़ना चाहता है तो वैसे पढ़े जैसे तन्दरुस्त पढ़ते हैं उस तरह नहीं पढ़ सकता जैसे बीमारी में पढ़ता मसलन बैठ कर या इशारे से अगर उसी तरह पढ़ी तो न हुई , और सिह़्ह़त की ह़ालत में क़ज़ा हुई बीमारी में उन्हें पढ़ना चाहता है तो जिस तरह पढ़ सकता है पढ़े हो जायेगी , सिह़्ह़त की सी पढ़ना इस वक़्त वाजिब नहीं !

सज्दए तिलावत का बयान

सवाल : सज्दए तिलावत कब वाजिब होता है ?

जवाब : आयते सज्दा पढ़ने या सुनने से सज्दा वाजिब हो जाता है पढ़ने में यह शर्त है कि इतनी आवाज़ से हो कि अगर कोई उ़ज़्र न हो तो खुद सुन सके , सुनने वाले के लिए यह ज़रूरी नहीं कि बिलक़स्द सुनी हो बिला क़स्द सुनने से भी सज्दा वाजिब हो जाता है -

अगर इतनी आवाज़ से आयत पढ़ी कि सुन सकता था मगर शोर व गुल होने की वजह से न सुनी तो सज्दा वाजिब हो गया और अगर महज़ होंट हिले आदाज़ पैदा न हुई तो वाजिब न हुआ !

सवाल : क्या सज्दा वाजिब होने के लिए पूरी आयत सुनना ज़रूरी है ?

जवाब : सज्दा वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि वह लफ्ज़ जिसमें सज्दे का माद्दा पाया जाता है और उसके साथ क़ब्ल या बा'द का कोई लफ़्ज़ मिला कर पढ़ना काफी है !

सवाल : आयते सज्दा का तर्जमा पढ़ने या सुनने से क्या सज्दए तिलावत वाजिब होगा ?

जवाब : फारसी या किसी और ज़बान में आयत का तर्जमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सज्दा वाजिब हो गया , सुनने वाले ने यह समझा हो या नहीं कि आयते सज्दा का तर्जमा है , अलबत्ता यह ज़रूर है कि उसे न मा'लूम हो तो बता दिया गया हो कि यह आयते सज्दा का तर्जमा है और आयत पढ़ी गई हो तो इसकी ज़रूरत नहीं कि सुनने वाले को आयते सज्दा होना बताया गया हो !

सवाल : चंद अशखास ने एक एक ह़र्फ पढ़ा , सब का मजमूआ़ आयते सज्दा हो

गया , क्या हुक्म है , इसी तरह आयते सज्दा हिज्जे करके पढ़ी , तो क्या हुक्म है ?

जवाब : चन्द शख्सों न एक एक ह़र्फ पढ़ा कि सबका मजमूअ़ा आयते सज्दा हो गया तो किसी पर सजदह वाजिब न हुआ , यूँही आयत के हिज्जे करने या हिज्जे सुनने से भी वाजिब न होगा , यूँही परिन्दे से आयते सज्दा सुनी या जंगल या पहाड़ वग़ैरा में आवाज़ गूंजी और बिजिन्सिही आयत की आवाज़ कान में आई तो सज्दा वाजिब नहीं !

सवाल : आयते सज्दा लिखने या उसकी तरफ नज़र करने से सज्दए तिलावत होगा या नहीं ?

जवाब : आयते सज्दा लिखने या उसकी तरफ नज़र करने से सज्दा वाजिब नहीं !

सवाल : सज्दए तिलावत के लिए क्या शराईत है ?

जवाब : सज्दए तिलावत के लिए तह़रीमा के सिवा तमाम वह शराईत हैं जो नमाज़ के लिए हैं मसलन तहारत इस्तिक़्बाले क़िब्ला , नियत , वक़्त , सित्रे औ़रत , लिहाज़ा अगर पानी पर क़ादिर है तयम्मुम कर के सज्दा करना जाइज़ नहीं !

सवाल : सज्दए तिलावत किन चीज़ों से फासिद हो जाता है ?

जवाब : जो चीज़े नमाज़ को फासिद करती हैं उनसे सज्दा भी फासिद हो जायेगा मसलन ह़दसे अ़म्द व कलाम व क़ह़क़हा !

सवाल : सज्दए तिलावत का मसनून तरीक़ा क्या है ?

जवाब : सज्दे का मसनून तरीक़ा यह है कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सज्दे में जाये और कम से कम तीन बार سبحان ربی الاعلی कहे , फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाये , पहले पीछे दोनों बार अल्लाहु अकबर

कहना सुन्नत है और खड़े होकर सज्दे में जाना और सज्दे के बा'द खड़ा होना यह दोनों क़ियाम मुस्तहब , सज्दए तिलावत के लिए अल्लाहु अकबर कहते वक़्त न हाथ उठाना है और न उसमे तशहहुद है न सलाम !

सवाल : आयते सज्दा बैरूने नमाज़ पढ़ी तो क्या सज्दए तिलावत फौरन करना वाजिब है ?
जवाब : आयते सज्दा बैरूने नमाज़ पढ़ी तो फौरन सज्दा करना वाजिब नहीं , हाँ बेहतर है कि फौरन करले और वुज़ू हो तो ताखीर मकरूहे तन्ज़ीही !

सवाल : एक मजलिस में एक आयते सज्दा बार बार सुनी , कितने सज्दे वाजिब होंगे ?
जवाब : एक मजलिस में सज्दे की एक आयत को बार-बार पढ़ा या सुना तो एक ही सज्दा वाजिब होगा अगर्चे चन्द शख्सों से सुना हो , यूँही अगर आयत पढ़ी और वही आयत दूसरे से सुनी , जब भी एक ही सज्दा वाजिब होगा -
एक मजलिस में सज्दे की चंद आयते पढ़ी तो उतने ही सज्दे करें एक काफी नहीं !

सवाल : पूरी सूरत पढ़ना और आयते सज्दा छोड़ देना कैसा है ?
जवाब : पूरी सूरत पढ़ना और आयते सज्दा छोड़ देना मकरूहे तहरीमी है और सिर्फ आयते सज्दा के पढ़ने में कराहत नहीं , मगर बेहतर ये है कि दो एक आयत पहली या बा'द की मिला लें !

सवाल : तमाम आयाते सज्दा एक मजलिस में पढ़ने की क्या फज़ीलत है ?
जवाब : जिस मक़सद के लिए एक मजलिस में सज्दे की सब आयते पढ़कर सज्दे करें अल्लाह عزوجل उसका मक़सद पूरा फरमा देगा , ख्वाह एक एक आयत पढ़कर उसका सज्दा करता जाए या सब को पढ़कर आखिर में चौदह सज्दे कर लें !

मुसाफिर की नमाज़

सवाल : शरअ़न मुसफिर किसे कहते है ?

जवाब : शरअ़न मुसाफिर वह शख्स है जो तीन दिन की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हुआ -

खुश्की में मील के ह़िसाब से इसकी मिक़्दार साढ़े सत्तावन मील है , जो कि किलोमीटर के ह़िसाब से 92 किलोमीटर है

सवाल : किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं , एक से मसाफते सफर है जबकि दूसरे से नहीं , उस जगह जाने से मुसाफिर होगा या नहीं ?

जवाब : किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं एक से मसाफते सफर है दूसरे से नहीं तो जिस रास्ते से यह जायेगा उस का ऐ'तिबार है , नज़्दीक वाले रास्ते से गया तो मुसाफिर नहीं और दूर वाले से गया तो है अगर्चे उस रास्ते कि इख्तियार करने में उसकी कोई सह़ीह़ गरज़ न हो !

सवाल : जिसने मसाफते सफर पर जाने का इरादा किया , क्या वो नियत करने ही से मुसाफिर हो जाएगा ?

जवाब : मह़ज़ सफर की नियत कर लेने से मुसाफिर न होगा बल्कि मुसाफिर का हुक्म उस वक़्त से है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाये शहर में है तो शहर से गाँव में हैं तो गाँव से , और शहर वाले के लिए यह भी ज़रूरी है कि शहर के आस-पास जो आबादी शहर से मुत्तसिल है उससे भी बाहर हो जाये , फिनाए शहर से जो गाँव मुत्तसिल हैं शहर वाले के लिए उस गाँव से बाहर हो जाना ज़रूरी नहीं !

सवाल : मुसाफिर पर नमाज़ के बारे में क्या अह़काम है ?

जवाब : मुसाफिर पर वाजिब है कि नमाज़ में क़स्र करे या'नी चार रकअ़त वाले फर्ज़ को दो पढ़े , उसके ह़क़ में दो ही रकअ़तें पूरी नमाज़ हैं और क़स्दन चार पढ़ी और दो पर क़ा'दह किया तो फर्ज़ अदा हो गये और पिछली दो रकअ़तें नफ़्ल हुई मगर गुनाहगार व मुस्तह़िक़्के नार हुआ कि वाजिब छोड़ा लिहाज़ा तौबा करे और दो रकअ़त पर क़ा'दह न किया तो फर्ज़ अदा न हुए और वह नमाज़ नफ्ल हो गई !

सवाल : क्या सुन्नतो में भी क़स्र है ?

जवाब : सुन्नतों में क़स्र नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जायेगी अलबत्ता खौफ और रवा-रवी की ह़ालत में माफ हैं और अमन की ह़ालत में पढ़ी जायें !

सवाल : मुसाफिर कब तक मुसाफिर रहता है ?

जवाब : मुसाफिर उस वक़्त तक मुसाफिर है जब तक अपनी बस्ती में पहुँच न जाये या आबादी में पूरे पन्द्रह दिन ठहरने की नियत न करे !

सवाल : मुसाफिर ने दो जगह पंद्रह दिन ठहरने की नियत की , क्या मुक़ीम हो जायेगा ?

जवाब : दो जगह पन्द्रह दिन ठहरने की नियत की और दोनों मुस्तक़िल हों जैसे मक्का व मिना तो मुक़ीम न हुआ और एक दूसरे की ताबेअ़ हों जैसे शहर और उसकी फिना तो मुक़ीम हो गया !

सवाल : एक शख्स ने पंद्रह दिन ठहरने की नियत की , मगर ह़ालत बताती है कि पंद्रह दिन न ठहरेगा तो क्या हुक्म है ?

जवाब : जिसने इक़ामत की नियत की मगर उसकी ह़ालत बताती है कि पन्द्रह दिन न ठहरेगा तो नियत सही नहीं , मसलन ह़ज करने गया और शुरुअ़ ज़िलह़िज्जा में पन्द्रह दिन मक्का मुअ़ज़्ज़मा में ठहरने का इरादा किया तो यह

नियत बेकार है कि जब ह़ज का इरादा है तो अ़रफात व मिना को ज़रूर जायेगा फिर इतने दिनों में मक्का मुअ़ज़्ज़मा में क्यों कर ठहर सकता है और मिना से वापस हो कर नियत करे तो सह़ीह़ है !

सवाल : पंद्रह दिन यकमुश्त न की , ज़हन है कि काम दो चार दिन में हो जायेगा मगर न हुआ , करते करते पंद्रह से ज़्यादा दिन गुज़र गए तो क्या हुक्म है ?
जवाब : मुसाफिर किसी काम के लिए या साथियों के इन्तिज़ार में दो-चार रोज़ या तेरह-चौदह दिन की नियत से ठहरा या यह इरादा है कि काम हो जायेगा तो चला जायेगा और दोनों सूरतों में अगर आजकल आजकल करते बरसों गुज़र जायें जब भी मुसाफिर ही है , नमाज़ क़स्र पढ़े !

सवाल : क्या मुक़ीम मुसाफिर की इक़्तिदा कर सकता है ?
जवाब : अदा व क़ज़ा दोनों में मुक़ीम मुसाफिर की इक़्तिदा कर सकता है और इमाम के सलाम के बा'द अपनी बाक़ी दो रकअ़तें पढ़ ले और इन रकअ़तों में क़िराअत बिल्कुल न करे बल्कि बक़द्रे फ़ातिह़ा चुप खड़ा रहे !

सवाल : क्या मुसाफिर मुक़ीम की इक़्तिदा कर सकता है ?
जवाब : वक़्त खत्म होने के बा'द मुसाफिर मुक़ीम की इक़्तिदा नहीं कर सकता वक़्त में कर सकता है और इस सूरत में मुसाफिर के फर्ज़ भी चार हो गये यह हुक्म चार रकअ़ती नमाज़ का है और जिन नमाज़ों में क़स्र नहीं उनमें वक़्त व बा'दे वक़्त दोनों सूरतों में इक़्तिदा कर सकता है वक़्त में इक़्तिदा की थी नमाज़ पूरी करने से पहले वक़्त खत्म हो गया जब भी इक़्तिदा सही है !

सवाल : वतन की कितनी क़िस्मे है ?
जवाब : वतन दो क़िस्म के हैं (1) वतने असली (2) वतने इक़ामत

वतने असली : वह जगह है जहां उसकी पैदाइश है या उसके घर के लोग वहां रहते हैं या वहां सुकूनत कर ली और यह इरादा है कि यहाँ से न जायेगा -
वतने इक़ामत : वह जगह है कि मुसाफिर ने पन्द्रह दिन या इससे ज़्यादा ठहरने का वहां इरादा किया हो !

सवाल : वतने इक़ामत कब बातिल होता है ?
जवाब : वतने इक़ामत दूसरे वतने इक़ामत को बातिल कर देता है या'नी एक जगह पन्द्रह दिन के इरादे से ठहरा फिर दूसरी जगह इतने ही दिन के इरादे से ठहरा तो पहली जगह अब वतन न रही दोनों के दरमियान मसाफ़ते सफर हो या न हो यूँही वतने इक़ामत , वतने असली व सफर से बातिल हो जाता है

सवाल : औ़रत बियाह कर ससुराल गई , अब उसका वतने असली कौनसा है ?
जवाब : औ़रत बियाह कर ससुराल गई और यहीं रहने-सहने लगी तो मयका उसके लिए वतने असली न रहा या'नी अगर ससुराल तीन मन्ज़िल पर है वहां से मयके आई और पन्द्रह दिन ठहरने की नियत न की तो क़स्र पढ़े और अगर मयका रहना नहीं छोड़ा बल्कि ससुराल आ़रिज़ी तौर पर गई तो मयका आते ही सफर खत्म हो गया नमाज़ पूरी पढ़े !

नमाज़े जुमुआ़ का बयान

सवाल : जुमुआ़ का हुक्मे शर-ई क्या है ?

जवाब : जुमुआ़ फर्ज़ है और इसकी फ़र्ज़ीयत ज़ुहर से ज़्यादा मु-अक्कद है और इसका मुन्किर काफिर है !

सवाल : जुमुआ़ पढ़ने के लिए कितनी शराईत है ?

जवाब : जुमुआ़ पढ़ने के लिए छे शर्ते हैं कि उनमें से एक शर्त भी मफ्क़ूद हो तो होगा ही नहीं :

(1) शहर या फिनाए शहर : शहर वह जगह है जिसमें मुतअद्दिद कूँचे और बाज़ार हों और वह ज़िला या परगना हो उसके मुतअ़ल्लिक़ देहात गिने जाते हों और वहां कोई ह़ाकिम हो कि मज़लूम का इन्साफ ज़ालिम से ले सके या'नी इन्साफ पर क़ुदरत काफी है , अगर्चे ना-इन्साफी करता हो और बदला न लेता हो , और शहर के आस पास की जगह जो शहर की मसलि-ह़तों के लिए हो उसे ' फिनाए मिस्र ' कहते हैं जैसे क़ब्रिस्तान , घुड़ दौड़ का मैदान फौज के रहने की जगह , कचहरियाँ , स्टेशन कि यह चीज़े शहर से बाहर हों तो फिनाए शहर में इनका शुमार है और वहां जुमुआ़ जाइज़ -

(2) सुल्ताने इस्लाम या उसका नाइब जिसे जुमुआ़ क़ाइम करने का हुक्म दिया , और जहां इस्लामी सल्तनत न हो वहां जो सब से बड़ा फक़ीह सुन्नी सह़ीह़ुल अ़क़ीदा हो , अह़कामे शरइय्या जारी करने में सुल्ताने इस्लाम का क़ाइम मक़ाम है , लिहाज़ा वही जुमुआ़ काइम करे बग़ैर उसकी इजाज़त के नहीं हो सकता और ये भी न हो तो आम लोग जिस को इमाम बनाएं , आ़लिम के होते हुए अ़वाम बतौरे खुद किसी को इमाम नहीं बना सकते न ये हो सकता है के दो चार शख्स किसी को इमाम मुक़र्रर कर लें ऐसा जुमुआ़ कहीं से साबित नहीं -

(3) वक़्ते ज़ुहर या'नी वक़्ते ज़ुहर में नमाज़ पूरी हो जाये तो अगर इस्नाए नमाज़ में अगर्चे तशह्हुद के बा'द अ़स्र का वक़्त आ गया जुमुआ़ बातिल हो गया ज़ुहर की क़ज़ा पढ़ें -

(4) खुतबा : खुतबए जुमुआ़ में शर्त यह है कि वक़्त में हो और नमाज़ से पहले और ऐसी जमाअ़त के सामने हो जो जुमे के लिए शर्त है या'नी कम से कम खतीब के सिवा तीन मर्द हो और इतनी आवाज़ से हो कि पास वाले सुन सकें -

(5) जमाअ़त :- या'नी इमाम के अ़लावा कम से कम तीन मर्द -

(6) इज़्ने आम : या'नी मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाये कि जिस मुसलमान का जी चाहे आये किसी की रोक टोक न हो !

सवाल : खुतबा किसे कहते है ?
जवाब : खुतबा ज़िक्रे इलाही का नाम है अगर्चे सिर्फ एक बार الحمد لله या سبحان الله या لا الہ الا الله कहा इसी क़द्र से फ़र्ज़ अदा हो गया मगर इतने ही पर इक्तिफा करना मकरूह है !

सवाल : खुतबे में कितनी चीज़ें सुन्नत हैं ?
जवाब : खुतबे में यह चीज़ें सुन्नत हैं : (1) खतीब का पाक होना (2) खड़ा होना (3) खुतबे से पहले खतीब का बैठना (4) खतीब का मिम्बर पर होना (5) सामेईन की तरफ मुँह (6) क़िब्ले को पीठ करना और बेहतर यह है कि मिम्बर मेह़राब की बायें जानिब हो (7) हाज़िरीन का इमाम की तरफ मुतवज्जेह होना (8) खुतबे से पहले ' اعوذ بالله ' आहिस्ता पढ़ना (9) इतनी बुलन्द आवाज़ से खुतबा पढ़ना कि लोग सुनें (9) अलह़म्द से शुरूअ़ करना (10) अल्लाह तआ़ला की सना करना (11) अल्लाह तआ़ला की वह़दानियत और रसूलुल्लाह صلی الله علیہ وسلم की रिसालत की शहादत देना (12) हुज़ूर صلی الله علیہ وسلم पर दुरूद भेजना (13) कम से कम एक

आयत की तिलावत करना (14) पहले खुतबे में वअज़ व नसीहत होना (15) दूसरे में ह़म्द व सना द शहादत व दुरूद का अदा करना (17) दूसरे में मुसलमानों के लिए दुआ़ करना (18) दोनों खुतबे हल्के होना (19) दोनों के दरमियान बक़द्रे तीन आयत पढ़ने के बैठना (20) मर्द अगर इमाम के सामने हो तो इमाम की तरफ मुँह करे और दाहिने बाएं हो तो इमाम की तरफ मुड़ जाएं (21) इमाम से क़रीब होना अफ़ज़ल है मगर यह जाइज़ नहीं कि इमाम से क़रीब होने के लिए लोगों की गर्दनें फलाँगे , अलबत्ता इमाम अभी खुतबे को नहीं गया है और आगे जगह बाक़ी है तो आगे जा सकता है और खुतबा शुरूअ़ होने के बा'द मस्जिद में आया तो मस्जिद के किनारे ही बैठ जाये (22) खुतबा सुनने की ह़ालत में दो जानू बैठे जैसे नमाज़ में बैठते हैं !

सवाल : खुतबे में मुस्तह़ब क्या है ?
जवाब : मुस्तह़ब ये है के दूसरे खुतबे में आवाज़ बनिस्बत पहले के पस्त हो और खु-लफाए राशिदीन व अ़म्मैन मुकर्रमैन हज़रते ह़म्ज़ा व अ़ब्बास का ज़िक्र हो !

सवाल : ग़ैरे अ़रबी में खुतबा देना कैसा है ?
जवाब : ग़ैरे अ़रबी में खुतबा पढ़ना या अ़रबी के साथ दूसरी ज़बान खुतबे में मिलाना खिलाफे सुन्नते मुतवारिसा है , यूँही खुतबे में अशआ़र पढ़ना भी न चाहिए अगर्चे अ़रबी ही के हो , हाँ दो एक शै'र पंद व नसाएह़ के अगर कभी पढ़ ले तो ह़रज नहीं !

सवाल : जुमुआ़ वाजिब (लाज़िम) होने की कितनी शर्ते है ?
जवाब : जुमुआ़ वाजिब होने के लिये ग्यारह शर्ते है , इन में से एक भी न पाई जाये तो फ़र्ज़ नहीं फिर भी अगर पढ़ेगा तो हो जायेगा :
(1) शहर में मुक़ीम होना (2) सेह़त या'नी मरीज़ पर जुमुआ़ फ़र्ज़ नहीं मरीज़ से

मुराद वह है कि मस्जिदे जुमुअ़ा तक न जा सकता हो या चला तो जायेगा मगर मरज़ बढ़ जायेगा या देर में अच्छा होगा (3) आज़ाद होना - गुलाम पर जुमुअ़ा फ़र्ज़ नहीं और उसका आक़ा मनअ़ कर सकता है (4) मर्द होना (5) बालिग़ होना (6) आकिल होना (7) अंखियारा होना (8) चलने पर क़ादिर होना (9) क़ैद में न होना (10) बादशाह या चोर वग़ैरा किसी ज़ालिम का खौफ न होना मुफलिस क़र्ज़दार को अगर क़ैद का अंदेशा हो तो उस पर फर्ज़ नहीं (11) मेंह या आँधी या ओले या सर्दी का न होना या'नी इस क़द्र कि इन से नुक़्सान का खौफे सह़ीह़ हो !

सवाल : जिन पर जुमुअ़ा फ़र्ज़ नहीं , उनका शहर में ज़ुहर बा जमाअ़त पढ़ना कैसा है ?

जवाब : मरीज़ या मुसाफिर या कैदी या कोई और जिस पर जुमुअ़ा फ़र्ज़ नहीं उन लोगों को भी जुमे के दिन शहर में जमाअ़त के साथ ज़ुहर पढ़ना मकरूहे तह़रीमी है ख्वाह जुमा होने से पहले जमाअ़त करें या बा'द में , यूहीं जिन्हें जुमुअ़ा न मिला वह भी बग़ैर अज़ान व इक़ामत ज़ुहर की नमाज़ तन्हा-तन्हा पढ़ें जमाअ़त इनके लिए भी ममनूअ़ है !

सवाल : जिस गाँव में जुमुअ़ा नही होता , उसमे लोग ज़ुहर बा जमाअ़त पढ़े या बग़ैर जमाअ़त के ?

जवाब : गाँव में जुमुअ़ा के दिन भी ज़ुहर की नमाज़ अज़ान व इक़ामत के साथ बा-जमाअ़त पढ़ें !

सवाल : नमाज़े जुमुअ़ा के मुस्तह़ब्बात क्या है ?

जवाब : नमाज़े जुमुअ़ा के लिए पेशतर से जाना और मिस्वाक करना और अच्छे और सफेद कपढ़े पहनना और तेल और खुश्बू लगाना और पहली सफ में बैठना मुस्तह़ब है और ग़ुस्ल सुन्नत -

हजामत बनवाना और नाखून तारशवाना जुमुआ़ के बा'द अफ्ज़ल है !

सवाल : खुतबे में क्या चीज़ ह़राम है ?

जवाब : जो चीज़े नमाज़ में ह़राम हैं मसलन खाना-पीना , सलाम व जवाबे सलाम वग़ैरा सब खुतबे की ह़ालत में ह़राम हैं यहाँ तक कि अम्र बिल मअ़रूफ भी , हाँ खतीब अम्र बिल मअ़रूफ कर सकता है , जब खुतबा पढ़े तो तमाम ह़ाज़िरीन पर सुनना और चुप रहना फर्ज़ है , जो लोग इमाम से दूर हों कि खुतबे की आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती उन्हें भी चुप रहना वाजिब है , अगर किसी को बुरी बात करते देखें तो हाथ या सर के इशारे से मनअ़ कर सकते हैं ज़बान से नाजाइज़ है !

सवाल : जुमुआ़ के लिए सई कब वाजिब होती है ?

जवाब : पहली अज़ान होते ही सई वाजिब है और बेअ़ वग़ैरा उन चीज़ों का जो सई के मुनाफी हों का छोड़ देना वाजिब यहाँ तक कि रास्ता चलते हुए अगर खरीद व फरोख्त की तो यह भी नाजाइज़ और मस्जिद में खरीद व फरोख्त तो सख्त गुनाह है और खाना खा रहा था कि अज़ाने जुमुआ़ की आवाज़ आई अगर यह अंदेशा हो कि खायेगा तो जुमुआ़ फौत हो जायेगा तो खाना छोड़ दे और जुमुआ़ को जाये , जुमुआ़ के लिए इत्मीनान व क़रार के साथ जाये !

नमाज़े ईद का बयान

सवाल : ईदैन की नमाज़ का क्या हुक्म है ?
जवाब : ईदैन की नमाज़ वाजिब है मगर सब पर नहीं बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमुआ़ वाजिब है !

सवाल : ईदैन की अदा की क्या शराईत है ?
जवाब : ईदैन की अदा की वही शर्ते हैं जो जुमुआ़ के लिए हैं सिर्फ इतना फर्क़ है , कि जुमुआ़ में खुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत , अगर जुमुआ़ में खुतबा न पढ़ा तो जुमुआ़ न हुआ और इसमें न पढ़ा तो नमाज़ हो गई मगर बुरा किया , दूसरा फर्क़ यह है कि जुमुआ़ का खुतबा नमाज़ से पहले है और ईदैन का बा'दे नमाज़ अगर पहले पढ़ लिया तो बुरा किया , मगर नमाज़ हो गई लौटाई नहीं जायेगी और खुतबे कोई भी इआ़दा नहीं और ईदैन में न अज़ान है न इक़ामत , सिर्फ दो बार इतना कहने की इजाज़त है 'الصلاۃ جامعہ'

सवाल : रोज़ ईद के मुस्तहब्बत क्या है ?
जवाब : ईद के दिन यह उमूर मुस्तहब हैं : (1) हजामत बनवाना (2) नाखून तरशवाना (3) गुस्ल करना (4) मिस्वाक करना (5) अच्छे कपढ़े पहनना , नया हो तो नया वरना धुला हुआ (6) खुश्बू लगाना (7) सुबह की नमाज़ मस्जिदे मोहल्ला में पढ़ना (8) ईदगाह जल्द चला जाना (9) नमाज़ से पहले सदक़ए फित्र अदा करना (10) ईदगाह को पैदल जाना (11) दूसरे रास्ते से वापस आना (12) नमाज़ को जाने से पहले चन्द खजूरें खा लेना तीन , पाँच , सात या कम व बेश मगर ताक़ हों , खजूरे न हों तो कोई मीठी चीज़ खा ले , नमाज़ से पहले कुछ न खाए तो गुनहगार न हुआ मगर इशा तक न खाया तो इताब किया जायेगा (13) खुशी

ज़ाहिर करना (14) कसरत से सदक़ा देना (15) ईदगाह को इत्मीनान व वक़ार और नीची निगाह किये जाना (16) आपस में मुबारक बाद देना मुस्तहब है और रास्ते में बुलन्द आवाज़ से तक्बीर न कहे -

ईदुल अज़्हा तमाम अहकाम में ईदुल फित्र की तरह है सिर्फ बा'ज़ बातो मे फर्क़ है , उसमे मुस्तहब ये है कि नमाज़ से पहले कुछ न खाए अगर्चे क़ुर्बानी न करें और रास्ते में बुलंद आवाज़ से तक्बीर कहता है क़ुर्बानी करनी हो तो मुस्तहब ये है के पहली से दसवीं जिल हिज्जा तक न हिजामत बनवाए न नाखून तराशवाये !

सवाल : नमाज़े ईद का तरीक़ा क्या है ?

जवाब : नमाज़े ईद का तरीक़ा यह है कि दो रकअ़त वाजिब ईदुल फित्र या ईद अज़हा की नियत करके कानों तक हाथ उठाये और अल्लाहु अकबर कह कर हाथ बाँध ले फिर सना पढ़े फिर कानों तक हाथ उठाये और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे फिर हाथ उठाये और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दे फिर हाथ उठाये और अल्लाह हुअकबर कह कर हाथ बाँध ले या'नी पहली तक्बीर में हाथ बाँधे उसके बा'द दो तकबीरों में हाथ लटकाये फिर चौथी तक्बीर में बाँध ले , इसको यूँ याद रखें कि जहां तक्बीर के बा'द कुछ पढ़ना है वहां हाथ बाँध लिये जायें और जहां पढ़ना नहीं वहां हाथ छोड़ दिये जायें फिर इमाम اعوذ بالله और بسم الله आहिस्ता पढ़कर जहर के साथ अलहम्द और सूरत पढ़े फिर रूकूअ़ करे और दुसरी रकअ़त में पहले अलहम्द और सूरत पढ़े फिर तीन बार कान तक हाथ ले जाकर अल्लाहु अकबर कहे और हाथ न बाँधे और चौथी बार बग़ैर हाथ उठाये अल्लाहु अकबर कहता हुआ रूकूअ़ में जाये इस से मा'लूम हो गया कि ईदैन में ज़ाइद तकबीरें छे हुई तीन पहली में क़िराअत से पहले और तकबीरे तहरीमा के बा'द और तीन दूसरी में क़िराअत के बा'द और तकबीरे रुकूअ़ से पहले और इन छेओ तकबीरों में हाथ उठाये जायेंगे और हर दो तकबीरों के दरमियान तीन तस्बीह

की क़द्र सकता करें और ईदैन में मुस्तहब यह है कि पहली में ' सूरए जुमुआ ' दूसरी में 'सूरए मुनाफिक़ून' पढ़े या पहली में 'سبح اسم' और दूसरी में هل اتک !

सवाल : ईद की नमाज़ के बा'द मुआनक़ा और मुसाफहा करना कैसा है ?

जवाब : ईद की नमाज़ के बा'द मुसाफहा व मुआनक़ा या'नी गले मिलना जैसा उमूमन मुसलमानों में रिवाज है बेहतर है कि इसमें इज़हारे मसर्रत है !

सवाल : तकबीराते तशरीक़ क्या है , और इनका हुक्म क्या है ?

जवाब : नवीं ज़िलहिज्जा की फज्र से तेरहवीं की अस्र तक हर नमाज़े फ़र्ज़ पंजगाना के बा'द जो जमाअत मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई एक बार तक्बीर बुलन्द आवाज़ से कहना वाजिब है और तीन बार अफ्ज़ल इसे तकबीरे तशरीक़ कहते हैं वह यह है : 'الله اکبر الله اکبر لا الہ الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد'

किताबुल जनाइज़

मय्यित का बयान

सवाल : जान कनी की अ़लामात क्या है ?

जवाब : पांव का सुस्त हो जाना कि खड़ा न हो सके , नाक का टेढ़ा हो जाना , दोनों कन्पटियों का बैठ जाना , मुँह की खाल का सख्त हो जाना वग़ैरा वग़ैरा !

सवाल : जाँकनी के वक़्त क्या करना चाहिए ?

जवाब : जब मौत का वक़्त क़रीब आये और अ़लामतें पाई जाये तो सुन्नत यह है कि दहनी करवट पर लिटा कर क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर दें और यह भी जाइज़ है कि चित लिटायें और क़िब्ले को पाँव करें कि यूँ भी क़िब्ले को मुँह हो जायेगा मगर इस सूरत में सर को कुछ ऊँचा रखें और क़िब्ले को मुँह करना दुश्वार हो कि उस वक़्त कि तक्लीफ होती हो तो जिस ह़ालत पर है छोड़ दें -

और जब तक रूह़ गले को न आई उसे तल्क़ीन करें या'नी उसके पास बलन्द आवाज़ से पढ़ें मगर उसे इसके कहने का हुक्म न करें -

जब उसने कलिमा पढ़ लिया तो तल्क़ीन मौक़ूफ कर दें , हाँ अगर कलिमा पढ़ने के बा'द उसने कोई बात की तो फिर तल्क़ीन करें कि उसका आखिर कलाम لا إله إلا الله محمد رسول الله हो , तल्क़ीन करने वाला कोई नेक शख्स हो , ऐसा न हो जिसको उसके मरने की खुशी हो और उसके आस पास उस वक़्त नेक और परहेज़गार लोगों का होना बहुत अच्छी बात है और उस वक़्त वहां सूरए यासीन शरीफ की तिलावत और खुश्बू होना मुस्तह़ब है , मसलन लोबान या अगरबत्तियाँ सुलगा दें -

और कोशिश करें कि मकान में कोई तस्वीर या कुत्ता न हो , अगर यह चीज़े हो तो फौरन निकाल दी जायें कि जहां यह होती हैं रह़मत के फरिश्ते नहीं आते , उसकी नज़अ़ के वक़्त अपने और उसके लिए दुआ़ए खैर करते रहें , कोई बुरा कलिमा ज़बान से न निकालें कि उस वक़्त जो कुछ कहा जाता है मलाइका उस पर आमीन कहते हैं , नज़अ़ में सख्ती देखें तो सूरए यासीन व सूरए रअ़द पढ़ें

सवाल : जब रूह़ निकल जाए , तो क्या करना चाहिए ?

जवाब : जब रूह़ निकल जाये तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से सर पर ले जाकर गिरह दे दें कि मुँह खुला न रहे और आँखें बंद कर दी जायें और उंगलियाँ और हाथ पाँव सीधे कर दिये जायें यह काम उसके घर वालों में जो ज़्यादा नर्मी के साथ कर सकता हो बाप या बेटा वह करे -

आँखे बंद करते वक़्त यह दुआ़ पढ़े :

بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره و سهل عليه ما بعده و أسعده بلقائك و اجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه

तर्जमा : अल्लाह عزوجل के नाम के साथ और रसूलुल्लाह की मिल्लत पर , ऐ अल्लाह عزوجل तू इसके काम को इस पर आसान कर और इसके मा बा'द को इस पर सहल कर और अपनी मुलाक़ात से तू इसे नेक-बख्त कर और जिसकी तरफ निकला (आखिरत) उसे उससे बेहतर कर , जिससे निकला (दुनिया) -

फिर जिन कपड़ों में वह मरा है , वो उतार लें और उसके सारे बदन को किसी कपढ़े से छुपा दें और उसको चारपाई या तख्त वग़ैरा किसी ऊँची चीज़ पर रखें कि ज़मीन की सील न पहुँचे -

उसके पेट पर लोहा या गीली मिट्टी या और कोई भारी चीज़ रख दें कि पेट फूल न जाये , मगर ज़रूरत से ज़्यादा वज़नी न हो कि बा-ईसे तक्लीफ हो -

उसके ज़िम्मे क़र्ज़ या जिस क़िस्म के दैन हों जल्द से जल्द अदा कर दें , कि ह़दीस में है मय्यित अपने दैन में मुक़य्यद है , गुस्ल व कफन व दफ्न में जल्दी

चाहिए कि ह़दीस में इसकी बहुत ताकीद आई है -
पड़ोसियों और उसके दोस्त अह़बाब को इत्तिला कर दें कि नमाज़ियों की कसरत होगी और उसके लिए दुआ़ करेंगे !

सवाल : मरते वक़्त उसकी ज़बान से कलिमए कुफ़्र निकल गया तो क्या हुक्म है ?
जवाब : मरते वक़्त معاذ الله उसकी ज़बान से कलिमए कुफ़्र निकला तो कुफ़्र का हुक्म न देंगे कि मुम्किन है मौत की सख़्ती में अक़्ल जाती रही हो और बेहोशी में यह कलिमा निकल गया -
और बहुत मुम्किन है कि उसकी बात पूरी समझ में न आई कि ऐसी शिद्दत की ह़ालत में आदमी पूरी बात साफ तौर पर अदा कर ले दुश्वार होता है !

सवाल : मय्यित के पास तिलावते क़ुरआन जाइज़ है या नहीं ?
जवाब : मय्यित के पास तिलावते क़ुरआन मजीद जाइज़ है जबकि उसका तमाम बदन कपढ़े से छुपा हुआ रहे तस्बीह़ व दीगर अज़कार में मुतलक़न ह़रज नहीं !

सवाल : औ़रत मर गई और बच्चा अंदर ह़रकत कर रहा हो तो क्या करें ?
जवाब : औ़रत मर गई और उसके पेट में बच्चा ह़रकत कर रहा है तो बाई जानिब से पेट चाक करके बच्चा निकाला जाये और अगर औ़रत ज़िन्दा है और उसके पेट में बच्चा मर गया और औ़रत की जान पर बनी हो तो बच्चा काट कर निकाला जाये और बच्चा भी ज़िन्दा हो तो कैसी ही तक्लीफ हो बच्चा काट कर निकालना जाइज़ नहीं !

सवाल : ह़ामिला औ़रत मर गई , किसी ने ख्वाब में देखा कि उसके बच्चा पैदा हुआ है , क्या इस वजह से क़ब्र खोद कर चेक कर सकते है ?

जवाब : ह़ामिला अ़ौरत मर गई और दफ्न कर दी गई किसी ने ख्वाब में देखा कि उसके बच्चा पैदा हुआ तो महज़ इस ख़्वाब की बिना पर क़ब्र खोदना जाइज़ नहीं !

गुस्ले मय्यित

सवाल : मय्यित को गुस्ल देने का क्या हुक्म है ?

जवाब : मय्यित को नहलाना फर्ज़े किफाया है बा'ज़ लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सब से साक़ित हो गया !

सवाल : मय्यित को नहलाने का क्या तरीक़ा है ?

जवाब : मय्यित को नहलाने का तरीक़ा यह है कि जिस चारपाई या तख्त या तख्ते पर नहलाने का इरादा हो उसको तीन या पाँच या सात बार धूनी दें या'नी जिस चीज़ में वह खुश्बू सुलगती हो उसे उतनी बार चारपाई वग़ैरा के गिर्द फिरायें और उस पर मय्यित को लिटा कर नाफ से घुटनों तक किसी कपढ़े से छुपा दें , फिर नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर इस्तिन्जा कराये फिर नमाज़ का सा वुज़ू कराए या'नी मुँह फिर कोहनियों समेत हाथ धोयें फिर सर का मसह़ करें फिर पांव धोयें मगर मय्यित के वुज़ू में गट्टों तक पहले हाथ धोना और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है , हाँ कोई कपड़ा या रूई की फुरैरी भिगोकर दाँतों और मसूढों और होंटों और नथनों पर फेर दें फिर सर और दाढ़ी के बाल हों तो गुलखैरू से धोये यह न हो तो पाक साबुन इस्लामी कारखाने का बना हुआ या बेसन या किसी और चीज़ से वरना ख़ाली पानी भी काफी है , फिर बायीं करवट पर लिटा कर सर से पाँव तक बेरी का पानी बहायें कि तख्ता तक पहुँच जाये फिर दाहिनी करवट पर लिटा कर यूँही करें और बेरी के पत्ते का जोश दिया हुआ पानी न हो तो खालिस पानी नीम-गर्म ही काफी है फिर टेक लगा कर बैठायें और नर्मी के साथ नीचे को पेट पर हाथ फेरें अगर कुछ निकले धो डालें , वुज़ू व गुस्ल क इआदा न करें फिर आखिर में सर से पाँव तक काफूर का पानी बहायें फिर उसके बदन को किसी पाक कपढ़े से आहिस्ता पोंछ दें -

एक मरतबा सारे बदन पर पानी बहना फर्ज़ है और तीन मरतबा सुन्नत , जहां गुस्ल दें मुस्तहब यह है कि पर्दा कर लें कि सिवा नहलाने वालों और मददगारों के दूसरा न देखे , नहलाते वक़्त ख्वाह इस तरह लिटायें जैसे क़ब्र में रखते हैं या क़िब्ले की तरफ पाँव कर के या जो आसान हो करें !

सवाल : मय्यित को नहलाने वाला कैसा होना चाहिए ?

जवाब : नहलाने वाला बा तहारत हो जुनुब या हैज़ वाली औ़रत ने गुस्ल दिया तो कराहत है मगर गुस्ल हो जायेगा और बेवुज़ू नहलाया तो कराहत भी नहीं , बेहतर यह है कि नहलाने वाला मय्यित का सबसे क़रीबी रिश्तेदार हो वह नहलाए और अगर नहलाना न जानता हो तो कोई और शख्स नहलाये जो अमानतदार व परहेज़गार हो -

नहलाने वाला मुअ-तमद शख्स हो कि पूरी तरह गुस्ल दे और जो अच्छी बात देखे मसलन चेहरा चमक उठा या मय्यित के बदन से खुश्बू आई तो उसे लोगों के सामने बयान करे और कोई बुरी बात देखी मसलन चेहरे का रंग स्याह हो गया या बदबू आई या सूरत या आ'ज़ा में तग़य्युर आया तो इसे किसी से न कहे , हाँ अगर कोई बदमज़हब मरा और उसका रंग स्याह हो गया और कोई बुरी बात ज़ाहिर हुई तो इसको बयान करना चाहिए कि इससे लोगों को इ़बरत व नसीह़त होगी !

सवाल : कौन किसको गुस्ल दे सकता है ?

जवाब : मर्द को मर्द नहलाये और औ़रत को औ़रत , मय्यित छोटा लड़का है तो उसे औ़रत भी नहला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी , छोटे से यह मुराद है कि ह़द्दे शहवत को न पहुँचे हों , औ़रत शौहर को गुस्ल दे सकती है जब के मौत से पहले या बा'द कोई अम्र ऐसा न वाक़ेअ़ हुआ हो जिससे उसके निकाह़ से निकल जाए -

औ़रत मर जाएं तो शौहर न उसे नहला सकता है न छू सकता है और देखने की मुमानअ़त नहीं !

सवाल : मय्यित की दाढ़ी या सर के बाल में कंघा करना या बाल और नाखुन तराशना कैसा है ?

जवाब : मय्यित की दाढ़ी या सर के बाल में कंघा करना या नाखुन तराशना या किसी जगह के बाल मूंडना या कतरना या उखाड़ना नाजाइज़ व मकरूहे तह़रीमी है बल्कि हुक्म यह है कि जिस ह़ालत पर है उसी ह़ालत पर दफ्न कर दें , हाँ अगर नाखुन टूटा हो तो ले सकते हैं और अगर नाखुन या बाल तराश लिये तो कफ़न में रख दें !

कफने मय्यित

सवाल : मय्यित को कफन देने का क्या हुक्म है ?

जवाब : मय्यित को कफन देना फर्ज़े किफाया है !

सवाल : मर्द के लिए सुन्नत कफन क्या है ?

जवाब : मर्द के लिए सुन्नत तीन कपढ़े हैं (1) इज़ार (2) लिफाफा (3) क़मीस

सवाल : अ़ौरत के लिए सुन्नत कफन क्या है ?

जवाब : अ़ौरत के लिए सुन्नत कपढ़े पाँच हैं (1) इज़ार (2) लिफाफा (3) क़मीस (4) ओढ़नी (5) सीना बन्द

सवाल : लिफाफा , इज़ार , क़मीस , औढ़नी , और सीना बंद की मिक़्दार कितनी होनी चाहिए ?

जवाब : लिफ़ाफा या'नी चादर की मिक़्दार यह है कि मय्यित के क़द से इस क़द्र ज़्यादा हो कि दोनों तरफ बाँध सकें और इज़ार या'नी तहबन्द चोटी से क़दम तक या'नी लिफाफा से इतनी छोटी जो बन्दिश के लिए ज़्यादा था और क़मीस जिसको कफनी कहते हैं गर्दन से घुटनों के नीचे तक और यह आगे और पीछे दोनों तरफ बराबर हो , चाक और आस्तीने उसमें न हों , मर्द और अ़ौरत की कफनी में फर्क़ है , मर्द की कफनी मोंढे पर चीरें और अ़ौरत के लिए सीने की तरफ , ओढ़नी तीन हाथ की होनी चाहिए या'नी डेढ़ गज़ , सीना बन्द पिस्तान से नाफ तक और बेहतर यह है कि रान तक हो !

सवाल : कफन पहनाने का क्या तरीक़ा है ?

जवाब : कफन पहनाने का तरीक़ा यह है मय्यित को ग़ुस्ल देने के बा'द बदन किसी कपढ़े से आहिस्ता पोंछ लें कि कफन तर न हो और कफन को एक या तीन

या पाँच या सात बार धूनी दे लें इससे ज़्यादा नहीं , फिर कफन यूँ बिछायें कि बड़ी चादर फिर तहबंद फिर कफनी फिर मय्यित को उस पर लिटायें और कफनी पहनायें और दाढ़ी और तमाम बदन पर खुश्बू मलें और मवाज़-ए सुजूद या'नी माथे , नाक , हाथ , घुटने , क़दम पर काफूर लगायें फिर इज़ार या'नी तहबंद लपेटें पहले बाईं जानिब से फिर दहनी तरफ से फिर लिफाफा लपेटें पहले बाईं तरफ से फिर दहनी तरफ से ताकि दहना ऊपर रहे और सर और पाँव की तरफ बाँध दें कि उड़ने का अंदेशा न रहे , औ़रत को कफनी पहनाकर उसके बाल दो हिस्से कर के कफनी के ऊपर सीने पर डाल दें और ओढ़नी आधी पुश्त के नीचे से बिछाकर सर पर लाकर मुँह पर मिस्ले निक़ाब डाल दें कि सीने पर रहे कि उस का तूल निस्फ पुश्त से सीने तक है और अ़र्ज़ कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक है और यह जो लोग किया करते हैं कि ज़िन्दगी की तरह उढ़ाते हैं यह मह़ज़ बेजा व खिलाफे सुन्नत है फिर बदस्तूर इज़ार व लिफाफा लपेटें फिर सबके ऊपर सीनाबंद पिस्तान से रान तक लाकर बाँधे !

जनाज़ा लेकर जाना

सवाल : जनाज़े को क़ब्रिस्तान ले जाने की सुनन व आदाब क्या है ?

जवाब : सुन्नत यह है कि चार शख़्स जनाज़ा उठायें , एक-एक पाया एक-एक शख्स ले और अगर सिर्फ दो शख्सों ने जनाज़ा उठाया , एक सिरहाने और एक पायती तो बिला ज़रूरत मकरूह है और ज़रूरत से हो मसलन जगह तंग है तो ह़रज नहीं , सुन्नत यह है कि यके बा'द दीगरे चारों पायों को कंधा दे और हर बार दस दस क़दम चले और पूरी सुन्नत यह है कि पहले दहने सिरहाने कंधा दे फिर दहनी पायती फिर बायें सिरहाने फिर बाई पायती और दस दस क़दम चले तो कुल चालीस क़दम हुए कि ह़दीस में है " जो चालीस क़दम जनाज़ा ले चले उसके चालीस कबीरा गुनाह मिटा दिये जायेंगे " , नीज़ ह़दीस में है : जो कि जो चारों पायों को कंधा दे अल्लाह तआ़ला उसकी ह़तमी मग़फिरत फरमादेगा , छोटा बच्चा दूध पीता या अभी दूध छोड़ा हो या उससे कुछ बड़ा , उसको अगर एक शख्स हाथ पर उठा कर ले चले तो ह़रज नहीं और यके बा'द दीगरे हाथों हाथ लेते रहें और अगर कोई शख्स सवारी पर हो और इतने छोटे जनाज़े को हाथ पर लिये हो , जब भी ह़रज नहीं और इससे बड़ा मुर्दा हो तो चारपाई पर ले जायें -

जनाज़ा मो'तदिल तेज़ी से ले जायें मगर न इस तरह कि मय्यित को झटका लगे और साथ जाने वालों के लिए अफज़ल यह है कि जनाज़े के पीछे चलें , दहने बायें न चलें और अगर कोई आगे चले तो उसे चाहिये कि इतनी दूर रहे कि साथियों में न शुमार किया जाये और सब के सब आगे हों तो मकरूह है , जनाज़े के साथ पैदल चलना अफज़ल है और सवारी पर हो तो आगे चलना मकरूह और आगे हो तो जनाज़े से दूर हो , औ़रतों को जनाज़े के साथ जाना नाजाइज़ व मनअ़ है और नोह़ा करने वाली साथ में हो तो उसे सख्ती से मनअ़ किया जाये , जनाज़ा ले चलने में सिरहाना आगे होना चाहिए और जनाज़े के साथ आग ले जाने की

मुमानअ़त है -

जनाज़े के साथ चलने वालों में सुकून की ह़ालत होनी चाहिए मौत और अह़वाल व अहवाले क़ब्र कब को पेशे नज़र रखें , दुनिया की बातें न करें , न हसें , हज़रते अ़ब्दुल्लाह इने मसऊद رضی اللہ عنہ ने एक शख्स को जनाज़े के साथ हँसते देखा फरमाया : तू जनाज़े में हँसता है , तुझसे कभी कलाम न करूँगा , और ज़िक्र करना चाहें तो दिल में करें और ज़माने के ह़ालात के ऐ'तिबार से अब उ़ल-मा ने ज़िक्रे जहर की भी इजाज़त दी है !

सवाल : अ़वाम में मशहूर है कि शौहर औ़रत के जनाज़े को कंधा नही दे सकता , इसकी क्या हक़ीक़त है ?

जवाब : अ़वाम में मशहूर है कि शौहर औ़रत के जनाज़े को कंधा नही दे सकता है , न क़ब्र में उतार सकता है न मुँह देख सकता है , ये मह़ज़ ग़लत है सिर्फ नहलाने और उसके बदन को बिला ह़ाइल हाथ लगाने की मुमानअ़त है !

नमाज़े जनाज़ा

सवाल : नमाज़े जनाज़ा का क्या हुक्म है ?

जवाब : नमाज़े जनाज़ा फर्ज़े किफाया है कि एक ने भी पढ़ ली तो सब बरीउज़्ज़िम्मा वरना जिस-जिस को खबर पहुंची थी और न पढ़ी गुनाहगार हुए - इसकी फर्ज़ियत का जो इन्कार करे काफिर है !

सवाल : नमाज़े जनाज़ा की शराईत क्या है ?

जवाब : नमाज़े जनाज़ा में दो तरह की शर्ते हैं , एक नमाज़ी के मुतअल्लिक़ दूसरी मय्यित के मुतअल्लिक़ , नमाज़ी के लिहाज़ से तो वही शर्ते हैं जो मुतलक़ नमाज़ की हैं , मय्यित से तअल्लुक़ रखने वाली चंद शर्तें ये है : (1) मय्यित का मुसलमान होना (2) मय्यित के बदन व कफन का पाक होना (3) जनाज़े का वहां मौजूद होना या'नी कुल या अक्सर या निस्फ मअ सर के मौजूद होना , लिहाज़ा ग़ाइब की नमाज़ नहीं हो सकती (4) जनाज़ा ज़मीन पर रखा होना या हाथ पर हो मगर क़रीब हो , अगर जानवर वग़ैरा पर लदा हो नमाज़ न होगी (5) जनाज़ा नमाज़ी के आगे क़िब्ले को होना , अगर नमाज़ी के पीछे होगा नमाज़ सहीह न होगी (6) मय्यित का वह हिस्सा ए बदन जिस का छुपाना फर्ज़ है , छुपा होना (7) मय्यित इमाम के मुहाज़ी हो !

सवाल : नमाज़े जनाज़ा के रूक्न कितने है ?

जवाब : नमाज़े जनाज़ा के दो रूक्न है : (1) चार बार अल्लाहु अकबर कहना (2) क़ियाम !

सवाल : नमाज़े जनाज़ा में सुन्नतें मुअक्कदा कितनी है ?

जवाब : नमाज़े जनाज़ा में तीन चीज़ें सुन्नतें मुअक्कदा है : (1) अल्लाह عزوجل की हम्द व सना करना (2) नबी صلی اللہ علیہ وسلم पर दुरूद (3) मय्यित के लिए

दुआ !

सवाल : नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा क्या है ?

जवाब : नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का तरीक़ा यह है कि कान तक हाथ उठा कर अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लायें और नाफ के नीचे ह़स्बे दस्तूर बाँध ले या'नी जैसे नमाज़ में बाँधते हैं और सना पढ़े या'नी سبحانك اللهم وبحمدك و تبارك وتعالى جدك و جل ثنائك و لا الہ غيرک اسمك . फिर बग़ैर हाथ उठाये अल्लाहु अकबर कहे और दुरूद शरीफ पढ़े बेहतर वह दुरूद है जो नमाज़ में पढ़ा जाता है और कोई दूसरा पढ़ा जब भी ह़रज नहीं फिर अल्लाहु अकबर कह कर ये दुआ़ पढ़ें : اللهم اغفر لحينا و ميتنا وشاهدنا و غائبنا وصغيرنا و كبيرنا و ذكرنا و انثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان - मय्यित मजनून या नाबालिग़ हो तो तीसरी तक्बीर के बा'द यह दुआ़ पढ़े : اللهم اجعله لنا فرطا و اجعله لنا أجرا و ذخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا और लड़की हो तो شافعۃ और مشفعہ कहे -

चौथी तक्बीर के बा'द बग़ैर कोई दुआ़ पढ़े हाथ खोल कर सलाम फेर दे सलाम में मय्यित और फरिश्तों और हाज़िरीने नमाज़ की नियत करे उसी तरह जैसे और नमाज़ो के सलाम में नियत की जाती है यहाँ इतनी बात ज़्यादा है कि मय्यित की भी नियत करे !

सवाल : किन लोगों की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी जाएगी ?

जवाब : (1) बाग़ी या'नी जो इमामे बरह़क़ पर नाह़क़ खुरूज करे और उसी बग़ावत में मारा जाये (2) डाकू कि डाके में मारा गया न इन को ग़ुस्ल दिया जाये न इनकी नमाज़ पढ़ी जाये मगर जबकि बादशाहे इस्लाम ने इन पर क़ाबू पाया और क़त्ल किया तो नमाज़ व ग़ुस्ल है या वह न पकड़े गये न मारे गये बल्कि वैसे ही मर गये तो भी ग़ुस्ल व नमाज़ है (3) जो लोग नाह़क़ पासदारी से लड़ें बल्कि जो उनका तमाशा देख रहे थे और पत्थर आकर लगा और मर गये तो इनकी भी नमाज़ नहीं , हाँ उनके मुतफर्रिक होने के बा'द , मरे तो नमाज़ है! (4) जिसने

कई शख्स गला घोंट कर डाले (5) शहर में रात को हथियार ले कर लूट मार करें वह भी डाकू हैं इस ह़ालत में मारे जायें तो उनकी भी नमाज़ न पढ़ी जाये (6) जिसने अपनी माँ या बाप को मार डाला उसकी मी नमाज़ नहीं (7) जो किसी का माल छीन रहा था और इस ह़ालत में मारा गया उसकी भी नमाज़ नहीं !

सवाल : क्या खुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी ?

जवाब : जिसने खुदकुशी की ह़ालांकि यह बहुत बड़ा गुनाह है मगर उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जायेगी !

सवाल : नमाज़ जनाज़ा पढ़ने का ह़क़ किसे है ?

जवाब : नमाज़े जनाज़ा में इमामत का ह़क़ बादशाहे इस्लाम को है फिर क़ाज़ी फिर इमामे जुमुअ़ा फिर इमामे मोहल्ला फिर वली को , इमामे मोहल्ला का वली पर तक़द्दुम मुस्तह़ब है और यह भी उस वक़्त कि वली से अफ़ज़ल हो वरना वली बेहतर है !

सवाल : जो वली पर मुक़द्दम न हो , उसने वली की इजाज़त के बग़ैर जनाज़ा पढ़ा दिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : वली के सिवा किसी ऐसे ने नमाज़ पढ़ाई जो वली पर मुक़द्दम न हो और वली ने उसे इजाज़त भी न दी थी तो अगर वली नमाज़ में शरीक न हुआ तो नमाज़ का इअ़ादा वह कर सकता है या'नी नमाज़ लौटा सकता है और अगर मुर्दा दफ्न हो गया है तो क़ब्र पर नमाज़ पढ़ सकता है और अगर वह वली पर मुक़द्दम है जैसे बादशाह , क़ाज़ी व इमामे मोहल्ला कि वली से अफज़ल हों तो अब वली नमाज़ का इअ़ादा नहीं कर सकता और अगर एक वली ने नमाज़ पढ़ा दी तो दूसरे औलिया इअ़ादा नहीं कर सकते और इअ़ादा की हर सूरत में जो शख्स पहली नमाज़ में शरीक न था वली के साथ पढ़ सकता है और जो शख्स शरीक था वह वली के साथ नहीं पढ़ सकता है कि जनाज़े की नमाज़ दो मरतबा जाइज़ नहीं

है सिवा इस सूरत के कि ग़ैरे वली ने बग़ैर इज़्ने वली पढ़ाई !

सवाल : मुसलमान मय्यित को बग़ैर नमाज़े जनाज़ा के दफना दिया तो अब क्या हुक्म है ?

जवाब : मय्यित को बग़ैर नमाज़ पढ़े दफ्न कर दिया और मिट्टी भी दे दी गई तो अब उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें , जब तक फटने का गुमान न हो और मिट्टी न दी गयी हो तो निकालें और नमाज़ पढ़ कर दफ्न करें और क़ब्र पर नमाज़ पढ़ने में दिनों की ता'दाद मुक़र्रर नहीं कि कितने दिन तक पढ़ी जाये कि यह मौसम और ज़मीन और मय्यित के जिस्म व मर्ज़ के इख़्तिलाफ से मुख्तलिफ है , गर्मी में जल्द फटेगा और जाड़े में देर से , तर या शोर ज़मीन में जल्द खुश्क और ग़ैरे शोर में देर से , फरबा जिस्म जल्द और लाग़र देर में !

सवाल : मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना कैसा है ?

जवाब : मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा मुतलक़न मकरूहे तह़रीमी है ख्वाह मय्यित मस्जिद के अन्दर हो या बाहर , सब नमाज़ी मस्जिद में हो या बा'ज़ , कि ह़दीस में नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ने की मुमानअ़त आई है !

सवाल : बच्चा पैदा होते ही पर गया या मुर्दा पैदा हुआ तो , क्या हुक्म है ?

जवाब : ज़िन्दा पैदा हुआ या'नी अक्सर ह़िस्सा बाहर होने के वक़्त ज़िन्दा था फिर मर गया तो उसको गुस्ल व कफन देंगे और उसकी नमाज़ पढ़ेंगे वरना उसे वैसे ही नहलाकर एक कपढ़े में लपेट कर दफ्न कर देंगे इसके लिए गुस्ल व कफन सुन्नत तरीक़े से नहीं और नमाज़ भी उसकी नहीं पढ़ी जायेगी यहाँ तक कि सर जब बाहर हुआ था उस वक़्त चीखता था मगर अक्सर ह़िस्सा निकलने से पैश्तर मर गया तो नमाज़ न पढ़ी जाए अक्सर की मिक़्दार यह है कि सर की जानिब से हो तो सीने तक अक्सर है और पाँव की जानिब से हो तो कमर तक अक्सर है बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ या मुर्दा उसकी खिल्क़त पूरी हो या ना-तमाम बहरहाल उसका नाम रखा जाये और क़ियामत के दिन उसका ह़श्र होगा !

दफ्ने मय्यित

सवाल : मय्यित को दफ्न करने का क्या हुक्म है ?

जवाब : मय्यित को दफ्न करना फर्ज़े किफाया है और यह जाइज़ नहीं कि मय्यित को ज़मीन पर रख दें और चारों तरफ से दीवारें क़ाइम कर के बन्द कर दें !

सवाल : क़ब्र की लंबाई , चौड़ाई और गहराई कितनी होनी चाहिए ?

जवाब : क़ब्र की लम्बाई मय्यित के क़द के बराबर हो और चौड़ाई आधे क़द की और गहराई कम से कम निस्फ क़द की और बेहतर यह है कि गहराई भी क़द बराबर हो और मुतवस्सित दर्जा यह है कि सीने तक हो -
और इससे मुराद ये के लहृद या संदूक़ इतना हो , ये नही के जहां से खोदनी शुरूअ़ की वहा से आखिर तक ये मिक़्दार हों !

सवाल : मय्यित को क़ब्र में किस तरह और कौन हज़रात रखें ?

जवाब : जनाज़ा क़ब्र से क़िब्ले की जानिब रखना मुस्तहृब है कि मुर्दा क़िब्ले की जानिब से क़ब्र में उतारा जाये , यूँ नहीं कि क़ब्र की पाएंती रखें और सर की जानिब से क़ब्र में लायें , औ़रत का जनाज़ा उतारने वाले महृारिम हों , ये न हों तो दूसरे रिश्ते वाले ये भी न हो तो परहेज़गार अजनबी के उतारने में मुज़ायक़ा नही , मय्यित को क़ब्र में रखने के वक़्त यह दुआ़ पढ़े بسم الله و بالله وعلى ملة رسول الله मय्यित को दहनी तरफ करवट पर लिटायें और उस का मुँह क़िब्ले को करें अगर क़िब्ले की तरफ मुँह करना भूल गये तख्ता लगाने के बा'द याद आया तो तख्ता हटाकर क़िब्ला रू करें क़ब्र मे रखने के बा'द कफन की बन्दिश खोल दें कि अब ज़रूरत नहीं और न खोली तो हृरज नहीं , क़ब्र में रखने के बा'द लहृद को कच्ची ईटों से बन्द करें और ज़मीन नर्म हो तो तख्ते लगाना भी जाइज़ है , तख्तों के दरमियान झिरी रह गई तो उसे ढ़ेले वग़ैरा से बन्द कर दें , क़ब्र संदूक़ नुमा हो तो

उसका भी यही हुक्म है , औ़रत का जनाज़ा हो तो क़ब्र में उतारने से तख्ता लगाने तक क़ब्र को कपड़ों वग़ैरा से छुपाये रखें , मर्द की क़ब्र को दफ़न करते वक़्त न छुपायें अलबत्ता अगर मेंह वग़ैरा कोई ऊ़ज़्र हो तो छुपाना जाइज़ है !

सवाल : क़ब्र को मिट्टी देने का तरीक़ा क्या है ?

जवाब : मुस्तह़ब यह है कि सिरहाने की तरफ दोनों हाथों से तीन बार मिट्टी डालें पहली बार कहें منها خلقنكم (इसी से हम ने तुम्हे पैदा किया) दूसरी बार : وفيها نعيدكم (और इसी में तुम को लौटायेंगे) तीसरी बार : ومنها نخرجكم تارة اخرى (और इसी से तुम को दोबारा निकालेंगे) बाक़ी मिट्टी हाथ या खुरपी या फावड़े वग़ैरा जिस चीज़ से मुम्किन हो क़ब्र में डालें और जितनी मिट्टी क़ब्र से निकली उससे ज़्यादा डालना मकरूह है , क़ब्र चौखूटी न बनायें बल्कि उसमें डाल रखें जैसे ऊँट का कोहान और उस पर पानी छिड़कने में ह़रज नहीं बल्कि बेहतर है और क़ब्र एक बालिश्त ऊँची हो या कुछ खफीफ ज़्यादा !

सवाल : क़ब्र पर कितनी देर ठहरना चाहिए , और इस दौरान क्या करना चाहिए ?

जवाब : दफ्न के बा'द क़ब्र के पास इतनी देर तक ठहरना मुस्तह़ब है जितनी देर में ऊँट ज़िबह़ करके गौश्त तक़सीम कर दिया जाये के उनके रहने से मय्यित को उन्स होगा और नकीरैन का जवाब देने में वह़शत न होगी और इतनी देर तक तिलावते क़ुरआन और मय्यित के लिए दुआ़ व इस्तिग़फार करें और यह दुआ़ करें कि सवाले नकीरेन के जवाब में साबित क़दम रहे मुस्तह़ब ये है कि दफ्न के बा'द क़ब्र पर सूरए बक़रह का अव्वल ता आखिर पढ़ें सिरहाने الم से مفلحون तक और पाएंती آمن الرسول से खत्म सूरत तक पढ़ें !

सवाल : क़ब्र पर और क़ब्रिस्तान में कौनसी बातें मनअ़ है ?

जवाब : क़ब्र पर बैठना , सोना , चलना पाखाना-पेशाब करना ह़राम है , क़ब्रिस्तान

में जो नया रास्ता निकाला गया उससे गुज़रना नाजाइज़ है ख्वाह नया होना इसे मा'लूम हो या उसका गुमान हो !

सवाल : क़ब्र पर क़ुरआन पढ़ने के लिए ह़ाफिज़ मुक़र्रर करना कैसा है ?
जवाब : क़ब्र पर क़ुरआन पढ़ने के लिए ह़ाफिज़ मुक़र्रर करना जाइज़ है या'नी जब कि पढ़ने वाले उजरत पर न पढ़ते हों कि उजरत पर क़ुरआन मजीद पढ़ना और पढ़वाना नाजाइज़ है , अगर उजरत पर पढ़वाना चाहे तो अपने काम-काज के लिए नौकर रखे फिर यह काम लें !

सवाल : क़ब्र में शजरा और अ़हद नामा रखना जाइज़ है या नही ?
जवाब : शजरा या अ़हदनामा क़ब्र में रखना जाइज़ है और बेहतर यह है कि मय्यित के मुँह के सामने क़िब्ले की जानिब ताक़ खोद कर उसमें रखें !

सवाल : ज़ियारते क़ुबूर का तरीक़ा क्या है ?
जवाब : ज़ियारते क़ुबूर मुस्तह़ब है हर हफ्ते में एक दिन ज़ियारत करे जुमुआ़ या जुमेरात या हफ्ते या पीर के दिन मुनासिब है , सबमें अफज़ल रोज़े जुमुआ़ वक़्ते सुबह़ है , औलिया किराम के मज़ाराते तय्यिबा पर सफर करके जाना जाइज़ है , वह अपने ज़ाइरीन को नफअ़ पहुँचाते हैं , औ़रतों को ज़ियारते क़ुबूर के लिए जाना मनअ़ है !
सवाल : ज़ियारते क़ुबूर का तरीक़ा क्या है ?
जवाब : ज़ियारते क़ुबूर का तरीक़ा यह है कि पाएंती की जानिब से जाकर मय्यित के मुँह के सामने खड़ा हो , सिरहाने से न आये कि मय्यित के लिए बाइसे तक्लीफ है या'नी मय्यित को गर्दन फेर कर देखना पढ़ेगा कि कौन आता है और यह कहे : السلام عليكم أهلَ دارِ قومٍ مؤمنين انتم لنا سلفٌ واِنا انشاءَ اللّٰهُ بكم لاحقون نسئل الله والعافية لنا ولكم العفو फिर फातिह़ा पढ़े और बैठना चाहे तो इतने फासले से बैठे कि

उसके पास ज़िन्दगी में नज़्दीक या दूर जितने फासले पर बैठ सकता था !

सवाल : मय्यित पर नौहा करना कैसा है ?

जवाब : नौहा या'नी मय्यित के औसाफ मुबालगे के साथ या'नी बयान करके आवाज़ से रोना जिस को बैन कहते है बिल इजमअ़अ़ ह़राम है , यूँही वावेला और हाय मुसीबत कहके चिल्लाना , गिरेबान फाड़ना, मुँह नोचना ,आल. खोलना सर पर खाक डालना,सीना कूटना, रान पर हाथ मारना, यह सब जहालत के काम हैं और ह़राम हैं !

सवाल : दफ्न के बा'द मुर्दे को तल्क़ीन करना कैसा है और इसका तरीक़ा क्या है?

जवाब : दफ्न के बा'द मुर्दे को तल्क़ीन करना अहले सुन्नत के नज़्दीक मशरूअ़ है , और इस का तरीक़ा ये है जो ह़दीस में इरशाद हुआ , हुज़ूरे अक़्दस صلی اللہ علیہ وسلم जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई मरे और उसकी मिट्टी दे चुको तो तुम में एक शख्स का के सिरहाने खड़े होकर कहे या फुला इब्ने फुलाना , वह सुनेगा और जवाब न देगा फिर कहो या फुलाँ बिन फुलाना वह सीधा होकर बैठ जायेगा फिर कहे या फुला बिन फुलाना , वह कहेगा हमें इरशाद कर अल्लाह عزوجل तुझ पर रह़म फरमाये मगर तुम्हें उसके कहने की खबर नहीं होती फिर कहे :

اذکر ما خرجت من الدنيا شهادة ان لاله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم
وانک رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبيا و بالقرآن اماما

तर्जमा : तू उसे याद कर जिस पर तू दुनिया से निकला या'नी यह गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नही और मुह़म्मद صلی اللہ علیہ وسلم उसके बन्दे और रसूल है और यह कि तू अल्लाह के रब और इस्लाम के दीन और मुह़म्मद صلی اللہ علیہ وسلم के नबी और क़ुरआन के इमाम होने पर राज़ी था , नकीरैन एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहेंगे चलो हम इसके पास क्या बैठेंगे जिसे लोग इसकी हुज्जत सिखा चुके , इस पर किसी ने हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم से अ़र्ज की अगर उसकी माँ का नाम मा'लूम न हो , फरमाया ह़व्वा की तरफ निस्बत करे !

ईसाले सवाब का बयान

सवाल : ईसाले सवाब करना कैसा है ?

जवाब : ईसाले सवाब या'नी क़ुरआने मजीद या दुरूद शरीफ या कलिमा ए तय्यिबा या किसी नेक अ़मल का सवाब दूसरे को पहुंचाना जाइज़ है , इबादते मालिया या बदनिया फर्ज़ व नफ्ल सब का सवाब दूसरों को पहुंचाया जा सकता है , ज़िंदों के ईसाले सवाब से मुर्दों को फ़ायदा पहुंचता है , कुतुबे फिक़्ह व अक़ाईद में इसकी तसरीह़ मज़कूर है , हिदाया और शरहे अक़ाईदे नस्फिया में इसका बयान मौजूद है इसको बिदअत कहना हटधर्मी है , अहादीस से भी इसका जाइज़ होना साबित है , हज़रते सा'द رضی اللہ عنہ की वालिदा का जब इंतिक़ाल हुआ , उन्होंने हुज़ूरे अक़्दस صلی اللہ علیہ وسلم की खिदमत में अ़र्ज़ की , या रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم सा'द की माँ का इन्तिक़ाल हो गया , कौन सा सदक़ा अफज़ल है ? इरशाद फरमाया : पानी , उन्होंने कुंवा खोदा और कहा कि ये सा'द की माँ के लिए है - सह़ीह़ बुखारी और सह़ीह़ मुस्लिम में है : हज़रते आ़यशा رضی اللہ عنہا से रिवायत है के एक आदमी ने नबिय्ये करीम صلی اللہ علیہ وسلم की बारगाह में अ़र्ज़ किया कि मेरी वालिदा अचानक मौत हो गई और मेरा गुमान है कि अगर वह कलाम करती तो तसद्दुक़ करती अगर मैं उनकी तरफ से सदक़ा करूं तो क्या उनको सवाब पहुंचेगा , फरमाया : हाँ !

सवाल : तीजा और चालीसवा का क्या हुक्म है ?

जवाब : यह ईसाले सवाब की सूरते हैं और ईसाले सवाब शर-ई़ दलाईल से साबित है अब रही तख्सीसात मसलन तीसरे दिन या चालीसवे दिन यह तख्सीसात न शर-ई़ तख्सीसात है न उनको शर-ई़ समझा जाता है यह कोई भी नहीं जानता कि इसी दिन में सवाब पहुंचेगा अगर किसी दूसरे दिन किया जाएगा तो नहीं पहुंचेगा ,

यह मह़ज़ रिवाजी और उ़र्फी बात है जो अपनी सहूलत के लिए लोगों ने कर रखी है बल्कि इंतिक़ाल के बा'द ही से कुरआने मजीद की तिलावत और खैरात का सिलसिला जारी होता है अक्सर लोगों के यहाँ इसी दिन से बहुत दिनों तक यह सिलसिला जारी रहता है इसके होते हुए क्यों कर कहा जा सकता है कि मखसूस दिन के सिवा दूसरे दिनों में लोग नजायज़ जानते हैं यह मह़ज़ इफ्तिरा है जो मुसलमानों के सर बांधा जाता है और ज़िन्दो मुर्दों को सवाब से मह़रूम करने की बेकार कोशिश है !

सवाल : ईसाले सवाब की मज़ीद कुछ सूरते बयान कर दें ?

जवाब : ईसाले सवाब की दर्जे ज़ैल सूरते भी मुसलमानों में राईज है :

(1) माहे रजब में बा'ज़ जगह हज़रते इमाम जा'फर सादिक़ رضی اللہ عنہ को ईसाले सवाब के लिए पूरीयो के कूंडे भरे जाते हैं यह भी जाइज़ मगर इसमें बा'ज़ो ने उसी जगह खाने की पाबंदी कर रखी है यह बेजा पाबंदी है इस कूंडे के मुताबिक एक किताब भी है जिसका नाम दास्ताने अ़जीब है इस मौके पर बा'ज़ लोग इसको पड़वाते हैं उसमें जो कुछ लिखा है उसका कोई सुबूत नहीं वह न पढ़ी जाए फातिह़ा दिलाकर ईसाले सवाब करें -

(2) माहे मुहर्रम में दस दिनों तक खुसूसन दसवीं को ह़ज़रत इमाम हुसैन رضی اللہ عنہ व दीगर शुहदाए कर्बला को ईसाले सवाब करते हैं कोई शरबत पर फातिह़ा दिलाता है , कोई शीर ब्रन्ज (चावलों की खीर) पर , कोई मिठाई पर कोई रोटी गोश्त पर , जिस पर चाहो फातिह़ा दिलाओ जाइज़ है उनको जिस तरह ईसाले सवाब करो मन्दूब है बहुत से पानी और शरबत की सबील लगा देते हैं , जाड़ो में चाय पिलाते हैं कोई खिचड़ा पकवाता है जो कारे खैर करो और सवाब पहुंचाओ हो सकता है , इन सब को नाजाइज़ नहीं कहा जा सकता बा'ज़ जाहिलो में मशहूर है कि मुहर्रम में सिवाय शुहदाए कर्बला के दूसरों की फातिह़ा न दिलाई जाए इनका

यह खयाल ग़लत है जिस तरह दूसरे दिनों में सब की फातिह़ा हो सकती है इन दिनों में भी हो सकती है -

(3) माहे रबीउ़ल आखिर की ग्यारवीं तारीख के हर महीने की ग्यारवीं को हुज़ूर सय्यिदुना गोसे आ'ज़म رضی اللہ عنہ की फातिह़ा दिलाई जाती है यह भी ईसाले सवाब की एक सूरत है बल्कि गोसे पाक رضی اللہ عنہ की जब कभी फातिह़ा होती है किसी तारीख में हो अ़वाम उसे ग्यारवीं की फातिह़ा बोलते हैं -

(4) माहे रजब की छटी तारीख बल्कि हर महीने की छटी तारीख को हुज़ूर ख्वाजा ग़रीब नवाज़ मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी رضی اللہ عنہ की फातिह़ा भी ईसाले सवाब में दाखिल है -

(5) उ़र्से बुज़ुर्गाने दीन जो हर साल उनके विसाल के दिन होता है यह भी जाइज़ है , कि उस तारीख में क़ुरआने मजीद खत्म किया जाता है और सवाब को उन बुज़ुर्ग को पहुंचाया जाता है या मीलाद शरीफ पढ़ा जाता है या वा'ज़ कहा जाता है बिलजुमला ऐसे उमूर जो बा-ईसे खैरो व बरकत है जैसे दूसरे दिनों में जाइज़ है इन दिनों में भी जाइज़ है -

हुज़ूरे अक़्दस صلی اللہ علیہ وسلم हर साल के अव्वल या आखिर में शुहदाए उहुद رضی اللہ عنہم की ज़ियारत को तशरीफ ले जाते , हाँ यह ज़रूर है कि उ़र्स को लग़्व व खुराफात चीज़ो से पाक रखा जाए , जाहिलो को नामशरूअ़ ह़रकात से रोका जाए अगर मनअ़ करने से बा'ज़ ना आए तो उनका गुनाह उनके ज़िम्म्में !

किताबुज़्ज़कात

सवाल : ज़कात किसे कहते है ?

जवाब : ज़कात शरीअ़त की जानिब से मुक़र्रर कर्दा उस माल को कहते है जिस से अपना नफ़अ़ हर तरह से खत्म करने के बा'द रिज़ाए इलाही عزوجل के लिए किसी एसे मुसलमान फक़ीर की मिल्कियत में दे दिया जाए जो न तो खुद हाश्मी हो और न ही किसी हाश्मी का आज़ाद कर्दा गुलाम हो !

सवाल : ज़कात कब फर्ज़ हुई ?

जवाब : ज़कात 2 हिजरी में रोज़ो से क़ब्ल फर्ज़ हुई !

सवाल : ज़कात की फर्ज़ियत का इन्कार करना कैसा ?

जवाब : ज़कात का फर्ज़ होना क़ुरआन से साबित है ज़कात फर्ज़ है इसका मुन्किर काफिर है !

सवाल : ज़कात को ज़कात कहने की वजह क्या है ?

जवाब : ज़कात का लुगवी मा'ना तहारत , अफज़ाइश (इज़ाफा , बढ़ोतरी) है , चूंके ज़कात बाक़िया माल के मा'नवी तौर पर तहारत और अफज़ाईश का सबब बनती है इसी लिए इसे ज़कात कहा जाता है !

सवाल : ज़कात किस पर फर्ज़ है ?

जवाब : ज़कात देना हर उस आ़किल बालिग़ और आज़ाद मुसलमान पर फर्ज़ है जिसमे ये शराईत पाई जाती हो : (1) निसाब का मालिक हो (2) यह निसाब नामी हो (3) निसाब उसके क़ब्ज़े में हो (4) निसाब उसकी ह़ाजते असलिया (या'नी ज़रूरीयाते जिंदगी) से ज़ाइद हो (5) निसाब दैन से फारिग़ हो (या'नी उस पर

ऐसा करना हो जिसका मुतालबा बंदो की जानिब से हो , कि अगर वह क़र्ज़ अदा करें तो उसका निसाब बाक़ी न रहे) (6) उस निसाब पर एक साल गुज़र जाए !

सवाल : निसाब का मालिक होने से क्या मुराद है ?
जवाब : मालिके निसाब होने से मुराद यह है कि उस शख्स के पास साढ़े सात तोले सोना या साढ़े बावन तोले चांदी या इतनी मालियत की रक़म या इतनी मालियत का माले तिजारत हो !

सवाल : मालिके निसाब होने से पहले ज़कात दे दी तो ?
जवाब : अगर पहले ज़कात दे दी फिर मालिके निसाब हुआ तो ऐसी सूरत में दिया गया माल ज़कात में शुमार नहीं होगा बल्कि उसकी ज़कात अलग से देना होगी !

सवाल : माले नामी का क्या मतलब है ?
जवाब : माली नामी के मा'ना है बढ़ने वाला माल ख्वाह हक़ीक़त में बड़े या हुक्मन , इसकी 3 सूरते हैं :
(1) यह बढ़ना तिजारत से होगा या (2) अफ्ज़ाईशे नस्ल के लिए जानवरों को जंगल में छोड़ देने से होगा या (3) वह माल खलक़ी या'नी पैदाइशी तौर पर नामी होगा जैसे सोना , चांदी वग़ैरा -
हुक्मन माले नामी होने का मतलब यह है कि अगर बड़ा बढ़ाना चाहे तो बढ़ाएं

सवाल : ह़ाजते असलिया किसे कहते है ?
जवाब : ह़ाजते असलिया या'नी ज़रूरीयाते ज़िंदगी से मुराद वह चीज़े हैं जिनकी उ़मूमन इंसान को ज़रूरत होती है और उनके बग़ैर गुज़र अवक़ात में शदीद तंगी व दुशवारी मह़सूस होती है जैसे रहने का घर , पहनने के कपढ़े , सुवारी , इ़ल्में दीन से मुतअ़ल्लिक़ किताबें और पेशे से मुतअ़ल्लिक़ औज़ार वग़ैरा !

सवाल : साल कब मुकम्मल होगा ?

जवाब : जिस तारीख और वक़्त पर आदमी साहिबे निसाब हुआ जब तक निसाब रहे वही तारीख और वक़्त जब आएगा उसी मिनट साल मुकम्मल होगा , साल गुज़रने में क़मर या'नी चांद के महीनों का ऐ'तबार होगा शमसी महीनों का ऐ'तबार ह़राम है !

सवाल : अगर दौराने साल निसाब में कमी हो जाए तो ?

जवाब : ज़कात की फर्ज़ीयत में साल के शुरुअ़ और आखिर का ऐ'तबार किया जाता है लिहाज़ा अगर निसाब शुरूअ़ में मुकम्मल है और साल मुकम्मल होने पर निसाबे ज़कात पूरा है तो दौराने साल (निसाब में) होने वाली कमी का कोई नुक़्सान नहीं , मौजूदा माल की ज़कात दी जाएगी -

हाँ अगर दौराने साल निसाब हलाक हो जाए कि उसका कोई भी ह़िस्सा न बचे तो शुमारे साल जाता रहा जिस दिन दोबारा मालिके निसाब होगा उसी दिन नए सिरे से ह़िसाब किया जाएगा मसलन यकुम मुहर्रम को मालिके निसाब हुआ सफर में सब माल सफर कर गया , रबीउ़न्नूर में फिर बहार आई तो उसी महीने से साल का आगाज़ होगा !

सवाल : अगर दौराने साल निसाब मे इज़ाफा हो गया तो ?

जवाब : जो शख्स मालिके निसाब है अगर दरमियान साल में कुछ और माल उसी जिंस का ह़ासिल किया तो इस नए माल का जुदा साल नहीं बल्कि पहले माल का खत्में साल इसके लिए भी साले तमाम है अगर्चे साले तमाम से एक ही मिनट पहले ह़ासिल किया हो , हाँ वह माल उसके पहले माल से ह़ासिल हुआ या मीरास व हिबा या और किसी जाइज़ ज़रिए से मिला हो और अगर दूसरी जिंस का है मसलन पहले उसके पास ऊंट थे और अब बकरियां मिली तो उसके लिए जदीद साल शुमार होगा !

नोट : सोना , चांदी , करंसी नोट सामाने तिजारत एक ही जिंस शुमार होंगे !

सवाल : एक ही जिंस के मुख्तलिफ अमवाल हो तो ज़कात का हिसाब कैसे करेंगे ?

जवाब : अगर मुख्तलिफ माल हो और कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो तमाम माल मतलब सोना , चांदी या माले तिजारत या करन्सी को मिलाकर उसकी कुल मालियत निकाली जाएगी और उसकी ज़कात का हिसाब उस निसाब से लगाया जाएगा जिसमें फु-क़रा का ज़्यादा फायदा हो मसलन अगर तमाम माल को चांदी शुमार करके ज़कात निकालने में ज़कात ज़्यादा बनती है तो यही किया जाए और अगर सोना शुमार करने मे ज़कात ज़्यादा बनती है तो इसी तरह किया जाएगा और अगर दोनों सूरतो में यक्सा बनती है तो उससे हिसाब लगाएंगे जिससे ज़कात की अदायगी का रिवाज ज़्यादा हो फिर अगर रिवाज यकसा हो तो ज़कात देने वाले को इख्तियार हैं कि चाहे तो सोने के हिसाब से ज़कात दे या चांदी के हिसाब से !

सवाल : अमवाले ज़कात कौन कौन से है ?

जवाब : ज़कात 3 क़िस्म के माल पर है :

(1) सोना , चांदी (करंसी नोट भी इन्हीं के हुक्म में है)

(2) माले तिजारत

(3) साइमा या'नी चराई पर छूटे जानवर

सवाल : क्या पहनने वाले ज़ेवरात पर ज़कात है ?

जवाब : जी हाँ ! पहनने के ज़ेवरात पर भी ज़कात पर होगी !

सवाल : माले तिजारत पर ज़कात है , माले तिजारत से क्या मुराद है ?

जवाब : माले तिजारत उस माल को कहते हैं जिसे बेचने की नियत से खरीदा

गया है और अगर खरीदने या मीरास में मिलने के बा'द तिजारत की नियत की तो अब वह माले तिजारत नहीं कहलाएगा !

सवाल : अस्ल माले तिजारत पर ज़कात होगी या नफ़अ पर ?

जवाब : ज़कात न सिर्फ माले तिजारत पर फर्ज़ होगी ना सिर्फ नफ़अ पर बल्कि साल मुकम्मल होने पर नफ़अ की मौजूदा में मिक़्दार और माले तिजारत दोनों पर ज़कात है !

सवाल : क्या हर साल जकात देनी होगी ?

जवाब : माले तिजारत जब तक खुद ही या दीगर अमवाल से मिलकर निसाब को पहुंचता रहेगा , वुज़ूबे ज़कात की दीगर शराईत मुकम्मल होने पर उस पर हर साल ज़कात वाजिब होती रहेगी !

सवाल : जो दुकान किराए पर दी है उस पर ज़कात है ?

जवाब : दुकानों में ज़कात नहीं !

सवाल : किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात होगी या नहीं ?

जवाब : वह मकानात जो किराए पर उठाने के लिए हो अगर्चे पचास करोड़ के हो उन पर ज़कात नहीं है , हाँ उनसे ह़ासिल होने वाला नफ़अ तन्हा या दीगर माल के साथ मिलकर निसाब को पहुंच जाए तो ज़कात की दीगर शराईत पाए जाने पर उस पर ज़कात देना होगा !

सवाल : निसाब का मालिक है , मगर उस पर क़र्ज़ है तो क्या हुक्म है ?

जवाब : निसाब का मालिक है मगर उस पर दैन है कि अदा करने के बा'द निसाब नहीं रहती तो ज़कात वाजिब नहीं !

सवाल : दैन (हमारी जो रक़म किसी के ज़िम्मे हो) उसकी ज़कात कैसे अदा करेंगे ?

जवाब : दैन की 3 क़िस्में है : (1) दैने क़वी (2) दैने मुतवस्सित (3) दैने ज़ईफ - इनकी ता'रीफात और हुक्म दर्जे ज़ैल है :

(1) दैने क़वी : दैने क़वी उसे कहते हैं जो हमने किसी को क़र्ज दिया हुआ हो या तिजारत का माल उधार बेचा हो या कोई ज़मीन या मकान तिजारत की गरज़ से खरीद कर किराए पर दिया और वह किराया किसी के ज़िम्मे हो -

इसका हुक्म यह है कि उसकी ज़कात हर साल फर्ज़ होती रहेगी लेकिन अदा करना उस वक़्त होगा जब मिक़्दारे निसाब का कम अज़ कम पांचवा हिस्सा वसूल हो जाए तो उस पांचवें हिस्से की ज़कात देना होगी मसलन 50000 रूपये निसाब हो तो जब उसका पांचवा हिस्सा 10000 रूपये वसूल हो जाए तो उसका चालीसवा हिस्सा 250 रूपये बतौरे ज़कात देना वाजिब होगा अलबत्ता आसानी इसमें है कि हर साल उसकी भी ज़कात अदा कर दी जाए -

(2) दैने मुतवस्सित : दैने मुतवस्सित उसे कहते हैं जो ग़ैरे तिजारती माल का इवज़ या बदल हो जैसे घर की कुर्सी या चारपाई या दीगर सामान बेचा और उसकी क़ीमत लेने वाले पर उधार हो , इसका हुक्म यह है कि उसमें भी ज़कात फर्ज़ होगी मगर आ जाएगी उस वक़्त वाजिब होगी जब बक़द्रे निसाब पूरी रक़म आ जाए -

(3) दैने ज़ईफ : वह है जो ग़ैरे माल का बदल हो जैसे महर या मकान या दुकान का किराया कि नफअ़ का बदला है माल का नहीं इसका हुक्म यह है कि उसमें गुज़िश्ता सालों की ज़कात फर्ज़ नहीं है जब क़ब्जे में आ जाए और शराईते ज़कात पाई जाए तो साल गुज़रने पर ज़कात फर्ज़ होगी !

मसारिफे ज़कात

सवाल : मसारिफे ज़कात क्या है या'नी जकात किसे दी जाए ?

जवाब : इन लोगों को ज़कात दी जा सकती है : (1) फक़ीर (2) मिस्कीन (3) आ़मिल (4) रिक़ाब (ग़ुलाम) (5) ग़ारिम (6) फी सबीलिल्लाह (7) इब्ने सबील !

सवाल : फक़ीर किसे कहते हैं ?

जवाब : फक़ीर वह है कि जिसके पास कुछ ना कुछ हो मगर इतना न हो कि निसाब को पहुंच जाए या निसाब की क़द्र तो हो मगर उसकी ह़ाजते असलिया (ज़रूरीयाते ज़िंदगी) में मुस्तग़रक़ हो (घिरा हुआ) हो इसी तरह अगर मदयून (मक़रूज़) है और दैन (क़र्ज़) निकालने के बा'द निसाब बाक़ी न रहे तो फक़ीर है अगर्चे इसके पास एक तो क्या कई निसाबे हो !

सवाल : मिस्कीन किसे कहते हैं ?

जवाब : मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिए इसका मोह़ताज है कि लोगों से सवाल करें और उसे सवाल ह़लाल है , फक़ीर को बग़ैर ज़रूरत व मजबूरी सवाल ह़राम है !

सवाल : आ़मिल किसे कहते हैं ?

जवाब : आ़मिल वह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उसमें वसूल करने के लिए मुक़र्रर किया हो !

सवाल : ग़ारिम में किसे कहते हैं ?

जवाब : ग़ारिम इस से मुराद मक़रूज़ है या'नी उस पर इतना क़र्ज़ हो कि देने के बा'द ज़कात का निसाब बाक़ी न रहे अगर्चे उसका भी दूसरों पर क़र्ज़ बाक़ी हो मगर लेने पर क़ुदरत न रखता हो !

सवाल : फी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है ?

जवाब : फी सबीलिल्लाह से मुराद राहे खुदा عزوجل में खर्च करना है , मसलन कोई शख्स मोह़ताज है और जिहाद में जाना चाहता है अगर उसके पास सवारी और ज़ादे राह नहीं है तो उसे माले ज़कात दे सकते हैं कि यह राहे खुदा عزوجل में देना है अगर्चे वह कमाने पर क़ादिर हो , इसी तरह ता़लिबे इ़ल्म , के इ़ल्में दीन पड़ता है या पढ़ना चाहता है उसको भी ज़कात दे सकते हैं बल्कि ता़लिबे इ़ल्म सवाल करके भी माले ज़कात ले सकता है जबकि उसने अपने आप को इसी काम के लिए फारिग़ कर रखा हो अगर्चे वह कमाने पर क़ुदरत रखता हो !

सवाल : इब्ने सबील से क्या मुराद है ?

जवाब : इब्ने सबील से मुराद वह मुसाफिर है जिसके पास सफर की ह़ालत में माल न रहा , यह ज़कात ले सकता है अगर्चे उसके घर में माल मौजूद हो मगर इसी क़दर ले कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए , ज़्यादा की इजाज़त नहीं और अगर उसे क़र्ज़ मिल सकता हो तो बेहतर है कि क़र्ज़ ले लें !

सवाल : और जिन की निस्बत बयान किया गया है कि उनको ज़कात दे सकते हैं , क्या उनका फक़ीर होना शर्त है ?

जवाब : जिन लोगों की निस्बत बयान किया गया है कि उन्हें ज़कात दे सकते हैं उन सब का फकीर होना शर्त है सिवाय आ़मिल के कि उसके लिए फक़ीर होना शर्त नहीं और इब्ने सबील (या'नी मुसाफिर) अगर्चे ग़नी हो उस वक़्त फक़ीर के हुक्म में है , बाक़ी किसी को जो फक़ीर न हो ज़कात नहीं दे सकते !

सवाल : किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते हैं ?

जवाब : इन मुसलमानों को ज़कात नहीं दे सकते हैं अगर्चे शर-ई़ फक़ीर हो (1) सादात और दीगर बनू हाशिम (2) अपनी अस्ल (या'नी ज़कात देने वाला जिन की

औलाद में से हो) जैसे माँ , बाप , दादा , दादी , नाना , नानी वग़ैरह (3) अपनी फुरूअ़ (या'नी जो इस की औलाद में से हो) जैसे बेटा , बेटी , पोता , पोती , नवासा , नवासी वग़ैरह (4) मियां बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते !

सवाल : बनू हाशिम कौन है ?

जवाब : बनू हाशिम और बनू अ़ब्दुल मुत्तलिब से मुराद पांच खानदान है आले अ़ली , आले अ़ब्बास , आले जा'फर , आले अ़कील , आले ह़ारिस़ बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब , इनके अ़लावा जिन्होंने नबी صلی اللہ علیہ وسلم की इआ़नत न की मसलन अबू लहब है कि अगर्चे ये काफिर भी हज़रते अ़ब्दुल मुत्तलिब का बेटा था मगर उसकी औलादे बनी हाशिम में शुमार न होगी !

सवाल : किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं ?

जवाब : इन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं जबकि ज़कात के मुताबिक हो :
(1) बहन (2) भाई (3) चाचा (4) फूफी (5) खाला (6) मामू (7) बहू (8) दामाद (9) सोतेला बाप (10) सौतेली माँ (11) शोहर की तरफ से सौतेली औलाद (12) बीवी की तरफ से सौतेली औलाद !

सवाल : काफिर को ज़कात देना कैसा है ?

जवाब : काफिर को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी !

सवाल : मदरसा ए इस्लामिया में ज़कात देना कैसा है ?

जवाब : मदरसा ए इस्लामिया अगर सही इस्लामिया खास अहले सुन्नत का हो , बदमज़हब का न हो तो उसमें माले ज़कात इस शर्त पर दिया जा सकता है कि मोहतमिम उस माल को जुदा रखें और खास तम्लीके फक़ीर के मसारिफ में खर्च करें , मुदर्रिसीन या दीगर मुलाज़िमीन की तन्ख्वाह उससे नहीं दी जा सकती न मदरसे की ता'मीर या मरम्मत या फर्श में सर्फ हो सकती है , न यह हो सकता है

कि जिन तलबा को मदरसे से खाना दिया जाता है उस रूपये से खाना पका कर उनको खिलाया जाए कि यह सूरते इबाह़त है और ज़कात में तम्लीके लाज़िम है , हाँ यूँ कर सकते हैं कि जिन तलबा को खाना दिया जाता है उनको नक़्द रूपया ब-नियते ज़कात देकर मालिक कर दे फिर वह अपने खाने के लिए वापस दे या जिन तलबा का वज़ीफा न उजरतन बल्कि मह़ज़ बतौरे इमदाद है उनके वज़ीफे में दें या किताबें खरीदकर तलबा को उनका मालिक कर दें , हाँ अगर रुपया ब-नियते ज़कात किसी मसरफे ज़कात को देकर मालिक कर दे वह अपनी तरफ से मदरसे को दे दें तो तनख्वाहे मुदर्रिसीन व मुलाज़िमीन वग़ैरह जुमला मसारिफे मदरसा में सर्फ हो सकता है !

सवाल : किसी के पास हाजते असलिया से ज़ाइद सामान निसाब की मिक़्दार हो तो उसे ज़कात देने का क्या हुक्म है ?
जवाब : जिस के पास ज़रूरत के सिवा ऐसा सामान है जो माले नामी न हो और न ही तिजारत के लिए और वह साढ़े बावन तोला चांदी की क़ीमत के बराबर है तो उसे ज़कात नहीं दे सकते अगर्चे खुद उस पर ज़कात वाजिब नहीं !

सवाल : ज़कात की अदाएगी कि क्या शराईत है ?
जवाब : ज़कात की अदाएगी दुरूस्त होने की दो शराईत है (1) नियत और (2) मुस्तह़िक़ को उसका मालिक बना देना !

सवाल : ज़कात देते वक़्त नियत करना भूल गया तो ?
जवाब : अगर ज़कात में वह माल दिया जो पहले ही ज़कात की नियत से अलग कर रखा था तो ज़कात अदा हो गई अगर्चे देते वक़्त ज़कात का खयाल न आया हो और अगर ऐसा नहीं है तो जब तक मोह़ताज के पास मौजूद हैं देने वाला नियते ज़कात कर सकता है और अगर उसके पास भी नहीं है तो अब नियत नहीं

कर सकता , दिया गया माल सब सदक़ा ए नफ्ल हो गया !

सवाल : ज़कात थोड़ी थोड़ी करके दे सकते हैं या यकमुश्त देनी होगी ?
जवाब : अगर ज़कात साल मुकम्मल होने से क़ब्ल पेशगी अदा करनी हो तो चाहे थोड़ी थोड़ी करके दें या एक साथ दोनों तरह से दुरुस्त है और अगर साल गुज़रने पर ज़कात फर्ज़ हो चुकी हो तो फौरन अदा करना वाजिब है ताखीर पर गुनाहगार होगा , अब यकमुश्त देना ज़रूरी है !

सवाल : क्या ज़कात लेने वाले को इसका इल्म होना ज़रूरी है कि ये ज़कात है ?
जवाब : ज़कात लेने वाले का यह जानना ज़रूरी नहीं कि यह ज़कात है बल्कि देने वाले की नियत का ऐ'तबार होगा -
लिहाज़ा ज़कात देने वाले ने तोह़फा कह कर दी तब भी ज़कात अदा हो जाएगी बशर्ते कि ज़कात की नियत हो !

सवाल : अगर बैंक किसी के माल से ज़कात की कटौती कर ले तो क्या उसकी ज़कात अदा हो जाएगी ?
जवाब : बैंक से ज़कात की कटौती की सूरत में अदाएगी ए ज़कात कि शराईत पूरी नहीं हो पाती मसलन मालिक बनाना , कि ज़्यादा रुपया ऐसी जगह खर्च किया जाता है जहां कोई मालिक नहीं होता , लिहाज़ा ज़कात अदा नहीं होगी !

जानवरों की ज़कात

सवाल : कितने क़िस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है ?

जवाब : तीन क़िस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है जब के साइमा हो (1) गाय (2) बकरी (3) ऊंट

नोट : अगर जानवर माले तिजारत हो तो उनका हिसाब माले तिजारत की तरह करेंगे !

सवाल : साइमा से क्या मुराद है ?

जवाब : जो जानवर साल का अक्सर हिस्सा जंगल में चर कर गुज़ारा करते हो और चराने से मक़सूद सिर्फ दूध और बच्चे लेना और फरबा करना है यह साइमा कहलाते है , इनकी ज़कात देना होगी !

सवाल : ऊटों की ज़कात का हिसाब कैसे होगा ?

जवाब : ऊटों की ज़कात की तफ्सील कुछ इस तरह है :

* कम से कम 5 ऊटों पर निसाब पूरा होता है , पांच से कम में ज़कात वाजिब नहीं -
* 5 से 25 तक की ज़कात इस तरह देंगे कि हर पांच के बदले एक साला बकरी या बकरा देंगे , एक निसाब से दूसरे निसाब के दरमिया'नी ता'दाद शामिल ज़कात नहीं होगी मसलन पांच के बा'द अगर एक दो या चार ऊंट ज़ाइद हो उनकी ज़कात नहीं दी जाएगी बल्कि दस ऊंट पूरे होने पर दी जाएगी -
* 25 से 35 तक एक साला मादा ऊंटनी जो दूसरे बरस में हो , दी जाएगी -
* 35 के बा'द के हिसाब की तफ्सील बहारे शरीअत वग़ैरह में देखी जा सकती है !

सवाल : गाय की ज़कात का हिसाब कैसे होगा ?

जवाब : गाय और भैंस की ज़कात की तफ्सील कुछ इस तरह से हैं :

* कम से कम 30 गायों या भैंसों पर निसाब पूरा होता है इससे कम में ज़कात वाजिब नहीं है -
* 30 से 39 तक की ज़कात में साल भर का बछड़ा या बछिया देंगे -
* 40 से 59 तक की ज़कात में दो साला बछड़ा या बछिया देंगे -
* 60 में साल भर के दो बछड़े -
* 70 में एक साल भर का एक और एक 2 साला बछड़ा या बछिया देंगे -
* 80 में 2 साला दो बछड़े या बछिया देंगे -

मज़ीद तफ्सील के लिए बहारे शरीअ़त का मुतालआ़ करे !

सवाल : बकरियों की ज़कात का हिसाब कैसे होगा ?

जवाब : बकरियों , बकरा , भेड़ों या दुंबो की ज़कात की तफ्सील कुछ इस तरह से है :

* कम से कम 40 बकरियों या बकरों वग़ैरह पर निसाब पूरा होता है :
* 40 से कम में ज़कात वाजिब नहीं है -
* 40 से 120 तक की ज़कात में साल भर की बकरी या बकरा देंगे -
* 121 से 200 तक की ज़कात में साल भर की दो बकरियां या बकरी देंगे -
* 201 से 399 तक की ज़कात में साल भर की तीन बकरियां या बकरे देंगे -
* 400 में साल भर की चार बकरियां या बकरे देंगे -
* इसके बा'द हर सौ पर एक बकरी या बकरे का इज़ाफा करते चले जाएंगे !

सवाल : घोड़े , गधे और खच्चर की ज़कात का क्या हुक्म है ?

जवाब : घोड़े , गधे और खच्चर की ज़कात देना वाजिब नहीं है अगर्चे साइमा हो हाँ अगर तिजारत के लिए हो तो वाजिब है !

उ़श्र का बयान

सवाल : उ़श्र किसे कहते हैं ?

जवाब : ज़मीन से नफ़अ ह़ासिल करने की ग़र्ज़ से उगाई जाने वाली शै की पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है , उसे उ़श्र कहते है !

सवाल : ज़मीन की किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

जवाब : जो चीज़े ऐसी हों कि उनकी पैदावार से ज़मीन का नफ़अ ह़ासिल करना मक़्सूद हो ख्वाह वह गल्ला अनाज और फल फ्रूट हो या सब्ज़ियां वग़ैरह मसलन अनाज और गल्ले में गन्दुम , जो , चावल , गन्ना , कपास , ज्वार , धान (चावल) , बाजरा , मूंगफली , मकई और सूरजमुखी , राई , सरसौ और लोसन वग़ैरह -

फलों में खरबूज़ा , आम , अमरूद , माल्टा , लोकाट , सेब , चीकू , अनार नाशपाती , जापानी फल , संतरा , पपीता और नारियल , तरबूज , फालसा , जामुन , लीची , खुबानी , आड़ू , खजूर , आलूबुखारा , गरमा , अनन्नास , अंगूर और आलूचा वग़ैरह सब्ज़ियों में ककड़ी , करेला , भिंडी , आलू , टमाटर , हरी मिर्च , शिमला मिर्च , खीरा , ककड़ी (तर) और अरवी , तौरिया , फूल गोभी , बंदगोभी , शलग़म , गाजर , चुकंदर , मटर , प्याज लहसुन , पालक , धनिया और मुख्तलिफ क़िस्म के साग और मेथी और बैंगन वग़ैरह इन सब की पैदावार में से उस या’नी , इन सब की पैदावार में उ़श्र (या'नी दसवां ह़िस्सा) या निस्फ या’नी (या'नी बीसवा ह़िस्सा) वाजिब है !

सवाल : किन फसलों पर उ़श्र वाजिब नहीं ?

जवाब : जो चीज़े ऐसी हों कि उनकी पैदावार से ज़मीन के नफ़अ ह़ासिल करना मक़्सूद न हो उनमें उ़श्र नहीं जैसे ईंधन , घास , बैद , सरकुंडा , झाव (वह पौदा

जिससे टौकरिया बनाई जाती है) खजूर के पत्ते वग़ैरा , इनके अलावा हर क़िस्म की तरकारियों और फलों के बीज कि उनकी खेती से तरकारियाँ मक़्सूद होती हैं बीज मक़्सूद नहीं होते , और जो बीज दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं मसलन कुन्दर, मेथी और कलौंजी वग़ैरह के बीज , उनमें भी उ़श्र नहीं है , इसी तरह वो चीज़े जो ज़मीन के ताबेअ़ हो जैसे दरख़्त और जो चीज़ दरख़्त से निकले जैसे गोंद , उसमे उ़श्र वाजिब नही -

अलबत्ता अगर घास , बेद , झाव (वो पौदा जिससे टौकरिया बनाई जाती है) वग़ैरह से ज़मीन के मुनाफेअ़ ह़ासिल करना मक़्सूद हो और ज़मीन इनके लिये खाली छोड़ दी तो इन में भी उ़श्र वाजिब है , कपास और बैंगन के पौदो में उ़श्र वाजिब नही मगर उनसे ह़ासिल कपास और बैंगन की पैदावार में उ़श्र वाजिब है !

सवाल : उ़श्र वाजिब होने के लिए गल्ला , फल और सब्ज़ियों की कम से कम कितनी मिक़्दार होना ज़रूरी है ?

जवाब : उ़श्र वाजिब होने के लिए उनकी कोई मिक़्दार मुक़र्रर नहीं है बल्कि ज़मीन से गल्ला , फल और सब्ज़ियों की जितनी पैदावार भी ह़ासिल हो उस पर उ़श्र या निस्फ उ़श्र देना वाजिब होगा !

सवाल : अगर उनकी पैदावार का मालिक पागल और नाबालिग़ हो तो उसकी ज़मीन का भी उ़श्र देना होगा ?

जवाब : उ़श्र चूंके ज़मीन की पैदावार पर अदा किया जाता है लिहाज़ा जो भी इस पैदावार का मालिक होगा वह उ़श्र अदा करेगा चाहे वह मजनून (या'नी पागल) और नाबालिग़ ही क्यों न हो !

सवाल : क्या क़र्ज़दार से उ़श्र माफ है ?

जवाब : क़र्ज़दार से उ़श्र माफ नहीं !

सवाल : क्या शर-ई फक़ीर पर भी उ़श्र वाजिब है ?

जवाब : जी हाँ ! शर-ई फक़ीर पर भी उ़श्र वाजिब है क्योंकि उ़श्र वाजिब होने का सबब ज़मीने नामी (या'नी क़ाबिले काश्त) से हक़ीक़तन में पैदावार का होना है , इसमें मालिक के ग़नी या फक़ीर होने का कोई ऐ'तबार नहीं !

सवाल : क्या उ़श्र वाजिब होने के लिए साल गुज़रना शर्त है ?

जवाब : उ़श्र वाजिब होने के लिए पूरा साल गुज़रना शर्त नहीं बल्कि साल में एक ही खेत में चंद बार पैदावार हुई तो हर बार उसे वाजिब है !

सवाल : मुख्तलिफ ज़मीनों को सैराब करने के लिए अलग-अलग तरीक़े इस्ते'माल किए जाते हैं , तो क्या हर क़िस्म की ज़मीन में उस (या'नी दसवां हि़स्सा) ही वाजिब होगा ?

जवाब : इस सिलसिले में क़ाइदा यह है कि :

* जो खेत बारिश , नहर , नाले के पानी से (क़ीमत अदा किए बग़ैर) सैराब किया जाए , उसमें उ़श्र या’नी दसवां हि़स्सा वाजिब है -

* जिस खेत की आबपाशी ढोल (या अपने ट्यूबवेल) वग़ैरह से हो , उसमें निस्फ या'नी बीसवा उ़श्र वाजिब है

* अगर (नहर या ट्यूबवेल वग़ैरा का) पानी खरीदकर आबपाशी की हो या'नी किसी की मिल्कियत है उसे खरीद कर आबपाशी की , जब भी निस्फ उ़श्र वाजिब है -

* अगर वह खेत कुछ बारिश के पानी सैराब कर दिया जाता है और कुछ डोल (या अपने ट्यूबवेल) वग़ैरा से , तो अगर अक्सर बारिश के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल (या अपने ट्यूबवेल) वग़ैरा से तो उ़श्र वाजिब है वरना निस्फ उ़श्र वाजिब है !

सवाल : ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार का ऊ़श्र किस पर होगा ?

जवाब : इस ऊ़श्र की अदायगी काश्तकार पर वाजिब होगी !

सवाल : ऊ़श्री ज़मीन बटाई पर दी तो ऊ़श्र किस पर होगा ?

जवाब : ऊ़श्री ज़मीन बटाई पर दी तो ऊ़श्र दोनो पर है !

सवाल : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो उस पर ऊ़श्र होगा या नहीं ?

जवाब : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो उस पर ऊ़श्र वाजिब नहीं !

सवाल : क्या ऊ़श्र कुल पैदावार से अदा किया जाएगा या अखराजात वग़ैरा निकाल कर बक़िया पैदावार से अदा किया जाएगा ?

जवाब : जिस पैदावार में ऊ़श्र या निस्फ ऊ़श्र वाजिब हो , उसमें कुल पैदावार का ऊ़श्र या निस्फ ऊ़श्र लिया जाएगा , ऐसा नहीं है कि ज़राअ़त , हल , बैल , हिफाज़त करने वाले और काम करने वालों की उजरत या बीज , खाद और अदवियात वग़ैरा के अखराजात निकालकर बाक़ी का ऊ़श्र दिया जाए !

सवाल : क्या ऊ़श्र में सिर्फ पैदावार ही देनी होगी या उसकी क़ीमत भी दी जा सकती है ?

जवाब : मौजूदा फसल में से जिस क़द्र ग़ल्ला या फल हो उनका पूरा ऊ़श्र अलैह़दह करें या उसकी पूरी क़ीमत (बतौरे ऊ़श्र) दें , दोनों तरह से जाइज़ है !

सवाल : ऊ़श्र किसे दिया जाए ?

जवाब : ऊ़श्र चूंके खेत की पैदावार की ज़कात का नाम है इसलिए जिनको ज़कात दी जा सकती है उनको ऊ़श्र भी दिया जा सकता है !

सदक़ए फित्र

सवाल : सदक़ए फित्र किसे कहते हैं ?

जवाब : बा'दे रमज़ान नमाज़े ईद की अदायगी से क़ब्ल दिया जाने वाला सदक़ए वाजिबा , सदक़ए फित्र कहलाता है !

सवाल : सदक़ए फित्र किस पर वाजिब है ?

जवाब : सदक़ए फित्र उस आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है जो मालिके निसाब हो और उसका निसाब हाजते असलिया से फारिग़ हो !

सवाल : मालिके निसाब किस-किस की तरफ से सदक़ए फित्र अदा करेगा ?

जवाब : मालिक निसाब मर्द अपनी तरफ से , अपने छोटे बच्चों की तरफ से और अगर कोई मजनून (या'नी पागल) औलाद है (चाहे फिर वह पागल औलाद बालिग़ ही क्यों न हो) तो उसकी तरफ से भी सदक़ए फित्र अदा करें , हाँ ! अगर वह बच्चा यह मजनून खुद साह़िबे निसाब है तो फिर उसके माल में से फितरा अदा करें !

सवाल : सदक़ए फित्र के वुजूब का वक़्त कौन सा है ?

जवाब : ईद के दिन सुबह़े सादिक़ तुलूअ़ होते ही सदक़ए फित्र वाजिब होता है लिहाज़ा जो शख्स सुबह़ होने से पहले मर गया या ग़नी था फक़ीर हो गया या सुबह़ तुलूअ़ होने के बा'द काफिर मुसलमान हुआ या बच्चा पैदा हुआ या फक़ीर था ग़नी हो गया तो वाजिब न हुआ और अगर सुबह़े तुलूअ़ होने के बा'द मरा या सुबह़ शुरूअ़ होने से पहले काफिर मुसलमान हुआ या बच्चा पैदा हुआ या फक़ीर था ग़नी हो गया तो वाजिब है !

सवाल : ज़कात और सदक़ए फित्र के वाजिब होने में क्या फर्क़ है ?

जवाब : ज़कात में साल का गुज़रना , आ़क़िल बालिग़ और निसाबे नामी (या'नी उसमें बढ़ने की सलाह़ियत) होना शर्त है जबकि सदक़ए फित्र में यह शराईत नहीं है , चुनांचे अगर घर में ज़ाइद सामान हो तो माले नामी न होने के बावजूद अगर उसकी क़ीमत निसाब को पहुंचती हैं तो उसके मालिक पर सदक़ए फित्र वाजिब हो जाएगा !

सवाल : क्या सदक़ए फित्र में भी नियत करना और मुसलमान को माल का मालिक कर देना शर्त है ?

जवाब : जी हाँ ! सदक़ए फित्र में भी नियत करना और मुसलमान फक़ीर को माल का मालिक कर देना शर्त है !

सवाल : अगर बाप न हो तो क्या छोटे बच्चों का फितराना माँ पर वाजिब होगा ?

जवाब : अगर बाप न हो तो माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदक़ए फित्र देना वाजिब नहीं है , बल्कि बाप न हो तो उसकी जगह दादा पर अपने यतीम पोते पोती की तरफ से सदक़ए फित्र देना वाजिब है जबकि यह बच्चे मालदार न हो !

सवाल : अगर किसी ने रमज़ान के रोज़े रखे हो तो क्या वह भी सदक़ए फित्र अदा करेगा ?

जवाब : सदक़ए फित्र वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं , लिहाज़ा किसी उ़ज़्र मसलन सफर , मर्ज़ , बुढ़ापे या معاذالله عزوجل बिलाउ़ज़्र रोज़े न रखने वाला भी फितरा अदा करेगा !

सवाल : अगर ई़द की रात को बच्चा पैदा हुआ तो क्या उसका फितरा भी देना होगा ?

जवाब : शबे ई़द बच्चा पैदा हुआ तो उसका भी फितरा देना होगा क्योंकि ई़द के

दिन सुबह़ सादिक़ शुरूअ़ होते ही वाजिब हो जाता है और अगर बा'द में पैदा हुआ तो वाजिब नहीं !

सवाल : ई़द पर घर में मेहमान आए तो उनका फितरा क्या मेज़बान अदा करेगा ?

जवाब : ई़द पर आने वाले मेहमानों का सदक़ा मेज़बान अदा नहीं करेगा अगर मेहमान साह़िबे निसाब है तो अपना फितरा खुद अदा करें !

सवाल : अगर बीवी ने शोहर का फितरा उसकी इजाज़त के बग़ैर अदा कर दिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर बीवी ने शोहर की इजाज़त के बग़ैर उसका फितरा अदा किया तो अदा नहीं होगा जबकि सराह़तन या दलालतन इजाज़त न हो !

सवाल : अगर शोहर ने बीवी या बालिग़ औलाद की इजाज़त के बग़ैर उनका फितरा अदा कर दिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर शौहर ने बीवी या बालिग़ औलाद की इजाज़त के बग़ैर उनका फितरा अदा किया तो अदा हो जाएगा बशर्ते कि वह उसके इ़याल में हो !

सवाल : सदक़ए फित्र की मिक़्दार क्या है ?

जवाब : (1) गंदुम या उसका आटा या सत्तू निस्फ साअ़ (2) या खजूर या मुनक़्क़ा या जौ या उसका आटा या सत्तू एक साअ़ (3) इन चार चीज़ो (या'नी गंदुम , जौ , खजूर , मुनक़्क़ा) के अ़लावा अगर किसी दूसरी चीज़ से फितरा अदा करना चाहे मसलन चावल , जवार , बाजरा या और कोई गल्ला या और कोई चीज़ देना चाहे तो क़ीमत का लिहाज करना होगा या'नी वह चीज़ आधे साअ़ गेंहू (गंदुम) या एक साअ़ जौ की क़ीमत की हो - **नोट :** किलो के ऐ'तबार से निस्फ साअ़ की मिक़्दार एक किलो और नौ सो बीस

ग्राम (या'नी दो किलो से अस्सी ग्राम कम) और पूरे साअ की मिक़्दार तीन किलो और आठ सौ चालीस ग्राम (या'नी चार किलो से एक सौ साठ ग्राम कम) है !

सवाल : सदक़ए फित्र की अदायगी का बेहतर वक़्त कौन सा है ?
जवाब : बेहतर यह ईद की सुबह़ सादिक़ होने के बा'द और ईदगाह जाने से पहले अदा करें !

सवाल : सदक़ए फित्र ईद से पहले रमज़ान में अदा कर दिया तो क्या हुक्म है ?
जवाब : अगर ईदुल फित्र से पहले फितरा अदा करें तो जाइज़ बल्कि अगर रमज़ान से पहले भी अदा कर दिया तो जाइज़ है !

सवाल : सदक़ए फित्र के मसारिफ क्या है ?
जवाब : सदक़ए फित्र के मसारिफ वही है जो ज़कात के हैं -
लिहाज़ा जिनको ज़कात दे सकते हैं उन्हें फितरा भी दे सकते हैं और जिन्हें ज़कात नहीं दे सकते , उन्हें फितरा भी नहीं दे सकते !

किताबुस्सौम

सवाल : रोज़े की शर-ई ता'रीफ क्या हैं ?

जवाब : मुसलमान का बनियते इ़बादत सुबह़े सा़दिक़ से गुरूबे आफताब तक अपने को क़स्दन खाने पीने जिमाअ़ से बा'ज़ रखना शरअ़न रोज़ा है !

सवाल : रोज़े की कितनी क़िस्मे है ?

जवाब : रोज़े की पाँच क़िस्मे हैं (1) फर्ज़ (2) वाजिब (3) नफ्ल (4) मकरूहे तन्ज़ीही (5) मकरूहे तह़रीमी

सवाल : फर्ज़ रोज़े कौन से है ?

जवाब : फर्ज की दो क़िस्मे हैं (1) फर्ज़े मुअ़य्यन जैसे अदाए रमजान (2) फर्ज़े ग़ैरे मुअ़य्यन जैसे क़ज़ाए रमज़ान

सवाल : वाजिब रोज़े कौन से है ?

जवाब : इस की भी दो क़िस्में हैं (1) वाजिबे मुअ़य्यन जैसे नज़रे मुअ़य्यन (2) वाजिबे ग़ैरे मुअ़य्यन जैसे नज़रे मुतलक़

सवाल : नफ्ल रोज़े कौन से है ?

जवाब : आशूरा या'नी दसवीं मुह़र्रम का रोज़ा और उसके साथ नवीं का भी -

* हर महीने में तेरहवीं, चौदहवीं पन्द्रहवीं -
* अ़रफे का रोज़ा -
* पीर और जुमेरात का रोज़ा -
* शश ई़द के रोज़े -
* सौमे दाऊद علیہ السلام के रोज़े या'नी एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार , इनमे से कुछ मसनून है और कुछ मुसतह़ब !

सवाल : मकरूहे तन्ज़ीही कौनसे रोज़े है ?

जवाब : दर्जे ज़ैल रोज़े मकरूहे तन्ज़ीही है :

* सिर्फ हफ्ते के दिन रोज़ा रखना
* नैरोज़ व मेहरगान के दिन का रोज़ा
* सौमे दहर (या'नी हमेशा रोज़ा रखना)
* सौमे सुकूत (या'नी जिसमें कुछ बात न करे)
* सौमे विसाल कि रोज़ा रखकर इफ्तार न करे और दूसरे दिन फिर रोज़ा रखे !

सवाल : मकरूहे तह़रीमी कौनसे रोज़े है ?

जवाब : ई़द और अय्यामे तशरीक़ के रोज़े !

नियत का बयान

सवाल : रोज़े की नियत कब तक कर सकते है ?

जवाब : अदाए रोज़ाए रमज़ान और नज़रे मुअय्यन और नफ्ल के रोज़ो के लिये नियत का वक़्त गुरूबे आफताब के बा'द से ज़हवए कुबरा या'नी निस्फुन्नहारे शर-ई से पहले तक है इस पूरे वक़्त के दौरान आप जब भी नियत कर लेंगे यह रोज़े हो जायेंगे -

अदाए रोज़ए रमज़ान और नज़रे मुअय्यन और नफ्ल के अलावा बाक़ी रोज़े मसलन क़ज़ाए रमज़ान और नज़रे ग़ैरे मुअय्यन और नफ्ल की क़जा (या'नी नफ्ली रोज़ा रख कर तोड़ दिया था उसकी क़ज़ा) और नज़रे मुअय्यन की क़ज़ा और कफ्फारे का रोज़ा और तमत्तोअ का रोज़ा इन सब में ऐन सुबह चमकते वक़्त या रात में नियत करना ज़रूरी है -

नोट : दिन में वह नियत काम की है कि सुबहे सादिक़ से नियत करते वक़्त तक रोज़े के खिलाफ कोई अम्र न पाया गया हो , अल्बत्ता अगर सुबहे सादिक़ के बा'द भूलकर खा पी लिया हो या जिमाअ कर लिया तब भी नियत सही हो जायेगी , क्योंकि भूल कर अगर कोई डटकर भी खा पी ले तो इससे रोज़ा नही जाता !

सवाल : रोज़े की नियत कैसे करेंगे ?

जवाब : नियत दिल के इरादे का नाम है ज़बान से कहना शर्त नहीं , मगर ज़बान से कह लेना मुस्तहब है , अगर रात में रोज़ाए रमज़ान की नियत करे तो यूँ कहे : نويت أن أصوم غدا لله تعالى من فرض رمضان هذا तर्जमा : मैने नियत की कि अल्लाह عزوجل के लिए इस रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा कल रखूंगा -

और दिन में नियत करे तो यह कहे : نويت ان أصوم هذا اليوم لله تعالى من فرض رمضان तर्जमा : मैने नियत की कि अल्लाह عزوجل के लिए आज रमज़ान का फर्ज़

रोज़ा रखूंगा !

सवाल : अगर यू नियत की कि कल कहीं दा'वत हुई तो रोज़ा नही और न हुई तो रोज़ा है , तो क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर यू नियत की कि कल कहीं दा'वत हुई तो रोज़ा नही और न हुई तो रोज़ा है , ये नियत सही नही , रोज़ा न हुआ !

सवाल : रात में रोज़े की नियत करने के बा'द खा पी लिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब : गुरुबे आफताब से बा'द से लेकर रात के किसी वक़्त में भी नियत की फिर उसके बा'द रात ही में खाया पिया तो नियत न हुई , वही पहली ही काफी है फिर से नियत करना ज़रूरी नहीं !

सवाल : रोज़ा तोड़ने की सिर्फ नियत करने से क्या रोज़ा टूट जायेगा ?

जवाब : रोज़े के दौरान तोड़ने की सिर्फ नियत कर लेने से रोज़ा नही टूटेगा जब तक तोड़ने वाली चीज़ न करें या'नी सिर्फ ये नियत कर ली बस अब में रोज़ा तोड़ डालता हूँ तो इस तरह उस वक़्त तक रोज़ा नही टूटेगा जब तक ह़ल्क़ के नीचे कोई चीज़ न उतारेंगे या कोई ऐसा फै'ल न कर गुज़रेंगे जिस से रोज़ा टूट जायेगा !

सवाल : क्या सह़री खाना नियत शुमार होगा ?

जवाब : सह़री खाना भी नियत नही है , ख्वाह माहे रमज़ान के रोज़े के लिए हो या किसी और रोज़े के लिए मगर जब सह़री खाते वक़्त ये इरादा है कि सुबह़ रोज़ा न रखूंगा तो ये सहरी खाना नियत नही !

सवाल : क्या रमज़ान के शुरुअ में रमज़ान के तमाम रोज़े की इकठ्ठी नियत की जा सकती है ?

जवाब : रमज़ानुल मुबारक के हर रोज़े के लिए नई नियत ज़रूरी है , पहली तारीख या किसी भी और तारीख में अगर पूरे माहे रमजान में रोज़े की नियत सिर्फ उसी एक दिन के ह़क़ में है , बाक़ी दिनो के लिए नही !

सवाल : अगर कई रोज़े क़ज़ा हो गए हो , तो नियत कैसे की जाएगी ?

जवाब : कई रोज़े क़ज़ा हो तो नियत में ये होना चाहिए कि उस रमज़ान के पहले रोज़े की क़ज़ा , दूसरे की क़ज़ा और अगर कुछ इस साल के क़ज़ा हो गए कुछ पिछले साल के बाक़ी है तो ये नियत होनी चाहिए कि इस रमज़ान की क़ज़ा और उस रमज़ान की क़ज़ा और अगर दिन मुअ़य्यन न किया , जब भी हो जायेंगे !

चाँद का बयान

सवाल : किन महीनों का चाँद देखना ज़रूरी है ?

जवाब : पाँच महीनों का चाँद देखना वाजिबे किफाया है : (1) शा'बान (2) रमज़ान (3) शव्वाल (4) ज़ीक़ा'दह (5) ज़िलहिज्जा -

शा'बान का इसलिए कि अगर रमज़ान का चाँद देखते वक़्त अब्र या गुबार हो तो तीस पूरे कर के रमज़ान शुरूअ़ करें और रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए और शव्वाल का रोज़ा खत्म करने के लिए और ज़ीक़ा'दह का ज़िलहिज्जा के लिए और ज़िलहिज्जा का ब-क़रह ईद के लिये !

सवाल : रमज़ान के रोज़े कब से शुरूअ़ हुए ?

जवाब : शा'बान की उन्तीस को शाम के वक़्त चाँद देखें , दिखाई दे तो कल रोज़ा रखें वरना शा'बान के तीस दिन पूरे करके रमज़ान का महीना शुरूअ़ करें !

सवाल : किसी ने चाँद देखा , मगर किसी वजह से उसकी गवाही रद्द कर दी गयी , तो उसके लिए क्या हुक्म है ?

जवाब : किसी ने रमज़ान या ईद का चाँद देखा मगर उसकी गवाही किसी वजहे शर-ई से रद्द कर दी गयी मसलन फासिक़ है या ईद का चाँद उसने तन्हा देखा तो उसे हुक्म है कि रोज़ा रखे , अगर्चे अपने आप ईद का चाँद देख लिया है और इस रोज़े को तोड़ना जाइज़ नहीं , मगर तोड़ेगा तो कफ्फारा लाज़िम नहीं और इस सूरत में अगर रमज़ान का चाँद था और उसने अपने हिसाब की वजह से तीस रोज़े पूरे , किये मगर ईद के चाँद के वक़्त फिर अब्र या गुबार है तो उसे भी एक दिन और रखने का हुक्म है !

सवाल : चाँद होने या न होने में इल्मे हैअत का ऐ'तिबार है या नहीं ?

जवाब : जो शख्स इल्मे हैअत जानता है उसका अपने इल्मे हैयत के ज़रिए से कह देना कि आज चाँद हुआ या नहीं हुआ कोई चीज़ नहीं अगर्चे वह आ़दिल हो , अगर्चे कई शख्स ऐसा कहते हों कि शरीअ़त में चाँद देखना या गवाही से सुबूत का ऐ'तिबार है !

सवाल : बादलो की सूरत में रमज़ान के चाँद के सुबूत का शर-ई तरीक़ा क्या है ?
जवाब : अब्र और गुबार में रमज़ान का सुबूत एक मुसलमान आकिल बालिग़ , मस्तूर या आ़दिल शख्स से हो जाता है , वह मर्द हो ख्वाह औ़रत , आज़ाद हो या बांदी गुलाम या उस पर तोहमते ज़िना की ह़द मारी गई हो , जबकि तौबा कर चुका है !

सवाल : आ़दिल और मस्तूर के क्या मा'ना है ?
जवाब : आ़दिल होने के मा'ना यह हैं कि कम से कम मुत्तक़ी हो या'नी कबाइर गुनाह से बचता हो और सगीरा पर इसरार न करता हो और ऐसा काम न करता हो जो मुरव्वत के खिलाफ हो मसलन बाज़ार में खाना -
और मस्तूर या'नी जिसका ज़ाहिर ह़ाल मुताबिके शरअ़ है , मगर बातिन का ह़ाल मा'लूम नहीं उसकी गवाही भी ग़ैरे रमज़ान में क़ाबिले कुबूल नहीं !

सवाल : जिस आ़दिल शख्स ने चाँद देखा , क्या उसके लिए गवाही देना ज़रूरी है ?
जवाब : जिस आ़दिल शख्स ने रमज़ान का चाँद देखा उस पर वाजिब है कि उसी रात में शहादत अदा कर दे यहाँ तक कि अगर लौंडी या पर्दा नशीन औ़रत ने चाँद देखा तो उस पर गवाही देने के लिए उसी रात में जाना वाजिब है , औ़रत को गवाही के लिए जाना वाजिब , इसके लिए शौहर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं , मगर यह हुक्म उस वक़्त है जब उसकी गवाही पर सुबूत मौकूफ हो कि बे उसकी

गवाही के काम न चले वरना क्या ज़रूरत !

सवाल : क्या गवाही देने वाले से तफ्तीशी सुवालत करना लाज़िम है ?
जवाब : जिसके पास रमज़ान के चाँद की शहादत गुज़री , उसे यह ज़रूरी नहीं कि गवाह से यह दरयाफ्त करे कि तुमने कहाँ से देखा और किस तरफ था और कितने ऊँचे पर था वग़ैरा वग़ैरा -
मगर जबकि उसका बयान मुशतबेह हो तो सवालात करे खुसूसन ईद में , कि लोग ख्वामख्वाह उसका चाँद देख लेते हैं !

सवाल : मतलअ़ साफ हो तो रमजान के चाँद के सुबूत का शर-ई का तरीक़ा क्या है ?

जवाब : अगर मतलअ़ साफ हो तो जब तक बहुत से लोग शहादत न दें चाँद का सुबूत नहीं हो सकता , रहा यह कि उसके लिए कितने लोग चाहिए , यह क़ाज़ी के मुतअ़ल्लिक़ है , जितने गवाहों से उसे ग़ालिब गुमान हो जाये हुक्म दे देगा , मगर जबकि शहर के बाहर या बुलन्द जगह से चाँद देखना बयान करता है तो एक मस्तूर का क़ौल भी रमज़ान के चाँद में क़ुबूल कर लिया जायेगा !

सवाल : अगर लोग कही से आकर चाँद होने की खबर दें , तो क्या हुक्म है ?
जवाब : अगर कुछ लोग आकर यह कहें कि फुलां जगह चाँद हुआ , बल्कि शहादत भी दें कि फुलां जगह चाँद हुआ , बल्कि अगर यह शहादत दें कि फुलां फुलां ने देखा , बल्कि अगर यह शहादत दें कि फुलां जगह के क़ाजी ने रोज़ा या इफ्तार के लिए लोगों से कहा यह सब तरीक़े नाकाफी हैं !

सवाल : अगर मतलअ़ साफ न हो तो रमजान के अ़लावा के चाँद के सुबूत के कितने गवाह दरकार है ?
जवाब : मतलअ़ ना साफ हो तो अ़लावा रमज़ान के शव्वाल , ज़िलहिज्जा बल्कि

तमाम महीनों के लिए दो मर्द या एक मर्द और दो औ़रतें गवाही दें और सब आ़दिल हों और आज़ाद हो और उनमें किसी पर तोहमते ज़िना की ह़द न क़ाइम की गई हो अगर्चे तौबा कर चुका हो और यह भी शर्त है कि गवाह गवाही देते वक़्त यह लफ़्ज़ कहे - मैं गवाही देता हूँ !

सवाल : तन्हा इमाम या क़ाज़ी ने ई़द का चाँद देखा तो क्या ये अ़हद का हुक्म दे सकते है ?

जवाब : तन्हा इमाम या क़ाज़ी ने ई़द का चाँद देखा तो उन्हें ई़द करना या ई़द का हुक्म देना जाइज़ नहीं !

सवाल : अगर दिन में चाँद नज़र आ जाये तो क्या हुक्म है ?

जवाब : दिन में हिलाल दिखाई दिया ज़वाल से पहले या बा'द , बहरह़ाल वह आइन्दा रात का क़रार दिया जायेगा या'नी अब जो रात आयेगी उससे महीना शुरूअ़ होगा तो अगर तीसवें रमज़ान के दिन में देखा तो यह दिन रमज़ान ही का है शव्वाल का नहीं और रोज़ा पूरा करना फर्ज़ है और अगर शा'बान की तीसवी तारीख के दिन में देखा तो यह दिन शा'बान का है रमज़ान का नहीं , लिहाज़ा आज का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं !

सवाल : एक जगह चाँद देखा गया , वो सिर्फ वहीँ के लिए है या हर जगह के लिए ?

जवाब : एक जगह चाँद हुआ तो वह सिर्फ वहीं के लिए नहीं , बल्कि तमाम जहान के लिए है , मगर दूसरी जगह के लिए इसका हुक्म उस वक़्त है कि उन के नज़दीक उस दिन तारीख में चाँद होना शर-ई सुबूत से साबित हो जाये या'नी देखने की गवाही या क़ाज़ी के हुक्म की शहादत गुज़रे या बहुत सी जमाअ़त वहां से आकर खबर दें कि फुलां जगह चाँद है और वहां लोगों ने रोज़ा रखा या ई़द की

है !

सवाल : चाँद के सुबूत में कौन से तरीक़े ना मौ'तबर है ?

जवाब : तार या टेलीफोन से रूयते हिलाल नहीं साबित हो सकती , न बाज़ारी अफवाह और जन्तरियों और अखबारों में छपा होना कोई सुबूत है , आजकल ़उमूमन देखा जाता है कि उन्तीस रमज़ान को बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह तार भेजे जाते हैं कि चाँद हुआ या नहीं , अगर कहीं से तार आ गया बस लो ईद आ गई यह महज़ नाजाइज़ व ह़राम है !

सवाल : चाँद देखकर उसकी तरफ उंगली से इशारा करना कैसा ?

जवाब : हिलाल देखकर उसकी तरफ उंगली से इशारा करना मकरूह है , अगर्चे दूसरे को बताने के लिए हो !

मुफ्सिदाते रोज़ा

सवाल : रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ कौनसी है ?

जवाब : (1) खाने-पीने जिमाअ़ करने से रोज़ा जाता रहता है जबकि रोज़ादार होना याद हो -

(2) हुक्का , सिगार , सिगरेट , चर्स पीने से रोज़ा जाता रहता है अगर्चे अपने खयाल में ह़ल्क़ तक धुआँ न पहुँचाता हो -

(3) पान या सिर्फ तम्बाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा अगर्चे पीक थूक दी हो कि उसके बारीक अज्ज़ा ज़रूर ह़ल्क़ में पहुंचते हैं -

(4) शकर वग़ैरा ऐसी चीज़ें जो मुँह में रखने से घुल जाती हैं मुँह में रखी और थूक निगल गया रोज़ा जाता रहा -

(5) दाँतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा थी उसे खा गया था कम ही थी मगर मुँह से निकाल कर फिर खा ली तो रोज़ा टूट गया -

(6) दाँतों से खून निकल कर ह़ल्क़ से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मज़ा ह़ल्क़ में महसूस हुआ तो इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा और अगर कम था और मज़ा भी महसूस न हुआ तो रोज़ा न गया -

(7) रोज़ा याद रहने के बावजूद हुक़्ना लिया , या नाक के नथनों से दवाई चढ़ाई रोज़ा जाता रहा -

(8) कुल्ली कर रहा था कि बिलाक़स्द पानी ह़ल्क़ से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया रोज़ा जाता रहा मगर जब कि सज़ा होना भूल गया हो तो न टूटेगा अगर्चे क़स्दन (जानबूझ कर) हो , यूहीं किसी ने रोज़ादार की तरफ कोई चीज़ फेंकी वह उसके ह़ल्क़ में चली गयी रोज़ा जाता रहा -

(9) सोते में (या'नी नींद की ह़ालत में) पानी पी लिया या कुछ खा लिया , या मुँह खुला था , पानी का क़तरा या ओला ह़ल्क़ में जा रहा रोज़ा जाता रहा -
(10) दूसरे का थूक निगल गया या अपना ही थूक हाथ पर लेकर निगल गया तो रोज़ा जाता रहा -
नोट : जब तक थूक या बलग़म मुँह के अन्दर मौजूद हो उसे निगल जाने से रोज़ा नहीं जाता , बार बार थूकते रहना ज़रूरी नहीं -
(11) आँसू मुँह में चला गया और निगल लिया अगर क़तरा दो क़तरा है तो रोज़ा न गया और ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुँह में महसूस हुई तो जाता रहा , पसीना का भी यही हुक्म है -
(12) फुज़्ले का मक़ाम बाहर निकल पड़ा तो हुक्म ये है कि खूब अच्छी तरह किसी कपड़े वगैरा से पोंछकर उठे कि तरी बाक़ी न रहे , अगर पानी उस पर बाक़ी था और खड़ा हो गया कि पानी अन्दर चला गया तो रोज़ा फ़ासिद हो गया , इसी वजह से फु-क़हाए किराम رحمهم الله تعالى फरमाते हें रोज़ादार इस्तिन्जा करने में साँस न ले !

सवाल : रोज़े में क़ै से कब रोज़ा टूटेगा ?
जवाब : अगर रोज़ा याद होने के बावजूद क़स्दन (या'नी जान बूझ कर) क़ै की और अगर मुँह भर है तो अब रोज़ा टूट जायेगा , बशर्ते कि क़ै खाने , पानी , सफरा (कड़वे पानी) या खून की हो -
याद रहें कि
* रोज़े में खुद ब खुद कितनी ही क़ै (उल्टी) हो जाये (ख्वाह बाल्टी ही क्यों न भर जाये) इससे रोज़ा नहीं टूटता -
* क़स्दन मुँह भर होने वाली क़ै से भी उस सूरत में रोज़ा टूटेगा जबकि क़ै में खाना या (पानी) या सफरा (या'नी पित्त) या खून आये , अगर कै में सिर्फ

बलग़म आया तो रोज़ा नहीं टूटेगा -

* क़स्दन क़ै की मगर थोड़ी सी आई , मुँह भर न आई तो अब भी रोज़ा न टूटा -

* मुँह भर से कम क़ै हुई और मुँह ही से दोबारा लौट गई या खुद ही लौटा दी , दोनो सूरतों में रोज़ा नही टूटेगा -

* मुँह भर क़ै बिला इख्तियार हो गई तो न टूटा अलबत्ता अगर इसमें से एक चने के बराबर भी वापस लौटा दी तो रोज़ा टूट गया , और एक चने से कम हो तो रोज़ा न टूटा !

सवाल : मुँह भर क़ै की ता'रीफ क्या है ?

जवाब : मुँह भर क़ै के मा'ना ये है , उसे बिला तकल्लुफ न रोका जा सके !

रोज़ा न तोड़ने वाली चीज़

सवाल : बा'ज़ वह चीज़े भी बयान कर दें जिन से रोज़ा नहीं टूटता ?

जवाब : दर्जे ज़ैल सूरतो में रोज़ा नही टूटता :

(1) भूलकर खाया या पिया या जिमाअ़ किया रोज़ा फासिद न हुआ ख्वाह वह रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफ्ल -

(2) रोज़ा याद होने के बावजूद भी मक्खी या गुबार या धुंवा ह़ल्क़ में चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता , ख्वाह गुबार आटे का हो जो चक्की पीसने या आटा छानने में उड़ता है या गल्ले का गुबार हो या हवा से खाक उड़ी या जानवरों के खुर या टाप से -

(3) अगरबत्ती सुलग रही है और उसका धुंवा नाक में गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा हाँ अगर लौबान या अगरबत्ती सुलग रही हो और रोज़ा याद होने के बावजूद मुँह क़रीब ले जाकर उसका धुंवा नाक से खींचा तो रोज़ा फासिद हो जायेगा - (4) पछ्ने (ह़िजामा) लगवाये या तेल या सुर्मा लगाया तो रोज़ा न गया अगर्चे तेल या सुर्मे का मज़ा ह़ल्क़ में महसूस होता हो बल्कि थूक में सुर्मे का रंग भी दिखाई देता हो जब भी रोज़ा नहीं टूटटा -

(5) गुस्ल किया और पानी की खुनकी (या'नी ठंडक) अन्दर महसूस हुई जब भी रोज़ा नहीं टूटा -

(6) कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया सिर्फ कुछ तरी मुँह में बाक़ी रह गयी थी थूक के साथ इसे निगल गया रोज़ा नहीं टूटा -

(7) दवा कूटी और ह़ल्क़ में उसका मज़ा महसूस हुआ रोज़ा नहीं टूटा -

(8) कान में पानी चला गया जब भी रोज़ा नहीं टूटा बल्कि खुद पानी डाला जब भी न टूटा -

(9) दाँत या मुँह में खफीफ (बहुत मा'मूली) चीज़ बे मा'लूम सी रह गई कि

लुआ़ब के साथ खुद ही उतर जायेगी और वह उतर गई रोज़ा नहीं टूटा -

(10) दाँतों से खून निकलकर ह़ल्क़ तक पहुँचा मगर ह़ल्क़ से नीचे न उतरा तो रोज़ा न गया -

(11) मक्खी ह़ल्क़ में चली गयी रोज़ा न गया और क़स्दन (या'नी जन बूझ कर) निगली तो चला गया -

(12) भूले से खाना खा रहे थे , याद आते ही लुक़्मा फेंक दिया या पानी पी रहे थे याद आते ही मुँह का पानी फेंक दिया तो रोज़ा न गया , अगर मुँह में का लुक़्मा या पानी याद आने के बावजूद निगल गए तो रोज़ा गया -

(13) सुब्हे सादिक़ से पहले खा या पी रहे थे और सुब्ह़ होते ही (या'नी सह़री का वक़्त ख़त्म होते ही) मुँह में का सब कुछ उगल दिया तो रोज़ा न गया और अगर निगल लिया तो जाता रहा -

(14) ग़ीबत की , तो रोज़ा न गया -

अगर्चे ग़ीबत सख्त कबीरा गुनाह है , ग़ीबत की वजह से रोज़े की नूरानियत जाती रहती है -

(15) जनाबत (या'नी गुस्ल फ़र्ज़ होने) की ह़ालत में सुब्ह़ की बल्कि अगर्चे सारे दिन जुनुब (या'नी बे गुस्ल) रहा , रोज़ा न गया -

मगर इतनी देर तक क़स्दन (या'नी जान बूझ कर) गुस्ल न करना कि नमाज़ क़ज़ा हो जाए गुनाह व ह़राम है , ह़दीस शरीफ़ में फ़रमाया : जिस घर में जुनुब हो उस में रह़मत के फ़िरिश्ते नहीं आते -

(16) थूक या बलग़म मुँह में आया फिर उसे निगल गए तो रोज़ा न गया !

सवाल : किसी रोज़ेदार को भूल कर खाता पीता देखें तो क्या हुक्म है ?

जवाब : किसी रोज़ेदार को इन अफआ़ल में देखें तो याद दिलाना वाजिब है , हाँ रोज़ेदार बहुत ही कमज़ोर हो कि याद दिलाने पर वोह खाना छोड़ देगा जिस की

वजह से कमज़ोरी इतनी बढ़ जाएगी कि उसके लिये रोज़ा रखना ही दुश्वार हो जाएगा और अगर खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी तरह पूरा कर लेगा और दीगर इबादतें भी बखूबी अदा कर सकेगा (और चूंकि भूलकर खा पी रहा है इस लिये इस का रोज़ा तो हो ही जाएगा) लिहाज़ा इस सूरत में याद न दिलाना ही बेहतर है , बा'ज़ मशाइखे किराम رحمهم الله تعالى फ़रमाते है : जवान को देखे तो याद दिला दे और बूढ़े को देखे तो याद न दिलाने में ह़रज नहीं मगर येह हुक्म अक्सर के लिहाज़ से है क्यूंकि जवान अक्सर क़वी (या'नी ताक़त वर) होते हैं और बूढ़े अक्सर कमज़ोर , चुनांचे अस्ल हुक्म येही है कि जवानी और बुढ़ापे को कोई दखल नहीं बल्कि कुव्वत व ज़ो'फ़ (या'नी ताक़त और कमज़ोरी) का लिहाज़ है लिहाज़ा अगर जवान इस क़दर कमज़ोर हो तो याद न दिलाने में ह़रज नहीं और बूढ़ा क़वी (या'नी ताक़त वर) हो तो याद दिलाना वाजिब है !

वो सूरते जिनमे सिर्फ क़ज़ा लाज़िम होती है ?

सवाल : रोज़ा तोड़ने की किन सूरतों में सिर्फ क़ज़ा लाज़िम होती है ?

जवाब : दर्जे ज़ैल सूरतो में सिर्फ क़ज़ा लाज़िम होती है :

(1) येह गुमान था कि सुब्ह़ नहीं हुई और खाया, पिया या जिमाअ़ किया बा'द को मा'लूम हुवा कि सुब्ह़ हो चुकी थी तो रोज़ा न हुवा, इस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी है या'नी इस रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना होगा -

(2) खाने पर सख्त मजबूर किया गया या'नी इकराहे शर-ई पाया गया, अब चूंकि मजबूरी है , लिहाज़ा ख़्वाह अपने हाथ से ही खाया हो सिर्फ क़ज़ा लाज़िम है - रोज़ा तोड़ने पर इकराहे शर-ई का मतलब ये है कोई क़त्ल या उ़ज़्व काट डालने या शदीद मार लगाने की सह़ीह़ धम्की दे कर कहे कि रोज़ा तोड़ डाल , अगर रोज़ादार येह समझे कि धम्की देने वाला जो कुछ कह रहा है वोह कर गुज़रेगा , तो ऐसी ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ डालने की रुख्सत है मगर बा'द में इस रोज़े की क़ज़ा लाजिमी है -

(3) भूल कर खाया, पिया या जिमाअ़ किया था या नज़र करने से इन्ज़ाल हुवा था या एह़तिलाम हुवा या क़ै हुई और इन सब सूरतों में येह गुमान किया कि रोज़ा जाता रहा , अब क़स्दन खा लिया तो सिर्फ क़ज़ा फ़र्ज़ है -

(4) रोज़े की ह़ालत में नाक में दवा चढ़ाई तो रोज़ा टूट गया और इस की क़ज़ा लाज़िम है !

(5) पथ्थर , कंकरी , (ऐसी) मिट्टी (जो आ़दतन न खायी जाती हो) , रूई , घास , कागज़ वग़ैरा ऐसी चीज़ खाई जिन से लोग घिन करते हों , इन से रोज़ा तो टूट गया मगर सिर्फ क़ज़ा करना होगा -

(6) बारिश का पानी या ओला ह़ल्क़ में चला गया तो रोज़ा टूट गया और क़ज़ा लाज़िम है

(7) बहुत सारा पसीना या आंसू निगल लिया तो रोज़ा टूट गया , क़ज़ा करना होगा -

(8) गुमान किया कि अभी तो रात बाक़ी है , सह़री खाते रहे और बा'द में पता चला कि सह़री का वक़्त ख़त्म हो चुका था , इस सूरत में भी रोज़ा गया और क़ज़ा करना होगा -

(9) इसी तरह गुमान कर के कि सूरज ग़ुरूब हो चुका है , खा पी लिया और बा'द में मा'लूम हुवा कि सूरज नहीं डूबा था जब भी रोज़ा टूट गया और क़ज़ा करें !

(10) अगर ग़ुरूबे आफ़ताब से पहले ही साइरन की आवाज़ गूंज उठी या अज़ाने मग़रिब शुरूअ़ हो गई और रोज़ा इफ्तार कर लिया और बा'द में मा'लूम हुवा कि साइरन या अज़ान वक़्त से पहले ही शुरूअ़ हो गए थे , रोज़ा टूट गया क़ज़ा करना होगा -

(11) वुज़ू कर रहे थे पानी नाक में डाला और दिमाग तक चढ़ गया या ह़ल्क़ के नीचे उतर गया , रोज़ादार होना याद था तो रोज़ा टूट गया और क़ज़ा लाज़िम है , हाँ उस वक़्त रोज़ादार होना याद नहीं था तो रोज़ा न गया !

कफ्फारे के अह़काम

सवाल : रोज़ा तोड़ने का कफ्फारा क्या है ?

जवाब : रोज़ा तोड़ने का कफ्फारा येह है कि मुम्किन हो तो एक बांदी या ग़ुलाम आज़ाद करे और येह न कर सके मसलन इस के पास न लौंडी , ग़ुलाम है न इतना माल कि खरीद सके , या माल तो है मगर ग़ुलाम मुयस्सर नहीं , जैसा कि आज कल लौंडी ग़ुलाम नहीं मिलते , तो अब पै दर पै साठ रोज़े रखे , येह भी अगर मुम्किन न हो तो साठ मिस्कीनों को पेट भर कर दोनों वक़्त खाना खिलाए येह ज़रूरी है कि जिस को एक वक़्त खिलाया दूसरे वक़्त भी उसी को खिलाए , येह भी हो सकता है कि साठ मसाकीन को एक एक सदक़ए फ़ित्र या'नी एक किलो 920 ग्राम गेहूँ या उस की रक़म का मालिक कर दिया जाए , एक ही मिस्कीन को इकट्ठे साठ सदक़ए फित्र नहीं दे सकते, हाँ येह कर सकते हैं कि एक ही को साठ दिन तक रोज़ाना एक एक सदक़ए फ़ित्र दें , रोज़ों की सूरत में (दौराने कफ्फारा) अगर दरमियान में एक दिन का भी रोज़ा छूट गया तो फिर नए सिरे से साठ रोज़े रखने होंगे पहले के रोज़े शामिले ह़िसाब न होंगे अगर्चे उन्सठ रख चुका था , चाहे बीमारी वग़ैरा किसी भी उ़ज़्र के सबब छूटा हो , हाँ औ़रत को अगर ह़ेज़ आ जाए तो ह़ेज़ की वजह से जितने नागे हुए , ये नागे शुमार नहीं किए जायेंगे , या'नी पहले के रोज़े और ह़ेज़ के बा'द वाले दोनों मिलकर साठ हो जाने से कफ्फारा अदा हो जायेगा !

सवाल : कफ्फारे के कुछ अह़काम बयान कर दें ?

जवाब : कफ्फारे के कुछ अह़काम दर्जे ज़ैल है :

(1) रमज़ानुल मुबारक में किसी आ़किल बालिग़ मुक़ीम (या'नी जो शर-ई़ मुसाफिर न हो) ने अदाए रोज़ए रमज़ान की निय्यत से रोज़ा रखा और बिग़ैर किसी सह़ीह़

मजबूरी के जानबूझ कर जिमाअ किया या करवाया , या कोई भी चीज़ लज़्ज़त के लिये खाई या पी तो रोज़ा टूट गया और इस की क़ज़ा और कफ्फारा दोनों लाज़िम हैं -

(2) जिस जगह रोज़ा तोड़ने से कफ्फारा लाज़िम आता है , उस में शर्त येह है कि रात ही से रोज़ए रमज़ानुल मुबारक की निय्यत की हो , अगर दिन में निय्यत की और तोड़ दिया तो कफ्फ़ारा लाज़िम नहीं सिर्फ क़ज़ा काफ़ी है -

(3) एह़तिलाम हुवा और इसे मा'लूम भी था कि रोज़ा न गया इस के बावजूद खा लिया तो कफ्फारा लाज़िम है -

(4) अपना लुआ़ब (या'नी थूक) थूक कर चाट लिया या दूसरे का थूक निगल लिया तो कफ्फारा नहीं मगर महबूब (या'नी प्यारे) का लज़्ज़त या मुअ़ज़्ज़मे दीनी (या'नी बुज़ुर्ग) का तबर्रूक के तौर पर थूक निगल लिया तो कफ्फारा लाज़िम है -

(5) ख़रबूजे या तरबूज़ का छिलका खाया , अगर खुश्क हो या ऐसा हो कि लोग इस के खाने से घिन करते हों , तो कफ्फारा नहीं , वरना है -

(6) कच्चे चावल , बाजरा , मसूर , मूंग खाई तो कफ्फारा लाज़िम नहीं , येही हुक्म कच्चे जौ का है और भुने हुए हों तो कफ्फारा लाज़िम -

(7) सह़री का निवाला मुँह में था कि सुब्ह़े सादिक़ का वक़्त हो गया , या भूल कर खा रहे थे निवाला मुँह में था कि याद आ गया , फिर भी निगल लिया तो इन दोनों सूरतों में कफ्फारा वाजिब और अगर निवाला मुँह से निकाल कर फिर खा लिया हो तो सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी कफ्फारा नहीं -

(8) अगर दो रोज़े तोड़े तो दोनों के लिये दो कफ्फारे दे अगर्चे पहले का अभी कफ़्फ़ारा अदा न किया था जब कि दोनों दो रमज़ान के हों , और अगर दोनों रोज़े एक ही र-मज़ान के हों और पहले का कफ्फारा न अदा किया हो तो एक ही कफ्फारा दोनों के लिये काफ़ी है -

(9) कफ़्फ़ारा लाज़िम होने के लिये येह भी ज़रूरी है कि रोज़ा तोड़ने के बा'द कोई ऐसा अम्र (या'नी मुआ़-मला) वाक़ेअ़ न हुवा हो जो रोज़े के मुनाफ़ी (या'नी ख़िलाफ़ , उलट) है या बग़ैर इख़्तियार ऐसा अम्र (या'नी मुआ़-मला) न पाया गया हो जिस की वजह से रोज़ा तोड़ने की रुख़्सत होती , मसलन औ़रत को उस दिन हैज़ या निफ़ास आ गया या रोज़ा तोड़ने के बा'द उसी दिन में ऐसा बीमार हुवा जिस में रोज़ा न रखने की इजाज़त है तो कफ्फारा साक़ित है और सफ़र से साक़ित न होगा कि येह इख़्तियारी अम्र है -

(10) जिन सूरतों में रोज़ा तोड़ने पर कफ्फारा लाज़िम नहीं उन में शर्त है कि एक बार ऐसा हुवा हो और मा'सियत (या'नी नाफ़रमानी) का क़स्द (इरादा) न किया हो वरना उन में कफ्फारा देना होगा !

मकरूहाते रोज़ा

सवाल : रोज़े के मकरूहात बयान कर दें ?

जवाब : रोज़ के दर्जे ज़ैल मकरूहात है :

(1) झूट , चुगली , ग़ीबत , गाली देना , बेहूदा बात , किसी को तक्लीफ़ देना कि येह चीज़े वैसे भी ना जाइज़ व ह़राम हैं रोज़े में और ज़्यादा ह़राम और इन की वजह से रोज़े में कराहत आती है -

(2) रोज़ादार को बिला उ़ज़्र किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरुह है , चखने के लिये उ़ज़्र येह है कि मसलन औ़रत का शोहर या बांदी ग़ुलाम का आक़ा बद मिजाज़ है कि नमक कम व बेश होगा तो उस की नाराज़ी का बा-इ़स होगा , इस वजह से चखने में ह़रज नहीं , चबाने के लिये उ़ज़्र येह है कि इतना छोटा बच्चा है कि रोटी नहीं चबा सकता और कोई नर्म गिज़ा नहीं जो उसे खिलाई जाये , न ह़ैज़ व निफ़ास वाली या कोई और बे रोज़ा ऐसा है जो उसे चबा कर दे , तो बच्चे के खिलाने के लिये रोटी वग़ैरा चबाना मकरूह नहीं -

नोट : चखने के वोह मा'ना नहीं जो आज कल आम मुहावरा है या'नी किसी चीज़ का मज़ा दरयाफ़्त करने के लिये उस में से थोड़ा खा लिया जाता है , कि यूँ हो तो कराहत कैसी रोज़ा ही जाता रहेगा , बल्कि कफ्फ़ारे के शराइत पाए जाएं तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम होगा , बल्कि चखने से मुराद येह है कि सिर्फ ज़बान पर रख कर मज़ा दरयाफ्त कर लें और उसे थूक दें , उस में से ह़ल्क़ में कुछ भी न जाने पाए -

(3) औ़रत का बोसा लेना और गले लगाना और बदन को छूना मकरूह है जबकि येह अन्देशा हो कि इन्ज़ाल हो जाएगा या जिमाअ़ में मुब्तला होगा और होंट और

ज़बान चूसना रोज़े में मुतलक़न (इन्ज़ाल और जिमाअ़ का डर हो या न हो) मकरूह हैं , यूँ ही मुबा-शरते फ़ाहि़शा -

(4) फस्द खुलवाना , पछने लगवाना मकरूह नहीं जबकि कमज़ोरी का अन्देशा न हो और अन्देशा हो तो मकरूह है उसे चाहिए कि ग़ुरुब तक मुअख्खर करे -

(5) रोज़ादार के लिए कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालग़ा करना मकरूह है , कुल्ली में मुबालग़ा करने के यह मा'ना हैं कि भर मुँह पानी ले -

(6) रोज़ादार को इस्तिन्जा में मुबालग़ा करना भी मकरूह है या'नी और दिनों में हुक्म यह है कि इस्तिन्जा करने में नीचे को ज़ोर दिया जाये और रोज़े में यह मकरूह हैं -

(7) मुँह में थूक इकठ्ठा कर के निगल जाना बग़ैर रोज़ा भी ना पसंद है और रोज़े में मकरूह -

(8) रमज़ान के दिनों में ऐसा काम करना जाइज़ नहीं जिससे ऐसी ज़ो'फ आ जाये कि रोज़ा तोड़ने का ज़न ग़ालिब हो , लिहाज़ा नानबाई को चाहिए कि दोपहर तक रोटी पकाए फिर बाक़ी दिन में आराम करें -

यही हुक्म मे'मार व मज़दूर और मशक़्क़त के काम करने वालों का है कि ज़्यादा ज़ो'फ का अन्देशा हो तो काम में कमी कर दें कि रोज़े अदा कर सकें -

(9) सह़री का खाना और उसमें ताखीर करना मुसतह़ब है , मगर इतनी ताखीर मकरूह है कि सुब्ह़ हो जाने का शक हो जाये -

(10) इफ्तार में जल्दी करना मुसतह़ब है , मगर इफ्तार उस वक़्त करे कि ग़ुरूब का ग़ालिब गुमान हो , जब तक गुमान ग़ालिब न हो इफ्तार न करे अगर्चे मुअज़्ज़िन ने अज़ान कह दी है और अब्र के दिनों में इफ्तार में जल्दी न चाहिए !

सवाल : क्या रोज़े की ह़ालत में गुलाब या मुश्क़ वग़ैरा सूंघना , दाढ़ी मूंछ में तेल लगाना मकरूह है ?

जवाब : गुलाब या मुश्क़ वग़ैरा सूंघना , दाढ़ी मूंछ में तेल लगाना और सुरमा लगाना मकरुह नहीं , मगर जबकि ज़ीनत के लिए सुरमा लगाया या इसलिए तेल लगाया कि दाढ़ी बढ़ जाए , ह़ालांकि एक मुश्त दाढ़ी है तो ये दोनो बातें बग़ैर रोज़े के भी मकरूह है और रोज़े में ब-दरजए औला !

सवाल : क्या रोज़े की ह़ालत में मिस्वाक करना मकरूह है ?

जवाब : रोज़े में मिस्वाक करना मकरूह नहीं बल्कि जैसे और दिनों में सुन्नत है वैसे ही रोज़े में भी सुन्नत है, मिस्वाक खुश्क हो या तर , अगर्चे पानी से तर की हो , ज़वाल से पहले करें या बा'द , किसी वक़्त भी मकरूह नहीं -

अक्सर लोगों में मशहूर है कि दो पहर के बा'द रोज़ादार के लिये मिस्वाक करना मकरूह है येह हमारे मज़हबे ह़-नफ़िय्या के खिलाफ़ है

रोज़ा न रखने की इजाज़त की सूरतें

सवाल : किन सूरत में रोज़ा न रखने की इजाज़त है ?

जवाब : (1) सफ़र (2) औ़रत को ह़मल होना (3) बच्चे को दूध पिलाना (4) मरीज़ (5) शैखे फ़ानी (बूढ़ा होना) (6) खौफे हलाक (7) रोज़ा न रखने पर इकराह किया गया हो (8) जिहाद यह सब रोज़ा न रखने के लिए उ़ज़्र हैं , इन वुजूह से अगर कोई रोज़ा न रखे तो गुनाहगार नहीं !

सवाल : जिस सफर में रोज़ा न रखने की इजाज़त है , वो कौनसा सफर है ?

जवाब : सफर से मुराद सफ़रे शर-ई है या'नी इतनी दूर जाने के इरादे से निकले कि यहाँ से वहां तक तीन दिन की मसाफत (92 किलोमीटर) हो , अगर्चे वह सफर किसी नाजाइज़ काम के लिए हो !

सवाल : मुसाफिर को रोज़ा न रखने की इजाज़त है , उसके लिए क्या बेहतर है , रोज़ा रखना या न रखना ?

जवाब : अगर खुद उस मुसाफ़िर को और उस के साथ वाले को रोज़ा रखने में ज़रर न पहुंचे तो रोज़ा रखना सफ़र में बेहतर है वरना न रखना बेहतर !

सवाल : ह़मल वाली और दूध पिलाने वाली को कब रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है ?

जवाब : ह़मल वाली और दूध पिलाने वाली को अगर अपनी जान या बच्चे का सह़ीह़ अन्देशा है , तो इजाज़त है कि उस वक़्त रोज़ा न रखे , ख्वाह दूध पिलाने वाली बच्चे की माँ हो या दाई अगर्चे रमज़ान में दूध पिलाने की नौकरी की हो !

सवाल : मर्ज़ की वजह से रोज़ा छोड़ने की कब इजाज़त है ?

जवाब : मरीज़ को मर्ज़ बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तन्दरुस्त को बीमार हो जाने का गुमान ग़ालिब हो तो उस को इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा न रखें !

सवाल : मरीज़ को ग़ालिब गुमान कब होगा ?

जवाब : ग़ालिब गुमान की तीन सूरते हैं :

(1) उसकी ज़ाहिर निशानी पाई जाती हैं या

(2) उस शख्स का ज़ाती तजर्बा है या

(3) किसी मुसलमान तबीबे ह़ाज़िक़ मस्तूर या'नी ग़ैरे फ़ासिक ने उसकी खबर दी हो -

और अगर न कोई अ़लामत हो न तजर्बा न उस क़िस्म के तबीब ने उसे बताया बल्कि किसी काफिर या फासिक़ तबीब के कहने से इफ्तार कर लिया तो कफ्फारा लाज़िम आयेगा -

आजकल के अक्सर अतिब्बा अगर काफिर नही तो फासिक़ ज़रूर है और न सही तो ह़ाज़िक़ त़बीब फी ज़माना नायाब से हो रहे हैं , उन लोगों का कहना कुछ क़ाबिले ऐ'तिबार नहीं , न उनके कहने पर रोज़ा इफ्तार किया जाये , उन तबीबों को देखा जाता है कि ज़रा-ज़रा सी बीमारी में रोज़ा मनअ़ कर देते हैं , इतनी भी तमीज़ नहीं रखते कि किस मरज़ में रोज़ा मुज़िर है और किस में नहीं !

सवाल : हलाकत के खौफ से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है , इसकी क्या सूरत होगी ?

जवाब : भूक और प्यास ऐसी हो कि हलाकत का खौफे सह़ीह़ या नुक्साने अ़क्ल का अन्देशा हो तो रोज़ा न रखे -

इसी तरह साँप ने काटा और जान का अन्देशा हो तो इस सूरत में रोज़ा तोड़ दें !

सवाल : इकराह की सूरत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है , इससे क्या मुराद है ?

जवाब : रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया गया तो उसे इख़्तियार है और सब्र किया तो उसे अज्र मिलेगा !

सवाल : शैखे फानी को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है , इस की क्या सूरत है ?
जवाब : शैखे फानी या'नी वह बूढ़ा जिसकी उम्र ऐसी हो गयी कि अब रोज़-बरोज़ कमज़ोर होता जायेगा , जब वह रोज़ा रखने से आ़जिज़ हो या'नी न अब रख सकता है न आइन्दा उसमें इतनी ताक़त आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकेगा , उसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है और हर रोज़े के बदले में फिदया या'नी दोनों वक़्त एक मिस्कीन को भर पेट खाना खिलाना उस पर वाजिब है या हर रोज़े के बदले में सदक़ए फित्र की मिक़्दार मिस्कीन को दे दें -

अगर ऐसा बूढ़ा गर्मियों में गर्मी की वजह से रोज़े नहीं रख सकता , मगर सर्दियों में रख सकेगा तो अब इफ्तार कर ले और इनके बदले में सर्दियों में रखना फर्ज़ है !

सवाल : औ़रत को दौराने रोज़ा ह़ैज़ आ गया तो क्या हुक्म है ?
जवाब : औ़रत को जब ह़ैज़ व निफास आ गया तो रोज़ा जाता रहा और ह़ैज़ से पूरे दस दिन दस रात में पाक हुई तो बहरहाल आने वाले कल का रोज़ा रखे और कम में पाक हुई तो अगर सुब्हे सादिक़ होने को इतना अ़रसा है कि नहा कर खफीफ सा वक़्त बचेगा तो भी रोज़ा रखे और अगर नहा कर फारिग़ होने के वक़्त सुब्हे सादिक़ चमकी तो रोज़ा नहीं !

सवाल : ऊपर वाली सूरत में जो रोज़े छोड़े है या तोड़े है , क्या उनकी क़ज़ा रखनी है ?
जवाब : जिन लोगों ने इन उ़ज़्रो के सबब रोज़ा तोड़ा , उन पर फर्ज़ है कि उन रोज़ों की क़ज़ा रखें और उन क़ज़ा रोज़ो में तरतीब फर्ज़ नहीं , लिहाज़ा अगर उन रोज़ों के पहले नफ्ल रोज़े रखे तो यह नफ्ल रोज़े हो गये मगर हुक्म यह है कि उ़ज़्र जाने के बा'द दूसरे रमज़ान के आने से पहले क़ज़ा रख लें , ह़दीस में

फरमाया : जिस पर अगले रमज़ान की क़ज़ा बाक़ी है और वह न रखे उसके इस रमज़ान के रोज़े कुबूल न होंगे -

और अगर रोज़े न रखे और दूसरा रमज़ान आ गया तो अब पहले इस रमज़ान के रोज़े रख ले क़ज़ा न रखे बल्कि अगर ग़ैरे मरीज़ व मुसाफ़िर ने क़ज़ा की नियत की जब भी क़ज़ा नहीं बल्कि इसी रमज़ान के रोज़े हैं !

सवाल : अगर ये लोग इसी उज़्र में मर गए तो क्या हुक्म है ?
जवाब : अगर यह लोग अपने उसी उज़्र में मर गये इतना मौक़ा न मिला कि क़ज़ा रखते तो इन पर यह वाजिब नहीं कि फिदये की वसियत कर जायें फिर भी वसियत की तो तिहाई माल में जारी होगी और अगर इतना मौक़ा मिला कि क़ज़ा रोज़े रख लेते मगर न रखे तो वसियत कर जाना वाजिब है और जानबूझ कर न रखे हों तो वसियत करना और सख्त वाजिब है और वसियत न की बल्कि वली ने अपनी तरफ से दे दिया तो भी जाइज़ है मगर वली पर देना वाजिब न था !

सवाल : एक रोज़े का फिदया कितना है ?
जवाब : एक रोज़े का फिदया सदक़ए फित्र की मिक़्दार है !

सवाल : किसी ने नफ़्ल रोज़ा तोड़ा तो क्या उसकी भी क़ज़ा ज़रूरी है ?
जवाब : नफ्ल रोज़ा क़स्दन शुरूअ करने से लाज़िम हो जाता है कि तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी , नफ्ल रोज़ा क़स्दन नहीं तोड़ा बल्कि बिला इख्तियार टूट गया , मसलन इस्नाये रोज़ा में हैज़ आ गया , जब भी क़ज़ा वाजिब है !

सवाल : नफ्ल रोज़ा तोड़ना कैसा है ?
जवाब : नफ्ल रोज़ा बिला उज़्र तोड़ देना नाजाइज़ है

सवाल : नफ्ली रोज़ा तोड़ने की कब इजाज़त है ?

जवाब : मेहमान के साथ अगर मेज़बान न खायेगा तो उसे नागवार होगा या मेहमान अगर खाना न खाये तो मेज़बान को तक्लीफ होगी तो नफ्ल रोज़ा तोड़ देने के लिए यह उ़ज़्र है , बशर्ते कि यह भरोसा हो कि उस की क़ज़ा रख लेगा बशर्ते कि ज़हवए कुबरा से पहले तोड़े बा'द को नहीं , ज़वाल के बा'द माँ बाप की नाराज़ी के सबब तोड़ सकता है और इस में भी अ़स्र के पहले तक तोड़ सकता है अ़स्र के बा'द नहीं !

किताबुन्निकाह़

सवाल : निकाह़ किसे कहते है ?
जवाब : निकाह़ उस अ़क़्द को कहते हैं जो इस लिए मुक़र्रर किया गया कि मर्द को औ़रत से जिमाअ़ वग़ैरा ह़लाल हो जाये !

सवाल : खुन्सा मुश्किल (हिजड़े) का निकाह़ मर्द से होगा या औ़रत से ?
जवाब : खुन्सा मुश्किल या'नी जिस में मर्द व औ़रत दोनों की अ़लामतें पाई जायें और यह साबित न हो कि मर्द है या औ़रत उस से न मर्द का निकाह़ हो सकता है न औ़रत का , अगर किया गया तो बातिल है !

सवाल : मर्द का परी से या औ़रत का जिन्न से निकाह़ हो सकता है ?
जवाब : मर्द का परी से या औ़रत का जिन्न से निकाह़ नहीं हो सकता !

सवाल : निकाह़ करने का शर-ई़ हुक्म क्या है ?
जवाब : निकाह़ करने के तफ्सीली अह़काम दर्जे ज़ैल है :
(1) ऐ'तिदाल की ह़ालत में या'नी न शहवत का बहुत ज़्यादा ग़लबा हो न इ़न्नीन (नामर्द) हो और महर व नफ़्क़ा पर क़ुदरत भी हो तो निकाह़ सुन्नतें मुअक्कदा है कि निकाह़ न करने पर अड़ा रहना गुनाह है और अगर ह़राम से बचना या इत्तिबाऐ सुन्नत व ता'मीले हुक्म या औलाद ह़ासिल होना मक़्सूद है तो सवाब भी पायेगा और अगर मह़ज़ लज़्ज़त या क़ज़ाए शहवत मन्ज़ूर हो तो सवाब नहीं -
(2) शहवत का ग़लबा है कि निकाह़ न करे तो معاذ اللہ अन्देशा-ए-ज़िना है और महर व नफ्क़ा की क़ुदरत रखता हो तो निकाह़ वाजिब , यूँही जब कि अजनबी औ़रत की तरफ निगाह उठने से रोक नहीं सकता या معاذ اللہ हाथ से काम लेना पढ़ेगा तो निकाह़ वाजिब है -

(3) ये यक़ीन हो कि निकाह़ न करने में ज़िना वाक़ेअ़ हो जायेगा तो फर्ज़ है कि निकाह़ करे -

(4) अगर यह अन्देशा है कि निकाह़ करेगा तो नान नफ्क़ा न दे सकेगा या जो ज़रूरी बातें हैं उन को पूरा न कर सकेगा तो मकरूह है और इन बातों का यक़ीन हो तो निकाह़ करना ह़राम मगर निकाह़ बह़रहाल हो जायेगा !

सवाल : निकाह़ के मुस्तह़ब्बात बयान कर दें ?

जवाब : निकाह़ में ये उमूर मुस्तह़ब है :

(1) ऐलानिया होना (2) निकाह़ से पहले खुत्बा पढ़ना (3) मस्जिद में होना (4) जुमुआ़ के दिन (5) औ़रत उ़म्र , ह़स्ब , माल , इ़ज़्ज़त में मर्द से कम हो (6) और चाल चलन (7) और अखलाक़ व तक़वा व जमाल में बेश (ज़्यादा) हो (7) जिस से निकाह़ करना हो उसे किसी मो'तबर औ़रत को भेज कर दिखवा ले और आ़दत व अतवार व सलीक़ा वग़ैरा की खूब जाँच कर ले कि आइन्दा खराबिया न पड़ें , कुंवारी औ़रत से और जिस से औलाद ज़्यादा होने की उम्मीद हो निकाह़ करना बेहतर है (8) सिन रसीदह और बद खुल्क़ और ज़ानिया से निकाह़ न करना बेहतर (9) औ़रत को चाहिए कि मर्द दीनदार , खुश खुल्क़ , मालदार , सखी से निकाह़ करे , फासिक़ बदकार से नहीं , ये मुस्तह़ब्बाते निकाह़ है , अगर इसके खिलाफ निकाह़ होगा जब भी हो जायेगा !

सवाल : निकाह़ के अरकान क्या है ?

जवाब : ईजाब व क़ुबूल या'नी मसलन एक कहे मैने अपने को तेरी ज़ौजियत में दिया दूसरा कहे मैने क़ुबूल किया यह निकाह़ के रुक्न हैं पहले जो कहे वह ईजाब है और उस के जवाब में दूसरे के अल्फाज़ को क़ुबूल कहते हैं यह कुछ ज़रूरी नहीं कि औ़रत की तरफ से ईजाब हो और मर्द की तरफ से क़ुबूल बल्कि उस का उल्टा भी हो सकता है !

सवाल : निकाह़ के लिए शराईत क्या है ?

जवाब : निकाह़ के लिए चंद शराईत है :

(1) आ़क़िल होना मजनून या ना समझ बच्चे ने (खुद) निकाह़ किया तो मुनअ़क़िद ही न हुआ -

(2) बुलूग़ : नाबालिग़ अगर समझदार है तो मुनअ़क़िद हो जायेगा मगर वली की इजाज़त पर मौक़ूफ रहेगा -

(3) गवाह होना : या'नी ईजाब व क़ुबूल दो मर्द या एक मर्द और दो औ़रतों के सामने हों -

(4) ईजाब व क़ुबूल दोनो का एक मजलिस में होना -

(5) क़ुबूल ईजाब के मुखालिफ न हो , मसलन उसने कहा हज़ार रुपए महर पर तेरे निकाह़ में दी , उसने कहा क़ुबूल तो किया और महर क़ुबूल नही , तो निकाह़ न हुआ , और अगर निकाह़ क़ुबूल किया और महर की निस्बत कुछ न कहा तो हज़ार पर निकाह़ हो गया -

(6) लड़की बालिग़ा है तो उसका राज़ी होना शर्त है , वाली को ये इख्तियार नही कि बग़ैर उसकी रिज़ा के निकाह़ कर दें !

सवाल : निकाह़ के गवाह कैसे होने चाहिए ?

जवाब : गवाह आज़ाद , आ़क़िल , बालिग़ हो और सब एक साथ निकाह़ के अल्फाज़ सुने बच्चों और पागलों की गवाही से निकाह़ नहीं हो सकता ना ग़ुलाम की गवाही से मुसलमान मर्द का निकाह़ मुसलमान औ़रत के साथ है तो गवाहों का मुसलमान होना भी शर्त है , निकाह़ के गवाह फासिक़ हो या अंधे या उन पर तोहमत की ह़द लगाई गई हो तो उनकी गवाही से निकाह़ मुनअ़क़िद हो जाएगा मगर आकर दिन में से अगर कोई इन्कार कर बैठे तो उनकी शहादत से निकाह़ साबित न होगा !

सवाल : लड़की से वकालत लेने का तरीक़ा क्या है ?

जवाब : ये आ़म तौर पर रिवाज हो गया है कि एक शख्स लड़की से इज़्न (इजाज़त) ले कर आता है जिसे वकील कहते हैं , वह निकाह़ पढ़ाने वाले से कह देता है मैं फुलां का वकील हूँ आप को इजाज़त देता हूँ कि निकाह़ पढ़ा दीजिए , यह तरीक़ा महज़ ग़लत है वकील को यह इख्तियार नहीं कि उस काम के लिए दूसरे को वकील बना दे अगर ऐसा किया तो निकाह़ फुज़ूली हुआ इजाज़त पर मौक़ूफ है इजाज़त से पहले मर्द व औ़रत हर एक को तोड़ देने का इख्तियार ह़ासिल है बल्कि यूँ चाहिए कि जो पढ़ाये वह औ़रत या उस के वली का वकील बने , ख्वाह यह खुद उस के पास जा कर वकालत ह़ासिल करे या दूसरा उस की वकालत के लिए इज़्न लाये कि फुलां बिन फुलां को तूने वकील किया कि वह तेरा निकाह़ फलां बिन फलां से कर दे औ़रत कहे हाँ !

सवाल : क्या औ़रत से इजाज़त लेते वक़्त भी गवाहों की ह़ाजत होती है ?

जवाब : औ़रत से इज़्न लेते वक़्त गवाहों की ज़रूरत नहीं या'नी उस वक़्त अगर गवाह न भी हों और निकाह़ पढ़ाते वक़्त हो तो निकाह़ हो गया , अल्बत्ता इज़्न के लिए गवाहों की यूँ ह़ाजत है कि अगर उस ने इन्कार कर दिया और यह कहा कि मैने इज़्न नहीं दिया था तो अब गवाहों से उस का इज़्न देना साबित किया जायेगा !

सवाल : महर की कम अज़ कम मिक़्दार कितनी है ?

जवाब : महर की कम अज़ कम मिक़्दार दस दिरहम (दो तोले साढ़े सात माशे चांदी या उसकी क़ीमत) है !

सवाल : निकाह़ का मुख्तसर तरीक़े कार बयान कर दे ?

जवाब : सबसे पहले निकाह़ ख्वाह (जिसने निकाह़ पढ़ाना है) , वह लड़की से

वकालत लेने जाए और उसे कहें कि क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं कि इतने महर (मसलन 5000) के इ़वज़ आपका निकाह़ फलां बिन फलां (दूल्हा) से कर दूँ ? लड़की हाँ कह दे तो उसके बा'द (निकाह की मजलिस में आकर) निकाह़ - ख्वाह निकाह़ का खुतबा पढ़े हैं (कि खुतबा पहले मुसतह़ब है) , फिर जिसके नाम की वकालत (इजाज़त) है वह दूल्हा से (गवाहों की मौजूदगी में) इस तरह ईजाब करें : मैने अपनी मुअक्किला का निकाह़ इतने (मसलन 5000) ह़क़ महर इ़वज़ आप से किया लड़का कहें कि मैने क़ुबूल किया इस तरह एक मर्तबा ज़रूरी और तीन मर्तबा मुसतह़ब है -

नोट : अगर निकाह़-ख्वाह के अ़लावा कोई और वकालत लेने जाए तो वहां के नाम की वकालत ले कि क्या फलां बिन फलां (निकाह़ख्वाह) को इजाज़त देती है कि वह आपका निकाह़ फलां बिन फलां (दूल्हा) से पढ़ा दे ? या फिर वकालते मुत़लक़ा लें या'नी यूँ कहे कि क्या आप मुझे इजाज़त देती है कि मैं आपका निकाह़ फलां बिन फलां से खुद कर दूं या किसी और को इसकी इजाज़त दे दूँ ? इजाज़त लेने के बा'द मजलिसे निकाह़ में आकर निकाह़-ख्वाह को (पहली सूरत में) इजाज़त की खबर दे दें या (दूसरी सूरत में) निकाह़-ख्वाह को इजाज़त दे दें और फिर निकाह़-ख्वाह साबिक़ा तरीक़े पर निकाह़ पढ़ा दे !

किताबुत्त़लाक़

सवाल : त़लाक़ किसे कहते है ?

जवाब : निकाह़ से औ़रत शौहर की पाबन्द हो जाती है , उस पाबन्दी के उठा देने को त़लाक़ कहते हैं और उस के लिए कुछ अल्फाज़ मुक़र्रर हैं , उस की दो सूरतें हैं एक यह कि उसी वक़्त निकाह़ से बाहर हो जाये उसे बाइन कहते है , दोम यह कि इ़द्दत गुज़रने पर बाहर होगी उसे रजई़ कहते हैं !

सवाल : त़लाक़ देना कैसा है ?

जवाब : बे वज्हे शर-ई़ ममनूअ़ है और वजहे शर-ई़ हो तो मुबाह (जाइज़) बल्कि बा'ज़ सूरतों में मुस्तह़ब मसलन औ़रत उस को या औरों को ईज़ा देती या नमाज़ नहीं पढ़ती है , और बा'ज़ सूरतों में तलाक़ देना वाजिब है मसलन शौहर नामर्द या हीजड़ा है या उस पर किसी ने जादू या अ़मल कर दिया है कि जिमाअ़ करने पर क़ादिर नहीं और उस के इज़ाले की भी कोई सूरत नज़र नहीं आती कि उन सूरतों में तलाक़ न देना सख्त तक्लीफ पहुँचाना है !

सवाल : देने के ऐ'तिबार से तलाक़ की कितनी क़िस्मे है ?

जवाब : इस ऐ'तिबार से तलाक़ की तीन क़िस्में हैं : (1) अह़सन (2) ह़सन (3) बिद-ई़ - त़लाक़े बिद-ई़ देना गुनाह है !

सवाल : त़लाक़े अह़सन क्या है ?

जवाब : जिस तुहुर में वती न की हो उस में एक त़लाक़े रज-ई़ दे और छोड़े रहे यहाँ तक कि इ़द्दत गुज़र जाये यह अह़सन है !

सवाल : त़लाक़े ह़सन क्या है ?

जवाब : त़लाक़े ह़सन की दर्जे ज़ैल सूरत है :

(1) मौतूवह को तीन तुहुर में तीन तलाक़े दी बशर्तेके उन तुहुरो में वती की हो न (उन से पहले) हैज़ में (2) या तीन महीने में तीन तलाक़े उस औ़रत को दी जिसे हैज़ नहीं आता मसलन नाबालिग़ा या ह़मल वाली है या इयास की उ़म्र को पहुँच गई (3) या ग़ैर मोतूवह को तलाक़ दी अगर्चे हैज़ के दिनों में दी हो , तो ये सब सूरत तलाक़े हसन की है , तलाक़े हसन को सुन्नत तलाक़ भी कहते है !

सवाल : तलाके बिद-ई क्या है ?

जवाब : तलाके बिद-ई की दर्जे ज़ैल सूरत है :

(1) एक तुहुर में दो या तीन तलाक़ दे दें तीन दफअ़ में या दो दफअ़ या एक ही दफअ़ ख्वाह तीन बार लफ़्ज़ कहे या यूँ कह दिया कि तुझे तीन तलाक़े (2) या एक ही तलाक़ दी मगर उस तुहुर में वती कर चुका है था (3) या मौतूवह को हैज़ में तलाक़ दी (4) या तुहुर ही में तलाक़ दी मगर उस से पहले जो हैज़ आया था उस में वती की थी या उस हैज़ में तलाक़ दी थी (5) या यह सब बातें नहीं मगर तुहुर में तलाक़े बाइन दी !

सवाल : अल्फाज़े तलाक़ की कितनी क़िस्मे है ?

जवाब : अल्फाज़े तलाक़ की दो किसमे है : (1) सरीह़ (2) किनाया

सवाल : सरीह़ किसे कहते है ?

जवाब : सरीह़ वह जिस से तलाक़ मुराद होना ज़ाहिर हो अक्सर तलाक़ में इसका इस्ते'माल हो , अगर्चे वह किसी ज़बान का लफ्ज़ हो मसलन मैने तुझे तलाक़ दी , तुझे तलाक़ है , तू मुतल्लक़ा है मैं , तुझे तलाक़ देता हूँ !

सवाल : किनाया की क्या ता'रीफ है ?

जवाब : किनाया तलाक़ वह अल्फाज़ है जिनसे तलाक़ मुराद होना ज़ाहिर ना हो तलाक़ के अ़लावा और मा'नो में भी उनका इस्ते'माल होता है मसलन जा , निकल

, चल , घर खाली कर , तू मुझसे जुदा है , मैने तुझे बे-क़ैद किया वग़ैरा-वग़ैरा !

सवाल : किनाया अल्फाज़ से तलाक़ कब वाकेअ़ होती है ?

जवाब : किनाया से तलाक़ वाकेअ़ होने में यह शर्त है कि नियते तलाक़ हो या ह़ालत बताती हो कि तलाक़ मुराद है या'नी बेश्तर तलाक़ का ज़िक्र था !

सवाल : सरीह़ तलाक़ बीवी को कहने से क्या होता है ?

जवाब : सारी तलाक़ एक मर्तबा कहने से एक त़लाक़े रज-ई़ वाक़ेअ़ होगी अगर्चे कुछ नियत न की हो -

और दो मर्तबा कहने से दो त़लाक़े रज-ई़ होती है !

सवाल : त़लाक़े बाइन कब वाक़ेअ़ होती है ?

जवाब : उ़मूमी तौर पर किराया से त़लाक़े बाइन होती है इसी तरह जब त़लाक़े रज-ई़ में इ़द्दत गुज़र जाए तो बाइन हो जाती है !

सवाल : वह कौनसी तलाक़ है जिसमें बग़ैर निकाह़ के रुजूअ़ हो सकता है ?

जवाब : अगर बीवी को एक या दो त़लाक़े रज-ई़ दी है तो इ़द्दत के अंदर बग़ैर निकाह़ के भी रूजूअ़ हो सकता है !

सवाल : त़लाक़े रज-ई़ एक या दो दी है तो उसमें रूजूअ़ कैसे होगा ?

जवाब : त़लाक़े रज-ई में रूजूअ़ का तरीक़ा यह है के मुत़ल्लक़ा बीवी से अय्यामे इ़द्दत में यह अल्फाज़ कहे कि मैने तुझे फैर लिया या रद्द किया या रोक लिया या इ़द्दत के दौरान शहवत के साथ छुए या बोसा ले या जिमाअ़ करें बेहतर पहला (या'नी ज़बान से रुजूअ़ करने वाला) तरीक़ा है !

सवाल : वह कौन सी तलाक़ है कि जिस में निकाह़ ही करना पड़ता है ?

जवाब : अगर एक या दो बाईन है तो रिश्ता क़ाइम करने के लिए निकाह़ ज़रूरी है

क्योंकि तलाक़ से औ़रत निकाह़ से निकल जाती है !

सवाल : वह कौन सी त़लाक़े है कि जिनके बा'द बग़ैर ह़लाला के निकाह़ नहीं हो सकता ?

जवाब : तीन तलाक़ो का अ़दद जब भी पूरा होगा तो तलाक़ मुग़ल्लज़ा हो जाएगी और ह़लाला ए शर-ई़य्या के बग़ैर उस खाविंद से निकाह़ नहीं हो सकता , क़ुरआने मजीद में इरशादे बारी तआ़ला है (فان طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره) अगर तीसरी तलाक़ दे दी तो बीवी उसके बा'द ह़लाल न होगी जब तक वह किसी दूसरे से निकाह़ न कर ले !

सवाल : ह़लाला ए शर-ई़य्या का तरीक़ा क्या है ?

जवाब : उस तलाक़ की इ़द्दत गुज़ारे फिर औ़रत दूसरे से निकाह़ करें और उससे हमबिस्तर भी हो (जिसमें दुखूल शर्त है , इन्ज़ाल नहीं) , फिर वह तलाक़ दें या मर जाए और वह बह़रह़ाल उसकी इ़द्दत गुज़र जाए , उसके बा'द उस पहले से निकाह़ हो सकता है वरना हरगिज़ नहीं !

सवाल : क्या नशे की ह़ालत में तलाक़ हो जाती है ?

जवाब : जी हाँ ! नशा वाले ने तलाक़ दी तो बाक़ी हो जाएगी कि यह आक़िल के हुक्म है और नशा शराब पीने से हो या भंग वग़ैरह किसी और चीज़ से -

हाँ , किसी ने मजबूर करके उसे नशा पिला दिया यह ह़ालते इज़तिरार में पिया (मसलन प्यास से मर रहा था और पानी न था) और नशे में तलाक़ दे दी तो सह़ीह़ यह है कि वाक़ेअ़ न होगी !

सवाल : क्या गुस्से की ह़ालत में तलाक़ हो जाती है ?

जवाब : जब तक अ़क़्ल सलामत है गुस्से की ह़ालत में भी तलाक़ हो जाती है ,

सदरूश्शरिया मुफ्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी رحمۃاللہ علیہ फरमाते हैं : “ आजकल अक्सर लोग तलाक़ दे बैठते हैं बा'द को अफसोस करते और तरह-तरह के ह़ीले से यह फतवा लिया चाहते हैं कि तलाक़ वाक़ेअ़ न हो , एक अक्सर यह भी होता है कि गुस्से में तलाक़ दी थी , मुफ्ती को चाहिए यह अम्र मल्ह़ूज़ रखें कि मुत़लक़न गुस्से का ऐ'तबार नहीं , मा'मूली गुस्से में तलाक़ हो जाती है , वह सूरत के अ़क़्ल गुस्से से जाती रहे बहुत नादिर है , लिहाज़ा जब तक इसका सबूत न हो मह़ज़ साइल के कह देने पर ए'तमाद न करें " !

सवाल : क्या औ़रत ब-ज़ाते खुद को कोर्ट से तलाक़ ले सकती है ?
जवाब : तलाक़ का इख्तियार शरीअ़त ने मर्द को दिया है , उसके अ़लावा कोई दूसरा तलाक़ नहीं दे सकता , क़ुरआने पाक में है : (الذی بیدہ عقدۃ النکاح)
तर्जमए कंज़ुल ईमान : वह जिसके हाथ में निकाह़ की गिरेह हैं !

अक़ीक़े का बयान

सवाल : अक़ीक़ा किसे कहते है ? और इस का क्या हुक्म है ?

जवाब : बच्चा पैदा होने के शुक्रिये में जो जानवर ज़ब्ह किया जाता है उस को अक़ीक़ा कहते हैं , ह़नफिया के नज़्दीक अक़ीक़ा मुबाह़ व मुस्तह़ब है !

सवाल : जब बच्चा पैदा हो उस वक़्त कौनसे से उमूर मुस्तह़ब है ?

जवाब : जब बच्चा पैदा हो तो मुस्तह़ब यह है कि उसके कान में अज़ान व इक़ामत कही जाये अज़ान कहने से انشاء اللہ تعالی बलायें दूर हो जायेगी बेहतर यह है कि दाहिने कान में चार मरतबा अज़ान और बायें में तीन मर्तबा इक़ामत कही जाये , बहुत लोगों में यह रिवाज है कि लड़का पैदा होता है तो अज़ान कही जाती है और लड़की पैदा होती है तो नहीं करते , यह न चाहिए बल्कि लड़की पैदा हो जब भी अज़ान व इक़ामत कही जाये , सातवें दिन उसका नाम रखा जाये और इस का सर मूंढा जाये और सर मुंढाने के वक़्त अक़ीक़ा किया जाये और बालों को बज़न कर के उतनी चाँदी या सोना सदक़ा किया जाये !

सवाल : अक़ीक़ा किस दिन करना चाहिए ?

जवाब : अक़ीक़े के लिये सांतवा दिन बेहतर है और सातवें दिन न कर सकें तो जब चाहें कर सकते हो जायेगी , बा'ज़ ने यह कहा कि सातवें या चौदहवें या इक्कीसवें दिन या'नी सात दिन का लिहाज़ रखा जाये यह बेहतर है और याद न रहे तो यह करे कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ हो उस दिन को याद रखें उस से एक दिन पहले वाला दिन जब आये वह सातवाँ होगा मसलन जुमुआ़ को पैदा हुआ तो जुमेरात सात दिन है और सनीचर को पैदा हुआ तो सातवें दिन जुमुआ़ होगा पहली सूरत में जिस जुमेरात को और दूसरी सूरत में जिस जुमुआ़ को अक़ीक़ा करेगा उस में सातवें का ह़िसाब ज़रूर आयेगा !

सवाल : लड़के और लड़की के अक़ीक़े में क्या ज़ब्ह किया जाए ?
जवाब : लड़के के अक़ीक़े में दो बकरे और लड़की में एक बकरी ज़ब्ह की जाये या'नी लड़के में नर जानवर और लड़की में मादा मुनासिब है , और लड़के के अक़ीक़े में बकरियों और लड़की में बकरा किया जब भी ह़रज नहीं , और अक़ीक़े में गाय ज़ब्ह की जाये तो लड़के के लिये दो ह़िस्से और लड़की के लिये एक ह़िस्सा काफी है या'नी सात ह़िस्सों में दो ह़िस्से या एक ह़िस्सा -
लड़के के अक़ीक़े में दो बकरियों की जगह एक ही बकरी किसी ने की तो यह भी जाइज़ हैं , एक ह़दीस से बज़ाहिर ऐसा मा'लूम होता है कि अक़ीक़े में एक मेंढा ज़ब्ह हुआ !

सवाल : क़ुर्बानी के दिनों में गाय की क़ुर्बानी हो रही हो , तो क्या उसमें अक़ीक़ा का ह़िस्सा भी रख सकते है ?
जवाब : गाय की क़ुर्बानी हुई उसमें अक़ीक़े की शिरकत हो सकती है !

सवाल : अक़ीक़ा के जानवर की क्या शराइत है ?
जवाब : अक़ीक़ा के जानवर उन्ही शराइत के साथ होना चाहिए जैसा क़ुर्बानी के लिए होता है !

सवाल : उसके गोश्त का क्या करना चाहिए ?
जवाब : इस का गोश्त फु-क़रा और अ़ज़ीज़ व क़रीब दोस्त व अह़बाब को कच्चा तक़्सीम कर दिया जाये या पकाकर दिया जाये या उन को बतौरे दा'वत खिलाया जाये यह सब सूरतें जाइज़ हैं , बेहतर यह है कि उस की हड्डी न तोड़ी जाये बल्कि हड्डियों पर से गोश्त उतार लिया जाये यह बच्चे की सलामती की नेक फाल है और हड्डी तोड़कर गोश्त बनाया जाये इस में भी ह़रज नहीं , गोश्त को जिस तरह चाहे पका सकते हैं मगर मीठा पकाया जाये तो बच्चे के अखलाक़

अच्छे होने की फाल है , बा'ज़ का यह क़ौल है कि सिरी , पाय , ह़ज्जाम को और एक रान दाई को दें बाक़ी गोश्त के तीन ह़िस्से करें एक ह़िस्सा फु-क़रा का एक अह़बाब का और एक ह़िस्सा घर वाले खायें !

सवाल : क्या अ़क़ीक़े का गोश्त माँ बाप , दादा-दादी , नाना-नानी नही खा सकते ?

जवाब : अ़वाम में यह बहुत मशहूर है कि अ़क़ीक़े का गोश्त बच्चे के माँ बाप और दादा-दादी , नाना-नानी न खायें यह मह़ज़ ग़लत है उसका कोई सुबूत नहीं !

सवाल : अ़क़ीक़े के जानवर की खाल का क्या करें ?

जवाब : उस की खाल का वही हुक्म है जो क़ुर्बानी की खाल का है कि अपने सर्फ में लाये या मसाकीन को दे या किसी और नेक काम मस्जिद या मदरसा में सर्फ करे !

सवाल : बच्चे का नाम कैसा रखा जाए ?

जवाब : बच्चे का अच्छा नाम रखा जाये , बहुत लोगों के ऐसे नाम हैं जिन के कुछ मा'ना नहीं या उनके बुरे मा'ना हैं ऐसे नामों से एह़तिराज़ करें , अम्बियाए किराम عليهم السلام के अस्मा-ए-तय्यिबा और सह़ाबा य ताबेई़न व बुज़ुर्गाने दीन के नाम पर नाम रखना बेहतर है उम्मीद है कि उन की बरकत बच्चे के शामिले ह़ाल होगी !

सवाल : अ़ब्दुल्लाह और अ़ब्दुर्रह़मान नाम रखना कैसा है ?

जवाब : अ़ब्दुल्लाह व अ़ब्दुर्रह़मान बहुत अच्छे नाम हैं मगर इस ज़माने में यह अक्सर देखा जाता है कि बजाये अ़ब्दुर्रह़मान उस शख्स को बहुत से लोग रह़मान कहते हैं और ग़ैरे खुदा रह़मान कहना ह़राम है , इसी तरह अ़ब्दुल खालिक़ को खालिक़ और अ़ब्दुल मअ़बूद को मअ़बूद कहते हैं इस क़िस्म के नामों में ऐसी

नाजाइज़ तरमीम हरगिज़ न की जाये , इसी तरह बहुत कसरत से नामों में तस्ग़ीर का रिवाज है या'नी नाम को इस तरह बिगाड़ते हैं जिस से ह़िकारत निकलती और ऐसे नामों में तस्ग़ीर हरगिज़ न की जाये लिहाज़ा जहां यह गुमान हो कि नामों में तसगीर की जायेगी यह नाम न रखे जायें दूसरे नाम रखे जायें !

सवाल : मुह़म्मद नाम रखना कैसा है ?

जवाब : मुह़म्मद बहुत प्यारा नाम है इस नाम की बड़ी ता'रीफ ह़दीसों में आई है अगर तस्ग़ीर का अन्देशा न हो तो यह नाम रखा जाये और एक सूरत यह कि अक़ीक़ा यह नाम हो और पुकारने के लिये कोई दूसरा नाम तज्वीज़ कर लिया जाये और पाक व हिन्द में ऐसा बहुत होता है कि एक शख्स के कई नाम होते हैं इस सूरत में नाम की बरकत भी होगी और तस्ग़ीर से भी बच जायेंगे !

खत्ना का बयान

सवाल : खत्ना करने का क्या हुक्म है ?

जवाब : खत्ना सुन्नते मुअक्कदा है और ये शिआ़रे इस्लाम में है -

कि ग़ैर मुस्लिम और मुस्लिम में इससे इम्तियाज़ होता है , इसीलिए उ़र्फे आ़म में इसको मुसलमानी भी कहते है !

सवाल : बच्चे का खत्ना किस उ़म्र में करवाया जाए ?

जवाब : खत्ना की मुद्दत सात साल से बारह साल की उ़म्र तक है और बा'ज़ उ़-लमा ने यह फरमाया कि विलादत से सातवें दिन के बा'द खत्ना करना जाइज़ है -

खत्ना जितनी छोटी उ़म्र में हो जाए बेहतर है तक्लीफ भी काम होती है और ज़ख्म भी जल्द भर जाता है !

सवाल : बच्चा अगर ऐसा पैदा हुआ , जिसे खत्ना की ह़ाजत नहीं तो क्या किया जाए ?

जवाब : बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ कि खत्ना में जो खाल काटी जाती है वह उसमें नहीं और अगर कुछ खाल है जिसको खींचा जा सकता है मगर उसे सख्त तक्लीफ होगी और ह़शफा (सुपारी) ज़ाहिर है तो ह़ज्जामो को दिखाया जाये अगर वह कह दें कि नहीं हो सकती तो छोड़ दिया जाये बच्चे को ख्वाह मख्वाह तक्लीफ न दी जाये !

सवाल : अगर बालिग़ शख्स मुसलमान हुआ तो क्या वो खत्ना करवाएगा ?

जवाब : नौ मुस्लिम के खत्ना की सूरत बयान करते हुए इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा खान رحمۃ اللہ علیہ फरमाते है : "हाँ अगर खुद कर

सकता हो तो आप अपने हाथ से कर लें या कोई औ़रत को इस काम को कर सकती हो , मुम्किन हो तो उससे निकाह़ करा दिया जाए, वो खत्ना कर दे , उसके बा'द चाहे तो उसे छोड़ दे (या'नी तलाक़ दे दें) या कोई कनीज़े शर-ई़ (खत्ना से) वाक़िफ हो तो वो खरीदी जाए , (फी ज़मा'ना ग़ुलाम और कनीज़ का सिलसिला बंद है) और अगर ये तीनो सूरत न हो सके तो ह़ज्जाम खत्ना कर दें कि ऐसी ज़रूरत के लिए सित्र देखना मनअ़ नहीं " !

सवाल : बूढ़ा आदमी मुसलमान हुआ , वो क्या करें ?
जवाब : बूढ़ा आदमी मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ जिसमें खत्ना कराने की ताक़त नहीं खत्ना कराने की ह़ाजत नहीं !

सवाल : बच्चे का खत्ना कराना किसका काम है ?
जवाब : खत्ना कराना बाप का काम है वह न हो तो उसका वसी उसके बा'द दादा फिर उसके वसी का मरतबा है , मामूं और चाचा या उनके वसी का यह काम नहीं , हाँ , अगर बच्चा उनकी तरबियत व अ़याल में हो तो कर सकते हैं !

कुछ उमूरे बाति़निय्या

(1) तवक्कुल की ता'रीफ : ज़रूरी असबाब के इख्तियार करने में नबिये अकरम صلی اللہ علیہ وسلم की इत्तिबाअ़ करते हुए अल्लाह عزوجل पर भरोसा रखना और इस बात का यक़ीन रखना कि जो कुछ मुक़द्दर में है वह होकर रहेगा -

(2) क़नाअ़त की ता'रीफ : रोज़मर्रा इस्ते'माल होने वाली चीज़ो के न होने पर भी राज़ी रहना क़नाअ़त है -
ह़ज़रत ए सैय्यदुना अ़ब्दुल्ला बिन अम्र رضی اللہ عنھما से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार , हम बेकसूर के मददगार , शफीए़ रोज़े शुमार , दो आ़लम के मालिक व मुख्तार , ह़बीबे परवर्दगार صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया , जो इस्लाम लाया और उसे बक़द्रे किफायत रिज़्क़ दिया गया और अल्लाह عزوجل ने उसे क़नाअ़त की तौफीक़ अ़ता फरमाई तो वह फलाह़ पा गया -

(3) ज़ु-हद की ता'रीफ : किसी चीज़ को छोड़कर ऐसी कोई चीज़ की तरफ रग़बत करना जो उस से बेहतर हो ह़ज़रत सलमान फारसी رضی اللہ عنہ से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे ह़बीब , ह़बीबे लबीब صلی اللہ علیہ وسلم का फरमाने आ़लीशान है : दुनिया में ज़ु-हद व तक़वा इख्तियार करने वाले लोग , कल (बरोज़े क़ियामत) अल्लाह عزوجل के क़ुर्ब में होंगे -

(4) इखलास की ता'रीफ : इखलास यह है कि बंदा नेक आ'माल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह عزوجل की रिज़ा और खुशनूदी के लिए करें -
रसूलूल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने इरशाद फरमाया : जो कोई चालीस दिन तक इखलास के साथ अ़मल करता है अल्लाह तआ़ला उसके दिल से ज़बान पर ह़िकमत के चश्मे जारी कर देता है -

(5) तवाज़ोअ़ की ता'रीफ : अपने आप को ह़क़ीर और कमतर समझने को तवाज़ोअ़ कहते हैं -
शफीए़ रोज़े शुमार , दो आ़लम के मुख्तार , ह़बीबे परवर्दगार صلی اللہ علیہ وسلم का फरमान है : सदक़ा माल में कमी नहीं करता अल्लाह عزوجل बंदे के अ़फ्वो दरगुज़र की वजह से उसकी इ़ज़्ज़त मे इज़ाफा फरमा देता है और जो शख्स अल्लाह عزوجل के लिए तवाज़ोअ़ इख्तियार करता है अल्लाह عزوجل उसे बुलंदी अ़ता फरमाता है !

(6) ह़या की ता'रीफ : किसी काम के इर्तिकाब के वक़्त मज़म्मत और मलामत के खौफ से इंसान की ह़ालत का तब्दील हो जाना ह़या कहलाता है -
एक और ता'रीफ यू की गई कि ह़या वह वस्फ है जो बुरे काम के तर्क पर उभारता है और ह़क़दार के ह़क़ की अदायगी में कोताही से मनअ़ करता है -
ह़ज़रते इब्ने उ़मर رضی اللہ عنہما से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم एक अंसारी शख्स पर गुज़रे जो अपने भाई को शर्म व ह़या के मुतअ़ल्लिक़ नसीह़त कर रहा था तो रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया : इसे छोड़ दो क्योंकि ह़या ईमान से है !

(7) ह़िर्स की ता'रीफ : ख्वाहिशात की ज़ियादती के इरादे का नाम ह़िर्स है और क़ामूसुल मुह़ीत़ है कि अपना ह़िस्सा ह़ासिल कर लेने के बावजूद दूसरे के ह़िस्से की लालच रखें -
शहंशाहे मदीना , क़रारे क़ल्ब व सीना , साह़िबे मुअ़त्तर पसीना , बाइसे नुज़ूले सकीना , फैज़ गंजीना صلی اللہ علیہ وسلم का फरमाने हक़ीक़त निशान है : अगर इब्ने आदम के पास सोने की दो वादिया हो तब भी यह तीसरी की ख्वाहिश करेगा और इब्ने आदम का पेट क़ब्र की मिट्टी ही भर सकती है ! .

(8) हुब्बे जाह की ता'रीफ : लोगों में शोहरत और नामवरी चाहना हुब्बे जाह है - ह़ज़रते सय्यिदुना का'ब बिन मालिक رضی اللہ عنہ से मरवी है कि अल्लाह के ह़बीब , हबीबे लबीब صلی اللہ علیہ وسلم का फरमान इ़बरत निशान है : दो भूखे भेड़िए अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए तो इतना नुक़्सान नहीं पहुंचाते जितना कि मालो दौलत की ह़िर्स और हुब्बे जाह इंसान के दीन को नुक़्सान पहुंचाते हैं !

(9) रियाकारी की ता'रीफ : इखलास को छोड़ देने का नाम रियाकारी है चुनांचे अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त के अ़लावा किसी और का लिह़ाज़ रखते हुए कोई अ़मल करना रिया है -

अल्लाह के मह़बूब , दानाए ग़ुयूब , मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم का फरमाने आ़लीशान है : मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा शिर्के असग़र या'नी दिखावे में मुब्तला होने का खौफ है , अल्लाह عزوجل क़ियामत के दिन कुछ लोगों को उनके आ'माल की जज़ा देते वक़्त इरशाद फरमाएगा कि उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए दुनिया में तुम दिखावा करते थे और देखो कि क्या तुम उनके पास कोई जज़ा पाते हो ?

(10) उ़जुब की ता'रीफ : मुनइ़मे ह़क़ीक़ी (या'नी अल्लाह तआ़ला) की नेअ़मत व अ़ता को भूल कर किसी दीनी या दुनियावी नेअ़मत को अपना ही कमाल तसव्वुर करना और उसके ज़वाल से बेखौफ हो जाना उ़जुब है -

अल्लाह के मह़बूब , दानाए ग़ुयूब , मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم का फरमाने ज़ीशान है : गुनाह पर नादिम होने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं , नादिम होने वाला रह़मत का मुंतज़िर होता है जबकि खुद पसंदी करने वाला अल्लाह عزوجل की नाराज़गी का मुंतज़िर होता है !

(11) तकब्बुर की ता'रीफ : तकब्बुर यह है कि इंसान खुद को दूसरों से बड़ा खयाल करें -

ह़दीसे पाक में है : जिस किसी के दिल में राई बराबर ईमान होगा वह जहन्नम में नहीं जाएगा और जिस किसी के दिल में राई बराबर तकब्बुर होगा वह जन्नत में नहीं जाएगा !

(12) ज़ुल्म की ता'रीफ : किसी चीज़ को उसकी जगह ना रखना ज़ुल्म है और शरीअ़त में ज़ुल्म से मुराद ये है कि किसी का ह़क़ मारना या उसके साथ ज़ियादती करना -

ह़दीसे पाक में है : अल्लाह तआ़ला ज़ालिम को ढील देता है मगर जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं उसके बा'द यह आयत तिलावत की

(وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ) तर्जमा : ऐसी ही तेरे रब की पकड़ है जब वह ज़ुल्म करने वाली बस्तियों को पकड़ता है !

(13) फ़ह़श की ता'रीफ : फ़ह़श वह बेहूदा बातें और बुरे अफआ़ल है जिनसे फितरते सलीमा नफरत करें और अक़्ले सह़ीह़ उसे खामी क़रार दें -

हुज़ूर ताजदारे मदीना , क़रारे क़ल्ब व सीना , साह़िबे मुअ़त्तर पसीना , बाइसे नुज़ूले सकीना , फैज़ गंजीना صلی اللہ علیہ وسلم का फरमाने बा क़रीना है : उस शख्स पर जन्नत ह़राम है जो फह़श गोई (या'नी बेह़याई की बात) से काम लेता है !

(14) ग़ीबत की ता'रीफ : किसी शख्स के पोशीदा ऐ़ब को (जिसको वह दूसरों के सामने ज़ाहिर होना ना पसंद करता है) उसकी बुराई के तौर पर बयान करना ग़ीबत कहलाता है -

अबू सईद व जाबिर رضی اللہ عنہما से रिवायत कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم

ने फरमाया ग़ीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त चीज़ है , लोगों ने अ़र्ज़ की , या रसूलल्लाह ! صلی اللہ علیہ وسلم ज़िना से ज़्यादा सख्त ग़ीबत क्योंकर है ? फरमाया कि मर्द ज़िना करता है फिर तौबा करता है अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़ुबूल फरमाता है और ग़ीबत करने वाले की मग़फिरत ना होगी जब तक वह न माफ कर दे जिसकी ग़ीबत है !

(15) ह़सद की ता'रीफ : किसी शख्स की ने'मत देखकर यह आरज़ू करना कि यह ने'मत उससे ज़ाइल होकर मुझे मिल जाये , ह़सद कहलाता है -
नबिये अकरम صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया : ह़सद से दूर रहो , क्योंकि ह़सद नेकियो को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग ईंधन को या फरमाया घास को खा जाती है !

(16) कीने की ता'रीफ : दिन्ल में दुश्मनी को छुपाए रखना और मौक़ा पाते ही उसका इज़हार करना कीना है -
ह़ज़रत अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि हर हफ्ते में दो मर्तबा बंदो के आ'माल अल्लाह तआ़ला के दरबार में पेश किए जाते हैं तो अल्लाह तआ़ला हर बंदा ए मोमिन को बख्श देता है लेकिन उस बंदे को कि उसके और उसके (दीनी) भाई के दरमियान बुग़्ज़ व कीना हो , उसकी अल्लाह तआ़ला मग़फिरत नहीं फरमाता !

क़ुरआने पाक के बारे में मा'लूमात

सवाल : क़ुरआने मजीद में कुल कितने पारे हैं ?

जवाब : क़ुरआने मजीद में कुल 30 कितने पारे हैं !

सवाल : क़ुरआने मजीद में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है ?

जवाब : क़ुरआने मजीद में सबसे बड़ी सूरत 'अल बक़रा' है , जो कि पहले पारे में मौजूद है !

सवाल : क़ुरआने मजीद में सबसे छोटी सूरत कौन सी है ?

जवाब : क़ुरआने मजीद में सबसे छोटी सूरत 'अलकौसर' है !

सवाल : क़ुरआने मजीद में सबसे पहली सूरत कौन सी है ?

जवाब : क़ुरआने मजीद में सबसे पहली सूरत 'अलफातिह़ा' है !

सवाल : क़ुरआने मजीद में सबसे आखरी सूरत कौन सी है ?

जवाब : क़ुरआने मजीद में सबसे आखरी सूरत 'अन्नास' है !

सवाल : क़ुरआने मजीद में सबसे पहले कौनसी आयत नाज़िल हुई ?

जवाब : क़ुरआने मजीद की सबसे पहली आयत "اقرء باسم ربک الذی خلق" नाज़िल हुई , जोकि आखिरी पारे में मौजूद है !

सवाल : क़ुरआने मजीद में सबसे आखिरी कौनसी आयत नाज़िल हुई ?

जवाब : क़ुरआने मजीद की सबसे आखिरी आयत "اليوم اكملت لكم دينكم" नाज़िल हुई , जो कि पारह **6** सूरतुल माईदा में मौजूद है !

सवाल : क़ुरआने मजीद में कुल आयते सज्दा कितनी है ?

जवाब : क़ुरआने मजीद में फिक़्हे ह़-नफी के मुताबिक़ **14** सज्दे है !

सवाल : क़ुरआने मजीद की कितनी मंज़िले है ?

जवाब : क़ुरआने मजीद में सात कितनी मंज़िलें है !

सवाल : क़ुरआने मजीद में कुल कितनी सूरतें है ?

जवाब : क़ुरआने मजीद में **114** सूरतें है !

सवाल : मक्की सूरतों की ता'दाद क्या है ?

जवाब : मक्की सूरतें **86** है !

सवाल : मदनी सूरतें कितनी है ?

जवाब : मदनी सूरतें **28** है !

सवाल : क़ुरआने मजीद के **30** पारों में कुल कितने रुकूअ़ हैं ?

जवाब : क़ुरआने मजीद में कम व बेश **540** रुकूअ़ हैं !

सवाल : सवाल : क़ुरआने मजीद के **30** पारों में कुल कितनी आयात है ?

जवाब : क़ुरआने मजीद के **30** पारों में कम व बेश **6666** आयात है !

सवाल : क़ुरआने मजीद के तीस पारों में ह़रकात कितनी है ?

जवाब : क़ुरआने मजीद में ह़रकात की ता'दाद कम व बेश कुछ यूँ है :

ज़बर : **53243** , ज़ेर : **39582** , पेश : **8804** , मद्द : **1771** , शद्द : **1243** , नुक़्ते : **105681**

सवाल : क़ुरआने मजीद में कुल हुरूफे तहज्जी कितने है ?

जवाब : क़ुरआने मजीद में कम व बेश **323760** हुरूफे तहज्जी है !

नोट : किताब में किसी भी तरह की गलती देखे तो मुत्तला फरमाये

व्हाट्स अप नंबर - 9001039327